सप्तम माला, 23 July 1980

# लोक-सभा वाद-विवाद

# का

# हिन्दी संस्करण

**Third-Session**

## (सातवीं लोक सभा)



लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

# विषय सूची

अंक 34, बुधवार, 23 जुलाई, 1980/1 श्रावण 1902 (शक)


| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर : | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : 653 से 655, 657, 658, 660 और 663 | 1—24 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर : | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : 656, 659, 661, 662 और 664 से 672 | 24—32 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : 5201 से 5218, 5220 से 5301, 5303 से 5345, 5347, 5348 और 5350 से 5366 | 32—160 |
| स्थगन प्रस्ताव के बारे में | 160—161 |
| आकाशवाणी के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में | 161 |
| ऊर्जा तथा कोयला मन्त्री द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में की गई कतिपय टिप्पणियों के बारे में | 162—163 |
| सभा पटल पर रखे गए पत्र | 163—166 |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | |
| नई दिल्ली में हाल ही में हुए श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन में किए गए निर्णय | |
| श्री रामावतार शास्त्री | 166—178 |
| श्री टी० अन्जैया | 178—181 |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति | |
| छठा प्रतिवेदन | 181 |
| सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति | |
| पहला प्रतिवेदन | 181 |
| नियम 377 के अधीन मामले : | |
| (एक) मथुरा तेल शोधक कारखाने में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की आवश्यकता | |
| श्री दिगम्बर सिंह | 181—182 |


किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह* इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(दो) 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश को शीघ्र खाद्यान्नों की सप्लाई करने की आवश्यकता
श्री जैनुल बशर 182

(तीन) श्री अरविन्द का राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए ओरेविले का अधिग्रहण करने के लिये विधान बनाने की आवश्यकता
डा० कर्ण सिंह 182—183

(चार) आवश्यक वस्तुयें उचित मूल्य पर सप्लाई करना
श्री हरिकेश बहादुर 183

(पांच) मध्य प्रदेश के झाबुआ, रतलाम, धार और खरगोन जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में राहत कार्य पुनः शुरू करने की आवश्यकता
श्री दिलीप सिंह भूरिया 183—184

(छः) राजस्थान में "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के लिए तुरन्त गेहूं सप्लाई करने की आवश्यकता
श्री वृद्धि चन्द्र जैन 184

(सात) भारत स्थित विदेशी कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम आदि का उलंघन किए जाने के समाचार
श्री ज्योतिर्मय वसु 184—185

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1980-81 185—261

(एक) उद्योग मन्त्रालय

श्रीमती कृष्णा शाही 185—188
श्री डी०एस०ए० शिवप्रकाशम 188—190
श्री चक्रधारी सिंह 190—191
श्री ए० ए० रहीम 191—193
श्री आर० के० महालगी 194—197
श्री विलास मुत्तेमवार 197—201
श्री भेरावदन के० गधावी 201—204
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् 204—209
श्री महाबीर प्रसाद 209—211
श्री गंगाधर एस० कुचन 211—214
श्री टी०आर० शमन्ना 214—216
श्री रामनाथ दुबे 216—218
श्री रणजीत सिंह 218—220
श्री कमला मिश्र मधुकर 220—223
श्री वाई० एस० महाजन 223—225

श्री गिरधारी लाल व्यास — 225—228
श्री पियूष तिरकी — 228—231
श्री जेवियर अराकल — 231—233
श्री जयपाल सिंह कश्यप — 233—234
श्री जितेन्द्र प्रसाद — 234—236
श्री सी० चिन्नास्वामी — 236—238
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया — 238—240
श्री ए० के० राय — 240—241
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर — 241—244
श्री आरिफ मोहम्मद खां — 244—249
श्री चरणजीत चानना — 249—261

(दो) सिंचाई, नागरिकपूर्ति, संचार आदि मंत्रालय विनियोग (संख्या 3) विधेयक 1980-81 — पुरःस्थापित — 261—262

आधे घण्टे की चर्चा — 262—271

बिजली की प्रतिव्यक्ति अधिष्ठापित क्षमता, उपलब्धता और खपत के बारे में

श्री भोगेन्द्र झा — 262—265
श्री विक्रम महाजन — 265—267
श्री के० मालन्ना — 276
श्री राम विलास पासवान — 268—269
श्री हरिकेश बहादुर — 269—271

———

# लोक सभा

बुधवार, 23 जुलाई, 1980/1 श्रावण, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या 653, श्री वी. वी. देसाई।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : महोदय, यहां एक भी मंत्रिमंडल स्तर का मंत्री उपस्थित नहीं हैं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : सदस्य यह नहीं जानते कि मौखिक उत्तर के लिए उनके प्रश्न कब लिए जायेंगे, वे अपने भ्रमण व बैठकें निर्धारित कर लेते हैं। परन्तु मंत्री तो पूर्णकालिक मंत्री हैं, वे कहां हैं? कृपया इस पर टिप्पणी कीजिए, एक पक्षीय बात न कीजिए।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : चार मंत्री उपस्थित हैं·····। सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री उपस्थित रहेंगे। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को आज कुछ सिफारिशें लेकर आए हैं।

**कर्नाटक में टरबाइन परियोजना की स्थापना**

*653. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्नाटक में टरबाइन परियोजना स्थापित करने के बारे में विचार कर रही थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना के कब तक स्थापित होने की आशा है;

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होगा;

(घ) परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की आशा है; और

(ङ) इसका वार्षिक उत्पादन कितना होगा ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

**श्री बी० वी० देसाई** : महोदय, दक्षिणी राज्यों में एक राज्य कर्नाटक भी है, जहां विद्युत की कमी है । मुख्य मंत्री और कर्नाटक सरकार गैस टरबाईन उपलब्ध कराने के लिए प्रायः आग्रह करते रहे हैं । संभवतः माननीय मंत्री महोदय ने इसे गलती से टरबाईन परियोजना समझ लिया है । ऐसी बात नहीं है । वास्तव में गैस टरबाईनों का आयात किया जाता है और राज्य में बिजली का उत्पादन किया जाता है । सभी मुख्य मंत्री और सरकारें इस सम्बन्ध में आग्रह करते रहे हैं । जहां तक मुझे याद है (वर्ष 1975-76 में) एक जनरेटिंग सेट का आयात करके और उसे बिजली उत्पादन के लिए कर्नाटक को देने का प्रस्ताव था । इसे दृष्टि में रखते हुए क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि क्या वे जनरेटिंग सेट उन्हें देने पर विचार कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां बिजली का उत्पादन हो और कुछ सीमा तक बिजली की कमी पूरी हो ?

**श्री चरणजीत चानना** : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक उद्योग विकास का संबन्ध है, मंत्रालय केवल ठोस आधार पर सोचता है । जहां तक विद्युत उत्पादन संयन्त्र के आयात का संबन्ध है, हमारे पास ऐसा कोई आवेदन-पत्र लम्बित नहीं है । जहाँ तक विद्युत उत्पादन संयन्त्र की स्थापना का संबन्ध है, माननीय सदस्य को इसे ऊर्जा मंत्रालय के पास भेजना होगा । यदि वे हमें भेजते हैं तो हम ऊर्जा मंत्रालय को उनका अनुरोध पहुंचा देंगे ।

**श्री बी० वी० देसाई** : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि ऐसा प्रस्ताव है और इस पर विचार किया जाएगा । वास्तव में यह प्रश्न टरबाईन निर्माण की परियोजना के बारे में नहीं पूछा गया है । यह जनरेटिंग सेट के बारे में है । वास्तव में जैसा कि माननीय मंत्री महोदय जानते हैं, कुछ राज्यों को टरबाईनों की स्वीकृति दी गई है और अधिकांशतः जल विद्युत पर निर्भर करने वाले राज्य भी कभी-कभी बिजली उत्पादन के लिए इस प्रकार के टरबाइनों का सहारा लेते हैं । चूंकि कर्नाटक के पास ऐसा कोई टरबाईन नहीं है । इस लिए वह इसके लिए आग्रह कर रहा था । वास्तव में 1975 में ऐसा एक प्रस्ताव था, जिसे स्वीकृति दी गई थी । परन्तु किसी न किसी कारण इसे स्थगित कर दिया गया । इसे दृष्टि में रखते हुए क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि यदि गैस टरबाईनों की स्थापना का प्रस्ताव राज्य करता है तो उस पर ठोस आधार पर विचार किया जाएगा ?

**श्री चरणजीत चानना** : मैं माननीय सदस्य को एक बार फिर यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम इनके अनुरोध को ऊर्जा मंत्रालय को अग्रेषित कर देंगे और वे इस पर निश्चित रूप से

विचार करेंगे ।

**श्री के० सकप्पा :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य और मंत्री महोदय ने प्रश्न को भ्रम-पूर्ण बना दिया है । माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि प्रश्न को ऊर्जा मंत्रालय के पास भेजा जाए ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप अनुपूरक प्रश्न कीजिए ।

**श्री के० लकप्पा :** पिछले 8 वर्षों से कर्नाटक सरकार भारत सरकार से विद्युत उत्पादक संयन्त्रों का विस्तार करने और बिजली की कमी की पूर्ति हेतु अधिक बिजली उत्पन्न करने का आग्रह करती रही है । इस उद्देश्य के लिये एक टरबाईन का आयात करना पड़ेगा और इसकी सिफारिश राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से की है तथा उसके लिए केन्द्र की अनुमति माँगी है । मुझे पता नहीं है कि यह प्रस्ताव उद्योग मंत्रालय के पास है या ऊर्जा मंत्रालय के, परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह मंत्रालय उस सम्पूर्ण पहलू की जांच करेगा, जिसके आधार पर कर्नाटक सरकार द्वारा यह प्रस्ताव किया गया था और क्या इस मंत्रालय को इस बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है ; यदि नहीं, क्या सरकार राज्य सरकार से सम्पूर्ण सूचना प्राप्त करेगी और सुनिश्चित करेगी कि कर्नाटक राज्य में, जहां विद्युत की कमी है, विद्युत के और अधिक उत्पादन हेतु टरबाईनों के आयात को क्रियान्वित किया जाएना । कर्नाटक राज्य में औद्योगिक विकास रुक गया है ।

**अध्यक्ष महोदय :** इस परियोजना का प्रस्ताव तक नहीं है ।

**श्री के० लकप्पा :** क्या यह मंत्रालय इस प्रश्न का उत्तर देगा ?

**श्री चरणजीत चानना :** मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि मैंने यह सूचना दी है कि यह विषय ऊर्जा मंत्रालय से संबन्धित है । जहां तक उद्योग मंत्रालय का सम्बन्ध है, हमारे पास आने पर हम इस प्रस्ताव पर निश्चित रूप से विचार करेंगे । माननीय सदस्य ने कहा है कि 1975 में संयन्त्र के आयात के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया गया था : इस सम्बन्ध में अब कुछ भी लम्बित नहीं है ।

**श्री के० लकप्पा :** अनुमति दी जानी है । इसे कर्नाटक सरकार नहीं देगी । हम भारत सरकार से चाहते हैं, ताकि हम इसे ठीक ढंग से चला सकें ।

**श्री चरणजीत चानना :** ऊर्जा मंत्रालय से मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार उनके पास कोई आवेदन-पत्र अनुमति हेतु लम्बित नहीं है । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे कर्नाटक सरकार से इस मासले को उठाने के लिए कहें और हम उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे ।

## त्रिपुरा में जलाए गए मकान और स्कूल

* 654. **श्री पीयूष तिरकी : क्या गृह मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून 1980 के अन्तिम कुछ दिनों में त्रिपुरा में बहुत से मकान और स्कूलों की इमारतें जला दी गई;

(ख) कितने मकान जलाए गए तथा उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां मकान तथा स्कूलों की इमारतें जलाई गई;

(ग) मकान व स्कूलों के जलाए जाने के कारण कितनी जान और माल की हानि होने का अनुमान है;

(घ) क्या जिन व्यक्तियों के मकान जलाए गए हैं, उन्हें कोई सहायता दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (योगेन्द्र मकवाना) :**

(क) राज्य सरकार के अनुसार जून 1980, के अन्त में त्रिपुरा में हाल की हिंसा के आवेग के दौरान कुल 34,661 झोपड़ियां जलाई गई थीं। जलाई गई स्कूल की इमारतों की संख्या 3 बताई गई हैं, जिनमें से जून 1980 के अन्त में बेलोनिया के निकट केवल एक झोपड़ी जलाई गई थी।

(ख) इन 34,661 झोपड़ियों के स्थान के बारे में विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। जलाई गई स्कूल की इमारतों में से दो सिंघई थाने के क्षेत्राधिकार में थी और तीसरी बेलोनिया क्षेत्र में थी।

(ग) केवल आगजनी के कारण हुई क्षति के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी राज्य सरकार के अनुसार 21 जुलाई तक सूचित की गई मौतों की कुल संख्या 547 थी और सम्पत्ति की अनुमानित क्षति लगभग 20.9 करोड़ रुपए थी।

(घ) और (ङ) : राज्य सरकार ने मकानों की क्षति के लिए प्रति परिवार 2000 रुपए तक देने का निर्णय किया है :

**श्री पीयूष तिरकी :** माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि 34,661 झोपड़ियां जला दी गई। समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि 9 जुलाई, 1980 को अगरतल्ला से 20 किलोमीटर तिरुनिया में खाली मकान जला दिए गए। सरकार द्वारा स्थापित शिविरों में स्त्रियों और बच्चों सहित लगभग 50,000 आदिवासी हैं। स्थापित किए गए 140 शिविरों में से 45 केवल आदिवासियों के लिए हैं। इन शिविरों में 1,90,000 लोग जिनमें 42,375 आदिवासी हैं, भूखों मर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि खाद्यान्न, कपड़ा, तेल और औषधियों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कितनी मात्रा केन्द्रीय पूल से भेजी जा चुकी है तथा शिविरों की कठिनाइयां दूर करने हेतु त्रिपुरा सरकार द्वारा वस्तु-वार कितनी मांग की गई थी ?

**श्री योगेन्द्र मकवाना :** वस्तुवार विवरण हेतु मुझे नोटिस चाहिए। मैं केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए राहत उपायों का विवरण दे सकता हूं। केन्द्र सरकार ने 'काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत 3500 मीट्रिक टन खाद्यानों का आवंटन किया था तथा इसी योजना के अन्तर्गत ही राहत सहायता के रूप में 10,000 मीट्रिक टन खाद्यन्न दिए जाने हैं। केन्द्र सरकार ने एक समिति का भी गठन किया है और राहत के उपाय भी किए जा रहे हैं। मकानों के निर्माण हेतु प्रति परिवार 2500 रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई थी। इसके अतिरिक्त अचल

सम्पति को हुए नुकसान की मद में 250 रुपए की सहायता दी जाती है। ताकि ये परिवार की आवश्यक घरेलू वस्तुएं खरीद सकें। प्रभावित परिवारों को कृषि उपकरण सहायता भी दी जायेगी जो अधिकतम 250 रुपए प्रति हैक्टेयर तक हो सकती है।

**श्री पीयूष तिरकी** : माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि नष्ट हुए मकानों के लिए 2000 रुपए प्रति परिवार दिए गए थे। इन दिनों मकानों की लागत को देखते हुए 2000 रुपए कुछ नहीं है, क्या मैं उनसे इस धनराशि की पुनरीक्षा करने तथा इसे दो गुना करने का अनुरोध कर सकता हूं ? नष्ट हुए मकानों के लिए यह राशि 2000 रुपए की बजाए 4000 रुपए होनी चाहिए। क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह भी पूछ सकता हूं कि राज्य की 680 ग्राम सभाओं में से 150 की बिल्कुल तबाही को ध्यान में रखते हुए त्रिपुरा सरकार ने तत्काल और दीर्घ कालीन सहायता हेतु कितनी धनराशि की माँग की है। तथा इस समय कितने सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं और स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किस प्रकार की सहायता दी जा रही है।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : वहाँ कार्य कर रहे सामाजिक संगठनों के विवरण के लिए मुझे नोटिस की आवश्यकता है। सरकार जो कार्य कर है। उसके आँकड़े मैंने दे दिए हैं। प्रश्न के प्रथम भाग में दिए गए सुझाव को मैंने नोट कर लिया है।

**श्री माधव राव सिंधिया** : त्रिपुरा हत्याकाण्ड राज्य की राजधानी से केवल 35 कि०मी० दूर मन्डई से आरम्भ हुआ फिर भी शान्ति बनाए रखने वाले दल ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचने में 36 घण्टे लगाए। क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि राज्य सरकार स्वयं इस प्रकार की विकृत विपत्ति को प्रोत्साहन दे रही है। जिसका मेजर राजमणि ने इन शब्दों में उल्लेख किया है "मैं उस दृश्य को नहीं भूल सकता, एक छः महीने के लड़के के सिर से पाँव काटकर दो टुकड़े कर दिये थे और प्रत्येक भाग को उसकी माता के शरीर के दोनों ओर बड़ी सफाई से रख दिया गया था।" मैं जानना चाहता हूं कि त्रिपुरा राज्य में इस प्रकार की त्रासदी होने पर भी केन्द्रीय सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने में क्यों हिचकिचा रही है ?"

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : मैंने पहले भी स्पष्ट किया और मैं पुन : कहता हूं कि सरकार का राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का कोई इरादा नहीं है।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास ऐसी कोई सूचना है कि यह हमला पूर्व विचारित तथा पूर्व-नियोजित था और इस सम्बन्ध में काफी पहले सूचना मिल गई थी। क्या उन्हें इस सब बात का पता है कि राज्य सरकार की पहले से ही यह सूचना थी कि कुछ होने जा रहा है तथा यह हमला पूर्व-नियोजित और पूर्व विचारित था।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : केन्द्रीय सरकार को जो सूचना मिलती है। इसे राज्य सरकार को भेज दिया जाता है। इस पर कार्यवाही करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। परन्तु इस मामले में..... ।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या सरकार के पास सूचना है कि यह पूर्व विचारित था ?

आपके प्रधान मन्त्री तो आप को समझाने की आवश्यकता नहीं है । आप स्वयं इसका उत्तर दे सकते हैं ।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस पर कोई प्रतिबन्ध है ।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : वह स्वयं इसका उत्तर दे सकती है । वस्तुतः यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसका उत्तर प्रधान मन्त्री को देना चाहिए न कि गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री को ?

मैंने पूछा कि उनके पास ऐसी कोई सूचना थी यह सब पूर्वनियोजित, पूर्व विचारित था और सरकार के पास पर्याप्त सूचना उपलब्ध थी केन्द्रीय सरकार के पास भी अनिवार्यतः ऐसी सूचना होगी ।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । मुझे कैसे पता चल सकता है कि राज्य सरकार को इसकी सूचना थी ? केन्द्र सरकार को जो सूचना मिलती है उसे राज्य सरकार के पास भेज दिया जाता है ।

**प्रो० एन० जी० रंगा** : वहां राज्यपाल भी होता है । वह केन्द्र सरकार के लिए सूचना का स्रोत होता है । केन्द्र सरकार को राज्यपाल से सूचना नहीं मिलती है, यह कैसी बात है ? सूचना प्राप्त करने के लिए हमें अवश्य ही राज्यपाल की सेवाओं को उपयोग करना चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं ?

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी वहाँ हैं । बी० एस० एफ० है । सशस्त्र पुलिस है । क्या पूर्व-विचारित था ? क्या यह पूर्व नियोजित था ? क्या राज्य सरकार के पास पहले ही इसके बारे में खबर थी ? मैं ये प्रश्न पूछ रहे हैं ।

(व्यवधान)

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : आपको हमारी रक्षा करनी होगी । उन्हें अवश्य ही सूचना देनी चाहिए । वे सूचना क्यों नहीं दे सकते ?

**अध्यक्ष महोदय** : उनके पास जो सूचना थी वह दे चुके हैं ।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : उन्होंने कोई सूचना नहीं दी है । वे कहते हैं—राज्य सरकार, राज्य सरकार ।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : मैंने कहा है कि केन्द्र सरकार के पास जो सूचना थी·····।

**गृह मन्त्री (श्री जैल सिंह)** : स्पीकर साहब, यह सवाल इस हाउस में पहले आ चुका है । (व्यवधान) पहले इस क्वेश्चन का आन्सर इस हाउस में हो चुका है । स्टेट में हमारे डिपार्टमेंट का जो आदमी रहता है वह वहां की सी०आई०डी० के साथ तालमेल करता है । वहाँ की आई०बी० की तरफ से जो इन्फार्मेशन हमें मिलती है उसमें से वहाँ के लोगों को कुछ दे देते हैं और वहाँ के लोगों से कुछ ले भी लेते हैं । जो खबर हमारे पास आती है उसमें ज्यादा डिटेल्ड खबर हमारे पास स्टेट के मामलों की स्टेट से ही आती है । इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आज मुझे याद नहीं है कि उस रोज मैंने क्या जवाब दिया था, उसके लफ्ज क्या थे । क्योंकि यह पार्लियामेंट

है और यहां एक-एकलफ्ज रिकार्ड होता है। अगर एक-एक लफ्ज में हेराफेरी हो गई तो ठीक नहीं होगा।

**डा० सुब्रह्मण्यम** : मैं जानता हूं।यह आपने जवाब नहीं दिया।

क्या यह पूर्व विचारित था ? क्या इस सम्बन्ध में कोई सूचना थी ?

**श्री जैल सिंह** : स्पीकर साहब, यह तो हो सकता है कि इस सवाल का जवाब मैंने अपर हाउस में दिया हों, इस हाउस में नहीं दिया हो। लेकिन आपको थोड़ा-सा गर्व करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे लफ्जों में बिल्कुल फर्क नहीं रहना चाहिए। जरा मुझे देख लेने दीजिए कि मैंने क्या जवाब दिया है।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : आप इससे कैसे सन्तुष्ट हो सकते हैं ? मैं नहीं हूं।

**प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी)**: मेरे विचार में, मैं भी माननीय सदस्य को सन्तुष्ट नहीं कर सकती। मैं यह कहना चाहती हूं कि यह कहना बड़ा कठिन है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास कितनी सूचना थी। यह सम्भव है कि कुछ तैयारी की गई हो। परन्तु क्या यह वस्तुतः निर्दयी ढंग से नियोजित था या नहीं। इस सम्बन्ध में भी हमारे पास पूर्ण सूचना नहीं है। परन्तु एक बात सच है कि त्रिपुरा में स्थिति बिगड़ती जा रही थी और राज्य सरकार को इसे पहले देख लेना चाहिए था। इस पैमाने पर न सही परन्तु कुछ होने की सम्भावना अवश्य थी। मैं शब्दों के जाल में नहीं पड़ना चाहती परन्तु यह अवश्य लगता है कि ऐसी कुछ बात थी जिससे दोनों समुदाय क्रुद्ध हो गए और शायद इसी कारण यह उथल-पुथल हुई।

**श्री रत्न सिंह राजदा** : जनता पार्टी के प्रतिनिधि त्रिपुरा गए। मैं उस प्रतिनिधिमण्डल का सदस्य था। हमने मुख्य मन्त्री से प्रश्न किया कि चूंकि यह सारा विध्वन्स परिहार्य था। इसलिए क्या उचित कदम उठाए गए थे ? उनका उत्तर था—मैं केन्द्र सरकार से तुरन्त मिला परन्तु उन्होंने समय पर रेना नही भेजी। गृह मन्त्री को इस सम्बन्ध में क्या कहना है ?

**श्री जैल सिंह** : कल मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया था। यही प्रश्न कल किया गया था। आज फिर कहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट ने हम को यह लिखा था कि फर्स्ट वीक आफ जून में हमारे यहां जिस डिस्ट्रिक्ट को आटोनोमस अखत्यार दिए गए हैं वहां डिस्ट्रिक्ट कनेटी इलैक्शन होने वाले हैं इसलिए हम को फोर्स की जरूरत है और उन्होंने बिल्कुल नही कहा कि कोईफिसाद का खतरा है। लेकिन हमने उनकी बात को मानकर यहां से फोर्स एयर लिफ्ट करके वहां पहुंचा दी थी। आपको मालूम होना चाहिए किसी एम ने आपको क्या कहा था। मुझे नहीं कहा था। सी० एम० आयेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि कहां हैं आपका रिकार्ड और क्या है आपका रिकार्ड। वह इस बात को भी मानेंगे कि जब फिसाद हो रहे थे तो सी० एम० दिल्ली में बैठे हुए थे। हमारी फोर्स वहां पहुंच गई थी। वह कलकत्ता से आगे जाकर अगरतल्ला नही पहुंच सके थे। कल मैंने यही बात कही कि इन दोस्तों की मर्जी यह तो नहीं है। किसी पी० एम० की गवर्नमेंट का पर्दाफाश किया जाए झगड़ा कराने के लिए और इस लिए तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। आजकल वहां के लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट, सैंट्रल गवर्नमेंट की मदद

से वहां काम कर रही है और हम कोडियेल रिलेशंज को तोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर यह बात स्टेट गवर्नमैंट कहे···एक दिन पहले भी श्री ज्योर्मय बसु ने कहा था तो यह इलजाम बिल्कुल गलत है उन्होंने जो मदद चाही सैंट्रल गवर्नमैंट ने वह मदद तुरन्त दे दी। लेकिन जो गलती हुई है। वह उनकी सरकार से हुई होगी। हम बाद में देख लेंगे। हम उसका बदला नहीं लेना चाहते।

**श्री समर मुकर्जी** : यह वक्तव्य सही नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं है। यदि आप चाहें तो आप नियम 115 के अधीन बोल सकते हैं। **(व्यवधान)** कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

**(व्यवधान)** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री समर मुकर्जी** : कम से कम मुझे एक अनुपूरक प्रश्न पूछने दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : जी हां, आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

**श्री समर मुकर्जी** : क्या माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि क्या सच नहीं है कि मुख्य मन्त्री को 5 जून को किसी सम्मेलन के लिए दिल्ली बुलाया गया था और। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुख्य मन्त्री दिल्ली में थे ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि मुख्य मंत्री ने गृहमंत्री को यह अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखा था कि त्रिपुरा में तत्काल केन्द्रीय रिजर्व पुलिसभेजी जाए और यह पत्र दिल्ली में दे गए थे ? क्या मैं जान सकता हूं कि उस पत्र में मुख्य मन्त्री ने यह उल्लेख किया था कि "मैं तत्काल त्रिपुरा जा रहा हूं क्योंकि मुझे सूचना मिली है कि वहां कोई घटना हुई है। अतः आप से नहीं मिल सकता ?" उस पत्र को यहां रखा जाए। मैंने स्वयं कई बार गृहमन्त्री से सम्पर्क करने का प्रयत्न किया। अन्त में हमारे साथी एच० एस० सुरजीत ने उनसे सम्पर्क किया और तत्पश्चात् उन्होंने वहां कुमक भेजी क्या यह तथ्य है या नहीं। क्या यह सच नहीं है कि उस सेना को गोहाटी में रोक दिया गया क्योंकि मौसम प्रतिकूल था और इस विध्वंस के पश्चात् सेना त्रिपुरा पहुंची ? मुझे इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाहिए।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : माननीय सदस्य ने श्री स्वामी के इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि त्रिपुरा सरकार को पहले से कोई सूचना नहीं थी। इस लम्बे प्रश्न से यह निष्कर्ष निकला है। आपके द्वारा उल्लिखित तथ्यों के अनुसार जैसे ही गृहमन्त्री के पास अनुरोध पहुंचा। तत्काल सेना भेज दी गई। यदि मौसम प्रतिकूल था तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं। मौसम पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं।

**शिलांग समझौते का कार्यान्वयन**

* 655 **श्री चित्त बसु** : क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैंड की जनता और सरकार के बीच 1975 में किये गए शिलांग समझौते की शर्तें क्या है ;

(ख) समझौते को अब तक किस हद तक कार्यान्वित किया गया है ;

(ग) क्या "नागा का राजनैतिक समस्या" के स्थायी समाधान के संबन्धित समझौते की तीसरी धारा कार्यान्वियन हो गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार का इस दिशा में और क्या कदम उठाने का विचार है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** :

(क) से (ङ) : शिलांग समझौते की शर्तें इस प्रकार हैं :—

(1) भूमिगत संगठनों के प्रतिनिधियों ने भारत के संविधान को बिना शर्त स्वीकार करने के लिए स्वेच्छा से अपने निर्णय की सूचना दी ।

(2) इस पर सहमति हो गई थी कि अभी जो हथियार छिपाये हुए है उन्हें निकाल कर निर्धारित स्थानों पर जमा किया जाएगा । इस करार को कार्य रूप देने के लिए ब्यौरा उनके तथा सरकार के प्रतिनिधियों, सुरक्षा बलों और सम्पर्क समिति के सदस्यों के बीच निर्धारित किया जाएगा ।

(3) यह सहमति हुई थी कि भूमिगत संगठनों के प्रतिनिधियों को अन्तिम समझौते में विचार के लिए अन्य मामलों को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए ।

2. केवल शर्त (3) को अभी कार्यान्वित किया जाना है सरकार ने अपनी वचनबद्धता पूरी कर दी है, अब यह भूतपूर्व भूमिगत नेताओं का विषय है कि वे उन अन्य समस्याओं को सूचित करें जिनको वे विचार विमर्श के लिए आवश्यक समझते हैं ।

**श्री चित्त बसु** : माननीय मन्त्री द्वारा वह कहा गया है कि अब भूतपूर्व भूमिगत नेताओं का विषय है कि वे उन अन्य समस्याओं को सूचित करें जिनको वे विचार-विमर्श के लिए आवश्यक समझते हैं । इस सन्दर्भ में क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या पिछले अप्रैल में कुछ भूमिगत नेता माननीय गृह मन्त्री से मिले थे तथा कुछ विचार-विमर्श हुआ था ? क्या इस विचार-विमर्श के दौरान कुछ प्रस्ताव सामने आए थे ; यदि हां तो उन प्रस्ताओं पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि भूमिगत नेताओं ने यह सुझाव दिया था कि भारत सरकार और भूमिगत नेताओं के बीच होने वाले भावी विचार-विमर्श में श्री फिजो को भी सम्मिलित किया जाए ताकि नागा समस्या को स्थायीरूप से हल किया जा सके । यदि हां, तो सरकार की इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : ये भूतपूर्व भूमिगतनेता कहते हैं कि उनके नेता श्री फिजो हैं और हमें उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए । परन्तु फिजों हमारे देश का नागरिक नहीं हैं । वह विदेशी नागरिक है, वह इंगलैंड का नागरिक है । अतः उनके द्वारा स्वीकृत समझौते की पहली शर्त ही पूरी नहीं होती है । भारत फिजों के साथ वार्ता नहीं कर सकती ।

**श्री चित्त बसु** : क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या वे इस तथ्य से वाकिफ हैं कि नागालैंड जन गणराज्य की अन्तरिम सरकार की स्थापना मुईवाह के नेतृत्व में की गई थी और हाल में उन्होंने बर्मा और नागालैंड की सीमा पर कुछ गाँवों में छापे मारे थे ? यदि हां तो, सरकार इस संबन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है? क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि इस अन्तरिम सरकार को चीन से हथियार मिले हैं और वे नागालैंड के लोगों के विरुद्ध उनका प्रयोग कर रहे है ।

**गृहमन्त्री (श्री जैल सिंह)** : इस बात का भारत सरकार को इल्म है और इस बात का भी इल्म है कि वे जो बागी हैं, वे विदेशी शस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ-साथ जो एक्स-अन्डरग्राउन्ड थे, उनकी रिक्वेस्ट भी आती हैं। अभी थोड़ी देर हुई, वे यहाँ आये थे। उन्होंने प्रधान मन्त्री से भी प्रार्थना की थी और वे मुझसे भी मिले थे इनकी इच्छा थी कि फिजो को बुलाया जाये। लेकिन यह पासिबल नहीं था, क्योंकि फिजो इन्डियन सिटिजन नहीं है और भारत के किसी हिस्से के मुताल्लिक किसी विदेशी को बुला कर बात करना दुरुस्त नहीं है। किसी विदेशी को बुला कर और बात की जा सकती है। अगर विदेशी आयें, तो उनसे मिल भी सकते हैं। लेकिन किसी विदेशी के साथ नागालैंड के सम्बन्ध में बात करना दुरुस्त नहीं है।

असल बात यह है कि शिलांग एग्रीमेंट की तीसरी क्लास, अभी तक पुरी नहीं हो सकी है। यह सरकार का कुसूर नहीं है। उन्होंने प्रोपोजल देनीं थीं। वे कोई प्रोपोजल इस लिए नहीं ला सके कि वे दुविधा में हैं। उनमें से कुछ चाहते हैं कि फिजों को साथ लिया जाये और कुछ चाहते कि फिजो की जरूरत नहीं है। इस लिए अभी तक यह मुकम्मल नहीं हो सका।

मगर बार्डर पर हमारी फौज और हमारी बार्डर फोर्स बहुत मजबूत है। किसी बात का फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वे कहीं न कहीं चोरी-छिपे इक्का दुक्का दंगे करके चले जाते हैं। इसके लिए कोई चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार पूरी तरह जागरुक है और पूरी तैयारी है, इसलिए कोई नहीं आ सकता है।

**श्री चिगंयाग कोनयक** : मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे छिपे नेताओं के साथ बात-चीत करने के प्रयत्न किये गये हैं जिन्होंने शिलांग सतझौते को स्वीकार नहीं किया।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : इन तीस वर्षों में नागालैंड के लोगों के साथ भद्दा व्यवहार किया गया। वे शिलांग समझौते की बात करते हैं। क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि शिलांग समझौते का घोर उल्लघन करते हुए नागालैंड के फेक जिले में मिलोरी पर स्थित नागा ग्रुप के 18 सदस्यों को गिरफ्तार करके बहुत समय तक कोरिया जेल में रखा गया था ? क्या यह भी सच है कि संबद्ध व्यक्ति शान्ति स्थापित करने की सीमाओं के भीतर घूम रहे थे, जोकि समझौते के अनुसार बिल्कुल सही था, तथा भारतीय सुरक्षा बल द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध, गैर-कानूनी, तथा शिलांग समझौते के प्रतिकूल थी।

**श्री जैल सिंह** : मैंने पहले ही कहा है कि ऐसे इक्का-दुक्का छोटे-मोटे वाक्यात वे करते रहते हैं और इसलिए एग्रीमेंट ····।

**श्री ज्योतिमय बसु** : मैंने कहाकि आप ऐसा कर रहे हैं। आपने समझौते का उल्लघन किया है, तथा उन्हें उत्तेजित किया है।

**श्री जैल सिंह** : माननीय सदस्य जरा शान्ति से सुनें। मैंने पहले भी यह बात कही थी शिलांग एग्रीमेंट की तीसरी क्लाज मुकम्मल नहीं हुई और वह नामुकम्मल इसलिए रही है कि उन्होने बताया था और उनमें दुविधा हो गई है, उनमें डिभरेसिज पैदा हो गए हैं। कुछ चाहते हैं कि फिजो को साथ लिया जाये, कुछ नहीं। जो फिजो के साथी हैं ····

(व्यवधान)

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री का यह उत्तर उचित है। सरदार बल्लभ भाई पटेल

भी गृह मंत्री थे। एक भूतपूर्व गृह मंत्री बैठे हुए हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय ने माननीय सदस्य का सवाल नहीं समझा।

**श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या मैं हिन्दी में बोलूं ? उर्दू में बोलूं ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : बेशक बंगाली में बोलिये। अगर कोई नागा भाषा जानते हों, तो उसी में बोल लीजिये।

ज्ञानीजी ने जो कहा है, उसका मतलब यह है कि हो सकता है कि कोई वाकया जैसे उनकी तरफ से हो गया, हमारी तरफ से भी--पुलिस की तरफ से-कभी हो सकता है। लेकिन इसके माने ये नहीं है कि जान-बूझकर शिलांग रिकार्ड को तोड़ने की कोशिश में लगे हों। ऐसे वाकयात जरूर हुए। जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया, उसके बारे से मुझे इस वक्त याद नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे यह मालूम है कि ऐसा एक-आध जगह हुआ। लेकिन वाई **एण्ड लार्ज** रिकार्ड अच्छी तरह से चल रहा है, चल रहा था और खाली पिछले दिनों कुछ थोड़ा-सा गड़बड़ हुआ था। माननीय सदस्यों को मालूम है कि किस कठिनाई से यह रिकार्ड हुआ है। कितने दिन बातें करनी पड़ीं, कितना एक फासला दोनों के बीच में था जिसके लिए हिस्टारिकल रीजन्स थे क्योंकि कुछ ऐसी ताकतें वहां पर थीं जो बराबर नागा लोगों से कहती थीं कि तुम्हें हिन्दुस्तान से कोई वास्ता नहीं हैं, तुम्हारा धर्म अलग है, यहां तक कि बहुत से नागा समझते थे कि भारत में दूसरे धर्म हैं ही नहीं, जैसे क्रिश्चियनिटी नहीं है, हम लोग मिले और लम्बी बातें हुई हैं तो आहिस्ते-2 ये सब भ्रम दूर हुए हैं और यह एकार्ड हुई। गल्ती कुछ हमारे लोगों से भी बीच में हुई है और कुछ उन लोगों ने भी की है। लेकिन ऐसे सवाल और इस प्रकार से करने से यह भी जुड़ रहा है, वह टूटे नहीं, हमारा सबका इस तदफ ध्यान जाना चाहिए।

**सीमा सुरक्षा बल तथा प्रशिक्षण केन्द्र मेरू (हजारी बाग) में बिहारी जवान**

* 657. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल में तथा प्रशिक्षण केन्द्र मेरू (हजारी बाग) में बिहार के जवानों की उपेक्षा की जा रही है, जबकि इस संबन्ध में बने नियमों के अनुसार 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को भर्ती किया जाना अनिवार्य है;

(ख) क्या दक्षिण भारतीय जवानों की भर्ती के लिए 166 सेंटीमीटर ऊंचाई निर्धारित है तथा बिहारी जवानों के लिए 170 सेंटीमीटर;

(ग) क्या इस केन्द्र में तथा सीमा सुरक्षा बल में बिहार के जवानों की संख्या नगण्य है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** :

(क) से (ग) :—जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब बिलकुल गलत है। जहां तक मुझे जानकारी है और वहां के लोगों ने जो मुझे लिखा है उसके अनुसार यह भेद-भाव वहां पर किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है तो मंत्री महोदय बतायेंगे कि 1975 से अब तक यह जो ट्रेनिंग स्कूल है, उसमें कितने बिहारी लोगों ने प्रवेश पाया है ? अगर नहीं प्रवेश पाया है तो

अयोग्यता के कौन-कौन से आधार हैं।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : कोटा फरवरी 1979 में निर्धारित हुआ था, जिसके अनुसार 30 प्रतिशत बिहार से हैं। माननीय सदस्य 1977 से विवरण चाहते हैं। 1977 में बिहार से 448 में से 138 व्यक्ति थे, 1978 में 552 में से 208 व्यक्ति थे, 1979 में 489 में से 262 थे। यह 30 प्रतिशत से अधिक कोटा है।

**श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया है लेकिन जो 80 परसेंट वहां भर्ती होने का प्राविजन है,उसके अनुसार नहीं हो रहा है और आस-पास के लोगों में इससे भारी असन्तोष है। अभी छोटा नागपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा और और भी कुछ विरोधी ताकतें अफवाह फैलाती रहती हैं कि छोटा नागपुर के इलाके में जो स्कूल हैं, उसमें हरिजन और आदिवासीं कुछ भी नहीं लिए जाते। इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन के सदस्यों की एक कमेटी बने अथवा गवर्नमेंट की कोई कमेटी बने जो इसकी जाँच करे। क्या माननीय मंत्री जी यह कमेटी चाहे गवर्नमेंट की या संसद सदस्यों की बनाने के प्रश्न पर विचार करेंगे।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : प्रश्न ही पैदा नहीं होता। क्योंकि जैसा कि फरवरी 1979 में निर्धारित किया गया था, 30 प्रतिशत कोटे की भरती पहले ही की जा चुकी है। बिहार में प्रशिक्षण केन्द्र मेरु (हजारी बाग) का कोटा 30 प्रतिशत हैं, उड़ीसा का 5 प्रतिशत है, पश्चिम बंगाल का 25 प्रतिशत, पूर्वी उत्तर प्रदेश का 10 प्रतिशत तथा अन्य भागों का 20 प्रतिशत है। यह निर्धारित कोटा है, इसके अनुसार भर्ती की जाती है।

**गत्ते की डिब्बी वाली माचिसें बनाने के लिए मशीनों का आयात**

* 658. **श्री के० राममूर्ति** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-मशीनकृत लघु दियासलाई उद्योग द्वारा गत्ते की डिब्बी वाली माचिसें बनाने के लिए 93 लाख रुपये लागत की स्वचालित मशीन के आयात की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे बहुत से कुटीर क्षेत्र/छोटे दियासलाई एकक बन्द हो जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो दियासलाई के इन छोटे एककों के संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** :

(क) जी नहीं। माचिस के लेवल या गत्ते की छपाई करके उन्हें माचिस की डिब्बियों (बाहरी) में परिवर्तित करने योग्य किसी विशेष आफसेट छपाई मशीनों के आयात के लिए अभी तक कोई लाईसेंस जारी नही किया गया है।

(ख) और (ग) :—प्रश्न ही नहीं उठते।

**श्री के० राममूर्ति** : मंत्री महोदय के उत्तर की अन्तिम पंक्ति अत्यन्त सरल प्रतीत होती है। परन्तु इस बात को ध्यान रखते हुए कि हमारा राज्य कुटीर माचिस उद्योगों से भरा पड़ा है, यह मामला अत्यन्त गम्भीर है। मैं आपका ध्यान उत्तर के अन्तिम वाक्य की ओर दिलाना

चाहता हूं, पहले तो उन्होंने स्वीकार किया है कि कोई लाईसेंस जारी नहीं किया गया। परन्तु अन्त में बताया गया है कि यह अभी जारी नहीं किया गया। इस बात पर ध्यान देते हुये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का इरादा ऐसी मशीनरी के आयात के लिए लाईसेंस जारी करने है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्पष्टतः बताया कि माचिस बनाने के लिए मध्यम क्षेत्र को कुटीर तथा लघु उद्योग क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि यदि इस मशीनरी को आयात करने दिया जाता है तो दक्षिणी राज्यों में माचिस कुटीर उद्योग बर्बाद हो जाएगा तथा उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि यह सच है कि मध्य क्षेत्र में माचिस उद्योग के एक प्रमुख उद्योग 'पाइनियर मैच कम्पनी' ने इस मशीनरी के आयात के लिए आवेदन दिया है और यदि हां, तो सरकार का इसके प्रति क्या रवैया है और क्या यह मामला लम्बित है ?

**श्री चरणजीत चानना** : प्रथम, कम्पनी ने लाईसेंस के लिए आवेदन किया है, दूसरे लाईसेंस जारी नहीं किया गया है, मैं हर तीसरे माननीय सदस्य ने जो कहा है, उस बारे में मैं सदस्य को आश्वासन देता हूं कि किसी ऐसी बात की अनुमति नहीं दी जाएगी जो कुटीर तथा लघु उद्योग के लिए हानिकारक हो। कुटीर और लघु उद्योगों का विकास प्रथम अग्रता है।

**श्री के राममूर्ति** : आंध्र प्रदेश कुटीर उद्योग एसोसियेषन ने भी उन्ही बातों की ओर ध्यान दिलाया है, जिनका मैंने उल्लेख किया है और मैंने इस मामले पर मई में प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था। उन्होंने कृपा पूर्वक उत्तर दिया कि मामला उद्योग मंत्रालय को भेज दिया गया है। मैं उनकी तुरन्त कार्यवाही की प्रशंसा करता हूं। परन्तु अभी तक मुझे उद्योग मंत्री से इस बार में कोई उत्तर नहीं मिला। मैं मंत्री महोदय से जानना जाहता हूं कि क्या वह इस मामले में कोई निर्णय लेने से पूर्व आज रखे गए सभी सुझावों पर विचार करेंगे।

**श्री चरणजीत चानना** : मैंने जो कुछ पहले कहा है, मुझे केवल उसकी पुष्टि करना है।

**श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आयात नीति इस प्रकार के गत्ते के डिब्बे वाली माचिस बनाने की मशीनरी के आयात करने की अनुमति देती है। जैसा कि मंत्री महोदय को पता है कि इस प्रकार की मशीनरी के आयात का कुटीर और लघु उद्योग पर निश्चय ही कुप्रभाव पड़ेगा और यदि यह सही है तो सरकार इस प्रकार की मशीनरी के आयात पर रोक क्यों नही लगाती ?

**श्री चरणजीत चानना** : यदि माननीय सदस्य का सुझाव आयात नीति के बारे में है तो उन्हें यह मामला वाणिज्य मंत्रालय को भेजना चाहिए।

**श्री एस० ए० दोराई सेविस्तयन** : मन्त्री महोदय को पता है कि इस प्रकार की मशीनरी के आयात का लघु कटीर उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मन्त्री महोदय ऐसी मशीनरी के आयात पर रोक क्यों नहीं लगाते ?

**श्री चरणजीत चानना** : मैं पहले बता चूका हूं तथा अब पुष्टि करता हूं कि हम ऐसी बात की कतई अनुमति नहीं देंगे जिससे लघु अथवा कुटीर उद्योगों के विकास में बाधा पहुंचे ऐसी सभी चीजों के आयात पर रोक लगी हुई हो जिनके आयात से कुटीर और लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

**श्री कुन्हम्बु** : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूंकि क्या सरकार को केरल के कुटीर माचिस निर्माणों से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उत्पादन-शुल्क के बारे में सरकार के निर्णय को तब तक के लिए स्थगित रखने का अनुरोध किया गया है। जब तक कि उनका खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत नहीं लाया जाता और यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

**श्री चरणजीत चानना** : मुझे इस विशेष अभ्यावेदन की जांच करनी है क्योंकि मेरे पास उसका विवरण नहीं है।

**इलेक्ट्रानिक घड़ी उद्योग का विकास**

*660. **श्री के० मालन्ना** :

**श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक घड़ी सम्बन्धी औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकीय नीति के ढांचे के अन्तर्गत इलेक्ट्रोनिक घड़ी उद्योग का विकास करने के लिए ठोस कार्यवाही करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिक तथा अन्तरिक्ष विभागों में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल** :

(क) और (ख) इलेक्ट्रानिक घड़ी उद्योग सम्बन्धी सरकार द्वारा अप्रैल, 1980 में अनुमोदित औद्योगिकीय नीति अनुबन्ध में निर्दिष्ट है।

उक्त नीति को क्रियान्वित करने के सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :—

(1) अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों (डिजिटल इलेक्ट्रानिक वाच) के लिए औद्योगिक लाइसेंस/लघुउद्योग क्षेत्र में अनुमोदन प्रदान करने के दो आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं उन पर इलैक्ट्रानिक घड़ियों पर घोषित औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकीय नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत सक्रिय रूप से कार्यवाही की जा रही है।

(2) एनालाग तथा डिजिटल (अंकीय), इन दोनों प्रकार की इलैक्ट्रानिक घड़ियों के लिए इलैक्ट्रानिक घड़ी के समस्त माड्यलों तथा इन माड्यूलों में प्रयुक्त होने वाले सभी इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों का आयात 3 जुलाई 1980 से मेसर्स सेमीकण्डक्टर उद्योग समूह लिमिटेड नामक इलेक्ट्रानिकी विभाग को सार्वजनिक क्षेत्र को एक कम्पनी के माध्यम से किया गया है।

(3) इलेक्ट्रानिकी विभाग सेमीकण्डक्टर उद्योग समूह लिमिटेड ने संगटित क्षेत्र जिसमें अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों के नए संयोजन कर्त्ताओं, अर्थात् मेसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स तथा राज्य स्तरीय इलेक्ट्रानिक विकास नियमों के साथ माड्यूलों के क्षेत्रोंको अन्तिम रूप देने तथा कम्पनी को आवश्यकताओं का मात्रात्मक अनुमान लगाने की दृष्टि से विचार विमर्श किया है। शीघ्र ही निकट भविष्य में लघु उद्योग क्षेत्र को नई यूनिटों तथा इलेक्ट्रानिक घड़ियों के वर्तमान संयोजन कर्त्ताओं के साथ इसी प्रकार के विचार-विमर्श आयोजित किए जाएंगे।

(4) जहां तक एनालोग इलेक्ट्रानिक घड़ियों के लिए प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस के आवे-

पत्र का सम्बन्ध है, उन पर इलेक्ट्रानिक घड़ियों के सम्बन्ध में घोषित औद्योगिकतथा प्रौद्योगिकीय नीति के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है।

**इलेक्ट्रानिक घड़ी उद्योग के औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकीय नीति**

सरकार ने निर्णय किया है कि स्वदेशी बाजार के लिए इलेक्ट्रानिक घड़ियों का उत्पादन पहले से ही एक प्रमाणिक उद्योग के रूप में विकसित किया जाए। इसका आशय यह है कि प्रारम्भिक अवस्थाओं में भी, जब इस प्रकार की घड़ी के लिए चार मूलभूत इलेक्ट्रानिक संघटक पूर्जों अर्थात् बड़े पैमाने के एकीकृत सेमीकण्डक्टर परिपथ, प्रदर्शित-युक्ति, विशेष क्वार्टज घड़ी क्रिस्टल तथा विशेष बैटरी के आयात की आवश्यकता होगी, तब भी इन संघटक पूर्जों को न केवल सतत् आधार पर अपितु पृथक-पृथक तत्वों के रूप में प्राप्त किया जाएगा और इन्हें परस्पर संयोजित करके मूलभूत इलेक्ट्रानिक घड़ी माड्यूल का रूप दिया जाएगा। यही दृष्टिकोण उन मामलों में भी अपनाया जाएगा, जिनमें माड्यूल संलग्न हों और तैयार घड़ी में यान्त्रिकीय कलपुर्जे अन्तर्ग्रस्त हों।

2. अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों (डी० ई० डब्ल्यू०) के सम्पुर्ण संयोजन के लिए हिन्दुस्तान मशीन्सटूल्स, समुचित संख्या में राज्य इलेक्ट्रानिकों/औद्योगिक विकास निगमों/उनके अन्तर्गत बनाई गई सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को तथा समुचित संख्या में आवश्यक क्षमता से सुसज्जित लघु-उद्योग क्षेत्र की नई यूनिटों को जिन्होंने आवेदन किया हो, औद्योगिक अनुमोदन जारी किया जाएगा। ये उन कुछ यूनिटों (बड़े तथा छोटे दोनों क्षेत्र में) के अलावा होंगी, जो इस समय वस्तुता अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों (डी० ई० डब्ल्यू) के संयोजन में लगी हुई हैं। अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियां (डी० ई० ड्ब्ल्यू०) के लिए यांत्रिकीय आवरणों (केसों) तथा छोटे-छोटे कल पुर्जों के विनिर्माण का कार्य सिर्फ हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी जो यान्त्रिक घड़ियों तथा घड़ियों के आवरण के विनिर्माण में लगी है, के लिए अनुमोदित की जाएगी।

3. इलेक्ट्रानिक घड़ी एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है जिसका स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि राष्ट्र-व्यापी आधार पर इसके कुशल विपणन तथा मुख्यतः बिक्री के बाद दी जाने वाली तकनीकी सेवा का उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए निर्णायक महत्व है। इस कार्य के लिए पर्याप्त तकनीकी, प्रबंधकीय, संगठनात्मक तथा वित्तीय क्षमता होना आवश्यक है।

अतः अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों (डी० ई० डब्ल्यू०) के विपणन तथा उनके लिए बिक्री के बाद प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए वर्तमान अंकीय इलेक्ट्रोनिक घड़ियों (डी० ई०-डब्ल्यू) का संयोजन करने वाली इकाईयों के अलावा सिर्फ हिन्दुस्तान मशीन टूल्स तथा ऊपर पेरा 2 में उल्लिखित राज्य इलेक्ट्रानिकी/औद्योगिक विकास निगमों की सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां करेगी। अनुमोदित की जाने वाली लघु उद्योग क्षेत्र की नई यूनिटों द्वारा संयोजित की जाने वाली अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों का विपणन तथा बिक्री के बाद प्रदान की जाने वाली सेवा हिन्दूस्तान मशीन टूल्स अथवा किसी राज्य स्तरीय निगम द्वारा किया जाएगा, जो इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित सहयोग पर आधारित होगा।

4. इलेक्ट्रानिक घड़ियों के संयोजन के काम में आने वाले चार आवश्यक तथा मूलभूत संघटक-पुर्जों में से किसी का भी उत्पादन देश में नहीं किया जाता। विशेष प्रकार की बैटरी को छोड़कर इन सभी संघटक-पुर्जों की आवश्यकता कुछ रद्दोबदल के साथ अन्य इलेक्ट्रानिक उत्पादों के लिए भी होती है। स्वदेशी बाजार के लिए इलेक्ट्रानिक घड़ियों का उत्पादन आरम्भ करने के सम्बन्ध में सरकार ने समग्र रूप से जो निर्णय लिया है उसके पीछे सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह रहा है कि एक प्रमाणिक उद्योग के रूप में इलेक्ट्रानिक घड़ियों की स्थापना से इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जों का मांग काफी बढ़ जाएगी। किन्तु, यदि हमें अपने इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जे उद्योग के लिए मांग में यह वृद्धि वास्तविक रूप से हासिल करनी है तो घड़ी के संघटक-पुर्जों का अधीकतम मनकीकरण सर्वथा अनिवार्य है। केवल तभी इन संघटक-पुर्जों में से प्रत्येक संघटक-पुर्जे की बाजार में इतनी मांग बढ़ जाएगी और तकनीकी विशिष्टियों/किस्मों के सन्दर्भ में इनमें इतनी एक रुपता आ जाएगी जिससे उनका स्वदेश में उत्पादन तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो सकेगा। इस तरह के मानवीकरण का सुनिश्एय प्रथमतः अंकोरा इलेक्ट्रानिक घड़ियों के लिए सम्पूर्ण इलेक्ट्रानिक माडलों के आयात द्वारा किया जाएगा और ततपश्चात् उस माड्यल में लगने वाले इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ (एल० एस० आई०) प्रदर्श (डिस्प्ले) क्रिस्टल आदि जैसे संघटक-पुर्जों के आयात की व्यवस्था सेमीकण्डक्टर उद्योग समूह द्वाराअंकोय इलेक्ट्रानिक घड़ियों के सभी संयोजकों, जिनमें इस तारिख तक अंकोय इलेक्ट्रानिक घड़ियों का वास्तविक रूप से संयोजन करने वाली यूनिटें शामिल हैं, सीधे आवंटित की जाएगी। इस प्रकार दिया जाने वाजा सीधा काबंटन पंजीकृत तथा 'वास्तविक प्रयोगार्थ' की आवकताओं के अनुसार किया जाएगा, जो लाइसेंसशुदा/अनुमोदित क्षमताओं के लिए निर्धारित अधिकतम आवश्यकता से अधिक नहीं होगा तथा वर्ष 1980-81 तथा उसके बाद की आयात-सूत्री में विनिर्दिष्ट आयात तथा उससे सम्बद्ध शुल्कों की एक समान दर के अधीन होगी। किन्तु जहां तक अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों के अनुमोदित संयोजकों का सम्बन्ध हैं, उन्हें अपने ऐसे आर०ई०पी० लाईसेंसों के माध्यम से माड्यलों, संघटक-पुर्जों कासीधे आयात करने की अनुमति दी जाएगी, जिसे उन्होंने अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों का आयात करके हासिल किया है। सम्पूर्ण इलेक्ट्रनिक माड्यलों के प्रारम्भिक आयात के पश्चात् सेमीकण्डक्टर उद्योग समूह अंकोय इलेक्ट्रानिक घड़ियों के सभी निर्माताओं को सम्पूर्ण इलेक्ट्रानिक माड्यल के संयोजन तथा उनकी आपूर्ति में सहायता करेगा और बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों का क्रमिक रूप से स्वदेशीकरण स्वयं सेमीकण्डक्टर उद्योग समूह करेगा तथा प्रदर्श (डिस्प्ले) और क्रिस्टल का क्रमिक रूप से स्वदेशीकरण सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कम्पनियां करेंगी।

5. जो यूनिटें आज अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों के वास्तविक संयोजन कार्य में संलग्न है, वे अपने द्वारा संयोजित घड़ियों को बाजार में प्रस्तुत करना जारी रखेंगी। वर्ष 1980-81 में सेमी कण्डक्टर उद्योग-समूह अपने थोक एवं सुव्यवस्थित आयात के माध्यम से इस समय संयोजन कार्य में संलग्न यूनिटों के लिए ऐसे सम्पूर्ण इलेक्ट्रानिक के माध्यम से इस समय उपलब्ध कराएगा जोइन घड़ियों के लिए आवश्यक हैं अथवा जो यूनिटों माड्यूलों को देश ही में संयोजित करने के कार्य में पहले से ही संलग्न हैं, उनके मामले में पृथक-पृथक संघटक-पुर्जे मुहैय्या कराए जायेंगे। इन यूनिटों को वर्ष 1980-81 में किए गए अपने उत्पादन के लिए जिन यांत्रिकीय आवरणों

(केसों) की आवश्यकता होगी, उन्हें सीधे आयात करने की इजाजत दी जाएगी। किन्तु वर्ष 1981-82 से इन यूनिटों को अपने इलेक्ट्रानिक माड्यूलों/बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों की आवश्यकताओं की पूर्ति अधिकाधिक मात्रा में सेमीकण्डक्टर उद्योग-समूह द्वारा देशी स्रोतों से की जाएगी। जहांतक सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कम्पनियों द्वारा बनाए जाने वाले प्रदर्शों तथा क्रिस्टलों का संबंध है, उनके मामले में भी यही पद्धति अपनाई जाएगी। फिर भी यदि किसी अपशिष्ट आयात की आवश्यकता हुई तो सेमीकण्डक्टर उद्योग समूह सरणीबद्ध आधार पर आपूर्ति करना जारी रखेगा। जहां तक हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य सम्बन्ध कम्पनियों के लिए आवश्यक आवरण (केस) तथा यांत्रिकीय कल-पुर्जों की पुर्ति का सम्बन्ध है उनसे भी सरकार इसी प्रकार का योजनाबद्ध कार्यक्रम अपनाकर इनकी पूर्ति स्वदेशी स्रोतों से करेगी।

6. सभी संयोजकों को (जिसमें ऐसे संयोजन कार्य में संलग्न यूनिटें शामिल हैं) आरम्भतः सरणीबद्ध एवं थोक आयात के जरिए और क्रमशः स्थानीय उत्पादन के जरिए एक ही स्थान पर सेमीकण्डक्टर उद्योग-समूह लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रानिक घड़ी माड्यूलों की पूर्ति की जायेगी और इस प्रक्रिया का उपयोग अन्ततः सरकार तैयार अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों के लिए मूल्य निर्धारण नीति कार्यान्वित करने के लिए करेगी। इससे इस बात का इत्मीनान हो सकेगा कि यांत्रिकीय घड़ी उद्योग अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों के प्रादुर्भाव से प्रभावित नहीं होगा। सरकारी नीति के आधार पर सम्पूर्ण इलेक्ट्रानिक माड्यल के लिए नियत मूल्य तथा सेमीकण्डक्टर उद्योग-समूह लिमिटेड द्वारा सामान्य वाणिज्यिक उत्पादन पर आधारित वास्तविक मूल्य के बीच जो अन्तर होगा, उसे भारत की समेकित निधि में जमा करा दिया जाएगा।

7. जहां तक एनालॉग घड़ियों अर्थात् उन घड़ियों का सम्बन्ध है, जिनमें परम्परागत डायलें तो लगी होती हैं, किन्तु जिनमें घड़ियों के सामान्य संचलन के स्थान पर एक बड़े पैमाने की एकीकृत युक्ति (एल० एस० आई० डिवाइस) तथा एक क्वार्टज क्रिस्टल लगा होता है। ऐसे मामलों में औद्योगिक लाइसेंस देना इस बात पर निर्भर करेगा कि यांत्रिकीय घड़ियों पर कौन-सी सामान्य नीति लागू है, किन्तु अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों की भांति ही तथा उन्हीं कारणों से बड़े पैमाने की एकीकृत युक्ति (एल० एस० आई० डिवाइस), क्वार्टस क्रिस्टल तथा स्टेपर मीटर की आपूर्ति सेमीकण्डक्टर उद्योग समूह लिमिटेड द्वारा सीधे उन सभी पार्टियों को भी की जाएगी जिन्हें ऐसी घड़ियां बनाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

**श्री के० मालन्ना** : सरकार के नीति सम्बन्धी वक्तव्य के अनुसार इलेक्ट्रानिक वाच इन्डस्ट्री संबंधी औद्योगिक और तकनीकी नीति के अनुसार, बहुत महत्व पूर्ण उपकरणों काही नही वरन् देश प्रायः सभी उपरणों का आयात कर रहा है। मैं क्या मंत्री महोदय से पूछता हूं कि क्या हमारी प्रौद्योगिकी इतनी विकसित नहीं हुई है कि इन उपकरणों का देश में निर्माण किया जा सके और यदियह ठीक है तो इसके क्या कारण है तथा भारत में ही इन चीजों के उत्पादन के लिए क्या कदम उठाए गये हैं? और इन उपकरणों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है?

**श्री विजय एन० पाटिल** : डिजिट्ल इलेक्ट्रानिक घड़ी के मुख्य तकनीकी उपकरण ये हैं : लार्ज स्केल इन्टीग्रेटेड सेमी-कन्डक्टर सर्किट लिविक्ड क्रिस्टल डिस्थले, स्पेशल कूआर्टज, वाच क्रिस्टल है स्पेशल वाच वैट्री और परिसिजन मकेनिकल केस। अब हमारे पास तकनीकी ज्ञान है

और हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्पले का अपने देश में ही निर्माण कर रहे हैं तथा अन्य उपकरणों का आयात किया जाता है। धीरे-धीरे दो या तीन वर्षों में विभिन्न सरकारी उपक्रमों में देश में ही उनका निर्माण करने लगेंगे। इन उपकरणों के आयात पर कुछ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

**श्री के०मालन्ना** : इलेक्ट्रानिक घड़ी उद्योग में लघु और अन्य पैमाने के निर्माता दूसरे दर्जे की घड़ियों का निर्माण कर रहे हैं और उन्हें बाजार में बेच भी ऊंचे दामों पर रहे हैं। इसका कारण पर्याप्त तकनीकी, प्रबन्धकीय, संगठनात्मक और वित्तीय क्षमता की कमी हो सकता है। इस सन्दर्भ में, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या छोटे पमाने के उत्पादकों द्वारा उत्पादित उत्पादों को एच० एम० टी० के माध्यम से संसाधित और सूक्ष्म परीक्षण कराया जायेगा और एच० एम टी द्वारा ही बाजार में भेजा जायेगा।

**श्री विजय एन० पाटिल** : आजकल एक बड़े पैमाने का एकक और तीन छोटे पैमाने के एकक डिजिटल इलेक्ट्रानिक घड़ियों को जोड़ रहे हैं। निस्सन्देह उनका मानक घटिया है और व्यासमापन भी बढ़िया नहीं है। इसलिए जैसा कि वक्तव्य में बताया गया है सरकार ने यह नीति घोषित की है।

3 जुलाई, 1980 से इलेक्ट्रानिक विभाग इसको सेमी कन्डक्टर काम्पलैक्स लिमिटेड के माध्यम से भेज रहा है। मुख्य लागत सामग्री के मानकीकरण पर आती है। उनके स्थानीय उत्पादन को तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए उपकरणों/कल-पुर्जों का अधिकाधिक मानकी- करण अनिवार्य है। यही इसका मुख्य पहलू है और एच० एम० टी के माध्यम से विपण पर विचार किया जा रहा है। इन घड़ियों के विपणन और यिक्रीयोत्तर मरम्मत में लिए लगभग नौ राज्य इलेक्ट्रानिक निगमों को यथा समय यह कार्य सौपा जा रहा है।

**श्री चिन्तामणि जेना** : वर्तमान सरकार की नवीन औद्योगिक नीति की परिधि के भीतर ऐसे लाइसेन्स जारी करने के बाद, उन सभी आवेदकों का जिन्होंने लाइसेन्स के लिए आवेदन कर दिया है, कितना उत्पादन होगा तथा उन घड़ियों की क्या कीमत होगा और क्या उन घड़ियों की कीमत आयातित घड़ियों से काफी कम होगी ? सरकार इस दिशा में कौन से कदम उठा रही है। जिससे कि इन घड़ियों की कीमत आयातित घड़ियों से कम रहे।

**श्री विजय एन० पाटिल** : जहां तक डिजिटल इलेक्ट्रानिक घड़ी की कीमत की बात है, वह तो 350 रुपये से लेकर 700 रुपये तक होगी और जहां तक इसकी तस्करी का सम्बन्ध है, अनुभव से यह पता चलता है कि तस्करी कीमत पर नहीं, रुचि पर निर्भर करती है। तस्करी के मार्ग में दूसरी अड़चन यह है कि इन घड़ियों की मरमम्त की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उनका अभाव है तथा भारत में व्यासमापन और इनके लिये बैट्रियों की उपलब्धि का न होना— इन सबका तस्करी पर कुप्रभाव पड़ता है।

**श्री चिन्तामणि जेना** : मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न के द्वितीय भाग का उत्तर नहीं दिया हैं। मैंने यह जानना चाहा था कि कुल कितना उत्हादन होगा और अगामी पांच वर्षों में कितनी घड़ियों की आवश्यकता होगी।

**श्री विजय एन० पाटिल** : हम विभिन्न एककों के लिए अनुमान लगा रहे हैं।

**श्री एम० एस० संजीव राव** : मुझे मन्त्री महोदय से यही पूछना है उन्हें यह भलीभांति

ज्ञात है कि इलेक्ट्रानिक घड़ियों के निर्माण में, हम अभी शैशवावस्था में हैं। जो कुछ भी थोड़ी बहुत घड़िया हमबना रहे हैं, इन्टीग्रेटेड सिरकटस, क्रिस्टलस और बैटरीज जैसे लगभग सभी महत्व पूर्ण पूर्जे हम आयात कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि 1976 में ही, हमारी प्रधान मन्त्री महोदया ने इन्टीग्रेटेड सिरकटस, मुख्यरूप से इसके सेमीकन्डक्टर के निर्माण की योजना बनाई थी, परन्तु दुर्भाग्य से जनता पार्टी के शासनकाल में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के हमारे प्रयत्न की उन्होने पूर्णरूपेण उपेक्षा की———

**व्यवधान**

अतः मैं प्रधान मन्त्री महोदय से विशेषरूप से पूछना/जानना चाहता हूं कि क्या इस त्रुटि को दूर करने के लिए क्या वह प्रभाव शाली कदम उठायेंगी और यह देखेगी कि हम महत्वपूर्ण पुर्जों का उत्पादन शुरू कर दें, जिससे कि हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकें।

**एक माननीय सदस्य** : इस मामले पर तो विचार किया जाना चाहिये।

**प्रधान-मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : आत्मनिर्भर होना और स्वयंमेव अधिकाधिक उत्पादन करना तो हमारी नीति का ही एक अंग है। हमारे वैज्ञानिक और हमारे अभियन्ता संलग्न है। अभी-अभी जब एक सदस्य जनता पार्टी के शासनकाल के क्रियाकलापों का जिक्र कर रहे थे तो, मैंने कुछ माननीय सदस्यों को 'हा, हा' कहते सुना। मुझे बताया गया है कि "1978-79 की आयात नीति में ढील देने के फलस्वरूप न केवल विदेशी मुद्रा का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा, अपितु इससे कुछ स्वदेशी उद्योगों को भी हानि उठानी पड़ी है।"

मैं उपलब्ध उदाहरणों की गहराई में नहीं जाना चाहती,परन्तु क्या यह निश्चित करने के लिए कि आयात को प्रोत्साहन देने के लिए या प्रौद्योगिकी की तथा कथित खाई को पाटने के लिए अथवा इस प्रक्रिया के अंगस्वरूप उत्पादिकता क्षमता को बढ़ाने हेतु, उठाये गये कदमों से स्वदेशी उद्योग और आत्मनिर्भरता दुष्प्रभावित न हो, हमें अभी से आवश्यक उपाय करने होंगे और आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए आयात नीति पर———

**व्यवधान**

"हमें कुछ उपयुक्त पाबन्दियां लगानी चाहिएं जिससे हम स्वयं अपने स्वदेशी उद्योग को आवश्मक संरक्षण प्रदान कर सकें।"

**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न/श्री हरिनाथ मिश्र———

उसके बाद श्री ए, नीलालोहिथाहसन———

श्री नारायण चन्द पाराशर।

**पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में बाधायें**

०663. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाओं में से एक बाधा इन क्षेत्रों में रेलवे लाइनों और संचार के अन्य साधनों जैसी आधारभूत सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने योजना आयोग तथा रेल मंत्रालय से इन क्षेत्रों में नई रेल-लाइनों के निर्माण के लिए अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इन रेल-लाइनों के नाम क्या हैं, जो उनके मंत्रालयों की सिफारिशों पर इन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए योजनाबद्ध की गई है और क्या उनमें से अब तक कुछ मंजूर हो चुकी हैं. बन चुकी हैं१

यदि हाँ, तो वे कौन-कौन सी लाइनें हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबन्धी कारण क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) :**

(क) जी हां, कुछ मामलों में यह सच है।

(ख) से (ङ) : सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों में अलाभकारी लाइनों तथा विकासमान लाइनों सहित नई रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए युक्तियुक्त नीति का विकास करने हेतु अप्रैल, 1978 में राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसकी जाँच की जा रही है।

नई लाईन परियोजनाओं और सर्वेक्षणों के बारे में दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं—

**विवरण—१**

**जिनमें काम हो रहा है नई रेलवे लाइन परियोजनायें**

| क्र०सं० | परियोजना | राज्य | रेलवेव म्बई | (किलोमीटर में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | वसाई रोड दीवा बी० जी० लिंक | महाराष्ट्र | मध्य | 42.00 |
| 2. | बानी नानक बी०जी० रेलेपीपल कोटी तक जुड़ी हुई | -वही- | -वही- | 75.00 |
| 3. | आपता-रोहा बी० जी० रेल लिंक | -वही- | -वही- | 62.00 |
| 4. | मिरचादुरी-करायला रोड जायन्ट | यू०पी० | पूर्वीय | 33.00 |
| 5. | हावड़ा-शीखला बी० जी० लाइन | पश्चिम बंगाल | -वही- | 17.13 |
| 6. | शहादरा-सहारनपुर लिंक | यू० पी० | उत्तर | 157.80 |
| 7. | रोहतक-भिवानी | हरियाणा | -वही- | 49.30 |
| 8. | रामपुर से न्यूहल्दवानी तक न्यू०-बी० जी० लाइन | यू०पी० | उत्तर-पूर्वी | 78.40 |
| 9. | सकरी-हसनपुर रोड एम०जी लाइन | बिहार | -वही- | 74.90 |
| 10. | बगाहा-चिटौनी एम०जी०(रेस्ट्रोरेशन) | यू०पी/बिहार | -वही- | 28.41 |
| 11. | गौहाटी-बर्नीहाट बी०जी० रेल लिंक | एन० ई० रीजन | -वही- | 28.21 |
| 12. | धरम नगर-कुमारघाट एम०जी | -वही- | -वही- | 33.50 |
| 13. | बालीपाड़ा-भालुकपोंग एम०जी० | -वही- | -वही- | 33.45 |
| 14. | सिलचर-जिरीबाम एम०जी० | -वही- | -वही- | 50.36 |
| 15. | अमगुड़ी-तुली एम०जी० | -वही- | -वही- | 77.07 |

| क्र० सं० | परियोजना | राज्य | रेलवे | बम्बई (कि०मी० में) |
|---|---|---|---|---|
| 16. | लालघाट-भैरवी एम०जी | -वही | -वही- | 48.77 |
| 17. | नागरकोअल से कन्याकुमारी तक नई लाइन | तमिलनाडु | दक्षिणी | 73.31 |
| 18. | एलेपी-एनोकुलम बी० जी० | केरल | -वही- | 51.00 |
| 19. | बी०बी० नगर-नादीकुदे बी०जी० | ए०पी० | दक्षिण तटीय | 151.00 |
| 20. | (बी०बी०नगर-नालगोंडाफेस-174 कि.मी. हाथ में ली गई) | ए०पी | -वही- | 52.00 |
| 21. | भद्राचलम रोड से मनुमन बी.जी | महाराष्ट्र | -वही- | 26.00 |
| 22. | जग्गेयापेट्टा-बोना कालू बी. जी. | ए०पी० | -वही- | 34.00 |
| 23. | पुणे-मिराज सैक्सनों के बीच एक अलग लाइन प्रदान करके पुराने माधव नगर स्टेशन को मुख्य लाइन पर लाना | ए०पी० | -वही- | 1.50 |
| 24. | मिराज-सांगली रेल लिंक का फिर संचालन करना | ए०पी० | -वही- | 7.77 |
| 25. | बारगाशिया-चम्फडांगा बी. जी. सहित हावड़ा-आमता | पश्चिम बंगाल | एस.ई. | 52.78 |
| 26. | बांसपानी-आखापुरा बी. जी. प्रथम चरण जाखापुर-दैतारी 33.50 कि.मी. हाथ में ली गई | उड़ीसा | एम. ई. | 176.00 |
| 27. | तलगारिया-तुपकाडीह बी.जी. | बिहार | द०पूर्व | 30.02 |
| 28. | नाडियाड-कापद्वाज-मोदासा बी.जी. | गुजरात | पश्चिम | 105.00 |
| 29. | कोटा-चित्तौड़गढ़ बी. जी. | राजस्थान | -वही- | 242.00 |

**विवरण—२**

**नई लाइनों के लिए किए जा रहे सर्वेक्षण**

| क्र० सं० | परियोजना | राज्य | रेलवे |
|---|---|---|---|
| 1. | खजुराहो, सतना और रीवां वाया ललितपुर-सिंगरौली | मध्य प्रदेश | मध्य |
| 2. | बजबज-नामखाना | पश्चिम बंगाल | पूर्वीय |
| 3. | राँची-गिरिडीह वाया हजारीबाग टाउन और कोडरमा | बिहार | -वही- |
| 4. | मांदर हिल-बौद्धयनायधाम | बिहार | -वही- |
| 5. | जम्मू-ऊधमपुर | जे. एण्ड कं. | उत्तर |
| 6. | गया-राजागिर | बिहार | पूर्वीय |
| 7. | जगाधरी-पौंटा-राजवन | पंजाब | उत्तर |
| 8. | करूर-डिंडिगुल-तुतीकोरिन | तमिलनाडु | दक्षिण |

| क्र०सं० | परियोजना | राज्य | रेलवे |
|---|---|---|---|
| 9. | कोरापुट-सेलूर/वारावतीपुरम रायागादा | उड़ीसा | दक्षिणपूर्वी |
| 10. | तल्चर-सम्भलपुर | -वही- | -वही- |
| 11. | बारवाडीह-करौंजी | मध्य प्रदेश | -वही- |
| 12. | खडगपुर-दीवा | प० बंगाल | -वही- |
| 13. | मोदासा-शामलाजी | गुजरात | पश्चिम |
| | **नए सर्वेक्षण** | | |
| 1. | गुना-शिवपुरी-ग्वालियर इटावा | मध्य प्रदेश | मध्य |
| 2. | आरा-सासाराम | बिहार | पूर्व |
| 3. | वियास-मौडवल साहिब | पंजाब | उत्तर |
| 4. | मिर्जापुर-भदोही | उत्तर प्रदेश | -वही |
| 5. | नांगल-तलवाड़ा | हिमाचल प्रदेश | -वही- |
| 6. | भदोही-बाबतपुर | उत्तर प्रदेश | -वही- |
| 7. | कालका-परवानों | हिमाचल प्रदेश | -वही- |
| 8. | पडरौना-देवरिया | उत्तर प्रदेश | उत्तरी-पूर्वी |
| 9. | गुरुवायूर-त्रिचूर वाया (कुट्टीपुरम होकर) | केरल | दक्षिण |
| 10. | चित्र दुर्ग-रायदुर्ग | कर्नाटक | -वही- |
| 11. | निजामाबाद-रामागुण्डम | ए. पी. | दक्षिण तट |
| 12. | गांधी धाम-भुज-लाखपत विया मांडवी | गुजरात | पश्चिम |
| 13. | पत्तनचेरु से पड्डापेल्ली वाया सांगा रेड्डी मेडक, एकमर्पट, सिद्दीपेट और करीमनगर | ए. पी. | दक्षिण तट |

परियोजनायें जिनकी अनुमति के लिए योजना आयोग के साथ बात-चीत चल रही है।

1. करूर, तुतीकोरिन बीजी-लाइन (एस.आर.) लाइन लागत 42.86 करोड़ रू०।
2. चित्रपूर्ण-रायगढ़ (एस.आर.) लम्बाई 100 कि. मी. लागत 18 करोड़ रू०।
3. धल्ली राजहरा-जगदलपुर (एस. ई. आर.) बीजी लाइन लम्बाई 234 कि. मी., लागत 60 करोड़ रू०।
4. दैतारी-बांसदानी बिजी रेल लिंक (एस. ई. आर.)
5. रोहा-दासगांव (सी. आर.) लम्बाई 45 कि.मी. लागत 9 करोड़ रू०।

वर्ष 1980-81 के लिए पूरक मांगों में सम्मिलित करने के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमति दी गई परियोजना।

तेलापुर-पातनचेरा बी. जी.लाइन (एस. सी. आर.) लम्बाई 5 कि. मी., लागत 1.50 करोड़ रु.।

**प्रो. दारायण चन्द्र पराशर** : विवरण से ऐसा पता लगता है कि नई लाईनें बिछाने की चालू परियोजनाओं, सर्वेक्षणाधीन और नवीन सर्वेक्षकों को मिलाकर लगभग कुल 55 लाइनें हैं जिन्हें उद्योग मन्त्रालय के कहने पर शुरू किया गया है।

महोदय, भारत एक विशाल देश है और इस सदन की प्राक्कलन समिति के एक प्रतिवेदन में पिछड़े क्षेत्रों में नई लाइनें बिछाने की सिफारिश की गई है। मंत्री महोदय से पूछता हूं कि क्या इस मन्त्रालय की सिफारिशें इस ढंग से लागू की जायेंगी कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक लाइन बिछाई जाए और इस स्थिति में क्या हिमाचल प्रदेश में नांगल-तलवारा लाइन को, जिसका उद्घाटन 1974 में किया गया है, प्राथमिकता प्रदान की जाएगी ?

**श्री चरणजीत चानना** : जैसा कि मैं अपने उत्तर में पहले ही बता चुका हूं, समिति के प्रतिवेदन के ब्यौरे का अध्ययन किया जा रहा है। परन्तु जहां तक माननीय सदस्य के सुझाव का प्रश्न है, रेलवे मन्त्रालय को उसे कभी भी उस समय भेजा जा सकता है जब प्रतिवेदन पर विचार हो रहा हो, उसे स्वीकृति प्रदान करके उन्होंने उसे लागू करने का निर्णय ले लिया हो।

**प्रो. नारायण चन्द्र पराशर** : महोदय, यह कोई राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति के प्रतिवेदन का प्रश्न नहीं है। यह तो इस ढंग से मन्त्रालय की सिफारिश को लागू करने का प्रश्न है, जिससे सारा देश लाभान्वित हो। कम से कम रेलवे लाइन का लाभ प्रत्येक राज्य को मिले। क्या उद्योग मन्त्रालय ने यही सिफारिश की है ?

**श्री चरणजीत चानना** : महोदय, वह तो बिलकुल सामान्य-सी बात है। परन्तु मैं सामान्य रूप से माननीय सदस्य को उत्तर दे सकता हूं कि भारत सरकार की नीति देश के सामान्य रूप से विकास करने की है। हम इस समानता के आधार पर ही इस प्रकार की लाइन सदैव आवंटित करते हैं और इस प्रकार की लाइनों का विकास करते हैं।

**श्री एम. सत्य नारायण राव** : महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जिले के पिछड़ा होने के बावजूद पिछड़े क्षेत्रों में लाइन बिछाने के लिए, जहां पर उद्योग-धन्धे पनप रहे हों और पहले ही जम चुके हों। विशेषकर अभी भी जम रहे हों तो सरकार ने वहां पर लाइनें बिछाने का काम आरम्भ क्यों नहीं किया ?

मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय अपने पीछे बैठे हुए रेल मंत्री महोदय से इतनी तो सिफारिश कर ही दें कि वे पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइन बिछायें। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछड़े राज्यों में नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं ?

**श्री चरणजीत चानना** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान अपने उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की नियुक्ति इसी उद्देश्य से की गई थी और पूरे प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद ही इसे रेल मंत्री के पास नई रेल लाइनें बिछाने के लिए सिफारिश के रूप में पेश किया जाएगा। क्षेत्रों का विकास करने के लिए सिफारिशों को लागू करते समय निःसन्देह वह इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे।

**श्री निरेन घोष** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे पश्चिमी-बंगाल के कुछ हिस्सों को पिछड़े क्षेत्र करार देंगे। यदि नहीं तो क्या सारा औद्योगिक विकास एक या दो राज्यों पर केन्द्रित कर दिया गया है। क्या सरकार गत दो वर्षों में विभिन्न राज्यों को दिए गए लाइसेंसों के आंकड़े प्रस्तुत करेगी ?

**श्री चरणजीत चानना** :इसमें माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैं सलाह दूंगा कि माननीय सदस्य मुझसे उत्तर प्राप्त करने के लिए अलग से प्रश्न पूछें।

**श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश का जो बुन्देलखण्ड क्षेत्र है, वह बिलकुल ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उद्योग की तरफ से भी और रेल लाइन के तरफ से भी वह पूरी तरह पिछड़ा क्षेत्र है। उस क्षेत्र में भी इस तरह की कोई रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव है, जिससे कि वहां भी उद्योग पनप सकें और उस पिछड़े इलाके का विकास शुरू हो जाए ?

**श्री चरणजीत चानना** : स्पीकर साहब, जहां तक रेल लाइन का सम्बन्ध है, उसके लिए हमने एक कमेटी अपोइंट की थी और वह काम कर रही है। जहां तक बुन्देल खण्ड एरिये का सवाल है, हमने इन्डस्ट्रली बेकवर्ड एरियाज आइडेंटीफाई किए हैं और उनसे बन वाई धन हम ले रहे हैं और उन्हें एग्जामीन कर रहे हैं कि क्या उनके ड्रावेक्स हैं, क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं और कहां से और कैसे उनकी प्लानिंग करनी चाहिए।

**श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : आपके पास पिछड़े हुए जिलों के इलाकों की लिस्ट होगी, क्या उसमें यह है ?

**श्री चरणजीत चानना** : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को केवल यह सूचित किया था कि ऐसे 101 जिले हैं, जिन्हें औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले माना गया है और 247 ऐसे जिले हैं, जो कि वित्तीय सहायता के हकदार हैं। केवल उन्हीं क्षेत्रों को पिछड़ा घोषित किया गया है और उनकी यदि माननीय सदस्य को सूची चाहिए तो वह हम दे सकते हैं।

**डा. कर्ण सिंह** : अध्यक्ष महोदय, रेलवे लाइन बिछाने के अतिरिक्त यह स्पष्ट है कि पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक नीति को विवेकपूर्ण सड़क परिवहन नीति की भी आवश्यकता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं, जहां रेल लाइनें नहीं जा सकती और जानी भी नहीं चाहिए। महोदय, अब देखिए कि दिए गए उत्तर से ऐसा लगेगा कि राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति केवल रेलवे लाइनों से सम्बद्ध है। क्या कन्त्री महोदय इस सदन को बतायेंगे कि क्या आप सड़कों के विकास में भी रूचि रखते हैं, विशेषकर हिमालय के क्षेत्र में, जहां सड़कों से ही उनका विकास किया जा सकता है ?

**श्री चरण जीत चानना** : मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह प्रश्न को ही नहीं, उत्तर को भी देखें। माननीय सदस्य का प्रश्न रेलवे लाइन बिछाने से सम्बद्ध है। हमने सदस्यों को सूची देदी है। हमने केवल रेल लाइनों के बारे में सदन को और सदस्यों को विस्तार में सूचित कर दिया है। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति के नाम से जानी जाने वाली समिति··· केवल रेलवे लाइनों पर ही विचार नहीं करती। परिवहन में और भी बातें आती हैं। समिति के विचारार्थ विषय में परिवहन के सभी साधन आते हैं और समिति के प्रतिवेदन का ब्यौरा, प्रतिवेदन की जांच, उसके अनुमोदन और स्वीकृति के पश्चात ही उपलब्ध होगा।

———— —

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### जेलों में विचाराधीन बन्दी

*656 : **श्री आर. आर. भोले** : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) संघ राज्य क्षेत्रों में । एकमहीने, दो महीने, तीन महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने और इससे पहले से जेलों में (एक) जमानती अपराध (दो) गैर-जमानती अपराध अपराध करने वाले कितने-कितने ऐसे बन्दी हैं, जिन पर न्यायालयों में मुकदमें चल रहे हैं ; और

(ख) अनावश्यक रूप से जेलों में लम्बी अवधि तक रखे जाने वाले ऐसे बन्दियों की भारी संख्या को घटाने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है, जिन पर न्यायालयों में मुकदमें चल रहे हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :**

(क) अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दिल्ली, लक्ष-द्वीप, मिजोरम और पांडिचेरी में अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार जमानती एवं गैर-जमानती अपराध करने वाले विचाराधीन कैदियों की संख्या इस प्रकार है :—

| | 1 माह | 2 माह | 3 माह | 4 माह | 5 माह | 6 माह |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | से अधिक | | |
| 1. जमानती अपराध | 321 | 131 | 80 | 39 | 38 | 42 |
| 2. गैर-जमानती अपराध | 233 | 191 | 126 | 77 | 71 | 505 |

अन्य संघ-शासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ख) कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य का विषय है । परन्तु सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि लम्बी अवधि तक बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदियों को जेलों में रखने से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जायें :—

1. विचारण को शीघ्रता से निपटाने की दृष्टि से विचाराधीन कैदियों के मामलों की समीक्षा करने के लिए समीक्षा समितियां गठित करना ।

2. गरीब कैदियों को कानूनी सहायता देने के लिए पूर्णकालिक अथवा अंश-कालिक तातूनी अधिकारियों की नियुक्तित करना ।

3. पूछ-ताछ और जांच के लिए समय सीमा के बारे में दंड-प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबन्धों का पूर्ण रूप से पालन करना ।

**प्लेनप ट्राइबल्स कौंसिल आफ आसाम के नेताओं की प्रधान मन्त्री से भेंट**

*659. **श्री चित्र महाटा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि प्लेन्स ट्रावल्स कौंसिल आफ आसाम के नेताओं ने 20 जून, 1980 को नई दिल्ली में प्रधान मन्त्री से भेंट की थी और उन्हें अपनी समस्याओं तथा आसाम में चल रहे वर्तमान आन्दोलन के बारे में बताया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रधान मन्त्री को प्रस्तुत किए गए 20 जून के पत्र में निम्नलिखित मांगे की गई हैं :

1. जनजातीय लोगों की बहुलता वाले क्षेत्रों को एक साथ सम्मिलित किया जाए और

एक संलग्न क्षेत्र बनाने के लिए संवैधानिक मान्यता दी जाए और इसको अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाए।

2. इस क्षेत्र को पर्याप्त स्वायतत्ता सहित एक एकात्मक प्रशासनिक ढांचे के अधीन रखा जाए।

3. इस क्षेत्र का प्रशासन का एक निर्वाचित स्वायत्तशासी निकाय द्वारा चलाया जाना चाहिए।

(ग) ये मांगे विचाराधीन हैं।

**बिहार की आदिवासी जनसंख्या का शोषण**

*661. **श्री हरिनाथ मिश्र : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या बिहार में आदिवासी जनसंख्या के शोषण, विशेष रूप से आदि वासों महिलाओं में अनैतिक व्यापार में एक संगठित गिरोह अन्तर्ग्रस्त है ;

(ख) क्या इस गिरोह द्वारा अधिक वेतनों वाले नौकरियों के लालच में युवकों एवं महिलाओं को फुसलाया जाता है और बाद में महिलाओं का शोषण किया जाता है और उनको वेश्यालयों में भेजा जाता है ; और

(ग) जनजातीय व्यक्तियों के इस प्रकार के शोषण को समाप्त करने और गिरोह का पता लगाने तथा उनको उपयुक्त सजा देने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

**गृह मन्त्री में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना**

(क) सरकार को बेईमान ठेकेदारों द्वारा बिहार के प्रवासी जनजातीय मजदूरों का शोषण किये जाने के विषय में कुछ रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ख) सूचित किए गए बेईमान ठेकेदारों की कार्यविधि यह है कि शुरू में वे मजदूरों को अधिक मजदूरी और अन्य सुविधायें देने का प्रस्ताव करते हैं। जिन्हें बाद में देने से मना कर दिया जाता है।

(ग) ऐसे मामलों की सूचना प्राप्त होने पर राज्य सरकार संकटग्रस्त मजदूरों के बचाव के लिए तत्काल कारवाई करती रही है। केन्द्र सरकार के अन्तर्-माज्जीय प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 को पारित किया है हालांकि इसके नियमों का प्राख्यापन जल्दी ही किया जाता है। इस अधिनियम में अन्तर-राज्जीय प्रवासी कामको नियोजित करने वाले संस्थापनाओं का पंजीकरण ठेकेदारों को लाईसेंस देना, उनके कर्त्तव्यों और दायित्वों की निर्धारित करना, मजदूरी को नियमित करना अन्तर्राज्जीय कामगारों के कल्याण के लिए और उन्हें अन्य सुविधायें देने के साथ गया इनके उपबन्धों के उल्लन्धन के लिए दण्डनीय धारा की व्यवस्था भी है इसके अतिरिक्त अधिनियम के अनुसार निरीक्षण के लिए नियुक्त कर्मचारियों के पास अधिनिवम के उपबन्धों के उल्लंघनों का पता लगाने की शक्तियाँ हैं।

**केरल में ए० सी० प्रेशर पाइपों के निर्माण के लिए आशयपत्र**

*662. : **श्री ए० नीलातोहिथासन नाडार : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारत सरकार को केरल में ए० सी० प्रेशर पाइपों के निर्माण के लिए एक

औद्योगिक एकक को आशय-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) यदि हाँ तो, इस संबन्ध में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और।

(ग) आशय-पत्र देने में हुई इस विलम्ब के क्या कारण हैं।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) जी हां। मैसर्स केरल प्रमोपाइप फैक्ट्री लि0, क्विलोन, केरल जो केरल सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कम्पनी है, वे इस प्रकार का कए आवेदन भेजा था।

(ख) और (ग) आवेदन कर्त्ता को सूचित किया गया था कि चूंकि 1983-84 तक की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उत्पादन करने के लिए पहले ही पर्याप्त क्षमता के लिए लाइसेंस स्वीकृति दी जा चुकि है: अतः प्रथम दृष्टया इस प्रकरण में लाइसेंस जारी करने का मामला नहीं बनता है। आवेदन कर्त्ता ने मामले पर पुर्नविचार करने के लिए एक अभ्यावेदन भेजा है। आवेदन कर्ता के अभ्या- वेदन तथा अन्य आवेदनकर्ताओं के इसी प्रकार के अभ्यावेदनों की जाँच की जा रही है।

**राजस्थान में झालावाढ़ में जिला उद्योग केंद्र क स्थापन**

*664 : **श्री चतुर्भुज** : क्या **उद्योग मंत्री** निम्नलिखित जानकरी दर्शाने वाला एक विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में झालागढ़ मुख्यालय में जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना कब की गई थी और इसने काम कब आरम्भ किया।

(ख) इस केन्द्र की स्थापना की तिथि लेकर 15 जून 1980 तक कुल कितने उद्यमियों को अनुदान एवं ऋणों के रूप में धनराशि दी गई है और

(ग) क्या उन उद्यमियों को, जिन्होंने ऋणों को पूरी राशि वापस कर दी है अनुदानों की राशि दे दी गई है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीचरणजीत चानना)**

(क) झालावाड़ जिला उद्योग केन्द्र की स्वीकृति 10 अप्रैल, 1973 को दी गई थी और वह जुलाई 1979 से काम करने लगा था।

(ख) और (ग) जैसा राजस्थान राज्य सरकार ने बताया है कि 42 एककों को 31 मार्च, 1980 तक 6·74 लख रुपये की नकद राज सहायता दी गई है।

लघु तथा कुटीर उद्योग क्षेत्र के एककों को मई, 1980 के अन्त तक 57·70 लाख रुपये के ऋण वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये गये हैं। इसके अलावा, 1979, 80 की अवधि में लघु तथा कुटीर उद्योग क्षेत्र के एककों को ऋण सहायता के रूप में जिला उद्योग केन्द्रों के जरिए 3·90 लाख रुपये की राशि वितरित की गई थी।

साथ ही राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत वितरित किये गये अनुदानों/ऋणों/राजसहायताओं का ब्यौरा उन्हीं के पास उपलब्ध है।

**संगणक सूचना प्रणाली**

*665 : **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगणककृत सूचना प्रणाली तैयार करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए

सरकार द्वारा कोई तन्त्र अथवा कोई समिति बनाई गई थी ।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

(ग) उस पर अब तक कितना समय और धन व्यय हुआ है और

(घ) क्या भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता द्वारा भी संगणककृत सूचना प्रणाली का विकास करने में कोई योगदान किया गया है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) से (घ) : मैसर्स वूज एलेन एण्ड नेमिल्टन इन्टरनेशनल इन्क० मैनेजमैन्ट कन्सल-टैन्टस जूरिच, को 1965 में तकनीकी विकास के महानिदेशालय की जानकारी इकट्ठी करने तथा परिष्करण प्रणाली का अध्ययन करने का काम सौंपा गया था ।

तत्पश्चात 1968 में इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेज मेंट, कलकत्ता, को एक उपयुक्त जानकारी प्रणाली का विकास करने के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया था । इन्स्टी-ट्यूट ने 1969 में कार्य आरम्भ किया और इसे अप्रैल, 1975 में पूरा किया था संस्थान को लगभग 7·5 लाख रुपये की राशि अदा की गई थी ।

**मंत्रालयों द्वारा विदेशी वस्तुओं तथा उपकरणों का उपयोग**

*666 **श्री मोहम्मद असरार अहमद क्या प्रधान मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की आयातित वस्तुयें तथा उपकरणों को खरीदने की प्रवृत्ति की निन्दा की है और यह इच्छा व्यक्त की है कि विदेशी विकल्पों पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और उनको वरीयता दी जानी चाहिए चाहे उसपर कुछ अधिक व्यय आये ; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक मंत्रालय द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)**

(क) हमारी विदेशी मुद्रा के गरजरूरी खर्च को कम करने और आत्म निर्भरता बढ़ाने के लिए मैंने आयातित उपकरणें आदि की जगह स्वदेशी विकल्पों का सुझाव दिया है चाहे इस पर कुछ ज्यादा खर्च आये और/या ये वस्तुयें कम चलें और बहुत बढ़िया किस्म की भी न हों । मैंने यह भी कहा है कि सभी सभी संबन्धित अधिकारियों को उचित निर्देश जारी किये जायें कि आयात का सुझाव देते समय अत्याधिक नियन्त्रण से काम करें ।

(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने इस संबन्ध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये हैं ।

**राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में वित्तीय-सलाहकार की नियुक्ति**

*667 **श्री के० ए० राजन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के वित्तीय कार्यों का मूल्यांकन करने का काम भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को सौंपा गया है ।

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा उपाय करने की पृष्ठ भूमि क्या है और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश को कितने शुल्क का भुगतान किया जाएगा ।

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के निर्देशकों की अनेक उप-समितियों के निगम ने वित्तीय कार्यकरण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पूर्ण

वित्तीय सलाहकार/ प्रबन्धक (वित्त) को नियुक्ति करने की जोरदार ढंग से सिफारिश की थी, और

(घ) क्या यह सच है कि अभी कोई ऐसी नियुक्ति नहीं की गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) और (ख)जी हां। एन०आई०डी०सी० के निर्देशक मंडल ने मार्च 1989 में 80,000 रुपये की फीस के भुगतान तथा अनुमानित 10,000 रुपये के जेब खर्च की धन राशि में से इन्डस्ट्रियल क्रेडिट तथा इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० द्वारा बतायी गई पद्धति तथा वित्तीय प्रक्रियाओं का स्वतंत्र रूप से आंकलन कराने का निणर्य लिया था।

(ग) और (घ) निदेशक मंडल की 18 जुलाई 1973 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार एन० आई० डी० सी में 1600-2250 के वेतनमान में वित्त प्रभाग के प्रभारी के रूप में एक प्रबन्धक (वित्त) के पद का सृजन किया गया था। विज्ञापन तथा सरकारी विभागों के संपर्क से एक उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त करने के प्रयासों के बावजूद कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल पाया। प्रयास फिर भी जारी हैं। हाल ही में बोर्ड ने इस पद के वेतनमानकों को 2250-2750 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है और तद्नुसार इस पद को भरने के लिये कार्रवाई की जा रही है।

**त्रिपुरा में पाई गई "स्टिक्स"**

*668. **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में भारी संख्या में "स्टिक्स" पाई गई है जिनका उपयोग उपद्रवियों द्वारा आगजनी के लिए किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन स्टिकों में एक बार आग लगने पर बुझती नहीं है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृहमंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(क) से (ग) : जी हां, श्रीमान्। जून 1980 के मध्य में जिरानिया पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कालीनगर में स्पष्ट रूप से उग्रवादियों द्वारा छोड़ा गया ज्वलनशील स्टिक्स का एक थैला पकड़ा गया। थैले पर निर्मित निशान से पता चलता है कि वह पाकिस्तानी मूल का है। एक बार जलाने से इन स्टिक्स को बुझाना आसान नहीं है।

समझा जाता है कि हथगोलों की मार की दूरी को बढ़ाने के लिए बारूद का इस रूप में प्रयोग किया जाता है। यह समझा जाता है कि ये 1971 के युद्ध के दौरान फेंके गए थे और स्थानीय लोगों ने इन्हें उठा लिया।

**महिला बलात्कार**

*669. **प्रोफेसर मधुदंडवते :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जून, 1980 के "टाइम्स आफ इन्डिया" (दिल्ली संस्करण) में छपे उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें "मेरी स्टोप्स सोसाइटी" के एक अधिकारी श्री पीटर लेटान को पुलिस विभाग के आंकड़ों को उद्धृत करते

हुए यह कहते हुए बताया गया है कि भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 20 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है ;

यदि हां, तो क्या जो जानकारी दी गई है वह सत्य है ; और

(ख) यदि हां, तो इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कड़े उपाय किये जा रहे हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(क) जी हाँ: श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**झाड़ग्राम में एक कागज उद्योग की स्थापना**

*.670 : **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झाड़ग्राम में एक बड़ा कागज उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और

(ग) यदि नहीं, तो पूर्वी क्षेत्र में कागज का संकट दूर करने के लिए सरकार क्या वैकल्पित प्रस्ताव है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) और (ख) झाड़ग्राम जिले में प्रतिवर्ष 10,000 मी० टन तथा 6,000 मी0 टन कागज का उत्पादन करने की क्षमता वाले नए एककों की स्थापना के लिए क्रमशः मैसर्स नेप्यून पेपर मिल्स तथा मैसर्स अजन्ता पेपर एण्ड जनरल प्रोडक्ट्स (पी०) लि०, को एक औद्योगिक लाइसेंस तथा एक आशय पत्र जारी किया गया हैं। चूंकि इस जिले में पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध नहीं होगा, अतः कागज का उत्पादन करने के लिए सरकारी क्षेत्र में कोई बड़ी परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन, जो सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, पहले ही कुल 2,33,00 मी० टन की वार्षिक क्षमता से लिये नागालैंड तथा आसाम में लिखाई तथा छपाई के कागज का उत्पादन करने हेतु तीन परियोजनाएँ पहले ही कार्यान्वित कर रहा है ।

**अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा गांधी नगर पोर्ट ब्लेयर में अधिगृहीत भूमि**

*671. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मन्त्री अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा गांधीनगर पोर्ट ब्लेयर में अधिगृहीत भूमि के बारे में 11 जून, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई भूमि पहले तो अधिगृहीत की गई और बाद में उसे एक सिनेमा स्थल के रूप में नीलाम कर दिया गया जिस पर जब लाईट हाउस सिनेमा बना हुआ है :

(ख) यदि हां तो कितनी भूमि और किनसे अधिगृहीत की गई थी :

(ग) गांधीनगर में सात व्यक्तियों से उक्त भूमि के प्रत्यादान से आवंटन की शर्तों का किस प्रकार का उल्लंघन हुआ : और क्या प्रत्यादान से पहले की कार्यवाही करली गई थी अथवा आरम्भ कर दी गई थी :

(घ) गांधीनगर में तीन गैर सरकारी पार्टियों को भूमि का आवंटन करने के क्या कारण थे जबकि उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र सरकारी विभाग वर्कशाप के लिये रखा गया था :

(ङ) क्या उक्त आवंटन करने से पूर्व कोई अधिसूचना जारी की गई थी अथवा क्या वहां वाणिज्यिक स्थलों के आवंटन के लिये आवेदन पत्र अन्य प्रकार से आमंत्रित किये गये थे : और

(च) उक्त आवंटन किस दर पर किये गये थे ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :**

(क) से (ख) पोर्ट ब्लेयर में जिस स्थान पर लाइट हाउस सिनेमा बनाया गया है वह प्लट सं0 39 व 40 (जिसका क्षेत्रफल 6480 वर्ग मीटर है) का भाग है, जिसको अन्य भूमि के साथ राजस्व सहायक आयुक्त द्वारा जारी किए गए आदेशों के अन्तर्गत 1958 में श्री गंगाराम की विधवा पत्नी स्व0 श्रीमती राम देई से पुनः अधिग्रहण किया गया था । लाइट हाउस सिनेमा के स्थान का नीलाम जनवरी, 1967 में श्री एम० कमल के पक्ष में किया गया था और उसके उपरान्त उसे कमल बिल्डिंग प्रा0 लि0 के नाम स्थानान्तरित किया गया था ।

2. गांधीनगर, पोर्ट ब्लेयर में सात व्यक्तियों से पुनः अधिग्रहण की गई भूमि से संबन्धित कागजात 1970 में जल गये थे । इस लिए इन लोगों की ओर से किस प्रकार का उल्लंघन किया था यह बताना संभव नहीं है ।

3. गांधीनगर पोर्ट ब्लेयर में 1958 में अन्दमान व निकोबर प्रशासन द्वारा पुनः अधिग्रहण की गई भूमि विकासात्मक योजनाओं के लिए 1960 में लोक निर्माण विभाग के विकास प्रभाग को सौंपी गई थी । पुनः अधिग्रहण की गई कुल 11.7 हैक्टर भूमि में से लगभग 11.06 हैक्टर भूमि इस समय प्रशासन तथा नगर पालिका, पोर्ट ब्लेयर द्वारा एक बस टर्मिनल, स्कूल, विद्युत कार्यालय, बन्दरगाह कार्य, परिवहन वर्कशाप, लोक निर्माण विभाग वर्कशाप, मार्केट इत्यादि जैसे विकासात्मक कार्यों के लिए उपयोग में लाई जा रही है । 2240 वर्ग मीटर भूमि वाणिज्य प्रयोजन के लिए स्थान आवंटन करने के लिए निर्धारित की गई है ।

4. 160 वर्ग मीटर भूमि श्री आशिक अली को आवंटित की गई थी क्योंकि इसके बदले अबरदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर में उसके मकान के स्थान की अधिकांश भूमि वहां से आने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क को चौड़ा करने के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई थी । 320 वर्गमीटर भूमि श्री माशूक अली को आवंटित की गई थी जिसने बेकरी स्थापित करने के लिए उद्योग निर्देशालय में लघु उद्योग यूनिट का पंजीकरण किया है । 480 वर्ग मीटर भूमि अन्दमान व निकोबार सहकारी कैफ्टेरिया को आटंटित की गई थी जो अन्दमान व निकोबार द्वीपसमूह सहकारी समिति नियम 1976 के अधीन पंजीकृत निकाय है । इन समिति को एक कैफ्टेरिया तथा आवास गृह बनाने के लिए यह भूमि आवंटित की गई है ताकि पर्यटकों एवं आने जाने वाले यात्रियों को उचित मूल्य पर स्वच्छ आवास उपलब्ध कराने के लिए सहकारी आधार पर उसे चलाया जाए ।

5. ये तीनों आवंटन निर्धारित नियम तथा प्रणाली के अनुसार किए गए हैं और ऐसा करते समय पिछली प्रथा को भी ध्यान में रखा गया । नगर पालिका क्षेत्र में भूमि के आवंटन के लिए उद्घोषणा जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है । उसे आवंटनों के लिए आवेदन पत्र मांगने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है ।

6. उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित श्री आशिक अली के मामले को छोड़ कर अन्य दो आवंटन 10 रु० प्रति वर्ग मीटर की प्रिमियम की निर्धारित दर से भुगतान करने पर किया गया था ।

**रक्षा कर्मचारियों को बोनस**

*672. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाते वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने रक्षा कर्मचारी हैं जिन्हें अब तक बोनस की राशि दी गई है और शेष कितने कर्मचारी हैं जिन्हें यह राशि नहीं दी गई है ; और

(ख) सरकार का विचार शेष कर्मचारियों को बोनस कब तक देने का है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी· पी. एन. सिंह)**

(क) और (ख) रक्षा मंत्रालय के अधीन निम्नतर विरचनाओं के लगभग 5.5 लाख कर्मचारियों में से 3.14 लाख कर्मचारी उत्पादकता पर आधारित बोनस योजना के अन्तर्तग आते हैं । इस योजना के विवरणोंको अतिम रूप दिए जाने तक सरकार ने, वर्ष 1970-80 के लिए, इन कर्मचारियों को 15 दिन का वेतन तदर्थ आधार पर देने का निर्णय लिया है अबतक इन3.14 लाख कर्मचारियों में से 1.96 लाख कर्मचारियों में से 1·96 लाख कर्मचारियों को बोनस की राशि दे दी गई है और आशा है कि शेष 1.18 लाख कर्मचारियों को बोनस की यह राशि अगले तीन महीनों नक अदा कर दी जाएगी ।

**अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आयुक्त का दर्जा और शक्तियाँ**

5201. **श्री भोखाभाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के आयुक्त का पद मुख्य चुनाव आयुक्त के पद की भांति स्वतंत्र और स्वायत्त है ।

(ख) क्या सरकार ने उसकी शक्तियों को कम कर दिया है और क्षेत्रीय प्रशासनिक ढाचे तथा विशेषकर क्षेत्रीय कार्यालय के ढांचे में परिवर्तन किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(घ) क्या सरकार उसके द्वारा पहले प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और क्षेत्रीय कार्यालयों के मूल ढांचे को बहाल करेगी ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त एक सांविधानिक प्राधिकारी है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 के आधी की जाती है । "आयुक्त का कार्य संविधान के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए संरक्षणों से संबन्धित सभी मामलों की जाँच करना तथा इन संरक्षणों के कामकाज के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना है ।" इसलिए आयुक्त इसी प्रकार के अन्य किसी प्राधिकारी की तरह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान । वह ऐसे सभी कार्य कम रहा है जो संविधान में निहित है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**बलात्कार से हुई मौतें**

5202. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1978 और 1979 के दौरान, वर्ष वार बलात्कार के कारण कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई; और

(ख) इस बुराई की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(क) बलात्कार के कारण हुई मौतों के संबन्ध में राज्य सरकारी और संघ शासित क्षेत्रो से सूचना माँगी गई है जो प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) संघ सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों से संबन्धित मामलों के वारे में वैधानिक प्रस्ताव लाने के अपने इरादे की पहले ही घोषणा कर दी है ।

**वनों पर आधारित उद्योगों के संबंध में बैठक**

5203 : **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 25 जून, 1980 को केन्द्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा वनों पर आधारित उद्योगों के प्रतिनिधियों की दिल्ली में एक वैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हाँ, तो विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिए गए हैं ;

(ग) वनों पर आधारित उद्योगों के सम्बन्ध में राज्यों तथा केन्द्रीय प्रतिनिधियों द्वारा क्या-क्या समस्यायें उठाई गई हैं और किस प्रकार से उनका समाधान सुझाया गया है; और

(घ) उक्त बैठक में वनों पर आधारित उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा क्या कठिनाइयों व्यक्त की गई है .'

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) वन संसाधनों का विकास करने तथा उनका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उद्योगोन्मुखी वन नीति के ढांचे पर विचार—विमर्श करने हेतु राज्य सरकारों, कागज उद्योग, योजना आयोग तथा कृषि विभाग के प्रतिनिधियों की बैठक 23 जून, 1980 को आयोजित की गई थी ।

(ख) बैठक में हुए विचार विमर्श के आधार परे एक गहन वानिकी जिला कार्यक्रम तैयार करने का निर्णय किया गया है । परियोजना तैयार करने के लिए नक विशेषज्ञ दल का गठन किया जा रहा है ।

(ग) बैठक में चर्चित प्रमुख समस्याएं ये थी, वन पर आधारित संसाधनों का संरक्षण तथा तेजी से विकास करने के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम विकसित करने की आवश्यकता, वानिकी गतिविधियों के संवर्द्धन में ग्रामीण जनता को सक्रिय रूप से शामिल करना अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था करना विशेष रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वानिकी उत्पादन और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों तथा वन संबन्धी वैज्ञानिक प्रबन्ध को बढ़ावा देने के लिए मूल्य प्रोत्साहन देना विशेषज्ञ दल इन मामलों को विस्तार से अध्ययन करेगा तथा नीति संबंधी उपयुक्त अभ्युपाय सुझायेगा ।

(घ) कागज उद्योग के प्रतिनिधियों ने मीघांवधि आधार पर वन संसाधनों की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में बताया और औद्योगिक बागानों का

संवर्द्धन करने के लिए राज्यों के वन विभागों को अपना सहयोग देने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने एक युक्ति युक्त नीति निर्धारित करने मूल्यों तथा तेजी से विकसित होने वाली उपयुक्त वनस्पतियों की विभिन्न जातियों का पता लगाने तथा विकास करने की दिशा में अनुसंधान करने पर भी बल दिया।

**ट्रैक्टरों का मूल्य**

*5204 : **श्री जी. बाई. कृष्णन्** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सस्ते मुल्य पर ट्रैक्टर उपलब्ध करने के सम्बन्ध में अक्तूबर, 1974 में ट्रैक्टर का मूल्य सम्बन्धी सांधिक मूल्य नियन्त्रण आदेश रद्द करने का उद्देश्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बीच ट्रैक्टर के प्रत्येक 'मेक' का मूल्य कितनी बार बढ़ा है; और

(ग) ट्रैक्टरों का मूल्य कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** :

(क) ट्रैक्टरों पर से कानूनी नियन्त्रण हटाने के समय से देश में ट्रैक्टरों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दिए गए उत्पादन-आंकड़ों से पता चल सकेगा :—

| | | |
|---|---|---|
| 1975-76 | : | 33,252 नग |
| 1976-77 | : | 33,146 नग |
| 1977-78 | : | 40,946 नग |
| 1978-79 | : | 54,744 नग |
| 1979-80 | : | 62,550 नग |

(ख) ट्रैक्टरों के मूल्य निवेशों की लागत जैसे कच्चा माल, हिस्से पुर्जों, ऊपरी खर्चों तथा विभिन्न शुल्कों तथा करों के भार पर निर्भर करते हैं। अक्तूबर, 1974 में कानूनी मूल्य नियन्त्रण उठाए जाने के पश्चात् मूल्य मापदण्डों के निर्धारण तथा इन मापदण्डों के कार्यसंचालन पर मूल्य निगरानी के द्वारा स्व-अनुशासन का एक तरीका अपनाया गया था। यह पद्धति इस समय तीन महत्वपूर्ण मेकों के ट्रैक्टरों उदाहरणार्थ एम. एफ.-1035, टैफे-504 ट्रैक्टर जिनका निर्माण म. ट्रैक्टर्स एन्ड फर्म इक्विपमेंट लि0, मद्रास तथा मै0 एस्कार्टस ट्रैक्टर्स लि0, फरीदाबाद द्वारा निर्मित फोर्ड-3600 ट्रैक्टरों पर लागू है। मूल्य निगरानी के अन्तर्गत उपरोक्त तीन मेकों के ट्रैक्टरों की कीमतें अक्तूबर,1974 से आज तक जितने गुना बढ़ी है, नीचे दी गई है :—

| | | |
|---|---|---|
| एम0एफ0-1035 | : | 8 गुना |
| ठैफे-504 | : | 6 गुना |
| फोर्ड-3600 | : | 7 गुना |

(ग) ऐसी आशा है कि सभी मेकों के ट्रैक्टरों के उत्पादन में वृद्धि तथा विभिन्न निर्माताओं में आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्य उचित स्तरों पर स्थिर हो जायेंगे। इसके साथ ही औद्योगिक लागत तथा मूल्य-ब्यूरो की ट्रैक्टर उद्योग के लागत ढांचे की जांच करने को कहा गया है।

**ग्रामीण जनता के लिए भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय विदेश सेवा/भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं में में प्रवेश के लिए आयु सीमा**

*5205 **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पता है कि भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय विदेश सेवा भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं में प्रवेश के लिए अन्य कारणों के साथ-साथ आयु-सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए बाधक है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सेवाओं में प्रवेश के लिए ग्रामीण जनता के मामले में आयु सीमा 30 वर्ष तक कर देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

**गृह तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया)** :

(क) 1978 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा में बैठने की ऊपरी आयु सीमा 26 वर्ष थी। अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए भर्ती नीति एवं चयन पद्धति के संबन्ध में कोठारी समिति की सिफारिशों पर विचार करते समय परीक्षा में बैठने की ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 28 वर्ष करने का निर्णय किया गया था। सिविल सेवा परीक्षा के नाम से प्रसिद्ध परीक्षा की नई योजना वर्ष 1979 से लागू की गई है। यद्यपि केवल ग्रामीण पृष्ठ-भूमि वाले उम्मीदवारों के सम्बन्ध में ही कोई विशेष छूट नहीं दी जा सकती है, किन्तु परीक्षा की नई योजना इस प्रकार बनाई गई है ताकि ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले उत्कृष्ट उम्मीदवारों को इसके लिए आकृष्ट किया का सके। परीक्षा की नई योजना की मुख्य विशेषतायें, जिनसे ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को सहायता मिलने की आशा है, विवरण में दी गई है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**विवरण**

सिविल सेवा परीक्षा के नाम से प्रसिद्ध परीक्षा की नई योजना की मुख्य विशेषतायें जिनमें ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को सहायता मिलने की आशा है।

(1) अंग्रेजी का प्रश्नपत्र मैट्रीकुलेशन अथवा उनके समकक्ष स्तर का है तथा वह अर्हक स्वरूप का है। इस प्रश्नपत्र के अंकों को प्रतियोगिता रेंकिग के लिए नहीं गिना जाता है।

(2) उम्मीदवारों को विषय के प्रश्नपत्रों का उत्तर अंग्रेजी में अथवा संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित किसी भी एक भारतीय भाषा में देने का विकल्प दिया गया है।

(3) ऐच्छिक प्रश्नपत्रों के लिए नियत अंकों द्वारा सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्रों के महत्व को कम करने का प्रयास किया गया है। (ऐच्छिक प्रश्नपत्रों के अंक 1200 हैं, जबकि सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्रों के अंक 600 हैं।)

(4) साक्षात्कार परीक्षा को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया है। यदि कोई उम्मीदवार अपना उत्तर अंग्रेजी में पर्याप्त रूप में व्यक्त करने में असमर्थ है तथा वह अपना

उत्तर किसी भारतीय भाषा में देना चाहता है तो साक्षात्कार बोर्ड उसे ऐसा करने की अनुमति दे सकता है।

(5) ऊपरी आयु सीमा को 26 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष कर दिया गया है।

(6) पुरानी योजना में सम्मिलित भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा के लिए स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त प्रश्नपत्रों को परीक्षा की नई योजना में समाप्त कर दिया गया है।

**पंजाब में सर्वजनिक क्षेत्र में बड़े उद्योगों की स्थापना**

*5206 : **श्री आ० एस० भाटिया** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में सार्वजनिक क्षेत्र में अब तक कोई भी बड़ा उद्योग नहीं लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के उद्योगों को स्थापित किए जाने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की प्रचुरता होने पर भी पंजाब की अवहेलना किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार चालू पंचयर्षीय योजना के दौरान पंजाब में एक बड़े उद्योग को स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** :

(क) जी नहीं।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं,अर्थात नांगल फर्टिलाइजर्स लि० नांगल केमी कन्डक्टर काम्पलेक्स, मोहाली तथा नैशनल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि०, भटिन्डा की स्थापना पंजाब राज्य में की गई है। इसके अलावा, केन्द्रीय निवेश सकल ब्लाक का मूल्य पंजाब में स्थित परियोजनाओं के 31. 3. 69 से 31. 3. 79 की अवधि में 32.6 करोड़ रू० से बढ़कर 344.52 करोड़ रू० हो गया है। पुनः पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम को सरकारी क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र में परियोजनओं की स्थापना के लिए अनेक आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त हुए थे। इन परियोजनाओं में पंजाब अलकालिज लि०, मालवा काटन स्पिनिंग मिल्स लि० आदि जसी प्रमुख परियोजनायें शामिल हैं।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता।

(ग) और (घ) :—केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोंण पर आधारित है। किन्तु छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 तैयार की जा रही है ओर इस प्रकार इस योजना अवधि में पंजाब के औद्योगिक विकास कार्यक्रमों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

**गुण चिन्ह**

*5207 : **श्री भीकू राम जैन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्तु का मानक प्रमाणित करने के लिये विभिन्न गुण चिन्ह हैं;

(ख) क्या कुछ गुण चिन्ह "आई एस आई" जैसे समूचे देश के आधार पर होते हैं तथा कुछ "क्वालिटी" जैसे राज्य स्तर तक सीमित रहते हैं;

(ग) क्या ये दोनों चिन्ह समूचे देश में वैध है;

(घ) क्या चिन्ह के इस दोहरेपन के कारण लघु उद्योग हतोत्साहित हो रहे हैं;

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार "क्वालिटी" गुण-चिन्ह वाले डीजल इंजन पम्प सेटों के लिए ऋण नहीं देती है, जबकि यह "आई एस आई" चिन्ह पर ही दिया जाता है; और

(च) क्या सरकार का विचार यह विसंगति दूर करने तथा "क्वालिटी" गुण चिन्ह के विभिन्न मदों के निर्माताओं को ऋण सुविधायें उपलब्ध कराने का है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरण जीत चानाना)** :

(क) से (च) : यह ऐसा विषय है जिसके लिए नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय प्रशासकीय दृष्टि से जिम्मेदार है । इस मन्त्रालय को उपलब्ध की गई सूचना विवरण के रूप में संलग्न है ।

**विवरण**

| चिन्ह | प्राधिकार | व्यापकता |
|---|---|---|
| 1. आई. एस. आई. | भारतीय मानक संस्था (प्रमाणीकरण चिन्हांकन) अधिनियम, 1952 | सभी भारतीय मानक |
| 2. एम मार्क | ए. जी. पी. एम. अधिनियम, 1937 | अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित कृषि उत्पाद की वस्तुयें । |
| 3. टेक्स मार्क | चिन्हांकन विनिमम (टेक्सटाइल कमिश्नर की अधिसूचना संख्या टी.सी. (6) 1/44 दिनांक 19 फरवरी, 1944 | इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाला कपडा तथा धागा |
| 4. राज्यों का "क्यू" मार्क अर्थात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल केरल आदि । | राज्य सरकार का कार्यकारी आदेश | सीमित वस्तुयें शामिल हैं । |

(ख) और (ग) :

| चिन्ह | संचालन |
|---|---|
| आई. एस. आई. | सारा भारत |
| सग मार्क | ,, |
| टेक्स मार्क | ,, |
| राज्य क्यू मार्क | केवल राज्यों के लिए सीमित । |

(घ) लघु उद्योगों के लिये कोई निरुत्साहजनक नहीं जान पड़ता है ।

(ङ) उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नीति बनायी है जिसके अन्तर्गत उन्होंने सभी अनुमोदित मेल के इंजनों के लिये एक समान मूल्य की अनुमति प्रदान की है ।

(च) यह बात राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वे जरूरतों तथा किसी विशेष किस्म के उत्पादन के लिये वांछनीय होने के नाते स्वयं अपने मानक बनाएं । राज्य सरकारें ऋणदात्री संस्थाओं को स्वयं अपने राज्य में इन्जनों की खरीद के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करती है ।

**बिहार में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की यूनिट लगाना**

5208. **श्री एन० ई० होरो :** क्या उद्योग मन्त्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में एक हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों की असेम्बलिंग यूनिट लगाने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या बिहार में इस यूनिट को लगाने में कुछ विलम्ब होने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हाँ तो कितना विलम्ब होने की सम्भावना है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) और (ख)जी हाँ । तो बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (बी. एस. आई. डी. सी.) द्वारा एच एम टी सहायता प्राप्त घड़ी असैम्बली एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है । इस एकक द्वारा घड़ी असैम्बली के लिए हिस्से पुर्जों की सप्लाई के अतिरिक्त एच एम टी इसे विशेष ज्ञता प्रदान करेगा तथा इसकी विपणन उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर लेगा ।

(ग) तथा (घ) बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम ने एच एम टी के साथ अगस्त, 1978 में तकनीकी सेवा करार किया था पर इस एकक का विकास शेड्युल के अनुसार नहीं किया। लेकिन हाल में बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम ने इस एकक की स्थापना के लिए अपनी रुचि दिखाई बताते हैं ।

**एस०एल०वी०—4 का प्रेक्षपण**

5209. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस० एल०वी०—4 नामक उपग्रह को कब तक छोड़ दिये जाने की सम्भा- वना है ; और

(ख) यह वैज्ञानिक और अन्य किन-किन क्षेत्रों में लाभप्रद सिद्ध होगा ?

**प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी)**

(क) और (ख) अन्तरिक्ष विभाग में एस० एल० वी०—4 नामक कोई भी उपग्रह परियोजना नहीं है ।

**कम ईंधन खपत करने वाली मोपेड का निर्माण**

5210. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रौल के मूल्य के बढ़ाने के परिणामस्वरूप मोटरगाड़ी उद्योग अपने उत्पादन का नमूना बदल कर कम ईंधन खपत करने वाली "मोपेड" बनाने लग गया है ;

(ख) उन औद्योगिक एककों गैर सरकारी और सरकारी उपक्रम के नाम क्या हैं जिन्हें गत एक वर्ष के दौरान प्रति महीने 'मोपेड' का निर्माण करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं तथा मोपेडों के निर्माण की क्षमता क्या है ; और

(ग) किन मोटर गाड़ी औद्योगिक एककों ने स्कूटर के बदले मोपेड का निर्माण आरम्भ कर दिया है ?

**उद्योग मन्त्रलय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) दो पहियों वाली गाड़ियाँ बनाने वाले कुछ एककों ने मोपेड सहित हल्के माडलों को भी बनाने का प्रस्ताव किया है ।

(ख) 1979–80 में मोपेड बनाने के लिए निम्नलिखित एककों को लाइसेंस दिए गये हैं :—

| एकक का नाम | महीना जिसमें लाईसेंस जारी किया गया | मोपेड की लाइसेंस प्राप्त वार्षिक क्षमता |
|---|---|---|
| 1. स्कूटर इण्डिया लि० लखनऊ (सरकारी क्षेत्र) | मई, 1979 | 50,000 नग |
| 2. इलेक्ट्रोमोवाइल्स (इण्डिया) लि० बंगलौर (संयुक्त क्षेत्र) | अगस्त, 1979 | 25,000 नग |
| 3. किनैटिक इन्जी० लि० पूना (गैर सरकारी क्षेत्र | दिसम्बर, 1979 | 24,000 नग |

(ग) कुछ नहीं।

**राज्यों को सीमेंट की आवश्यकता**

5211: **श्री माधव राव सिंधिया :**

**श्री अमर राय प्रधान : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य की अप्रैल, मई और जून 1980 के दौरान सीमेंट की अनुमानत: मासिक आवश्यकता कितनी-कितनी थी और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वास्तव में कितनी-कितनी सप्लाई की गई ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह आवश्यक वस्तु वास्तविक उपभोक्ता को उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो और इसकी जमाखोरी न हो, क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है और की जा रही थी।

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) सीमेंट की मांग का अनुमान वार्षिक आधार पर तथा सम्पूर्ण देश के लिए लगाया जाता है। वर्ष 1978-83 के लिए सीमेंट उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया था विदेश में 1980-81 में 279·9 लाख मी० टन सीमेंट की मांग होगी। सीमेंट के आवन्टन तथा भेजी गई सीमेंन्ट की मात्रा सम्बन्धी आँकड़े तिमाही आधार पर रखे जाते हैं। अप्रैल से जून 1980 की तिमाही में विभिन्न राज्यों को सीमेंट के किए गए आवन्टन तथा भेजी गई सीमेंट की मात्रा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार विद्यमान क्षमताओं का भरपूर उपयोग करके नई क्षमताओं तथा आयात के लिए स्वीकृतियां देकर देश में सीमेंट की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु सभी प्रयास कर रही है। सीमेंट की सरकारी बिक्री तथा वितरण पर नियन्त्रण पाने के लिए राज्य सरकारों को प्रभावी योजना की खोज करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में परामर्श दिय गया है।

विवरण

| क्र०सं | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | आवन्टन | (मी० टन) भेजी गई सीमेंट |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | दिल्ली | 123200 | 76369 |
| 2. | हरियाणा | 144600 | 84415 |
| 3. | हिमाचल प्रदेश | 26400 | 15111 |
| 4. | जम्मू एण्ड कश्मीर | 49600 | 24268 |
| 5. | पंजाब | 222000 | 90984 |
| 6. | राजस्थान | 128000 | 132295 |
| 7. | उत्तर प्रदेश | 437600 | 389643 |
| 8. | चण्डीगढ़ | 22000 | 12662 |
| 9. | आसाम | 49000 | 28452 |
| 10. | अरुणांचल प्रदेश | 13000 | 602 |
| 11. | बिहार | 222600 | 186320 |
| 12. | मेघालय | 16500 | 8414 |
| 13. | मिजोरम | 6600 | 111 |
| 14. | मणिपुर | 11000 | 2015 |
| 15. | नागालैंड | 11000 | 6450 |
| 16. | उड़ीसा | 94283 | 129419 |
| 17. | सिक्किम | 11000 | 11949 |
| 18. | त्रिपुरा | 11000 | 1654 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 298000 | 237405 |
| 20. | दादरा, नागर और हवेली | 2800 | 1271 |
| 21. | गोवा, दम्मन द्वीप | 26400 | 32387 |
| 22. | गुजरात | 367000 | 381608 |
| 23. | मध्य प्रदेश | 186950 | 171631 |
| 24. | महाराष्ट्र | 522600 | 404134 |
| 25. | आन्ध्र प्रदेश | 404600 | 336928 |
| 26. | अंडमान निकोबार आइजलैंड | 5000 | 1422 |
| 27. | करनाटक | 260000 | 222650 |
| 28. | केरला | 32900 | 307403 |
| 29. | लकादिव | 1900 | 34 |
| 30. | पांडिचेरी | 1100 | 15387 |
| 31. | तमिल नाडु | 417100 | 392522 |

**व्यवसायिक स्वास्थ्य सेवा को आदर्श संस्था का रूप देना**

5212. **श्री एन० डेनिस** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिची स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० में व्यवसायिक स्वास्थ्य सेवा को एक आदर्श संस्था में परिवर्तित किया जाना है,

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उन योजनाओं के लिए विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तिरुचि में व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है जिससे वे "रोजगार के स्थानों में व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक आदर्श केन्द्र" के रूप में काम कर सकें

(ख) अपने श्रमिकों विशेषरूप से श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य के सन्दर्भ में, के अच्छे स्वास्थ्य का सुनिश्चय करने की दृष्टि से बी० एच० ई० एल० ; तिरुचि ने 1976 में व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा प्रारम्भ की थी। दो वर्षों के अन्दर इस योजना ने उत्साहवर्द्धक परिणाम दिखाए और इस सफलता से प्रेरित होकर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सिफारिस की कि व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा को और आगे बढ़ाने और विस्तार करने के लिए बी० एच० ई० एल० को एक विस्तृत परियोजन तैयार करनी चाहिए बाद में सरकार ने बी० एच० ई० एल० द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट की जाँच की और बी० एच० ई० एल० तिरुचि में "रोजगार के स्थानों में व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक आदर्श केन्द्र" स्थानिक करने के लिए सहमत हो गई।

(ग) और (घ) संदर्भाधीन आदर्श केन्द्र पर होने वाले व्यय को भारत सरकार (बी० एच० ई० एल०) और यू० एन० डी० पी० द्वारा निम्नलिखित हिस्सा बंटाया जायेगा :—

| | |
|---|---|
| भारत सरकार का अन्शदान | 10, 245,000 रुपये |
| यू० एन० डी० पी० अंशदान | 1, 225,300 अमरीकी डालर |

**आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किये व्यक्तियों को पेन्शन :**

5213. **आचार्य भगवान देव** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये व्यतियों को पिछले वर्षों में स्वतन्त्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेन्शन बन्द करके पेन्शन दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्तियों को पेन्शन दी गई है और प्रत्येक व्यक्ति को कितनी पेन्शन दी गई है; और

(ग) क्या सरकार का इन आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के नजरबन्दियों को पेन्शन जारी रखने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(क) और (ख) : जी नहीं, श्रीमान। भूतपूर्व मीसा नजरबंदियों के आश्रितों को

1977 में अलग से बनायी गयी गयी विशेष योजना के अन्तर्गत पेन्शन स्वीकृत की जा रही है। मीसा नजरबंदियों के आश्रितों के लिए पेंशन योजना 1977 के अन्तर्गत भूतपूर्व मीसा नजरबंदियों के 56 आश्रितों को, प्रत्येक को, 200 रु0 से 300 रु0 प्रतिमाह तक की पेंशन स्वीकृत की गयी है।

(ग) मीसा नजरबंदियों के आश्रितों के लिए पेंशन योजना, 1977 को जारी रखने का प्रश्न विचाराधीन है।

**नमक से उप-कर**

5214 : **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों में गुजरात राज्य में नमक से संग्रहीय उपकर का राजस्व कितना रहा है ;

(ख) इस राशि में कितनी राशि अब तक नमक उत्पादकों के हित के लिये खर्च की गई है ; और

(ग) इस जमा हुई राशि का पूरी तरह से उपयोग करने के लिये क्या योजना बनाई गई है;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) वर्ष 1971-72 से 1979-80 की अवधि में गुजरात राज्य से एकत्रित किया गया नमक उपकर कुल मिलाकर 689.17 लाख रुपए था।

(ख) उन नमक के लाइसेंस धारियों को जिनके साल्ट वर्क्स वर्ष 1971-72 से 1979-80 के बीच प्राकृतिक अपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो गये थे उन्हें अनुग्रह अनुदान तथा ऋण देने तथा नमक उद्योग से संबंधित विकास तथा श्रमिक कल्याण कार्यों पर गुजरात में 87.57 लाख रुपये की राशि व्यय की गई थी।

(ग) नमक उद्योग संबंधित श्रमिक कल्याण तथा विकासपरक कार्यों के करने तथा प्राकृतिक अपदाओं तथा चक्रवात, बाढ़, भारी वर्षा आदि के कारण साल्ट वर्क्स के लिये सहायता देने के लिये नमक उपकर आगम से सहायता पहुंचाने की योजनाएं विद्यमान ही हैं।

नमक उपकर से एकत्रित की गई धनराशि किसी राज्य विशेष के लिये पूर्व निश्चित नहीं की जाती है तथा नमक उद्योग के हित में समस्त देश को ही उपलब्ध होती है।

**राजभाषा विभाग में अंग्रेजी भाषा का उपयोग:**

5215. **श्री राम विलास पासवान:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा विभाग में अधिकतर कार्य (टिप्पणी लिखना आदि) अंग्रेजी भाषा में किया जा रहा है;

(ख) क्या राजभाषा विभाग राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अन्तर्गत अधिसूचित विभाग नहीं ; और

(ग) इस विभाग में अधिकतर कार्य अंग्रेजी भाषा में किये जाने के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(क) जी नहीं। राजभाषा विभाग में अधिकांश कार्य हिन्दी में ही किया जाता है, यद्यपि

वर्तमान वैधानिक परिस्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को यह स्वतंत्रता है कि वे पत्रावली पर अपनी टिप्पणी हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में कर सकते हैं।

(ख) राजभाषा विभाग उक्त नियमों के नियम 10 (4) के अंतर्गत अधिसूचित है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**स्कूल में एन. सी. सी. ट्रूपों के संचालन के लिये मानदंड**

5216. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी स्कूल में एन. सी. सी. ट्रूप के संचालन के लिये क्या मानदंड हैं ;

(ख) क्या स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा एन. सी. सी. की उपयोगिता के बारे में सिफारिश किये जाने पर इसे समाप्त किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन से अन्य कारण हैं जिनके आधार पर इसे समाप्त किया जा सकता है ?

**रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह)**

(क) किसी स्कूल में एन. सी. सी. ट्रूप की अनुमति के वास्ते आवेदन करने वाले स्कूल में निर्धारित मानदण्ड के मुताबिक निम्नलिखित व्यवस्था अनिवार्यतः होनी चाहिए :—

(1) प्रशिक्षण देने के लिए अपने अध्यापकों में से एक उपयुक्त सदस्य उपलब्ध कराना और कैडेटों को प्रशिक्षण देने के लिए एक अंशकालिक एन. सी. सी. अफसर की नियुक्ति करना।

(2) ट्रूप के लिए कैडेटों का निर्धारित संख्या में नामांकन तथा इस संख्या को बनाए रखना।

(3) वस्त्रों और उपकरणों को रखने के लिए आवश्यक स्टोर की व्यवस्था करना।

(4) उपयुक्त लघु राइफल रेंज प्राप्त करने की व्यवस्था करना ; तथा

(5) राज्य सरकार द्वारा ट्रूप को दिए गए वित्तीय अनुदानों की कमी अपनी निधियों से पूरा करने के लिए सहमत होना।

(ख) जी हां। यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूरी दी गई हो।

(ग) अंश कालिक एन. सी. सी. अफसरों, पर्याप्त निधियों, सामान रखने के लिए आवास और इस तरह की अन्य सुविधाओं का उपलब्ध न होना तथा लम्बी अवधि से विद्यार्थीयों का काम असंतोषजनक होना कुछ ऐसे अन्य मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से एन. सी. सी. ट्रूप को समाप्त किया जा सकता है।

**कुमार धुबी इन्जीनियरिंग वर्क्स का बन्द होना**

5217. **श्री ए० के० राय** : क्या उद्योग मंत्री कुमारी धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स के बन्द होने के बारे में 26 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1969 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स को पुनः खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सी० आई० एल० ने कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स के प्रबन्ध को अपने नियंत्रण में लेकर उसे चलाने की अपनी इच्छा व्यक्त की है;

(ग) क्या उन्हें पता है कि कुमार धुवी इंजीनियरिंग वर्क्स को खोलने से पूर्व उसे किसी एकाधिकारी गृह के साथ सम्बद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) :**

(क), (ग) तथा (घ) :—

कुमारधुवी इंजीनियरिंग वर्क्स को पुनः खोलने के लिये कई संभव विकल्प सरकार के विचाराधीन हैं। इन विकल्पों में से एक के० ई० डब्ल्यू० को एक स्वस्थ एकक में मिला देने का था, जैसे मैं० टाटाआयरन एण्ड स्टील कं० लि० (टी०आई०एस० सी० ओ०) जो कि नजदीक ही स्थित है और के० ई० डब्ल्यु० की पूरक सुविधाओं का प्रभावी तौर पर उपयोग कर सकती है। हालांकि ऐसे विलियन के पक्ष में टी० आई० एस० सी० ओ० ने अभी तक कोई अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

(ख) कुमार धुवी इंजीनियरिंग वर्क्स का प्रबन्ध हाथ में लेने के लिये कोल इण्डिया लि० से सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

**दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री के गैर-लाइसेंस शुदा स्टोर :**

5218. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मंत्री दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री के गैर-लाइसेंस शुदा स्टोर के बारे में 11 जून, 1980 के अतरांकित प्रश्न संख्या 340 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनधिकृत स्टोरों को हटाने के लिये दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत चालाग खंड के अतिरिक्त अन्य उपलब्ध क्या हैं;

(ख) क्या गोपाल नगर में उपरोक्त स्टोर हटाने के लिये दिल्ली नगर निगम ने केवल चालान ही किया है अथवा कोई अन्य कार्यवाही भी की हैं;

(ग) क्या प्रश्न में उल्लिखित शिकायतकर्ताओं ने निगमायुक्त को कोई अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उपरोक्त स्टोर से सम्पत्ति कर के रूप में निगम को कितनी राशि प्राप्त हुई है और इसका अनुमान लगाने के मानदंड क्या हैं और क्या इस प्रयोजन के लिये प्लाट को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक माना गया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :**

(क) से (घ) : दिल्ली नगर निगम ने सूचना दी है कि नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 4। 8 (2) में कुछ प्रयोजनों के लिए भवनों के उपयोग को रोकने की व्यवस्था है परन्तु इनका सम्बन्ध ऐसे व्यापार से है जो उपद्रव पैदा करें और जीवन, स्वास्थ्य अथवा सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो। भवन सामग्री के भंडार का व्यापार उपद्रव की परिभाषा के अधीन नहीं आता है जैसा कि इस अधिनियम की धारा 2 (33) में समाहित है। अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों के अधीन ऐसे भंडारों को केवल चुनौती दी जा सकती हैं और बार बार किया गया है।

भंडारों के दो पड़ोसियों से प्राप्त आवेदन में आरोप है कि भंडार का मालिक सरकारी

भूमि में भवन सामग्री जमा करके उनके मकानों के आगे की नाली बन्द करता है। सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जे के लिए भंडारण के विरुद्ध अनेक बार कारवाई की गई है, इस समय न तो निगम की भूमि पर अनधिकृत कब्जा है और न नालियां बन्द हैं। इस प्लाट का व्यापारिक प्रयोजन के लिए स्वयं कब्जे के रूप में मूल्यांकन किया गया है और 446 रु० की धन राशि सम्पत्ति कर के रूप में प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त 31-3-1980 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सम्पत्ति कर के रूप में 1634·75 रु० की धन राशि बाकी है।

**नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस लिमिटिड, कलकत्ता के कार्य के बारे में जांच करने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त जाँच समिति**

5220 : **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इन्स्ट्रूमेंट एम्पलाईस यूनियन के उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को कोई प्रसारण प्रस्ताव भेजा था जिसमें उक्त कम्पनी के कार्य के गिरते हुए स्तर के कारणों की जांच करने और इसे सक्षम बनाने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की स्थापना करने की मांग की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस लिमिटिड के कार्यकरण में सुधार लाने और इसे सक्षम बनाने के लिए उनके मंत्रालय का क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) जी, हाँ।

(ख) इस प्रकार की समिति का नियुक्त किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया था।

(ग) कम्पनी के उसकी जीव्यता में सुधार करने के लिये विविधीकरण की 3 योजनाएं हाथ में ली हैं। प्रतिकूल ऋण इक्विटी अनुपात को देखते हुए कम्पनी के पूंजीगत आधार की पुर्नसंरचना करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

**फायरमैनों की भर्ती**

5221. **श्री निहालसिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर-दिसम्बर, 1977 में दिल्ली अग्नि शमन सेवा के अधीन "फायर-मैन" के पदों पर भर्ती के लिए कुछ व्यक्तियों को परीक्षा देने हेतु बुलाया गया था और जिनका चयन कर लिया गया था, उनके स्वास्थ्य की परीक्षा की गई थी तथा उन्हें फरवरी-मार्च, 1980 में होने वाले प्रशिक्षण पर जाने के लिए 7 जनवरी, 1980 को नियुक्ति पत्र भेजे गए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि अग्नि-शमन सेवा के अधिकारियों ने कुछ अपने व्यक्तियों को नियुक्त कर लिया था और जिन व्यक्तियों का पहले चयन कर लिया गया था, उन्हें नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद भी नियुक्त नहीं किया गया तथा पहले चुने गए उम्मीदवारों को खपाने की बजाय नई नियुक्तियों के लिए परीक्षा का पुनः आयोजन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का पहले चुने गए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने का विचार है और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :**

(क) नवम्बर-दिसम्बर, 1977 में दिल्ली अग्नि-शमन सेवा के अधीन फायर मैन के पदों पर भर्ती के लिए दिल्ली अग्नि-शमन सेवा के मुख्य अग्नि-शमन अधिकारी द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। जिन्होंने विज्ञापन के जवाब में आवेदन किया था उनकी दिसम्बर, 1977 में शारीरिक, लिखित और मौखिक परीक्षाएं ली गई थी। उन परीक्षाओं के आधार पर 225 योग्य उम्मीदवारों (39 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों समेत) की एक मैरिट लिस्ट बनाई गई थी। दिल्ली अग्निशमन सेवा की प्रथा के अनुसार उस मैरिट लिस्ट में पूर्ण रूप से वरिष्ठता क्रम से व्यक्तियों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दाखिल किया गया था और उसके बाद रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करते हुए दिल्ली अग्निशमन सेवा में नियुक्त किए गए थे। ऐसे कुल 137 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया और नियुक्त किया गया। 56 व्यक्ति या तो आए ही नहीं या उन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य घोषित किया गया और जनवरी, 1980 में 32 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में रह गए थे।

दिल्ली अग्निशमन सेवा की वर्तमान प्रणाली के अनुसार पैनल के सभी उम्मीदवारों को डाक्टरी जांच के लिए भेजा गया और उसके बाद मैरिट लिस्ट के क्रम से उन्हें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण स्कूल में दाखिल किया गया। किन्तु प्रशिक्षण स्कूलों की सीमित क्षमता और कुछ मामलों में प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता के कारण अन्तिम बैच को केवल दिसम्बर, 1979 में प्रशिक्षण किया जा सका। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पैनल के शेष उम्मीदवारों के डाक्टरी फिटनैस प्रमाण-पत्र छः महीने से अधिक पुराने होने के कारण शेष उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रविष्ट करने से पूर्व नए सिरे से डाक्टरी परीक्षा करने के लिए जनवरी 1980 में कहा गया। परन्तु उस समय पैनल की वैधता जो 2 वर्ष पुराना हो गया था का प्रश्न उठाया गया इसलिए पेनल को रद्द किया गया।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

तथ्य ऊपर (क) में बताए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**बिहार में पलामू जिले का सर्वेक्षण**

5222. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में पलामू जिले का, वहाँ की भूमि के विकास के लिए विशेष सहायता देने के लिए, सर्वेक्षण करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**योजना मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) :** (क) और (ख) बिहार का पलामू जिला चौथी योजना की अवधि से ही सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के अ-तर्गत शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पारिस्थितिकीय संतुलन फिर से स्थापित करना और कृषि उत्पादन सहित उत्पादन के स्तरों को यथा संभव बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के भाग के रूप में मिट्टी और भूमि के उपयोग की कार्यक्षमता के सर्वेक्षण किए जाते हैं।

इस कार्यक्रम के लिए धनराशि की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा अनुरूपयोजी आधार पर की जाती है। 1974-80 (फरवरी, 1980 तक) की अवधि में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया कुल व्यय लगभग 4.22 करोड़ रु० है। सिंचाई के विकास पर 1.74 करोड़ रु० व्यय किए गए।

**सकल पेपर्स प्राइवेट लि०, पूना द्वारा दैनिक सकल का प्रकाशन**

5223 : **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

**श्री बी० आर० बासनिक :**

**श्री आ० एन० यादव :**

**श्री बी० एन० गाडगिल :**

**श्री के० राममूर्ति :**

**श्री बसंत कुमार पंडित** : क्या यह **उद्योग मन्त्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकल पेपर्सस प्राइवेट लिमिटेड, पूना का विचार दैनिक सकल का कोल्हापुर से मुद्रण और प्रकाशन करने का है;

(ख) क्या उक्त कंपनी ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1851 की धारा 11 के अन्तर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त कंपनी के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों का कोई उल्लघंन नहीं हुआ है

**जम्मू और कश्मीर में मंत्री की कार रोकने के लिए सड़क का अवरुद्ध किया जाना**

5224. **श्री किशोर चन्द्र एस० देव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक सभा चुनावों के प्रचार के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य के डोडा जिले में इन्दरवाल निर्वाचन क्षेत्र में हिंसात्मक इरादों से 20 नवम्बर, 1979 को एक तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री की कार को रोकने के लिए सड़क पर एक गतिरोधक बनवाया गया था; और

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इसकी जांच कराई गई है और यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(क) माननीय सदस्य सम्भवतः 20 नवम्बर, 1979 की उस घटना का उल्लेख कर रहे है जो तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री डा० करन सिंह के साथ घटी थी। जम्मू व कश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा डा० करन सिंह के इस आरोप की जांच की गयी थी कि उक्त राज्य में पिछले लोक सभा चुनावों के दौरान डोडा जिला में उनकी कार को रोकने के लिए सड़क पर एक गतिरोध बनवाया गया था। यह पाया गया कि

19 नवम्बर 1979 को इमारती लकड़ी की एक फर्म ने कंचन नाला, गंडोह, तहसील भडेरवा से स्लीपर ले जाने के लिए कुछ ट्रक लिए थे। स्लीपरों को ट्रक में लादने के लिए बनायी गई अस्थायी आधार को सड़क से हटाना भूल गए थे और उसी समय डा० करन सिंह गेंडोह से वापस लौट रहे थे। राज्य सरकार ने इस बात से इंकार किया है कि जानबूझकर रास्ता रोका गया था या मंत्री के खिलाफ कोई सरारत की गई थी। राज्य सरका द्वारा डा० करन सिंह के 16 नवम्बर, 1979 से डोडाजिले के दौरे के दौरान पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध किए गए थे तथा उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया था।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

**राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों की भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति**

5225. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान के गृह विभाग ने राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों की भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति हेतु वर्ष 1980-81 के लिए एक पैनल दिसम्बर, 79 में तैयार किया था;

(ख) एवं उपरोक्त पैनल तैयार करते समय वरीयता और उच्चकोटी की योग्यता को महत्व नहीं दिया गया था ;

(ग) क्या इस पैनल में उन पुलिस अधिकारियों को सम्मिलित करने की सिफारिश की गई थी, जिनका नाम 1975 से 1978 तक के वर्षों के पैनलों में कभी शामिल नहीं किया गया था उनका रिकार्ड खराब, साधारण तथा औसत दर्जे का था ;

(घ) क्या उपरोक्त पैनल को बनाते समय सम्बन्धित नियमों की पूर्णतः उपेक्षा की गई थी ; और

(ङ) क्या केन्द्रीय गृह मंत्रालय उक्त पैनल पर विचार नहीं करेगा तथा केवल योग्यता के आधार पर एक नया पैनल तैयार करेगा और यदि हाँ, तो कब तक ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(क) संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में चयन समिति की 19-12-1979 को जयपुर में हुई अपनी बैठक में भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के लिए राजस्थान पुलिस सेवा के 10 अधिकारियों की एक सूची तैयार की थी। इस सूची का संघ लोक सेवा आयोग ने 18-2-1980 को अनुमोदन किया था।

(ख) उपर्युक्त सूची को तैयार करने में भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1955 के विनियम 5 के अनुसार वरिष्ठता एवं गुण दोष पर उपयुक्त ध्यान दिया गया था।

(ग) और (घ) सूची में सम्मिलित करने के लिए सिफारिश शुदा 10 पुलिस अधिकारियों में से चार अधिकारियों के नाम 1977 तथा 1978 में तैयार की गई सूची में भी थे। किन्तु शेष छः अधिकारियों को प्रथम बार सूची में शामिल किया गया था, चयन समिति ने इन अधिकारियों की उपयुक्तता का यथार्थ रूप से एवं तत्संबंधी नियम तथा विनियमों के अनुसार मूल्यांकन किया था।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान। प्रश्न नहीं उठता।

**नेशनल रबर मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण**

5226 **श्री निरेन घोष** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री चरणजीत चानना**

**श्री चरणजीत चानना** : नेशनल रबड़ मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। किन्तु, इस उपक्रम की पुर्नस्थापना के लिए प्रयास किये जा रहे हैं तथा इस हेतु एक पुनःस्थापन योजना तयार की जा रही है।

**त्रिपुरा में सशस्त्र सेनायें**

5227. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जी. ओ. सी. -इन-सी., ईस्टर्न कमांड, ने जून, 1980 के तीसरे सप्ताह में त्रिपुरा राज्य में प्रवेश किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो त्रिपुरा में प्रवेश करने वाली सशस्त्र सैनिकों की संख्या कितनी है, और

(ग) त्रिपुरा राज्य में सेना ने किस के कहने पर प्रवेश किया था ?

**रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)**

(क) जी हाँ। जनरल अफसर कमांडिंग—इन—चीफ पूर्वी कमान 19—6—1980 और 20—6—1980 को त्रिपुरा गये थे।

(ख) दो कम्पनियां 9—6—1980 और एक बटालियन 11—6—1980 को त्रिपुरा भेजी गयी थी।

(ग) त्रिपुरा सरकार के अनुरोध पर कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए ऐसा किया गया था।

**त्रिपुरा छोड़ने के लिए बंगालियों को अन्तिम चेतावनी**

5228. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगालियों को यथा सम्भव शीघ्र त्रिपुरा छोड़ने के लिए अन्तिम चेतावनी दी गयी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** :

(क) और (ख) : राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार त्रिपुरा के कुछ भागों में इस आशय के कुछ दीवार पोस्टर देखे गए थे। राज्य सरकार ने स्थानीय प्रशासन को सावधान किया और पुलिस सतर्कता को तेज किया गया। केन्द्रीय सरकार ने अराजकता को नियंत्रित करने और प्रभावशील निवारक उपाय करने में राज्य सरकार को सहायता करने के लिए सेना और अर्ध-सैनिक बलों की कुमुकों को पहले ही भेज दिया है। स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

**अल्काक एश कम्पनी, भावनगर द्वारा मशीनरी और पुर्जों आदि का निर्माण**

5229. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार संस्थान के अधीन भावनगर पत्तन क्षेत्र (गुजरात) की

अल्काक एश कम्पनी 'बार्ज' और अन्य आवश्यक मशीनों तथा पुर्जों आदि का निर्माण कर रही है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उसमें कोई पूंजी लगाई हुई है अथवा उसे किसी प्रकार की कभी कोई सहायता दी गई है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) वर्ष 1975 से 1977 तक और 1977 से 31 मार्च, 1980 तक उसमें किए गए विभिन्न उत्पादों का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या राज्य संस्थान उद्योग ने गैर-सरकारी उद्योगों की तुलना में बढ़िया काम और उत्पादन दर्शाया है ;

(च) क्या यह उद्योग अब विदेशी पेशकश भी स्वीकार करता है ; और

(छ) यदि हाँ, तो भावनगर के इस उद्योग को विस्तार और विकास के लिए क्या सहायता प्रदान की जायेगी ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) से (ग) :—बम्बई तथा भावननर में मै० अलकाक ऐशडाउन कं० लि० के उपक्रमों की जो जनवरी, 1971 में बंद कर दिए गए थे, केन्द्रीय सरकार द्वारा 'अलकाक एण्ड ऐशडाउन कं० लि० (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1973" नामक संसद के एक अधिनियम जो 14 दिसम्बर 1973 से प्रभावी हुआ, के जरिए अपने हाथ में ले लिया गया था। भावनगर एकक का प्रबंध दिनांक 15 दिसम्बर 1973 के एक आदेश के द्वारा गुजरात सरकार को सौंप दिया गया था। तब से भारत सरकार की ओर से गुजरात सरकार इस एकक का प्रबंध संभाले हुये हैं। इस एकक में बार्जों, पोन्टून्स, एफ० आर० पी० बोट, पर्यटन नौकाएं, टग, वर्क बोट, एफ० आर० पी० डग आउट केनोस का निर्माण होता है और इसमें समुद्र तट से दूर का काम भी होता है।

(ख) सितम्बर 1975, जब इसने कार्य पुनः आरम्भ किया, से 31 मार्च 1980 तक भावनगर एकक के उत्पादन का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :—

| | नग | मूल्य (लाख रु० में) |
|---|---|---|
| 1. बार्ज | 31 | 272·50 |
| 2. पोन्टून्स | 4 | 31·00 |
| 3. एफ० आर० पी० बोट | 4 | 0·36 |
| 4. लांचें | 1 | 2·95 |
| 5. आफ-शोर कार्य | — | 6·23 |
| | योग | 313·04 |

(ङ) से (छ) :—गुजरात सरकार द्वारा प्रबन्धित भावनगर एकक का उत्पादन उत्कृष्ट किस्म का है तथा इसके उत्पाद अपेक्षित विशिष्टियों को पूरा करते हैं। यह एकक बार्ज, पोन्टून्स

इत्यादि के कई निर्यात क्रयादेश पहले ही पूरे कर चुका है। जब कभी आवश्यक होगा, इसके विकास के लिये आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

**1971 की लड़ाई के पाकिस्तानी युद्ध-बन्दियों पर किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति**

5230. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान बन्दी बनाये गये पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या कितनी थी और उन पर कुल कितना खर्च किया गया था ; और

(ख) क्या उन पर खर्च की गई राशि वसूल कर ली गई है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) 1971 के भारत पाक युद्ध में बन्दी बनाये गये पाकिस्तानी सैनिकों की सख्या 75,579 थी। जिसमें अफसर भी शामिल हैं। 31 दिसम्बर, 1978 तक उन पर किया गया कुल व्यय 38,15,06000 रुपये (अड़तीस करोड़ 15 लाख छः हजार रुपये) था।

(ख) इन पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति का प्रश्न पहले भी कई बार पाकिस्तानी सरकार के सामने रखा गया था, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है।

**गहरे सागर में मछली पकड़ने वाली नौकाओं का निर्माण**

5231. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय शिपयार्ड गहरे सागर में मछली पकड़ने का वाली नौकाओं का निर्माण करने के लिए पर्याप्त तकनीकी जानकारी रखते हैं ;

(ख) क्या सरकारी शिपयार्ड मछली पकड़ने वाली नौकाओं का निर्माण करने के इच्छुक हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार विदेशी मत्स्य नौकाओं के आयात की अनुमति क्यों दे रही है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणीत चानना)** :

(क) : जी हाँ।

(ख) : जी हाँ।

(ग) : लागत, सुपुर्दगी तथा विशिष्ट आवश्कताओं को ध्यान में रखते हुये चयनात्मक आधार पर मत्स्य नौकाओं का आयात की अनुमति दी जाती हैं ताकि समुद्री मत्स्य ग्रहण उद्योग का द्रुत गति से विकास का सुनिश्चय हो सके।

**टूथ पेस्टों पर उत्पादन शुल्क में कमी**

5232. **श्री नवीन रवाणी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि टूथपेस्टों पर उत्पादन शुल्क में कमी के बावजूद अधिकांश बहु-उत्पाद निर्माताओं ने अपने टूथ पेस्टों के मूल्यों में कमी नहीं की है,

(ख) क्या "फायरहैंस" ब्रांड के उत्पादकों ने अभी तक मूल्य नहीं घटाया है और

(ग) मूल्यों में कमी करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) :**

(क) टूथ पेस्टों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दर में कमी के किए जाने के फलस्वरूप अधिकांश टूथ पेस्ट निर्माताओं ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने द्वारा तैयार किए गए विभिन्न ब्रान्डों के टूथ पेस्टों के मूल्यों में कमी की है।

(ख) मैसर्स ज्योफ्रे मैनर्स एण्ड कं० लि० ने जो "फारहैन्स" ब्रान्ड के टूथ पेस्ट का उत्पादन करते हैं, भी अपने टूथ पेस्ट के मूल्य में कमी की जाने की सूचना दी है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख( के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उटता।

**विशेष रोजगार कार्यक्रम का परिणाम**

5233 : **श्री बी०आर० नाहटा :** क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगारों के लिए वर्ष 1971-74 के दौरान विशेष रोजगार कार्यक्रम का परिणाम निकला तथा योजनाओं के लिए कुल कितनी राशि दी गई है और उन पर खर्च की गई है और क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ख) क्या सरकार इस वर्ष और भावी वर्षों में ऐसे कोई और कार्यक्रम आरम्भ कर रही है ?

**योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) :**

(क) भारत सरकार के कार्यक्रम मूल्यांकन सँगठन ने निम्नलिखित विशेष रोजगार कार्यक्रमों के मूल्यांकन का अध्ययन किए हैं :—

(1)शिक्षित बेरोजगारों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम, 1971-74; और

(2) ग्रामीण रोजगार के लिए पुरजोर स्कीम, 1971-74 निष्कर्षों के सारांश अनुलग्नक 1 और 2 में दिए गए हैं। (ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी०—1151/80) मार्गदर्शी गहन ग्रामीण रोजगार परियोजना से संबन्धित संगत सूचना अनुलग्नक 3 में दी गई है। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी०—1151/80)।

(ख) लोकसभा में प्रस्तुत किए गए 1980-81 के बजट अनुमानों में नए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 340 करोड़ रू० की व्यवस्था की गई है; यह अनुमान किया जाता है कि यदि इस कार्यक्रम को ठीक तरह से कार्यान्वित किया जाए तो इससे 85 करोड़ से 90 करोड़ तक श्रम दिवसों का अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न हो सकता है। बजट के प्रस्तावों में यह भी बताया गया है कि इस स्कीम के लिए की गई धन-राशि की व्यवस्था के कुछ भाग को सामाजिक वन उद्योग, ईधन के लिए वनरोपण, ग्रामीण सामुदायिक आवास और जल-पूर्ति तथा पोषाहार जैसे उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के लिए विशेष रूप से निर्धारित किया जाएगा। 1980-85 की नई योजना निर्माण की अवस्था में है और रोजगार के लिए स्कीमें विचाराधीन हैं।

**त्रिपुरा में संहार से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सहायता**

5234 : **श्री एम० रमन्ना राय :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) त्रिपुरा में हाल के संकट में वहां पर हुए संहार से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास के लिए धनराशि, खाद्यान्न ओर औषधियों आदि के रूप में त्रिपुरा सरकार द्वारा कितनी केन्द्रीय सहायता की माँग की गई है; और

(ख) त्रिपुरा में पुनर्वास कार्य के लिये सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जा चुकी है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** :

(क) और (ख) : त्रिपुरा सरकार ने राज्य में हाल के उपद्रवों से प्रभावित हुए लोगों को फिर से बसाने के लिए वित्तीय सहायता के वास्ते केन्द्रीय सरकार से संपर्क किया था। उनकी मांगों का अनुमान 2 करोड़ रूपये लगाया गया है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति तथा अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुये विशेष मामले के तौर पर 2 करोड़ रूपये देने का निर्णय किया, परन्तु यथा समय वास्तविक व्यय की समीक्षा की जायेगी। राज्य सरकार को राज्य के लिये आवंटित इस धनराशि में से 10,000 टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उपयोग करने की भी अनुमति दी गई।

राज्य सरकार ने उन किसानों के लिए जिन्हें हानि हुई है तथा उन अन्य व्यक्तियों की जिन्हें अनुग्रहपूर्वक राहत आदि की जरूरत है, सहायता देने के लिए और अधिक धनराशि की मांग की है। मांगों का वास्ततिक मूल्यांकन करने के लिए एक केन्द्रीय दल को त्रिपुरा भेजा गया है, यह दल अभी त्रिपुरा में ही है। इस दल की सिफारिश प्राप्त होने पर उपर्युक्त कारवाई की जाएगी।

राज्य सरकार ने हैजे के टीके, दवाइयां, दुग्ध पाउडर, कम्बल, धोतियाँ, साड़ियां आदि सप्लाई करने के लिए भी अनुरोध किया था। ये वस्तुयें संवन्धित प्राधिकारियों तथा इंडियन रेड क्रास सोसाइटी द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। इन्डियन डेरी कारपोरेशन, कलकत्ता के पास उपलब्ध 100 टन रिकम्ड दुग्ध पाउडर राज्य को दिया गया। धोतियों के लिए 1.26 लाख वर्ग मीटर कपड़ा जारी करने के लिए भी टैक्सटाइल कमिश्नर को अनुदेश दिए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार राज्य की समस्याओं के प्रति जागरूक है और सभी संगत बातों को ध्यान में रखते हुये परिस्थितियों की मांग के अनुसार सभी उपाय किए जायेंगे।

**वाणिज्यिक ट्रक निर्माण उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता**

5235 **श्री एम०एम० लारेन्स** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वाणिज्यिक ट्रक का निर्माण करने वाले उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता क्या है;

(ख) पिछले वर्ष इसका कितना उत्पादन था; और

(ग) वर्ष 1980 के लिए देश में चेसिस की कुल मांग कितनी है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** :

(क) ट्रकों तथा बसो सहित वाणिज्यिक गाड़ियों के उत्पादन के लिए अधिष्ठापित क्षमता लगभग 95,000 बताई गई है।

(ख) 1979-80 के दौरान 57,441 वाणिज्यिक गाड़ियों का उत्पादन हुआ।

(ग) योजना आयोग द्वारा नियुक्त परिवहन, मिट्टी हटाने वाली तथा कृषि मशीन सम्बन्धी कार्यकारी दल ने 1980-81 के लिए 73,200 वाणिज्यिक वाहनों की मांग का अनुमान लगाया है।

**पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान को सहायता**

*5236 : **श्री जय नारायण रौत** : क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने

वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 1979-80 के दौरान राजस्थान राज्य को किस किस्म की सहायता दी गई है; और

(ख) राज्य ने वर्ष 1980-81 के लिए किस किस्म की सहायता देने का अनुरोध किया है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) :**

(क) और (ख) : राजस्थान राज्य के पिछड़े हुये जिलों में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमी निम्नलिखित केन्द्रीय प्रोत्साहन पाने के अर्ह हैं। जहाँ तक उद्योग मन्त्रालय द्वारा चलाई गई केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजना का सम्बन्ध है, राजस्थान सरकार को वर्ष 1979-80 के दौरान 1,31,75,458 रुपये की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई थी :—

1. केन्द्रीय निवेश सहायता परियोजना।
2. अखिल भारतीय सर्वाधिक ऋणदात्री वित्तीय संस्थानों की रियायती वित्तसुविधायें।
3. कर सम्बन्धी रियायतें।
4. लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया खरीद।
5. तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श।
6. ब्याज राजसहायता।
7. कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधायें।
8. ग्रामीण उद्यो परियोजना कार्यक्रम।
9. ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम।
10. जिला उद्योग केन्द्र।
11. मूल (सीड) सीमान्त (मार्जिन) धनराशि सहायता।

राजस्थान सरकार ने वर्ष 1980—81 की राज्य योजना में औद्योगिक विकास के लिए 50 लाख रुपये परिव्यय का प्रस्ताव किया है। जब कभी केन्द्रीय राजसहायता हेतु विशिष्ट आवेदन मिलेंगे उपयुक्त मामलों में उचित कार्यवाई की जाएगी।

**पुलिस आवास योजना के अधीन महाराष्ट्र को सहायता**

5237. **श्री आर० के० महालगी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 1979-80 के दौरान पुलिस आवास योजना के अधीन महाराष्ट्र राज्य को कितनी केन्द्रीय ऋण सहायता दी गई है।

(ख) महाराष्ट्र में ऐसे कितने अराज-पत्रित पुलिस कर्मचारी हैं जो निःशुल्क मकान पाने के पात्र हैं और जिन्हें अभी तक उक्त आवश्यक सुविधा प्रदान नहीं की गई है ; और

(ग) मकान पाने के पात्र व्यक्तियों के लिए पर्याप्त संख्या में मकान बनाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

**गृह मन्त्रालय में राज्य (मन्त्री श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(क) महाराष्ट्र राज्य को वर्ष 1979-80 के दौरान पुलिस आवास की योजना के अन्तर्गत कोई केन्द्रीय वित्तीय सहायता नहीं दी गई, क्योंकि इस योजना को केन्द्रीय योजना क्षेत्र से राज्य योजना क्षेत्र में स्थानान्तरित किया गया है।

(ख) निरीक्षक जो यद्यपि राजपत्रित हैं, सहित 40771 पुलिस कर्मचारी निःशुल्क आवास के पात्र है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने 1978-79 तक अर्थात इस योजना के चालू रहने तक 732·25 लाख रु० की केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी। वर्ष 1976-77 से महाराष्ट्र राज्य सरकार पुलिस आवास पर (गैर आवासीय पुलिस भवनों समेत) अधिक ध्यान दे रही है और राज्य योजना बजट में प्रतिवर्ष 4 करोड़ रु० से अधिक धन राशि की व्यवस्था की जा रही है। वर्ष 1979-80 पुलिस आवास के लिए राज्य योजना बजट में 5,21,60,000 रु० की धनराशि की व्यवस्था की गई थी। राज्य लोक निर्माण तथा आवास विभाग के माध्यम से पुलिस आवास योजना के अन्तर्गत निर्माण के नियमित कार्य क्रम के अतिरिक्त राज्य सरकार ने (1) राज्य में विभिन्न स्थानों पर लगभग 11,50,10,000रु० के हुडको केऋण से महाराष्ट्र राज्य पुलिस आवास तथा कल्याण निगम द्वारा लगभग 6080 मकान ; और (2) हायर परचेज आधार पर पुलिस कर्मचारियों को देने के लिए एल० आई० जी० योजना के अधीन महाराष्ट्र आवास तथा क्षेत्र विकास प्राधीकरण द्वारा लगभग 2000 मकान बनाने के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर प्रारम्भ किये हैं। 1980-81 के राज्य बजट अनुमानों में पुलिस के आवास के लिए (1) योजना प्रावधान में 4,40,26,000 रु० और (2) महाराष्ट्र राज्य पुलिस आवास और कल्याण निगम के लिए अग्रिम धन जुटाने और अनुदान और हुडको को ब्याज सहित ऋण चुकाने के लिए योजनोत्तर प्रावधान में 4.58,00,000 रुपये का प्रस्ताव किया है।

**सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक अधिकार**

5238. **श्री ए०ए० रहीम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कहीं से यह सुझाव आया है कि सरकारी कर्मचारियों को चुनाव लड़ने के अधिकार सहित राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाएं ?

**गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया)** जी हां, श्रीमान्।

**पिछड़े जिले**

5239, **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश के पिछड़े जिलों में विशेषकर औद्योगिक विकास का सर्वेक्षण किया है,

(ख) क्या सरकार ने "आपरेशन इण्डस्ट्रियलाइजेशन" (उद्योगीकरण) के लिए विशेष रूप से पिछड़े जिलों के रूप में देश में लगभग 120 पिछड़े क्षेत्र घोषित करने का निर्णय किया था ; और

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ऐसे कौन-कौन से जिले हैं और इन दो राज्यों में प्रत्येक जिले के लिए तय की गई औद्योगिक मदें क्या हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना**:

(क) राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण किए जाने के अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने निम्नलिखित राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में औद्योगिक संभाव्यता संबंधी सर्वेक्षण किए गए हैं :—

आन्ध्र प्रदेश, असम, अरुणांचल प्रदेश, बिहार—गोवा, दमन और द्वीप, दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड, उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी जिलों का सर्वेक्षण करने में राज्य सरकारों के साथ कार्य कर रहा है और जहाँ कहीं सम्भव होता है, वित्त के माध्यम से अथवा अन्य प्रकार से आवश्यक सहयोग प्रदान कर रहा है।

(ख) योजना आयोग द्वारा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित किए गए 246 जिलों में से 101 जिलों/क्षेत्रों.(विवरण—2) को केन्द्रीय निवेश राजसहायता की पात्रता के लिए चुना गया है।

(ग) मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के जिलों, जिनका केन्द्रीय निवेश राजसहायता के लिए पता लगाया गया है कि सूची विवरण एक में दी गई है। किन्तु, ऐसे जिलों के लिए अलग से कोई विशिष्ट औद्योगिक वस्तुएँ निर्धारित नहीं की गई हैं।

**विवरण I**

**केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजनाओं के लिए पात्र जिले/क्षेत्र**

1. आन्ध्र प्रदेश — **श्रीकाकुलम जिला और पाँच "क्षेत्र"**

रायलसीमा प्रदेश के 2 "क्षेत्र" जिसमें 22 ब्लाक हैं :—

क्षेत्र —1 इसमें 13 ब्लाक अर्थात् चित्तूर, वांगरूपालम, पुलीचेरला, पत्तूर, चन्द्रगिरि व कलाहास्थी (चित्तूर जिले से) तथा कोडर राजमपेट, सिधोना, गुडप्पा, कमालपुरम,प्रोड्त्तूर तथा पालीवेंडला (गुडप्पा जिले से) आते हैं।

क्षेत्र—2 इसमें 9 ब्लाक अर्थात् टोडपत्री, सिगनामला, गूटी, कुडेयर (अनन्तपुर जिले से) व धोन, कुरलून, बंगनापल्ल, नान्डयाल तथा गिडालूर (कुरनूल जिले से) आते हैं।

**तेलंगाना प्रदेश के तीन क्षेत्र जिसमें 43 ब्लाक है .—**

क्षेत्र—1 इसमें 14 ब्लाक अर्थात् महबूब नगर, जाघचरेला, शादनगर कलवाकर्वी व अमगल (महबूब नगर जिले से) और नालगोन्डा, मुगाडी, नकरालल, सूर्यापेट, कोडड, कुजरनगर, गीरयालगुड्डा, पेट्टावोरा तथा देवराकोन्डा, (आलगोन्डा जिले से) आते हैं।

क्षेत्र—2 इसमें 14 ब्लाक अथात् खम्मभ, त्रिरुमलापयामल, कुल्लूर, येनान्ड्, कोट्टामडम, असवरावेट, पुरागमपेट तथा भाद्राचलम (खम्म जिले से) और महबूबाबाद, नरसमपेट इनमकोन्डा, धापुर जनगांव और मुलग (वारगल जिले से) आते हैं।

क्षेत्र—3 इसमें 15 ब्लाक अर्थात् जहीराबाद, पाटनचेरव, नरसापुर, मेडक और सिद्दीपेट (मेडक जिले से) येडापल्ली निजाताबाद, कामारेड्डी और डेमाकोन्डा (निजामाबाद जिले से) और सिरिल्ला, करीमनगर सुलतानाबाद, पेडापल्ली, मन्थाली और हुजूराबाद (करीमनगर जिले से आते है।)

**विवरण—2**

**केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजनाओं के लिए पात्र जिले/क्षेत्र**

1. आन्ध्र प्रदेश — **श्री काकुलम जिला और पांच "क्षेत्र"**

रायलसीमा प्रदेश के 2 क्षेत्र जिसमें 22 ब्लाक हैं :—

क्षेत्र—1 इसमें 13 ब्लाक अर्थात् चित्तूर, बांगरूपालम, पुलीचेरला, पत्तूर, चन्द्रगिरि व कलाहस्ती (चित्तूर जिले से) तथा कोडर, रामपेट, सिधोना, गुडप्पा, कमलापुरम, पोडुत्तूर तथा पालीवेंडला (गुडप्पा जिले से) आते हैं।

क्षेत्र—2 इसमें 9 ब्लाक अर्थात् टोडपत्री, सिंगनामला, गूटी, कुडेयर (अनन्तपुर जिले से) व धोन, कुरनूल, बंगनापल्ली, नान्डयाल तथा गिडालूर (कुरनूल जिले से) आते हैं।

**तेलगाना प्रदेश के तीन क्षेत्र जिसमें 43 ब्लाक हैं :—**

क्षेत्र—1 इसमें 14 ब्लाक अर्थात् महबूब नगर, जाघचरेला, शादनगर' कलानाकर्वी व अमंगल (महबूब नगर जिले से) और नालगोन्डा, मुगाडी, नकराकल, सूर्यापेट, कोडड, कुजरनगर, गुरयागुड्डा, पेट्टावोरा तथा देवराकोन्डा, (आलमोन्डा जिले से) आते हैं।

क्षेत्र—2 इसमें 14 ब्लाक अर्थात् खम्मम, तिरूमलायपालम, कुल्लूर, येनान्डू, कोट्टामुडम, अवनरावेट, पुरागमपेट, तथा भाद्राचलम (खम्मम जिले से) और महबूबाबाद, नरसमपेट, हनमकोन्डा, धानापुर, जनगांव और मुलग (बारंगल जिले से) आते हैं।

क्षेत्र—3 इसमें 15 ब्लाक अर्थात् जहीराबाद, पाटअचेरव, नरसापुर मेडक और सिद्दीपेट (मेडक जिले से) येरापल्ली, निजामाबाद कामारेडी और डेमाकोन्डा (निजामाबाद जिले से) और सिरिल्ला, करीमनगर, सुलतानाबाद, पेडापल्ली, मन्थाली हुजूराबाद, (करीमनगर जिले से) आते है।

2. असम : गोलापाडा, मिकिहिल्स, कामरूप, अपनीगांव, कछार और लखीमपुर जिले।

3. बिहार भागलपुर, दरभंगा, चंपारन, पालामऊ, सहरसा और

संथाल परगना जिले ।

4. गुजरात पंचमहल, भडौंच और सुरेन्द्र नगर जिले ।

5. हरियाणा पुनर्गठित महिन्दरगढ़ जिला (जिसमें महिन्द्रगढ़ और रेवाड़ी) उपखण्ड आता है (भिवानी जिला) जिसमें भिवानी तथा दादरी उपखण्ड तथा 8 ब्लाक का एक क्षेत्र अर्थात् हिसार ब्लाक नम्बर । और बरवाना ब्लाक (हिसार तहसील का) हंसी ब्लाक नम्बर (हंसी तहशील से) तोहना ब्लाक (फतेहाबाद तहसील से) हिसार जिले से—जीर्ण ब्लाक और जुलाना ब्लाक (जीर्ण तहसील से) उद्दना ब्लाक (नखाना तहसील) जिंद जिले से ।

*यह 10 जुलाई, 1972 के बाद चुने गए लि/उपखंड/ताल्लुक/ब्लाक/तहसील बनाता है।

**यह वह जिले बताता है जैसे कि हाल ही में किए गये पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान थे।

6. हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, चंबा कुलू सिरमुर तथा सोशल जिले

7. जम्मू तथा कश्मीर जम्मू, श्रीनगर, अनन्तनाग डोडा, बारामूला और पुंछ जिले ।

8. कर्नाटक रायचूर, मैसूर तथा धारवाड़ जिले

9. केरल एलेप्पी,कन्नानोर, तथा मालापुरम जिले ।

10. मध्य प्रदेश, छः क्षेत्र

क्षेत्र—1 (पूर्वी प्रदेश के) इसमें 12 ब्लाक अर्थात् कोरबा, बलोदा, चम्पा, कोटा, मस्तूरी तथा बिल्हा (बिलासपुर) ब्लाक बिलासपुर जिले से) भाटापारा सिमगा, टिल्डा, भारसिवा (रायपुर) अभनपुर तथा राजिम ब्लाक (रायपुर जिले से) आते हैं ।

क्षेत्र—2 (पश्चिमी प्रदेश के) इसमें 10 ब्लाक अर्थात देवास और टोंक खर्द ब्लाक(देवास जिले से) गुलोना, शुजालपुर और शाजापुर ब्लाक)(शाजापुर जिले से) पंचोर (सारंगपुर) और ब्यावटा ब्लाक(राजगढ़ जिले से) आते हैं ।

क्षेत्र—3* (उत्तरी क्षेत्र से) इसमें 9 ब्लाक अर्थात शिवपुरी तथा करेरा (शिवपुरी जिले से) दतिया तथा सेउधा (दतिया जिले से) भिन्ड नेहगांव तथा सोहाद (भिन्ड जिले से) तथा मुरैना तथा जडरा (मुरैना जिले से)

क्षेत्र—4* (केन्द्रीय क्षेत्र से) इसमें 11ब्लाक अर्थात बीना, इटावा, खुरी बांदा (बिनैका) राहतगढ़, सागर, शाहगढ़ (अमरमटु) (सागर जिले से) टीकमगढ़, बल्पेवगढ़ (टीकमगढ़ जिले से) विदिशा और यारसपुर (विदिशा जिले से) और छतरपुर (छतरपुर जिले से) आते है ।

क्षेत्र—5* (पश्चिमी क्षेत्र 2 से) इसमें 12 ब्लाक अर्थात पेटलावाद, तथा मेघ (झाबुआ जिले से) पदनावार, नगर धार और नलोहा (धार जिले से) महेरुवर और बरवाहा (खारगोज जिले से) रतलाम और जडरा (रतलाम जिले से) मंदसौर मल्हरगढ़ और नीमच (मन्दसौर जिले से)

क्षेत्र—6 (उत्तर पूर्वी क्षेत्र से) इसमें 11 ब्लाक अर्थात रीवाँ और रायपुर (गढ़) (रीवाँ जिले से) मझौली, सीधी डूसर और वैधान (सीधी जिले से) सोनहट, बैकुठपुर, सनेन्दरगढ़ सूरजपुर और अम्बिकापुर (सरगुजा जिले से)।

| | |
|---|---|
| . मणिपुर | सभी पांच जिले। |
| 12 मेघालय | गारोहिल्स, तथा सुयुक्त खासी और जंतिया हिल्स ** |

* यह 10 जुलाई 1972 के पश्चात चुने गये जिले/उपप्रभाग/ताल्लुक/ब्लाक/तहसील बताता है।

**यह वह जिले बताता है जैसे कि हाल ही के पुर्नगठन के पूर्व विद्यमान थे।

| | |
|---|---|
| 13. महाराष्ट्र | रतनगिरि, औरंगाबाद और चन्दरपुर जिले। |
| 14. नागालैंड | कोहिमा, मकोकचुग, त्युनसेग* जिले। |
| 15. उड़ीसा | कालाहान्दी, मयूरभज, बोलनगीर.* धेनकानाल, क्योंझार.* और कोरापुट.* जिले। |
| 16. पंजाब | होशियार पुर, संगरुर,* और भटिण्डा, जिले। |
| 17. राजस्थान | अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा,* चुरु,* नागौर और उदयपुर जिले। |
| 18. सिक्किम | गंगटोक,* मेंगन,* ग्यातसिंग,* और नामची,* जिले (16.5.1975 से शामिल) |
| 19. तमिलनाडू | तीन क्षेत्र/ट्रैक्टस जिसमें 33 ताल्लुके हैं :— |

क्षेत्र—1. जिसमें 12 ताल्लुक उपताल्लुको को मिलाकर अर्थात (रायनाशपुरम, मदुकुलाथर, शिवगंगा परमाकुडी, थिरुवादानी, कारईकुडीर और थिरपाथुर ताल्लुक) (रामनाथपुरम जिले से मजूर ताल्लुक (मदुराई जिले से) पदकोट्टाई थिरुमायम, आलमगुली और कुलाथुर ताल्लुक (पुडाक्कोटाई जिले से)।

क्षेत्र—2 क्षेत्र 11 जिसमें धर्मपुरी, पालाकोड, होसूर, देनकानि कोट्टह, कृष्णागिरी उठानगरराय, हुरुर (धमापुरी जिले से) तिरुपट्टुर बानियामबाडी वैरुलुर वालाजपेट (उत्तरी आरकोट जिलों से)।

| | |
|---|---|
| | क्षेत्र—3 जिसमें 10 ताल्लुक अरुणा कोट्टाइ सत्तूर, विरुधनगर, श्री विलीपुर राजपलायम (रामानाथपुरम जिले क पं० रामानाथ पुरम से) तिरुमंगलम, उसिलामपट्टी नीलाकोथाई, डिन्डी गुल और वेदासन्दूर (मदुरै जिले से) |
| 20. त्रिपुरा | सभी 3 जिले |
| 21. उत्तर प्रदेश | अल्मोड़ा* बलियावस्ती* फैजाबाद* झांसी* और रायबरेली* जिले। |
| 22. पश्चिम बंगाल | पुरुलिया, मिदनापुर* और नादिया* जिले। |

**केन्द्र शासित क्षेत्र**

| | |
|---|---|
| 1. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | पूरा संघ राज्य |
| 2. अरुणांचल प्रदेश | —वही— |
| 3. दादरा और नागर हवेली | —वही— |
| 4. लक्कद्वीप | —वही— |
| 5. मिजोरम | —वही— |
| 6: गोवा, दमन और दीव | संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी की नगरीय सीमा के भीतर |
| 7. पान्डीचेरी | के क्षेत्र को छोड़कर समस्त संघीय क्षेत्र। पांडिचेरि के नगरपालिका क्षेत्र के कोर छबरोल दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी बुलवर्ड सम्मिलित नहीं हैं। |

* 10.7.1972 के बाद चुने गये जिले/सब/डिवी जन्स/ताल्लुक/ब्लाक/तहसीलों को दर्शाता है।

** अभी हाल ही में किये गये उनके पुनर्गठन से पूर्व जिलों को प्रदर्शित करता है।

**जम्मू और काश्मीर में लघु एककों को वित्तीय सहायता**

5240 : **डा० फारुख अब्दुल्ला :**

**श्री गुलाम रसूल कोचक :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जम्मू और काश्मीर राज्य में लघु औद्योगिक एककों को अधिक वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में लघु उद्योगों का विकास नहीं किया गया है,

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में राज्य में कितने लघु उद्योगों की स्थापना की गई है,

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इन एककों को क्या सहायता दी, है और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और छठी योजनावधि में भी जम्मू और काश्मीर राज्य में लघु उद्योगों का विकास करने में राज्य सरकार को प्रोत्साहित करने और उसे सहायता देने का निर्णय किया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शरणजीत सानना)

(क) जी, हां। संघ सरकार लघु उद्योगों का केन्द्रीय, केन्द्र के भाग लेने वाले कार्यक्रमों विशेषकर जिला उद्योगों केन्द्रों के संवर्धन के लिये जम्मू तथा काश्मीर सहित राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ख) और (ग) केन्द्र और राज्य सरकारें विभिन्न संवर्धनात्मक अभ्युपायों के जरिये से लघु उद्योगों का विकास करने के लिये निरन्तर प्रयास करती रही है। राज्यों में स्थापित रजिस्टर्ड लघु उद्योगों की संख्या दिसम्बर 1977 तक 2308, दिसम्बर 1978 तक 2808 और दिसम्बर 1979 तक 3985 थी।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार की संवर्धनात्मक सहायता में अन्य बातों के साथ-साथ (क) श्री नगर स्थित लघु उद्योग सेवा संस्थानों के लिये अन्य बातों तथा वर्तमान तथा भावी लघु उद्यमकर्त्ताओं के लिये जम्मू स्थित शाखा संस्थाओं के लिये तकनीकी, प्रबंधकीय तथा आर्थिक तथा अन्य सेवाएं (ख) लघु उद्योगों का प्रभावी रूप से विकास करने के लिए एक ही स्थान पर अनेक प्रकार की सुविधाएं तथा सेवाएं प्रदान करने के लिए जम्मू तथा काश्मीर के लिए स्वीकृत किये गये 14 जिला उद्योग केन्द्रों के व्यय को वहन करना। (ग) राज्य में पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिये उद्यमियों को निम्नलिखित प्रोत्साहन भी दिये जाते हैं:—

(1) निवेश राजसहायता की केन्द्रीय योजना

(2) आल इंडिया टर्म लेंडिंग फाइनेन्सियल इन्स्टीटयूशन्स से रियायती दर पर वित्त की सुविधाएं

(3) करों में रियायतें

(4) लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया खरीद

(5) तकनीकी सेवाओं के लिये परामर्श

(6) ब्याज राजसहायता

(7) कच्चे माल का आयात करने के लिये विशेष सुविधाएं

(8) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम

(9) ग्रामीण शिल्पेकार कार्यक्रम

(10) सीड-मर्जिन मनी सहायक

सरकार ने 1979-80 की अवधि में राज्य सरकार को उद्योग स्थापित करने हेतु केन्द्रीय राजसहायता के लेखे में 45, 34, 222 रुपये की प्रतिपूर्ति की थी। केन्द्र सरकार उन सभी योजनाओं के लिये सहायता और समर्थन देती रहेगी जो जिला उद्योग केन्द्रों के जरिये लघु उद्योगों का विकास करने के लिये उपयुक्त होंगी।

राज्यों में विधान परिषदों को फिर से आरम्भ करना

5241. श्री तारिक अनवर : क्या गृह मन्त्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें विधान परिषदों को फिर से आरम्भ करने का विचार कर रही हैं ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप राज्यों पर वित्तीय भार पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो विधान परिषदों को समाप्त करने और उन्हें फिर से आरम्भ करने के क्या विशिष्ट कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना):**

(क) से (ग) : विधान परिषद के निर्माण के लिए एक राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन है ।

**मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट तथा अन्य उद्योगों के लिये लाइसेंस**

5242 : **श्रीदिलीप सिंह भूरिया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1978-79 के दौरान आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये कोई विशेष ओद्योगिक नीति थी,

(ख) क्या आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक लाइसेंस सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार दिये गये हैं,

(ग) यदि हां, तो ऐसे लाइसेंस किस-किस स्थान तथा क्षेत्र में दिये गये हैं और इस बारे में उद्योगों के नाम क्या हैं,

(घ) क्या उपरोक्त अवधि में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मेघनगर में रॉक फास्फेट तथा किसी अन्य उद्योग के लिये लाइसेंस दिये गये हैं, और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) से (ग) सरकार संपूर्ण देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास को अधिक महत्व देती है ताकि विभिन्न क्षेत्रों के बीच विकास के स्तरों में असमानताओं को लगातार कम किया जा सके । कम विकसित क्षेत्रों में उद्योगों को फैलाने के अपने प्रयासों के एक अंग के रूप में सरकार ने निर्णय लिया है कि बड़े महानगरीय शहरों विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों की कुछ निश्चित सीमाओं के अंदर नए औद्योगिक एककों को और अधिक लाइसेंस जारी नहीं किए जाने चाहिए तथा यह भी निर्णय लिया है कि विद्यमान बड़े उद्योगों को जो घनी आबादी वाले महानगरीय शहरों से पिछड़े क्षेत्रों के अनुमोदित स्थापना स्थलों में जाना चाहते हैं, उन्हें सहायता प्रदान करने पर विचार किया जाना चाहिए ।

इसके साथ ही सरकार ने 1978-83 की मसौदा योजना के लिए आदिवासी विकास संबन्धी कार्यकारी दल की सिफारिशें विस्तृत रूप से स्वीकार करली है कि आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक बस्तियों से सम्बन्धित क्षेत्रों का विकास परियोजना के एक अंग के रूप में किया जाना चाहिए तथा परियोजना को अनुमति देने से पूर्व स्वीकृति दे दी जानी चाहिए क्योंकि लक्ष्य यह है कि इन क्षेत्रों में नए निवेश से लघु केन्द्र की अपेक्षा एक क्षेत्र का विकास होना चाहिए । यह निर्णय भी लिया गया है कि इस प्रकार का आयोजन विद्यमान औद्योगिक और खनिज परियोजनाओं के सम्बन्ध में उन क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए जिनमें आदिवासी अर्थ-व्यवस्था को पहले ही काफी क्षति पहुंच चुकी है ।

## विवरण

वर्ष 1978 के दौरान मध्य प्रदेश को जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

| क्र० सं० | आवेदक का नाम और पता उपक्रम का स्थापना स्थल | विनिर्माण की वस्तु, क्षमता तथा औद्योगिक लाइसेंस की किस्म | औद्योगिक लाइसेंस सं० और तारीख | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | मैसर्स ग्वालियर एयर प्रोडक्टस लि० ग्वालियर (मुरेना मध्य प्रदेश) | एसिटिलीन गैस—0.10 एम०सी०एम० (अतिरिक्त)-0.20 एम०सी०एम० (विस्तार के बाद) (पर्याप्त विस्तार) | सी०आई०एल० 69/78 दिनांक 17-4-78 (77/76) | |
| 2. | मै० दि० जीवाईराव सुगर कं० लि० जिला—मन्दसौर (म०प्र०) | चीनी—700 टी.सी.डी. प्रतिदिन जाने वाले गन्ने की क्षमता के अनुसार (अतिरिक्त) —1250 टी.सी.डी. प्रतिदिन पेरे जा रहे गन्ने की क्षमता के अनुसार (विस्तार के बाद) (पर्याप्त विस्तार) | आई० एल० 25/78 दिनांक 31.5.78 (305/77) | |
| | | 1979 | | |
| 1. | मै० टाटा एक्सपोर्टस लि० बम्बई | जूते के ऊपरी भाग (शू अपर्स) —7,20,000 (लागू नहीं होता) | सी० आई० एल० 1/79 दिनांक 15-1-79 (137/77) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | मैसर्स दि भोपाल सुगर इंडस्ट्रीज लि० सीहोर (म०प्र०) | साल्वेन्ट एन्सट्रेक्शन प्रोसेस द्वारा वनस्पति तेल--30,000 मी० टन खली के अनुसार अथवा 19,500 मी० टन चावल भूसी से (सी०ओ०बी०) | | आई०एल० 14/79 दिनांक 25-4-79 (39/77-सी०ओ० बी०) |
| 3. | मैं० दुर्गा वूलन इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०, नई दिल्ली (औद्योगिक क्षेत्र-बनमोर मुरैना) मध्य प्रदेश | शाडी यार्न—600 तकुए (नया उपक्रम) | | सी०आई० एल० 102/79 दिनांक 15-5-79 (4968/74) |
| 4. | नर्मदा सहकारी तेल प्रक्रिया समिति मर्यादित, खारगांव (तहसील-बरवाहा, जिला—खारगांव, मध्यप्रदेश) | बिनौले का तेल—30,000(तीस हजार) मी० टन बिनौले से (नया उपक्रम) | | सी०आई०एल० 28०/79 दिनांक 21.12.79 (466/76-आई०एल०) |

मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में एककों की स्थापना करने लिए 1978 में 2 औद्योगिक लाइसेंस तथा 1979 में 4 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे। (सूची विवरण के रूप में संलग्न है) आदिम जाति क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले एककों के लिए जारी किये गए लाइसेंसों के बारे में जानकारी अलग से नहीं रखी जाती है। (घ) और (ङ):—झबुआ जिला (म०प्र०) में मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि० एक एकक है जिसके उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जो वर्ष 1977-78 में हुए 60000 मी० टन से 1978-79 में 75, 000 से 80, 000 मी० टन तक हो गया है।

फास्फेटिक उर्वरक गंधक का तेजाब तथा मोनो अमोनियम फास्फेट का उत्पादन करने के लिए एक संयुक्त उद्यम की स्थापना करने हेतु मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को 1978 में एक आशय पत्र जारी कर दिया गया है। इस एकक के 1983-84 में आरम्भ हो जाने की संभावना है।

**गोवा, दमण और दीप को केन्द्रीय सहायता**

5243. **श्रीमती संयोगिता राणे : श्री मनफूलसिंह चौधरी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पाँच वर्षों में वर्ष वार, संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमण दीप को कितनी केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य को जानती है कि योजना आयोग द्वारा तैयार योजना-सहायता बिजली, पानी की सप्लाई, आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने में इस क्षेत्र की आवश्यकताओं की तुलना में कम पड़ती है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने का विचार है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

**योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) सूचना नीचे दी गई है :—

| | (करोड रु०) |
|---|---|
| 1975-76 | 11·50 |
| 1976-77 | 13·16 |
| 1977-78 | 17·40 |
| 1978-79 | 22·58 |
| 1979-80 | 24·61 |

(ख) केन्द्रीय सहायता समग्र योजना के लिए उपलब्ध कराई जाती है और वह किसी विशिष्ट कार्यक्रम या परियोजना से संबद्ध नहीं की जाती। विद्युत, परिवहन और संचार तथा जलपूर्ति जैसी आधारिक संरचयात्मक सुविधाओं को बनाने पर योजना व्यय में पिछले पाँच वर्षों की अवधि में वर्षानुवर्ष वृद्धि होती रही है।

(ग) और (घ) 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए केन्द्रीय सहायता 26,48 करोड़ रु० नियत की गई है और आधारिक संरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुमोदित परिव्यय 1979-80 में 9.69 करोड़ रु० से बढ़ाकर 1980·81 में 10.21 करोड़ रु० कर दिया गया है।

**बिहार विधान-सभा चुनावों में गोला बारूद का प्रयोग**

5244. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में हाल के राष्ट्रपति शासन के दौरान वहाँ पर बड़े पैमाने पर गोला-बारूद रखने और उसके प्रयोग के बारे में सरकार को प्रमाण मिला था ; और

(ख) यदि हाँ तो क्या इस खतरे को नियन्त्रित तथा समाप्त करने के लिये कोई कदम उठाये गये थे ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** :

(क) और (ख) बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, राष्ट्रपति शासन के दौरान बिना लाईसेंस के हथियारों और गोला बारूद का पता लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में घातक हथियारों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में आग्नेय शस्त्र और गोला बारूद जब्त किए गए और देशी गन और हथियारों को बनाने वाली कुछ फैक्टरियों का पता भी लगाया गया।

**दुपहिया स्कूटर उद्योग और उनकी क्षमता**

5245. **डा० कृपासिंह भोई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने एकक हैं जो दो पहियों वाले स्कूटरों का निर्माण कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ एकक बाजार मांग न होने के कारण अपनी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग नहीं कर सके हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो इन एककों में कितनी राशि का पूंजी निवेश किया गया है ;

(घ) बजाज आटो लिमिटिड की अधिष्ठापित और निर्माण क्षमता कितनी है और देश में बजाज स्कूटरों की वर्तमान माँग कितनी है ;

(ङ) क्या यह माँग पूरी करने के लिये सरकार का विचार मैसर्स बजाज आटो को अन्य एककों में प्रद्योगिकों के क्षीतिज्ञ अन्तरण के किए कहने का है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** :

(क) स्कूटर निर्माण क्षेत्र में इस समय 12 एकक हैं जिनमें से दो ने स्कूटरों का निर्माण बन्द कर दिया है।

(ख) कुछ एकक मुख्यतया तकनीकी तथा वित्तीय समस्याओं के कारण अधिष्ठापित क्षमता से कम काम कर रहे हैं। देश में स्कूटरों की माँग काफी है।

(ग) क्षमता का-कम उपयोग करने वाले स्कूटर निर्माण एककों का सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा दर्शाया गया अचल परिसम्पति निवेश (ग्रास ब्लाक) नीचे दिया गया है :—

| | (लाख रु० में) | |
|---|---|---|
| मै० स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड | 1542 | (31-3-79 को) |
| मै० आंध्र प्रदेश स्कूटर्स लिमिटेड | 185 | (29-2-80 को) |
| मै० कर्नाटक स्कूटर्स लिमिटेड | 296·39 | (31-12-79 को) |
| मै० आटोमोबाइल्स प्रोड्क्टस आफ इण्डिया लिमिटेड | 989·21 | (31-7-77 को) |

उपरोक्त के अतिरिक्त गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा बिहार निगमों द्वारा संयुक्त क्षेत्र स्कूटर संयंत्र स्थापित किये गये हैं। राजस्थान एकक के अन्य सभी स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के लाइसेंस धारी हैं तथा वे मुख्यतया स्कूटरों की असेम्बली का काम करते हैं। राजस्थान में अलवर स्थित स्कूटर एकक का निवेश 409 लाख रु० बताया जाता है।

(घ) मैं० बजाज आटो लिमिटेड की लाइसेंस प्राप्त तथा अधिष्ठापित क्षमता क्रमशः 1,60,000 नग तथा 1,00,000 नग प्रति वर्ष है। निर्माताओं ने बताया है कि विभिन्न मेक के बजाज स्कूटरों की काफी माँग है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) मैं० बजाज आटो की अपनी क्षमता 80,000 स्कूटर प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1,60,000 स्कूटर प्रतिवर्ष करने की स्वीकृति दी गई है।

## राष्ट्रीय वन नीति

5246. **श्री मनफूलसिंह चौधरी :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश लगातार वनों के कटाव से वन्यजीव, पर्यावरण, पर्यटन, वन पर आधारित उद्योगों और सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को खतरा पैदा होता जा रहा है।

(ख) क्या योजना आयोग, जिसका वनों की सुरक्षा और विकास हेतु विवरणों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ ग्रुप की स्थापना करने का विचार है, ने सभी देशवासियों से इसमें सम्मिलित होने और राष्ट्रीय वन नीति तैयार करने तथा उसको प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने की अपेक्षा की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) :** (क) : जी, हाँ। कुछ क्षेत्रों से वनों को नष्ट करने के बारे में समाचार रहे हैं। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस समय वनों के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र देश में कुछ भूमि क्षेत्र का लगभग 21 प्रतिशत ही है, जो राष्ट्रीय वन नीति में निर्धारित 33/1/3 प्रतिशत के इष्टतम क्षेत्र से बहुत कम है, इसलिए वनों द्वारा वन के विभिन्न उत्पादों, विशेष रूप से ईंधन की लकड़ी के सम्बन्ध में लोगों की पूरी माँगकी पूर्ति नहीं की जा सकती।। इसके परिणामस्वरूप वन के नजदीक रहने वाले लोगों की वनों से ईंधन की लकड़ी काटने की प्रवृत्ति होती है और इससे वनों के उचित संरक्षण के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से खेती के लिए उपलब्ध भूमि सीमित होने के कारण बढ़ती हुई जन संख्या द्वारा खेती के लिए भूमि की मांग के परिणामस्वरूप भी वन क्षेत्रों में और उनके आसी-पास रहने वाले लोगों द्वारा वनों का अधिक्रमण होता है। इसके परिणामस्वरूप वनों के प्रभावी संरक्षण के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसका वन्य जीवन, पर्यावरण आदि पर प्रभाव होता है।

(ख) और (ग) : भारत सरकार ने पर्यावरणीय सरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी उपाय और प्रशासनिक तंत्र की सिफारिश करने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष

की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(क) केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर पर्यावरणीय संरक्षण के विषय से सम्बन्धित वर्तमान कानूनों की समीक्षा करना और पर्यावरणीय स्तर को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनी उपायों की सिफारिश करना ;

(ख) पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्तमान प्रशासनिक प्रबन्धों की समीक्षा करना और पर्यावरणीय संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए उन्नत प्रशासनिक तंत्र की सिफारिश करना ; और

(ग) पर्यावरणीय स्तर को उन्नत करने के लिए और पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए केन्द्रीय और राज्य दोनों ही स्तरों पर सरकार में उपयुक्त और पर्याप्त तंत्र की सिफारिश करना।

विज्ञान और शिल्प-विज्ञान विभाग इस समिति के कार्यक्रम और कार्य का समन्वय कर रहा है। आशा है कि यह समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1980 के अन्त तक प्रस्तुत कर देगी।

**कर्नाटक में स्वतन्त्रा सेनानियों को पेंशन**

5247. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन मिल रही है ;

(ख) पेंशन की मंजूरी हेतु कितने मामले विचाराधीन पड़े हैं ;

(ग) कितने मामलों में स्वतन्त्रता सेनानियों ने पेंशन बढ़ाने की माँग की है ;

(घ) गत पाँच वर्षों के दौरान पेंशन के कितने मामले रद्द किये गये ; और

(ङ) पेंशन भोगियों की मृत्यु के बाद कितनी पेंशन बन्द की गई ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :**

(क) : 7,350

(ख) : 1,380

(ग) : 2,380

(घ) : 102

(ङ) : 176

**इकनामिक सेन्सस**

5248. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस वर्ष इकनामिक सेन्सस कराने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो की जाने वाली जन गणना का ब्यौरा क्या है ?

**योजना मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)** (क) जी हाँ।

(ख) 1981 की जन गणना के पूर्वाभास के रूप में 1980 में किये जा रहे मकान सूची-बद्ध करने के कार्य के साथ-साथ कृषि उत्पादन तथा बागान को छोड़ कर अन्य सभी आर्थिक कार्यों में कार्यरत उद्यमों की आर्थिक गणना संचालित की जा रही है।

गृह सूची के माध्यम से उद्यमों का पता लगाने के पश्चात् उद्यमों के बारे में कुछ

आधारभूत ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं। सूचना इन मदों के बारे में एकत्र की जा रही है : उद्यम का स्थान, उद्यम के कार्य का विवरण, कार्य का स्वरूप, स्वामित्व का प्रकार, स्वामी का सामाजिक समूह, कार्यकलाप के लिये प्रयुक्त विद्युत शक्ति। ईंधन, सामान्यतः उद्यम में काम कर रहे कुल व्यक्तियों की संख्या तथा मजदूरी पर रखे व्यक्तियों की संख्या।

क्षेत्रीय कार्यों की व्यवस्था तथा समन्वय का उत्तरदायित्व भारत के महापंजीकार तथा राज्य गणना संकार्य निदेशकों का है जब कि तकनीकी मार्गदर्शन और आर्थिक गणना के आंकड़ों के सारणीयन कार्य का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन पर है जिसे राज्य सांख्यिकीय कार्यालयों का सहयोग प्राप्त है। गणना के क्षेत्र कार्य को विभिन्न राज्यों में मार्च से अक्तूबर, 1980 के बीच प्रस्तारित किया गया है।

**त्रिपुरा में पुनः हिंसा**

5249. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय तक शान्ति रहने के बाद त्रिपुरा में 30जून, 1980 को पुनः हिंसा भड़क उठी है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितने व्यक्ति मारे गये कितने बेघर हुये और कितने मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई ; और

(ग) क्या यह उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और अन्य केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल तैनात थे ओर यदि हां, तो क्या यह ऐसे कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण हुआ है ; और

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण थे ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) 7 व्यक्ति मारे गए थे। बेघर हुए परिवारों की संख्या और नष्ट हुई सम्पत्ति के मूल्य का राज्य सरकार द्वारा अभी पता/ अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) और (घ) : सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा वालों को तैनात किया गया था। फिर भी यह माना जायेगा कि प्रत्येक गांव को शामिल करना व्यवहार्य नहीं है।

**कैप्टन ए० डब्लू० तालुकदार का 1-12-79 से लापता होना**

5250. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी कोर के कैप्टन ए. डब्लू. तालुकदार के 1-12-70 से जबकि उन्हें पुणे से सिलीगुड़ी स्थानान्तरित किया गया था, लापता होने का समाचार है ;

(ख) उन्हें आखिरी बार कहां देखा गया था ;

(ग) उन्हें खोजने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में किसी धोखे का पता चला है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. सी. पी. एन. सिंह)**

(क) से (घ) इंजीनियरी कोर के (आई सी-27246) कैप्टन ऐलन विलियम तालुकदार का कालिज आफ मिलीटरी इंजीनियरिंग, पुणे से 53 इंजीनियर रेजिमैंट में तबादला होने पर उन्होंने मद्रास से पूर्वी सेक्टर में स्थित अपनी नयी यूनिट में जाते वक्त वहां रिपोर्ट नहीं की।

दिसम्बर, 1979 से उनका कोई पता नहीं लगा था। 11 फरवरी, 1980 को एक गिरफ्तारी आदेश जारी किया गया जिसके अन्तर्गत मद्रास और कलकत्ता के सिविल पुलिस अधिकारियों से उक्त अफसर को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था। संबंधित अफसर को प्री स्कूल स्ट्रीट, कलकत्ता स्थित आर्मेनियन स्कूल में काम करते हुए पाया गया और। जुलाई 1980 को सेना अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया था। इस बारे में कोई धोखा-धड़ी होने का पता नहीं लगा है।

**सीतापुर में कागज मिल की स्थापना**

5251. **डा० राजेंद्र कुमार बाजपेयी : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला बहुत पिछड़ा हुआ है क्योंकि वहां कोई उद्योग नहीं है जबकि वहां कागज मिलें चलाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध है और सस्ती मजदूरी पर श्रमिक मिल जाते हैं,

(ख) क्या सीतापुर में पिछड़ापन और बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार का विचार वहां कागज मिलें स्थापित करने का है, और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) यद्यपि सीतापुर जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, इसमें केवल दूसरे दर्जे के कच्चे माल पर आधारित छोटी कागज मिलें ही स्थापित करने की गुंजाइश है।

(ख) और (ग) : प्रति वर्ष 4100 मी 0 टन कागज उत्पादन करने की क्षमता वाला एक एकक तकनी की विकास के महानिदेशालय पजीकृत है। कागज एकक स्थापित करने के किसी अन्य प्रस्ताव पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

**केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पांच दिवसीय सप्ताह**

5252. **श्री अरविंद नेताम : क्या गृह मंत्री** केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पांच दिवसीय सप्ताह के बारे में दिनांक 11 जून, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ; और

(ख) निर्णय की घोषणा में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया)** ;

(क) और (ख) : प्रश्नाधीन प्रस्ताव के सभी पहलुओं की विभिन्न संबंधित एजेंसियों के परामर्श से जांच की जा रही है और इस जांच के पूरा हो जाने पर ही कोई अन्तिम निर्णय लिया जा सकता है।

**घर जाने वाले कमीशन-प्राप्त अधिकारियों के लिये प्रथम श्रेणी में यात्रा करने पर दूरी की रोक**

5253. **श्री के. अर्जुन : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उस स्थिति में प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का हक नहीं है यदि काम करने के स्थान से उनके घर के स्थानों की दूरी 960 किलोमीटर और उससे अधिक हो ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उपर्युक्त नियम स्वाधीनता पूर्व की अवधि में बनाया गया था और अभी भी प्रचलित है;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि दक्षिण तथा उत्तर पूर्व के अधिकारी इस नियम से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार इस पक्षपातपूर्ण बर्ताव को समाप्त कर, तथा रक्षा विभाग में सभी अधिकारियों को समान महत्व देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का है ; और

(ङ) यदि ऐसा नही है तो इसके क्या कारण हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह)**

(क) जी नहीं । अफसर और उनके परिवार के सदस्य दो वर्ष के ब्लाक में एक बार अपने मूल निवास स्थान पर जाने और वहां से वापस आने के लिए, चाहे उसकी दूरी कितनी भी हो, सरकारी खर्च पर प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं । दो वर्ष के ब्लाक के दूसरे वर्ष में अफसर और उसकी पत्नी 965 किलोमीटर तक की यात्रा सरकारी खर्च पर प्रथम श्रेणी में कर सकते हैं। 965 किलोमीटर से आगे की दूरी के लिए वे फार्म 'डी' पर किराए का 60% अदा करके प्रथम श्रेणी यात्रा कर सकते हैं ।

(ख) अफसरों के बारे में यह नियम, जैसा उपर्युक्त (क) के उत्तर में स्पष्ट किया गया है, प्रश्न में बताई गई अवधि में बनाया गया था । फिर की सेना के अफसरों को छुट्टी यात्रा रियायत की हकदारी के प्रश्न का पुनरीक्षण तीसरे वेतन आयोग ने 1974 में किया था और उस संशोधनको यात्रा विनियमावली (1976 संस्करण) में शामिल कर दिया गया है ।

(ग) जी हां, । जिन अफसरों के मूल निवास स्थान दक्षिण में हैं उनके मामले में और वह भी विशेषकर दो वर्ष के ब्लाक के दूसरे वर्ष, जब मुफ्त यात्रा की रियायत 965 किलोमीटर की दूरी तक सीमित रहती है. सामान्यतौर पर यह बात कुछ हद तक सही प्रतीत होती है। इसका कारण यह है कि सामरिक महत्व के कारण अधिकांश सेनाओं को उत्तर और उत्तर-पूर्व में रहना पड़ता है । फिर भी फील्ड क्षेत्रों में तैनात किये गए अफसर चाहे उनके मूल निवास-स्थान कहीं भी हों, अपने चुने हुए निवास स्थान पर जाने के लिए प्रतिवर्ष निःशुल्क वारंट का प्रयोग कर सकते हैं । इस सम्बन्ध में यह नोट करना भी उपयुक्त होगा कि यह नियम उन सभी रक्षा कार्मिकों पर समान रूप से लागू होता है जिनके मूल निवास-स्थान उनकी तैनाती के स्थान से 965 किलोमीटर से अधिक दूर हैं ।

(घ) और (ङ) ये नियम सभी रक्षा कार्मिकों पर लागू होते हैं, चाहे उनके मूल निवास-स्थान किसी भी क्षेत्र में हों । फिर भी 965 किलोमीटर की सीमा में वृद्धि करने और यह रियायत अफसरों के नाबालिग बच्चों को भी देने का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

**भारत आए विदेशी**

5254. **श्री के० ए० राजन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में कितने विदेशी भारत आए तथा वे किन देशों के थे ?

**गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

सूचना क, ख तथा ग में दी गई है ।

विवरण—क

1.1.77 से 31.12.77 तक की अवधि के दौरान जो विदेशी भारत आए उनका राष्ट्रीयता वार ब्यौरा

| क्रम सं० | राष्ट्रीयता | |
|---|---|---|
| 1. | आस्ट्रेलिया | 19928 |
| 2. | अफगानिस्तान | 9020 |
| 3. | अमेरिका | 58815 |
| 4. | अल्जीरिया | 430 |
| 5. | अरजनटीना | 972 |
| 6. | आस्ट्रिया | 5925 |
| 7. | आबू धाबी | 16 |
| 8. | अल्बानिया | 374 |
| 9. | अंदोरा | 6 |
| 10. | अंगोला | 1 |
| 11. | बरूनडी | 3 |
| 12. | भामा | 14 |
| 13. | बारबादो | 44 |
| 14. | बोटस्वाना | 25 |
| 15. | ब्रिटेन | 89351 |
| 16. | ब्रिटिश संरक्षित | 65 |
| 17. | ब्रिटिश नागरिक | 13 |
| 18. | बैल्जियम | 6581 |
| 19. | बहरीन | 13238 |
| 20. | भूटान | 72 |
| 21. | बोलविया | 38 |
| 22. | ब्राजील | 1436 |
| 23. | बुल्गारिया | 248 |
| 24. | बर्मा | 541 |
| 25. | बंगलादेश | 4056 |
| 26. | केन्द्रीयअफ्रीका | 12 |
| 27. | कनाडा | 17206 |
| 28. | साइप्रस | 53 |
| 29. | कम्बोडिया | 40 |
| 30. | चिल्ली | 226 |
| 31. | चीन | 971 |
| 32. | कोलम्बिया | 316 |

| | | |
|---|---|---|
| 33. | कांगो | 1 |
| 34. | कोस्तरिका | 32 |
| 35. | क्यूबा | 118 |
| 36. | चेकोस्लोवाकिया | 1110 |
| 37. | कामारून | 11 |
| 38. | डेनमार्क | 4431 |
| 39. | डोमनिकन | 34 |
| 40. | दुबई | 136 |
| 41. | दहोनी | 32 |
| 42. | एल-सलवाडोर | 15 |
| 43. | इदुबाडोर | 105 |
| 44. | इथोपिया | 510 |
| 45. | फिनलैंड | 974 |
| 46. | फ्रांस | 39081 |
| 47. | फिजी | 1282 |
| 48. | जाम्बिया | 5 |
| 49. | गुयाना | 149 |
| 50. | घाना | 403 |
| 51. | पूर्वी जर्मनी (जी०डी०आर०) | 1111 |
| 52. | प० जर्मनी (एफ०आर०जी०) | 37142 |
| 53. | ग्रीस | 1632 |
| 54. | गुवाटेमाला | 47 |
| 55. | हांगकांग | 231 |
| 56. | हेटी | 10 |
| 57. | होंड्रस | 46 |
| 58. | हंगरी | 1114 |
| 59. | आयरलैंड | 1238 |
| 60. | आईवरीकोस्ट | 13 |
| 61. | आईसलैंड | 105 |
| 62. | इंडोनेशिया | 1480 |
| 63. | ईरान | 10177 |
| 64, | ईराक | 1236 |
| 65. | इजराईल | 2977 |
| 66. | इटली | 16484 |
| 67. | जाम्बिका | 93 |
| 68. | जापान | 24418 |

| | | |
|---|---|---|
| 69. | जोड्रन | 1009 |
| 70. | केन्या | 4019 |
| 71. | कोरिया | 924 |
| 72. | कुवैत | 2236 |
| 73. | लीसोथो | 15 |
| 74. | लाओस | 17 |
| 75. | लिबनान | 1079 |
| 76. | लाइबेरिया | 7 |
| 77. | लिबिया | 145 |
| 78. | लोईस्टिचियन | 14 |
| 79- | लक्समबर्ग | 224 |
| 80. | माल्टा | 119 |
| 81. | मालावी | 85 |
| 82. | मलेशिया | 21111 |
| 83. | मारीशश | 3490 |
| 84. | मालाद्वीवज | 181 |
| 85. | मैक्सिको | 878 |
| 86. | मोनाक्को | 1 |
| 87. | मालागासे | 45 |
| 88. | मंगोलिया | 52 |
| 89. | मोरक्को | 246 |
| 90. | मोजम्बिक | 485 |
| 91. | मस्कट और ओमन | 5377 |
| 92. | माली | 4 |
| 93. | नाईजीरिया | 1499 |
| 94. | न्यूजीलैंड | 3300 |
| 95. | नेपाल | 4766 |
| 96. | नीदरलैंड (डच) | 7379 |
| 97. | निकारागुआ | 20 |
| 98. | नार्वे | 2149 |
| 99. | पापू न्यू गुनिया | 19 |
| 100. | पारस की खाड़ी क्षेत्र | 1 |
| 101. | पेरू | 152 |
| 102. | पनामा | 69 |
| 103. | परागुई | 9 |
| 104. | पाकिस्तान | 9067 |

| | | |
|---|---|---|
| 105. | फिलीस्तीन | 251 |
| 106. | फिलीपाईन | 1692 |
| 107. | पौलैंड | 2122 |
| 108. | पुर्तगाल | 2490 |
| 109. | कतार | 6131 |
| 110. | रोड़ेशिया | 232 |
| 111. | रूमानिया | 239 |
| 112. | रवान्डा | 2 |
| 113. | स्काटलैंड | 8 |
| 114. | सीरिया लियोंन | 32 |
| 115. | सिंघापुर | 11460 |
| 116. | स्वीटजरलैंड | 6 |
| 117. | सिचलस | 452 |
| 118. | द० अफ्रीका | 3966 |
| 119. | श्रीलंका | 30744 |
| 120. | द० दमन | 5 |
| 121. | सोमाली | 434 |
| 122. | स्पेन | 9177 |
| 123 | स्टेटलैस | 804 |
| 124. | सूडान | 549 |
| 125. | संगल | 42 |
| 126. | सुरीनाम | 122 |
| 127. | स्वीडन | 5273 |
| 128. | सविस | 9382 |
| 129. | सीरिया | 422 |
| 130. | तंजानिया | 3807 |
| 131. | तिरिनिडार और डोवांगो | 396 |
| 132. | टोंगा | 2 |
| 133. | थाइलैंड | 6116 |
| 134. | वित्त | 132 |
| 135. | टुनिशिया | 234 |
| 137. | दक्षिण यमन | 156 |
| 138. | टर्की | 674 |
| 139. | थाई | 7502 |
| 140. | तिब्बत | 244 |

| | | |
|---|---|---|
| 141. | तनिशिया | 119 |
| 142. | उरूगवाई | 735 |
| 143. | यू. ए. ई. | 15177 |
| 144. | अपर वोल्टा | 1 |
| 145. | वेनेजुवेला | 337 |
| 146. | वियतनाम | 213 |
| 147. | वैटिकन | 1039 |
| 148. | यमन | 4120 |
| 149. | यूगोस्लाविया | 2411 |
| 150. | जैरे | 87 |
| 151. | वेस्ट इंडीज | 1 |
| 152. | यमन | 3 |
| 153. | मैडागास्कर | 4 |
| 154. | मोनाक्को | 22 |
| 155. | सन्दोरियन | 2 |
| 156. | गुयानाडियन | 3 |
| 157. | दिजोवोटो | 30 |
| 158. | टोंगो | 1 |
| 159. | कमिडा | 1 |
| 160. | साउथ अफ्रीका (भारतीय) | 11 |
| 161. | माली | 25 |
| 162. | स्कैटिश | 3 |
| 163. | केन्द्रीय अफ्रीका | 3 |
| 164. | इक्वाटोरियल गुयाना | 1 |
| 165. | यूनान | 2920 |
| | | 11,46,123 |

**विवरण—ख**

1-1-78 में 31-12-78 की अवधि के दौरान जो विदेशी राष्ट्रिक भारत आए उनका राष्ट्रीयता ब्यौरा ।

| क्रम सं० | राष्ट्रीयता | |
|---|---|---|
| 1. | आस्ट्रेलिया | 21535 |
| 2. | भामास | 7 |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | बंगलादेश | 167780 |
| 5. | ब्रिटिश | 100290 |
| 5. | बारबदोस | 39 |
| 6. | बोत्स्याना | 26 |
| 7. | कनाडा | 20091 |
| 8. | साइप्रस | 87 |
| 9. | फिजी | 1111 |
| 10. | जम्बिया | 47 |
| 11. | घाना | 417 |
| 12. | गुयाना | 166 |
| 13. | जमीका | 169 |
| 14. | कीनिया | 4880 |
| 15. | लेसोथा | 7 |
| 16. | मलावी | 58 |
| 17. | मलेशिया | 18123 |
| 18. | माल्टा | 108 |
| 19. | मोरीशस | 4195 |
| 20. | न्यूजीलैंड | 3896 |
| 21. | नाईजीरिया | 11891 |
| 22. | पपुआ न्यू गुयाना | 25 |
| 23. | सिचलस | 315 |
| 24. | सिंगापुर | 8120 |
| 25. | श्रीलंका | 57131 |
| 26. | स्वीजलैंड | 5 |
| 27. | तनजानिया | 5248 |
| 28. | टोंगा | 5 |
| 29. | त्रिनिदाद और तोबेगो | 434 |
| 30. | युगाँडा | 373 |
| 31. | पश्चिम शीमोया | 3 |
| 32. | जाम्बिया | 966 |
| 33. | सिरालियोन | 21 |
| 34. | यू. एस. ए. | 76725 |
| 35. | अफगान | 16176 |
| 36. | आस्ट्रिया | 6183 |

| क्रम संख्या | राष्ट्रीयता | |
|---|---|---|
| 37. | अरजनटीनिया | 1064 |
| 38. | अलजीरिया | 283 |
| 39. | अलबानिया | 4 |
| 40. | अंगोला | 5 |
| 41. | आबू धाबी | 5 |
| 42. | अंदोरा | 4 |
| 43. | बेलजियम | 7206 |
| 44. | ब्राजीवियन | 1398 |
| 45. | बर्मी | 513 |
| 46. | बोलोवियान | 48 |
| 47. | भूटानी | 74 |
| 48. | बिनिन | 12 |
| 49. | बहरीनन | 12806 |
| 50. | बरूनडी | 3 |
| 51. | बुल्गारिया | 330 |
| 52. | क्यूबा | 125 |
| 53. | चीन (मुख्य भूमि) | 1143 |
| 54. | चोकोस्लोवाकिया | 1217 |
| 55. | चीन (ताईवान) | 37 |
| 56. | कोलोम्बिया | 419 |
| 57. | चिल्लियम | 253 |
| 58. | कोस्तरिका | 31 |
| 59. | कामारून | 11 |
| 60. | कांगोलीम | 9 |
| 61. | कंपानोला | 2 |
| 62. | कम्बोडिया | 6 |
| 63. | चाद | 1 |
| 64. | डेनिस | 5615 |
| 65. | डच | 7106 |
| 66. | डोमीनिशमन | 87 |
| 67. | दुवई | 3 |
| 68. | दहोनी | 4 |
| 69. | मिश्र | 1283 |
| 70. | इथोपिया | 774 |

| | | |
|---|---|---|
| 71. | इक्वेडर | 46 |
| 72. | अल-सालेवाडोर | 26 |
| 73. | ईक्वीटोरियल | 40 |
| 74. | स्पेनिश | 17 |
| 75. | फिनिश | 1057 |
| 76. | फ्रैंच | 42791 |
| 77. | जर्मन पश्चिम | 42619 |
| 78. | पूर्व जर्मन | 755 |
| 79. | गवाटेमाला | 69 |
| 80. | ग्रीक | 1454 |
| 81. | हंगरी | 1568 |
| 82. | हेटी | 23 |
| 83. | हांगकांग | 260 |
| 74. | होंड्रस | 56 |
| 85. | इटली | 22188 |
| 86. | ईरान | 12533 |
| 87. | ईराकी | 1691 |
| 88. | इंडोनेसियन | 1495 |
| 89. | इजराईल | 2853 |
| 90. | आइसलैंड | 108 |
| 91. | आईवरी कोस्ट | 7 |
| 92. | आयरिश | 1648 |
| 93. | जोर्डन | 1286 |
| 94. | जापान | 25291 |
| 95. | कुवेती | 2214 |
| 96. | कोरियन | 1716 |
| 97. | लिवनान | 1126 |
| 98. | लक्समवर्ग | 260 |
| 99. | लिबिया | 173 |
| 100. | लाइबेरिया | 35 |
| 101. | आलोस | 65 |
| 102. | लाईस्टीचिमन | 4 |
| 103. | मोजाम्बीक | 225 |
| 104. | मैक्सिको | 1292 |
| 105. | मोरक्कोन | 238 |

| | | |
|---|---|---|
| 106. | मंगोलियन | 60 |
| 107. | मालाद्विवयन | 377 |
| 108. | मालागासे | 89 |
| 109. | मस्कट और ओमन | 6340 |
| 110. | नेपाली | 8469 |
| 111. | नार्वे | 1903 |
| 112. | निगारागुआ | 8 |
| 113. | ओस्ट्रीश | 3 |
| 114. | पोलिश | 2776 |
| 115. | फिलीपीनी | 2897 |
| 116. | पुर्तगाली | 2555 |
| 117. | पाकिस्तान | 78127 |
| 118. | पलस्तेनियन | 292 |
| 119. | पनामा | 74 |
| 120. | परागई | 58 |
| 121. | पेरूवियन | 111 |
| 122. | कतारी | 5115 |
| 123. | रोमानिया | 251 |
| 124. | रवांडा | 3 |
| 125. | रूसी | 8060 |
| 126. | रोडेशियन | 229 |
| 127. | साऊदी अरेवियन | 7548 |
| 128. | स्वीस | 10584 |
| 129. | स्वीडिश | 5638 |
| 130. | स्पेन | 9001 |
| 131. | स्टेंटलैस | 938 |
| 132. | सीरिया | 51 |
| 133. | सोमाली | 886 |
| 134. | दक्षिण अफ्रीका | 612 |
| 135. | सुरीनामीज | 63 |
| 136. | सुडानीज | 653 |
| 137. | सेंगलीज | 56 |
| 138. | दक्षिणी यमन | 84 |
| 139. | टुर्की | 498 |
| 140. | थाई | 5898 |

| | | |
|---|---|---|
| 141. | तिब्बत | 183 |
| 142. | टुनिशिया | 92 |
| 143. | उरूगा नियन | 115 |
| 144. | यू ए ई | 11458 |
| 145. | वैनिजुएला | 440 |
| 146. | वियतनाम | 250 |
| 147. | वैटीकन | 22 |
| 148. | पश्चिमी समोआ | 1 |
| 149. | यमन | 2687 |
| 150. | युगोस्लाविया | 3134 |
| 151. | जैरे | 59 |
| 152. | अन्य (छोटी राष्ट्रीयतायें) | 99 |
| | | 910048 |

**विवरण-ग**

1. 1. 79 से 31. 12. 79 की अवधि के दौरान जो विदेशी राष्ट्रिक भारत आए उनका राष्ट्रियता वार ब्यौरा ।

| क्रम सं0 | राष्ट्रीयता | आना |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आस्ट्रेलिया | 19801 |
| 2. | बंगलादेश | 169750 |
| 3. | ब्रिटेन | 113190 |
| 4. | कनाड़ा | 23178 |
| 5. | श्रीलंका | 35631 |
| 6. | फिजी | 1232 |
| 7. | घाना | 384 |
| 8. | गुयाना | 166 |
| 9. | हांगकांग | 254 |
| 10. | जाम्बिया | 168 |
| 11. | कोनिया | 4155 |
| 12. | मलेशिया | 22563 |
| 13. | मारिशस | 3977 |

| | | |
|---|---|---|
| 14. | न्यूजीलैंड | 4474 |
| 15. | नाईजीरिया | 2660 |
| 16. | माल्टा | 108 |
| 17. | सिंगापुर | 11966 |
| 18. | तंजानिया | 3031 |
| 19. | त्रिनिदाद और टोंवांगो | 490 |
| 20. | उगांडा | 444 |
| 21. | जाम्विया | 682 |
| 22. | नेपाल | 9481 |
| 23. | पं० सोमिया | 46 |
| 24. | द० अफ्रीका | 699 |
| 25. | स्टेटलैस | 972 |
| 26. | वारमूडा | 2 |
| 27. | साइप्रैस | 84 |
| 28. | मालावी | 148 |
| 29. | पपुआ न्यू गुयाना | 23 |
| 30. | साईचलस | 198 |
| 31. | वहामास | 340 |
| 32. | वारबोदास | 52 |
| 33. | वोटजवाना | 56 |
| 34. | ग्रीनाडा | 1 |
| 35- | आईरश | 1849 |
| 36. | जाम्विया | 148 |
| 37. | लीसोथो | 18 |
| 38. | टोंगा | 58 |
| 39. | साईरालीओनिया | 2 |
| 40. | अमेरिका | 78503 |
| 41. | अफगान | 9192 |
| 42. | आस्ट्रिया | 7052 |
| 43. | अर्जेनटाइना | 1833 |
| 44. | अल्जीरिया | 409 |
| 45. | अलवानिया | 76 |
| 46. | अंगोला | 9 |
| 47. | आबू धावी | 6 |
| 48. | अदन | 14 |

| | | |
|---|---|---|
| 49. | अंदोरा | 11 |
| 50. | बैल्जियम | 7045 |
| 51. | ब्राजीनियन | 1433 |
| 52. | वर्मासी | 564 |
| 53. | बोलिविया | 144 |
| 54. | भूटानी | 75 |
| 55. | बेनिन | 5 |
| 56. | बहमिन | 1 |
| 57. | बहरिन | 11089 |
| 58. | बुरून्डी | 41 |
| 59. | बुल्गारिया | 313 |
| 60. | ब्रिटिश संरक्षित | 7 |
| 61. | क्यूबा | 129 |
| 62. | चीन | 2222 |
| 63. | चोकोस्लोवाकिया | 1449 |
| 64. | चीन (ताईवान) | 76 |
| 65. | कोंलोम्बिया | 389 |
| 66. | चाइलिन | 329 |
| 67. | कोस्टता-रीका | 26 |
| 68. | कामारून | 10 |
| 69. | कांगोलीज | 9 |
| 70. | कम्बोदिया | 5 |
| 71. | दानिश | 5143 |
| 72. | डच (नीदरलैंड) | 10802 |
| 73. | दोमोनिकन | 32 |
| 74. | दुबई | 13 |
| 75. | मिश्र | 1556 |
| 76. | इथोपिया | 951 |
| 77. | इकवाडोर | 96 |
| 78. | इलसलवाडोर | 19 |
| 79. | चाद | [illegible] |
| 80. | फिनिश | 1199 |
| 81. | फ्रेंच | 45350 |
| 82. | प० जर्मनी | 45350 |
| 83. | पू० जर्मनी | 1806 |

| | | |
|---|---|---|
| 84. | ग्वेतमाला | 1414 |
| 85. | हंगरी | 1200 |
| 86. | हेती | 9 |
| 87. | हांगकांग | 39 |
| 88. | होनडरस | 20 |
| 89. | इटली | 22932 |
| 90. | ईरान | 18063 |
| 91. | ईराक | 2057 |
| 92. | इन्डोनेशिया | 4328 |
| 93. | इजराईल | 2419 |
| 94. | आईसलेंड | 109 |
| 95. | आईवोरी कोस्ट | 7 |
| 96. | जोर्डन | 1933 |
| 97. | जापानी | 28374 |
| 97. | कोरियन | 2306 |
| 99. | कुवैती | 2961 |
| 100. | लेबनान | 907 |
| 101. | लक्ष्यवर्ग | 220 |
| 102. | लीबिया | 344 |
| 103. | आलोस | 14 |
| 104. | लोइस्टिचिन | 8 |
| 105. | मोजम्बीक | 161 |
| 106. | मैक्सिको | 1470 |
| 107. | मोरक्को | 225 |
| 108. | मालवियन | 670 |
| 109. | मालागाली | 59 |
| 110. | सुल्कैत और ओमान | 6852 |
| 111. | नार्वे | 2144 |
| 112. | नाईकरागुया | 5 |
| 113. | ओस्ट्रीच | 22 |
| 114. | पोलिश | 3002 |
| 115. | फिलीपाईन | 3153 |
| 116. | पुर्तगाली | 3151 |
| 117. | पाकिस्तानी | 272998 |
| 118. | प्लीस्तीनी | 114 |

| | | |
|---|---|---|
| 119. | पनामा | 76 |
| 120. | पागूपा | 15 |
| 121. | पेरुवियन | 736 |
| 122. | परशियन गल्फ | 30 |
| 123. | कतारी | 4534 |
| 124. | रूमानियन | 270 |
| 125. | रूवांडा | 19 |
| 126. | रूसी | 9349 |
| 127. | रोडेशियन | 223 |
| 128. | साऊदी अरेवियन | 13207 |
| 129. | स्वीस | 10536 |
| 130. | स्वीडिश | 5998 |
| 131. | स्पेनिश | 9327 |
| 132. | सीरिया | 683 |
| 133. | सोघाली | 1103 |
| 134. | सूरीनाम | 146 |
| 135. | सूडानी | 911 |
| 136. | सेनेग लज | 79 |
| 136. | टर्की | 731 |
| 137. | अपर वोल्टा | 1 |
| 138. | उमांडा | 344 |
| 139. | यू एस एस आर | 8300 |
| 140. | यू० ए० आर | 1079 |
| 141. | यू० ए० ई | 19100 |
| 132. | युरूगुवे | 105 |
| 143. | वैटीकन | 28 |
| 144. | वैनिजुल्ला | 504 |
| 145. | वियतनाम | 127 |
| 146. | पश्चिमी समोआ | 6 |
| 147. | यमन | 1771 |
| 148. | युगोस्लाविया | 2377 |
| 149. | जाम्विया | 863 |
| 150. | जैरे | 123 |
| | | 587782 |

**आगरा, एटा, और मैनपुरी को पिछड़े जिले घोषित करना**

5255. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सिफारिश की है कि आगरा, एटा और मैनपुरी जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिले घोषित किया जाना चाहिए, और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) अगस्त, 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना आयोग को केन्द्रीय राज सहायता के लिए पहले से पता लगाए गए 6 जिलों के स्थान पर 128 खण्डों का पता लगाने हेतु एक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में एटा जिले के 3 खण्ड नामत कासगंज, एटा, जलेसर तथा मैनपुरी जिले थे। 3 खण्ड नामतः मैनपुरी शिकोहाबाद बेवाढ़ [भों गांव] शामिल हैं। आगरा जिले के किसी खण्ड का प्रस्ताव नहीं किया गया था।

(ख) भारत सरकार ने पिछड़ेपन की समग्रता पर विचार करने के लिए योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य श्री बी० शिवारमन की अध्यक्षता में पिछड़े क्षेत्रों के विकास से संबंधित एक राष्ट्रीय समिति गठित की है, पिछड़े क्षेत्रों की विद्यमान सूची में कोई परिवर्तन या संशोधन इस समिति द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट जो सरकार को इस वर्ष के अन्त तक मिल जाने की संभावना है, की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।

**भारतीय इंजीनियर सेवा बनाया जाना**

5256. **श्री के० लकप्पा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सभा ने भारतीय इंजीनियर सेवा बनाये जाने के लिए 1961 में एक संकल्प पारित किया था;

(ख) यदि हां, तो यह संकल्प एवं इसका कार्यान्वयन किस अवस्था में है और विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय इंजीनियर सेवा का गठन करने के संकल्प के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कदम उठाने का है ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्यविभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया)** :

(क) से (ग) : वर्ष 1961 में राज्य सभा ने अन्य सेवाओं के साथ-साथ भारतीय इंजीनियर सेवा (सिंचाई, विद्युत, भवन तथा सड़क) बनाए जाने के लिए एक संकल्प पारित किया था। इसके अनुसरण में अन्य सेवाओं के साथ-साथ भारतीय इंजीनियर सेवा (सिंचाई, विद्युत, भवन तथा सड़क) के गठन की व्यवस्था किये जाने के लिए 1963 में अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम 1951 का संशोधन किया गया था। किन्तु सेवा का, गठन नहीं किया जा सका, क्योंकि कुछ राज्यों ने इसमें भाग लेने में अपनी अनिच्छा प्रकट की थी और विसम्मत सरकारों को इसमें भाग लेने के लिए राजी करने के प्रयास जारी रहे। मार्च, 1978 में पिछली सरकार ने यह निर्णय लिया था कि इस सेवा के संवर्गों के गठन के प्रश्न पर आगे कार्रवाई न

की जाए । इस मामले की अब पुनरीक्षा की जा रही है । अब वर्तमान सरकार इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

**अम्बाला छावनी में पीने के पानी की अपर्याप्त सप्लाई**

5257. **श्री सूरज भान** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बाला छावनी के आर. एच. ए. बाजार में पिछले कई वर्षों से पीने के पानी की अपर्याप्त सप्लाई हो रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्टोनमेंट बोर्ड, अम्बाला द्वारा उक्त बस्ती में ओवर हैड टैंक के निर्माण कार्य को केवल प्रशासनिक स्वीकृति देने का एक प्रस्ताव पहले ही निर्देशक रक्षा भूमि तथा छावनियां, शिमला को भेज दिया गया और उसके लिए धन देने की मांग नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त छोटी सी परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति देने में क्या अड़चन है, और

(घ) वांछित प्रशासनिक स्वीकृति के दिये जाने में कितना समय लग जाने की संभावना है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह)**

1. (क) से (घ) बिजली की सप्लाई में कमी और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बोर्ड के सुरक्षित डीजल इंजन के ठीक तरह से काम न करने के कारण आजकल अम्बाला कैंट के आर. एच ए. बाजार में पीने के पानी की सप्लाई में कठिनाई अनुभव की जा रही है । पानी की कई सालों से अपर्याप्त सप्लाई के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है ।

2. छावनी बोर्ड ने एक ऊपरी टंकी के निर्माण और वितरण लाइनों में सुधार करने का एक प्रस्ताव तैयार किया है । इस बारे में बोर्ड ने आवश्यक तकनीकी रिपोर्ट और वितरण लाइनों में सुधार करने पर होने वाले व्यय के विवरण प्रस्तुत नहीं किये हैं जिसकी वजह से मंजूरी के आदेश भी रुके हुये हैं । मंजूरी जारी करने के प्रश्न पर विचार छावनी बोर्ड से मांगी गई सूचना प्राप्त होने पर ही किया जायेगा ।

**ग्वालियर उच्च न्यायालय में वकीलों पर हुए लाठी चार्ज के प्रति विरोध**

5258. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह क्या सच है कि देश भर में वकीलों ने ग्वालियर उच्च न्यायालय में वकीलों पर हुए लाठी चार्ज के प्रति 4 अप्रैल, 1980 को न्यायालयों का बहिष्कार किया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(क) और (ख) : उपलब्ध सूचना के अनुसार वकीलों ने 3 अप्रैल, 1980 को देश में विभिन्न स्थानों पर न्यायालयों की कार्रवाई का बहिष्कार किया । केन्द्रीय सरकार की सलाह पर मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में वकीलों और पुलिस के बीच हुए झगड़ों की जांच करने के उद्देश्य से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री योगेश्वर दयाल की अध्यक्षता में एक जाँच आयोग नियुक्त किया था ।

**जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा बैंकों के विरुद्ध शिकायत**

5259. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जिला उद्योग केन्द्रों की ओर से बैंकों के विरुद्ध ऋण मंजूर करने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(ख) क्या सरकार ने इस मामलें में दोनों गैर-राष्ट्रीयकृत और राष्ट्रीयकृत बैंकों से सहयोग मांगा है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री चरणजीत चानना) :**

(क) और (ख) : कुछ जिला उद्योग केन्द्रों ने लघु उद्योगों तथा कुटीर एककों को वाणिज्यिक बैंकों सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने में उनके द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों के बारे में विकास आयुक्त (लघु उद्योग) को सूचित किया है। मामले को समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष लाया गया है।

**केरल काजू श्रमिक राहत और कल्याण निधि विधेयक को सहमति**

5260. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल काजू श्रमिक राहत और कल्याण निधि विधेयक 1979 केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्यविभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया)**

(क) और (ख) जी हां, श्रीमान।

भारत सरकार केरल विधेयक के कुछ उपबन्धों के पक्ष में नहीं है। भारत सरकार के विचार राज्य सरकार को भेज दिये गए हैं। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

**केरल नैमित्तिक अस्थायी और बदली मजदूर (वेतन) विधेयक की सहमति**

5261. **श्री ए० नीलालोहिथदासन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल नैमित्तिक, अस्थायी और बदली मजदूर (वेतन) विधेयक, 1977 राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार को भेज दिया गया था : और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्यविभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया)**

(क) और (ख) : जी हां, श्रीमान।

भारत सरकार, केरल विधेयक के कुछ उपबंधों के पक्ष में नहीं है और राज्य सरकार को उसमें तदनुसार कुछ संशोधन करने के लिए सुझाव दिये गये थे। राज्य सरकार ने अब अध्यादेश का संशोधित प्रारूप भारत सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा है। केरल के विधेयक और प्रस्तावित अध्यादेश संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श के साथ विचाराधीन है।

**केरल डेडलोड वर्कर्स विधेयक को सहमति**

5262. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि केरल डेडलोड वर्कर्स, विधेयक 1977 को राष्ट्रपति की अनुमति देने के मामले में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया)**

भारत सरकार केरल विधेयक के कुछ उपबंधों के पक्ष में नहीं है। क्योंकि विधेयक को राज्य विधान सभा द्वारा पारित किया गया है, राज्य सरकार से अन्य बातों के साथ कहा गया है कि क्या वे विचारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त संशोधन करने के लिए कानून बनाकर विधेयक का संशोधन करेंगे। अब राज्य सरकार का आश्वासन प्राप्त हो गया है, और मामला अब संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श के साथ विचाराधीन है।

**रबड़ पर आधारित उद्योग**

5263. **श्री ए० नोलालोहितादसन नाडार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1980 को रबड़ पर आधारित उद्योगों के संगठित क्षेत्र में कितनी पूंजी के निवेश किये जाने का अनुमान था,

(ख) 1 जनवरी, 1980 को उपरोक्त उद्योगों में कितने कर्मचारी काम पर लगे हुए थे,

(ग) वर्ष 1979 के लिये कुल कितनी धनराशि के वेतन बिलों का भुगतान किया गया, और

(घ) उपरोक्त वर्ष में उपरोक्त उद्योगों द्वारा कुल कितना लाभ कमाया गया;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** :

(क) से (घ) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पररख दी जाएगी।

**वर्ष 1980 के दौरान रोजगार प्रदान करने की द्रुत योजना**

5264. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 में रोजगार कार्यालयो के माध्यम से या सरकार द्वारा सीधे रोजगार प्रदान करने की सरकार की कोई नई द्रुत योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो भविष्य के लिए ऐसी द्रुत रोजगार योजना बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) से (ग) लोक सभा में प्रस्तुत किए गये के 1980-81 बजट अनुमानों में नए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 340 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है; यह अनुमान किया जाता है कि यदि इस कार्यक्रम को ठीक तरह से कार्यान्वित किया जाय तो इससे 85 करोड़ से लेकर 90 करोड़ तक श्रम-दिवसों का अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न हो सकता है। बजट के प्रस्तावों में यह भी बताया गया है कि इस स्कीम के लिए की गई धनराशि की व्यवस्था के कुछ भाग को सामाजिक वन उद्योग, ईंधन के लिए वन-रोपण, ग्रामीण सामुदायिक आवास और जलपूर्ति तथा पोषाहार जैसे उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के लिए विशेष रूप से निर्धारित किया जाएगा। 1980-85 की नई योजना निर्माण की अवस्था में है और रोजगार के लिए स्कीमें विचाराधीन हैं।

5265. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के द्वितीय श्रेणी के कुछ अधिकारियों को वाणिज्यिक फर्मों में नियुक्ति लेने से पूर्व सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं करनी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के द्वितीय श्रेणी के कुछ अधिकारियों ने वर्ष, 1978-79 और 1979-80 में सेवा से अवकाश ग्रहण कर लिया और बाद में राजधानी में उन व्यापारिक घरानों में बहुत ही ऊँचे वेतन तथा अन्य सेवा सुविधाओं को लेकर नौकरी कर ली जिनके मामलों पर उन्होंने अपनी सरकारी सेवा के दौरान कार्यवाही की थी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का घरानों द्वारा ऐसे कर्मचारियों को प्रलोभन देने और ऐसे कर्मचारियों द्वारा इन व्यापारिक घरानों को दी गई अपनी सेवा के बदले रोजगार प्राप्त करने तथा अपने सम्बन्धों का प्रयोग करते हुए अपने नये नियोक्ताओं द्वारा उन्हें सौपे गये कार्य को पूरा करने के कदाचारों को रोकने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया)**

(क) जी हाँ, श्रीमान । सेवानिवृत्ति श्रेणी 11 अधिकारियों के लिए अनुमति लेना अपेक्षित नहीं है ।

(ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 10 के अनुसार केवल श्रेणी 1 अधिकारियों को ही अपनी सेवानिवृत्ति के 2 वर्षों के भीतर वाणिज्यिक नियुक्ति लेने से पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित है ।

(ग) इस विभाग को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्रेणी 11 के कुछ अधिकारियों ने राजधानी में ऐसे व्यापारिक गृहों में नियुक्तियाँ लेने के लिए 1978-79 तथा 1979-80 में सेवानिवृत्ति मांगी थी जिनके मामलों पर वे सेवा में रहते हुए कार्यवाही कर रहे थे ।

(घ) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1979 के नियम 15 के अधीन इस आशय के निर्देश पहले ही जारी किये जा चुके हैं कि सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए बिना अनुमति के वाणिज्यिक नियुक्ति के लिए बातचीत न करें । फिर भी, सेवानिवृत्ति से 2 वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त श्रेणी अधिकारियों से वाणिज्यिक नियुक्ति के लिए प्राप्त अनुरोधों की केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 10 (3) में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार जांच की जाती है जो यह निश्चित करने के लिए बनाए गये हैं कि कहीं ऐसी नियुक्तियाँ अधिकारियों द्वारा सरकारी सेवा में रहते हुए दर्शाये गये पक्षपात के बदले में तो नहीं हैं ।

**जनजाति क्षेत्रों में शराब का बेचा जाना**

5266 : **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनजाति के क्षेत्रों में शोषण का एक सबसे बुरा तरीका शराब बेचने की प्रथा है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनके मंत्रालय और राज्यों ने भी जनजति क्षेत्रों में शराब की दुकानें बन्द करके जनजातियों के होने वाले शोषण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ग) भारत सरकार ने जनजाति क्षेत्रों के लिए क्या आबकारी नीति अपनाई है और राज्यों को इस आशय के क्या अनुदेश दिए हैं ; और

(घ) राज्यों ने राज्य-वार, आबकारी नीति के लागू होने के बाद जनजाति क्षेत्रों में कितनी दुकानों को बन्द किया है और उन क्षेत्रों से उत्पादन शुल्क राजस्व की कितनी हानि हुई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(क) यह सच है कि शराब का व्यवसाय करने वाले लोगों द्वारा जनजाति के लोगों का शोषण किया जाता है।

(ख) इस मंत्रालय के कहने पर, राज्यसरकारें तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासन जनजाति क्षेत्रों से शराब की दुकानें हटाने के लिए उत्तरोत्तर उपाय करते रहे हैं -

(ग) संक्षेप में, भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति यह है कि जनजाति क्षेत्रों में शराब बेचना रोक दिया जाए और जनजाति लोगों को केवल अपने पीने के लिए तथा सामाजिक प्रयोजनों के लिए, और न कि व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए अपने ही पेय तैयार करने दिए जाएं। इस बारें में राज्य सरकारों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार संकलित विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

| क्रम सं० | राज्य | हटाई गई दुकानों की सं० | उत्पाद शुल्क राजस्व (लाख रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | सूचना प्राप्त नहीं हुई। | — |
| 2. | असम | सूचना प्राप्त नहीं हुई। | — |
| 3. | बिहार | 1 अप्रैल, 1979 से 407 दुकानें हटा दी गई हैं। | — |
| | | बिहार सरकार ने 1-4-79 से भंग और ताड़ी से इतर सभी मादक पदार्थों के लिए सम्पूर्ण बिहार में मशाबंदी लागू कर दी है। परन्तु अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को घरेलू उपयोग तथा धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर लाइसेंस या परमिट पर पचवाई (राइस बीयर) तैयार करने तथा उसे रखने की अनुमति दी गई है। परन्तु इस प्रकार स्वयं तैयार की गई पचवाई को किसी परिस्थिति में बेचने नहीं दिया जाएगा। | 150·0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | हिमाचल प्रदेश | 35 दुकानें | 15·00 |
| 5. | कर्नाटक | सूचना प्राप्त नहीं हुई। | |
| 6 | केरल | शून्य | शून्य |
| 7. | मध्य प्रदेश | 779 शराब की दुकानें | 346·65 |
| 8. | महाराष्ट्र | सूचना प्राप्त नहीं हुई | 42·00 |
| 9. | मेघालय | सूचना प्राप्त नहीं हुई | सूचना प्राप्त नही हुई |
| 10. | मणिपुर | जनजाति क्षेत्र में किसी शराब की दुकान की अनुमति नहीं है | प्रश्न नही उठता |
| 11. | नागालैंड | सूचना प्राप्त नहीं हुई | सूचना प्राप्त नहीं हुई |
| 12. | उड़ीसा | 366 शराब की दुकानें | 109·00 |
| 13. | सिक्किम | सूचना प्राप्त नहीं हुई | — |
| 14. | राजस्थान | जनजाति क्षेत्र में पूर्ण नशाबंदी लागू है। केवल शराब पीने के आदी व्यक्तियों को रजिस्टर्ड मैडिकल प्रेक्टीशनर का डाक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्राधिकृम परमिट वाली दुकानों से शराब लेने दी जाती है। | सूचना प्राप्त नहीं हुई |
| 15. | त्रिपुरा | सूचरा प्राप्त नहीं हुई | — |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 40 दुकानें | 32·00 |
| 17. | पश्चिमी बंगाल | सूचना प्राप्त नहीं हुई | — |
| 18. | गुजरात | इन राज्यों में पूर्ण | |
| 19. | तमिलनाडु | नशाबंदी लागू है | |
| 20. | अण्डमान निकोबार द्वीप समूह | जनजाति क्षेत्रों में शराब बेचने के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। | प्रश्न नही उठता। |
| 21. | अरूणाचल प्रदेश | अरूणाचल प्रदेश में शराब नहीं बेची जाती। जनजाति के लोग अपने उपयोग के लिए अपनी राइस बीयर स्वयं तैयार करते हैं। | प्रश्न नहीं उठता। |
| 22. | गोवा, दमन और दीव | शून्य | प्रश्न नहीं उठता। |
| 23. | लक्षद्वीप | लक्षद्वीप में शराब की कोई दुकान नहीं है। | — |
| 24. | मिजोरम | 26 दुकानें | 1·5 |

**अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भूतपूर्व सैनिकों को बसाना**

5267 : **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के ग्रेटर निकोबार आईलैंड तथा अन्य द्वीपों में भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बसाने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) कितने व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को वहाँ भेजा जा चुका है ; और

(घ) इन भूतपूर्व सैनिकों का चयन किस ढंग से किया गया है और उनमें से कितने व्यक्ति पंजाब राज्य से हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** :

(क) भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के केवल ग्रेट निकोबार आइलैंड में बसाने के लिए एक योजना तैयार की गई थी । इस समय इस योजना को निलम्बित रखा गया है ताकि वनों को नष्ट किए जाने से आईलैंड के पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जा सके ।

(ख) पुनर्वास के लिए चुने गए प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक को लगभग 23,000/- रु० के विभिन्न अनुदानों/ऋणों के अतिरिक्त 10 एकड़ कृषि और पौधरोपण भूमि तथा 1 एकड़ घर बसाने की भूमि दी जाती है ।

(ग) 329 भूतपूर्व सैनिक परिवारों को वहाँ बसाया गया है ।

(घ) भूतपूर्व सैनिकों का चयन पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा गठित एक सीमित द्वारा किया जाता है, जिसमें रक्षा मंत्रालय, अन्डमान व निकोबार प्रशासन, सम्बन्धित राज्य सैनिक बोर्ड और राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं । ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसकी आयु 50 वर्ष से कम हो और जिसे कृषि सम्बन्धी जानकारी हो, ग्रेट निकोबार आइलैंड में बसाए जाने के लिए पात्र हैं । अब तक बसाए गए 329 भूतपूर्व सैनिक परिवारों से 100 परिवार पंजाब से बसाए गए हैं ।

**उपग्रह छोड़ने वाला वाहन**

5268. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह छोड़ने की संभावना है ?

(ख) यदि हाँ, तो उपग्रह के कब तक छोड़े जाने की संभावना है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** :

(क) और (ख) उपग्रह छोड़ने वाले वाहन को द्वितीय प्रायोगिक उड़ान जुलाई, 18, को हुई थी ।

**"यू० एस० वैलून फाउण्ड गुरदासपुर" नामक समाचार**

5269 : **श्री रघुनंदन लाल भाटिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 मार्च, 1980 के "ट्रिब्यून" चंडीगढ़ संस्करण

में "यू० एस० बैलून फाउण्ड नियर गुरदासपुर" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(ख) और (ख) : मार्च, 1980 में गुरदासपुर जिले के थाना सदर बटाला के जेतों के सरजा गांव के नजदीक खेतों में अमरीकी निशान वाला एक गुब्बारा पाया गया। इस गुब्बारे के साथ अमरीकी निशान वाला एक बक्सा बंधा हुआ पाया गया। जांच करने पर यह पाया गया कि यह सामान्य रेडियो सोडे मौसम-वैज्ञानिक उपकरण था और कुछ असामान्य वस्तु नहीं पाया गया।

**मणिपुर को पिछड़ा क्षेत्र करार देना**

5270. **श्री मगनगीम मोहेन्द्रा क्या योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचा मणिपुर पिछड़े क्षेत्र की श्रेणी में आता है ; और

(ख) क्या एक समुदाय के रूप में मीटीस पिछड़ी जातियों की श्रेणी में आता है ?

**योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) : भारत सरकार देश के राज्यों/क्षेत्रों, को पिछड़े या अन्यथा रूप में वर्गीकृत नहीं करती। तथापि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे राज्यों में के साथ मणिपुर को केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनों के लिए विशेष क्षेणी का राज्य माना जाता है। उसके संसाधन सीमित होने के कारण उसके अधिकांश योजना परिव्यय की वित्त-व्यवस्था केन्द्रीय सहायता के जरिए की जाती है। मणिपुर के लिए केन्द्रीय सहायता 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में होती है, जबकि सभी विशेष श्रेणी से इतर राज्यों और असम तथा जम्मू और कश्मीर इन विशेष श्रेणी के दो राज्यों के लिए दी जाने वाली इस सहायता का सामान्य स्वरूप 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान होता है। तथापि असम और लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता का स्वरूप 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण होता है।

(ख) समुदायों का पिछड़े वर्गों के रूप में वर्गीकरण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार "मीटीस" समुदाय को मणिपुर की सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

**"बारपेटा टेंसआपटर किडनैप आफ काप्स" शीर्षक के अन्तर्गत छपा समाचार**

5271. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जून, 1980 के "सन्डेस्टैन्डर्ड" में "बार पेटा टेंस आफ्टर किडनैप आफ काप्स" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(क) जी हां, श्रीमान।

(ख) असम सरकार के अनुसार 27 जून, 1980 को लगभग 9 बजे रात को पुलिस का

एक सहायक सब-इन्सपैक्टर 5 सशस्त्र शाखा कांसटेबलों और गैर शस्त्र शाखा कांस्टेबलों क... एक हत्या के मामले की जांच के लिए कामरूप के बारपेटा थाने के अन्तर्गत खेरापाड़ा (भेला) गए। खेरापाड़ा तथा पड़ौसी गाँवों के लगभग 2000 लोगों ने घातक हथियारों से उन पर आक्रमण किया। दो कांस्टेबल जो मुख्य पुलिस पार्टी के पीछे रह गये थे उन्हें भीड़ ने अवैध रूप से रोक लिया और उन्हें मारा पीटा। जब भीड़ ने सशस्त्र शाखा कांस्टेबल से राइफल छीनने के लिए प्रयत्न किया तो उसने हवा में दो राउंड गोली चलाई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए मुख्य पुलिस पार्टी ने भी हवा में पाँच राउण्ड गोली चलाई। इसी दौरान सूचना मिलने पर बारपेटा पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारपेटा तथा सब डिवीजनल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। 61 अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी संख्या में घातक हथियार जैसे नोकदार लाठियाँ, भाले, दाव, लोहे के डण्डे, बल्लम, आदि पकड़े गए। इसी दौरान भीड़ में कुछ सदस्यों ने तीन मकानों को आग लगा दी जिनमें से दो मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। बारपेटा पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और कामरूप के उप-आयुक्त ने इस घटना की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने के आदेश दिए हैं।

**झींगा मछली पकड़ना तथा उसका निर्यात**

5272. **श्री बापूसाहिब पालेकर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर बड़े पैमाने पर झींगा मछली पकड़ी जाती है और उसका करोड़ों रुपये के मूल्य का निर्यात किया जाता है,

(ख) क्या सरकार को पता है कि ये मछुआरे, जो झींगा मछली का निर्यात करते है, लाखों रुपयों के मूल्य के डालर देश में लाते हैं और उनको केन्द्रीय वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, और

(ग) क्या सरकार इस मत्स्य उद्योग को लघु उद्योग स्वीकार करेगी और इसके परिणाम-स्वरूप मिलने वाले सभी लाभ कछुआरों को देगी ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री चरणजीत चानना** : (क) जी हां।

(ख) कृषि अथवा उद्योग मंत्रालय द्वारा किसी भी प्रकार की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**महाराष्ट्र के रत्नगिरि और कोलाला जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन**

5273. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े क्षेत्रों के पिछड़े जिलों में औद्योगिक एकक आरम्भ करने के लिए, विशेष लाभ और वित्तीय सहायता देने का है,

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना है; और

(ग) क्या महाराष्ट्र के रत्नगिरि और कोलाबा जिले में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिये ऐसी सहायता अथवा वित्तीय सहायता दी गई है अथवा दी जायेगी;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरन जीत चानना)**

(क) और (ख) उद्यमियों को निम्नलिखित प्रोत्साहन देकर पिछड़ों क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देना लम्बे अर्से से सरकार की नीति का एक अंग रहा है—

(1) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना

(2) अखिल भारतीय सावधिक ऋणदात्री वित्तीय संस्थानों की रियायती वित्त सुविधायें।

(3) कर सम्बन्धी रियायतें।

(4) लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया-खरीद।

(5) तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श।

(6) ब्याज राजसहायता।

(7) कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधायें।

(8) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम।

(9) ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम।

(10) जिला उद्योग केन्द्र।

(11) मूल (सीड)/सीमांत (मार्जिन) धनराशि की सहायता।

(ग) रत्नगिरी जिले में उद्यमियों के लिए सभी उपर्युक्त प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। कोलाबा जिले में केन्द्रीय निदेश राजसहायता योजना को छोड़कर उपर्युक्त सभी प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।

**रायगढ़ किले में सैनिक स्कूल**

5274. **श्री बाबूसाहिब पारुलेकर** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जनता शासन के दौरान रक्षा मन्त्री ने घोषणा की थी छत्रपति शिवाजी की समृति में महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में रायगढ़ जिले के निकट एक सैनिक स्कूल की स्थापना की जायेगी;

(ख) क्या सरकार का विचार अब ऐसा करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह)**

(क) भूतपूर्व रक्षा मंत्री को रायगढ़ में एक सैनिक स्कूल खोले जाने के बारे में सुझाव दिये जाने पर उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि ऐसा स्कूल राज्य सरकार की सिफारिश पर ही स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार ऐसे स्कूलों के लिए ही जाने वाली सामान्य सहायता प्रदान करेगी।

(ख) चूंकि इस संबन्ध में राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। अतः भारत सरकार द्वारा इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।

(ग) डा० राजेघाटगे से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। जैसा ऊपर बताया गया है कि सैनिक स्कूल राज्य सरकारों से विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर ही खोले जाते हैं।

**२३ जुलाई, 1980 को उत्तर देने के लिए सूर्यग्रहण के दौरान एकत्र की गई जानकारी**

5275. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने इस वर्ष के आरम्भ में हुए सूर्यग्रहण के दौरान कुछ उपयोगी जानकारी एकत्र की थी; और

(ख) यदि हां, तो एकत्र की गई जानकारी की भारत में विशेष रूप से मौसम अनुसंधान और कृषि विकास के क्षेत्र में उपयोगिता संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)**

बहुत से भारतीय वैज्ञानिकों ने 16 फरवरी, 1980 को हुए सूर्यग्रहण के दौरान पर्याप्त आंकड़े एकत्र किये थे, जो मुख्यतया सौर भौतिकी के पहलुओं तथा वायुमण्डलीय विज्ञान से संबंधित थे। इन आंकड़ों का अभी विश्लेषण तथा व्याख्या की जा रही है।

**हिमाचल प्रदेश में भूतपूर्व सुकेत राज्य के कर्मचारियों को पेंशन और उपदान**

5276. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **रक्षा मंत्री** हिमाचल प्रदेश में सुकेत राज्य की सेना का विलय के बारे में 27 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4890 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व सुकेत राज्य बल (हिमाचल प्रदेश) के कर्मचारियों से उनके पेंशन और उपदान दावों के संबंध में किए गए अभ्यावेदनों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी०एन० सिंह)**

भूतपूर्व सुकेत राज्य की सेना के कुछ भूतपूर्व कार्मिकों की ओर से उन्हें सेवा निमुक्ति लाभ दिये जाने के बारे में, सरकार को दिए गए अभ्यावेदनों की जांच की गई थी। जांच करने पर मालूम हुआ कि कुछ मामलों में इन व्यक्तियों को पेंशन/उपदान पहले ही दिये जा चुके हैं जबकि अन्य मामलों में कोई उपदान नहीं दिया जा सकता क्योंकि नियमों के अन्तर्गत इन लोगों ने निर्धारित न्यूनतम सेवा पूरी नहीं की थी; फिर भी, एक मामले की, जिसमें व्यक्ति नान-आई-एस. एफ. यूनिट का था, जांच नहीं की जा सकी; क्योंकि उसका रिकार्ड जिला सिविल प्राधिकारियों से प्राप्त नहीं किया जा सका। इस तरह का रिकार्ड रखने की जिम्मेदारी जिला सिविल अधिकारियों की ही है।

**दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संगठन द्वारा आसाम का दौरा**

5277. **आचार्य भगवान देव :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य आसाम आन्दोलन में भाग ले रहे हैं और उसको उत्तेजित कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संगठन ने कुछ दिन पूर्व इस आन्दोलन के सम्बन्ध में आसाम का दौरा किया था और वहां पर उत्तेजना फैलाई थी ;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ; और

(घ) भविष्य में इस आन्दोलन में इस प्रकार के अवांछनीय तत्वों की घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) से (घ) अखिल भारतीय

विद्यार्थी परिषद ने असम में विदेशियों की समस्या पर चल रहे वर्तमान आन्दोलन का समर्थन करने का विचार प्रकट किया है। यह सम्भव है कि संगठन के कुछ सदस्यों ने व्यक्तिगत हैसियत से विभिन्न आंदोलनात्मक कार्यक्रमों में भाग लिया हो। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र संगठन द्वारा असम में उत्तेजना फैलाने की कोई सूचना नहीं है। किन्तु इस मामले में सरकार सतर्क है।

**भारतीय प्रति रक्षा मजदूर संघ को मान्यता देना**

5278. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा कर्मचारियों के एक अखिल भारतीय संगठन, जिसका नाम भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ है, ने मान्यता दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने मान्यता के लिए जो आवेदन दिया है उसमें कुल कितनी सदस्य संख्या दिखलाई है और क्या यह (कुल सदस्यता) मान्यता प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट पूर्व शर्तों को पूरा करती है ; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब क्यों हो रहा है और इस संघ को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है ?

**रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री० पी० एन० सिंह)** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इसने 66,859 की सदस्य संख्या का दावा किया है। नये संगठनों को मान्यता दिये जाने के बारे में नियमों पर इस समय गृह मन्त्रालय, मार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग विचार कर रहा है और जब तक इन नियमों को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता तब तक नये संगठनों को मान्यता नहीं दी जा सकती।

**साइकिल बनाने के कारखाने**

5279. **श्री एन० डेनिस** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में साइकिल बनाने के कारखानों की राज्य-वार संख्या कितनी है,

(ख) उनमें से कितने कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में हैं और कितनी निजी क्षेत्र में हैं,

(ग) दूसरे देशों को साइकिलों का निर्यात करने वाले कारखानों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) साइकिलों का निर्यात किन देशों को किया जाता है और वित्तीय वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 में कितनी साइकिलों का निर्यात किया गया है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** :

(क) साइकिलों का निर्माण कर रहे एककों का राज्य-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

| | |
|---|---|
| (1) आन्ध्र प्रदेश | - 2 |
| (2) आसाम | - 1 |
| (3) बिहार | - 2 |
| (4) दिल्ली | - 3 |
| (5) गुजरात | - 1 |
| (6) हरियाणा | - 2 |

विवरण

| क्र०सं० | वस्तु/प्रमुख देशों का विवरण | 1977-78 | 1978-79 | 1979-80 (जून 1979 तक) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | निर्यात की गई मात्रा 3. | निर्यात की गई मात्रा 4. | 5. (मात्रा ह० सं० में) |
| क. | बाईसकिलें | | | |
| 1. | अफगानिस्तान | 14 | 12 | 1 |
| 2. | मिश्र अरब गणराज्य | 6 | 33 | 4 |
| 3. | घाना | 8 | - | नगण्य |
| 4. | ईरान | 63 | 65 | 2 |
| 5. | ईराक | 9 | - | - |
| 6. | जापान | - | - | 1 |
| 7. | केनया | 6 | 9 | - |
| 8. | मारीशश | 1 | 8 | नगण्य |
| 9. | नाइजीरिया | 95 | 92 | 4 |
| 10. | नाइगर | — | — | 1 |
| 11. | नेपाल | नगण्य | 1 | 1 |
| 12. | नीदरलैंड | नगण्य | नगण्य | 1 |
| 13. | तंजानिया गणतंत्र | 87 | 81 | 1 |
| 14. | युगांडा | 16 | नगण्य | - |
| 15. | जाम्बिया | 8 | 9 | 1 |
| 16. | अन्य देश | 15 | 22 | 3 |
| | कुल | 328 | 332 | 20 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|
| ख. | अन्य साइकिल रिक्शा : | | | |
| 1. | मिश्र अरब गणराज्य | - | - | 1 |
| 2. | ईराक | 8 | - | - |
| 3. | कुवैत | - | 3 | - |
| 4. | नाइजीरिया | नगण्य | नगण्य | - |
| 5. | संयुक्त अरब अमीरात | नगण्य | नगण्य | - |
| 6. | अन्य देश | 2 | 1 | नगण्य |
| | कुल | 10 | 4 | 1 |

टिप्पणी :—आँकड़े अन्तिम हैं तथा इनमें संशोधन किया जा सकता है।

स्रोत :—(1) 1977-78 : महानिदेशक, वाणिज्यिक आसुचना तथा सांख्यकीय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मन्थली स्टेटिटिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इन्डिया वाल्यूम-1 (ऐक्सपोर्टस)।

(2) 1978-79 तथा 1979-80 (जून 1979 तक) आर्थिक सलाहकार के कार्यालय में प्राप्त अग्रिम आंकड़े, वाणिज्य विभाग ने महानिदेशक, वाणिज्य आसूचना तथा सांख्यिकीय कलकत्ता से प्राप्त किए थे।

(3) जून, 1979 के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

| | |
|---|---|
| (7) हिमाचल प्रदेश | - 3 |
| (8) कर्नाटक | - 1 |
| (9) केरल | - 1 |
| (10) मध्य प्रदेश | - 1 |
| (11) महाराष्ट्र | - 3 |
| (12) मणीपुर | - 1 |
| (13) उड़ीसा | - 2 |
| (14) पंजाब | - 14 |
| (15) राजस्थान | - 2 |
| (16) तामिलनाडु | - 2 |
| (17) उत्तर प्रदेश | - 7 |
| (18) प० बंगाल | - 29 |
| | योग : 77 |

टिप्पणी : लघु क्षेत्र से सम्बन्धित जानकारी 1972 में किए गए एक सर्वेक्षण पर आधारित है।

(ख) इनमें से कोई भी एकक सरक.री क्षेत्र में नहीं है।

(ग) इनमें से 16 एकक साइकिलों का निर्यात करते हैं।

(घ) एक विवरण संलग्न है :

**दिल्ली के पुलिस थानों में शिकायतों का अंग्रेजी में लिखा जाना**

5280. : **श्री चिंतामणि जैना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के पुलिस थानों में शिकायतें अभी भी अंग्रेजी में लिखी जाती हैं ;

(ख) क्या सरकार हिन्दी भाषा में शिकायतें लिखने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में आदेश कब तक जारी किए जाएंगे ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** :

(क) शिकायतें हिन्दी में दर्ज की जाती हैं। अंग्रेजी में शिकायते केवल तभी दर्ज की जाती हैं जब तक कोई शिकायत लिखित रूप में अंग्रेजी में प्राप्तहो या कोई शिकायतकर्त्ता यह आग्रह करे कि उसकी शिकायत लिखित अंग्रेजी में दर्ज की जाए और उसकी कापी उसे अंग्रेजी में ही दी जाए।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

**फोर्ट सीट जार्ज, मद्रास**

5281. **श्री एन. डेनिस** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास स्थित फोर्ट सेंट जार्ज रक्षा मंत्रालय की सम्पत्ति है ; और

(ख) इस फोर्ट के अंतर्गत कुल कितनी क्षेत्र जमीन आती है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह)**

(क) जी हाँ । भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 172 (1) के अन्तर्गत यह सम्पत्ति भारत सरकार की है ।

(ख) इसके अन्तर्गत कुल 119.7 एकड़ भूमि आती है जिसमें से 3·9 एकड़ भूमि राज्य सरकार की है ।

**कन्या कुमारी जिले में रबड़ कारखाना**

5282 : **एन. डेनिस** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि क्या कन्या कुमारी जिले में एक रबड़ कारखाना खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)**

जी नहीं । केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

**दूसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन**

5283. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की एक मुख्य सिफारिश यह थी कि ऐसा सम्मेलन प्रति वर्ष आयोजित किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यह कब आयोजित किया जाएगा; और

(घ) सम्मेलन में की गई अन्य सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है और उनके कार्यान्वित करने के लिए सम्बद्ध विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** (क) जी हाँ, ।

(ख) तथा (ग) दूसरा अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन 30 अगस्त, 1979 से 1 सितम्बर, 1979 तक हैदराबाद में होना निश्चित हुआ था । किन्तु परिस्थितियों वश सम्मेलन की तारीख अभी तक तय नहीं की जा सकी । इस सम्मेलन के आयोजन के बारे में तारीख तय करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(घ) सम्मेलन में कुल 45 सिफारिशें की गई थीं, जिसमें से 4 स्वीकार की जा चुकी हैं और उन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । शेष पर विचार किया जा रहा है ।

**निरंकारी बाबा की हत्या के सिलसिले में की गई गिरफ्तारियां**

5284 : **आचार्य भगवान देव** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में निरंकारी बाबा जुरबचन सिंह की हत्या के सिलसिले में अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं ;

(ख) क्या गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ न्यायलयों में अभियोग-पत्र दाखिल किए गए है, और

(ग) यदि नहीं तो उनके कब तक दाखिल किए जाने की संभावना है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(क) अब तक 4 व्यक्ति पकड़े गये है ।

(ख) अब तक अभियोजन शुरू नहीं किया गया है।

(ग) जांच पूरी होने के बाद अभियोजन करने का निर्णय किया जाएगा।

**प्राप्त समिति का गठन**

5285: **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा में हाल में हुए हिंसात्मक आंदोलन के वास्तविक कारणों का पता लगाने हेतु तथ्यों का पता लगाने वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति का गठन कब किया गया ;

(ग) क्या समिति ने अपना काम करना प्रारम्भ कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(क) से (घ) 8 जुलाई 1980 को केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :—

(क) सामान्य स्थिति तेजी से बहाल करने और हिंसा के शिकार व्यक्तियों को राहत पहुंचाने तथा उनके पुर्नवास के लिए उपाय सुझाना, और

(ख) जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सद्भावपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना। समिति ने 13 जुलाई से 18 जुलाई, 1980 तक त्रिपुरा का दौरा किया। इस दौरान उसने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रीपरिषद और अधिकारियों से विस्तृत विचार विमर्श किया। सभी राजनीतिक दलों अनेक संगठनों, ग्रुपों और व्यक्तियों ने भी समिति से मुलाकात की और स्वतंत्र तथा मुक्त रूप से विचारों का आदान प्रदान किया। समिति ने राज्य में व्याप्त समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण समझने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आवश्यक उपाय करने के वास्ते, उनके विचारों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। अपने विचार विमर्श के दौरान समिति ने भय और आशंका का मौजूदा वातावरण बनाने के लिए तथा सामान्य स्थिति बहाल करने के लिये पहले कदम के रूप में और समाज के सभी वर्गों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम करने के लिये, लोक मत के सभी नेताओं के सहयोग के महत्व पर बल दिया। समिति ने शरणार्थी शिविरों का भी दौरा किया तथा हिंसा के शिकार व्यक्तियों की बात सुनी और राहत तथा पुनर्वास के उपायों के बारे में विचार किया।

समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट जल्दी दिए जाने की सम्भावना है

**गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा नकली प्रमाण-पत्र**

5286 : **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करें गे कि :

(क) क्या दिल्ली में ऐसी अनेक शिक्षण संस्थाएं चलाई जा रही हैं जो मैट्रिक इंटर, बी० ए०, एम० ए० के प्रमाण-पत्र और मेडिकल उपाधियां जारी करती हैं ;

(ख) क्या यह पाया गया है कि इनमें से अधिकांश संस्थाएं नकली प्रमाण-पत्र जारी करती हैं ;

(ग) क्या सरकार आसूचना ब्यूरो के माध्यम से इन संस्थाओं के कार्यकरण की जांच कराएगी : और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(क) और (ख) : 1975 से 1980 (मई तक) की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस को जाली प्रमाण पत्र देने के 7 मामलों की रिपोर्ट की गई।

(ग) और (घ) : रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या से निजी शैक्षिक संस्थानों के कार्यों की विशिष्ट जांच करने का कोई औचित्य नहीं है।

**काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्यापक**

5287 : **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारनाथ, वाराणसी में कुछ बौद्ध लोग श्री लंका से नकली प्रमाण-पत्र (तृप्तिकाचार्य) प्राप्त करके काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में शिक्षा कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या 1976 में जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी ने राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें सारनाथ के कुछ विदेशी बौद्धों को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी क्योंकि उनकी मौजूदगी से शान्ति भंग होने का खतरा था; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने उन व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीयोगेन्द्र मकवाना)**

(क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे आरोप एक विदेशी के खिलाफ लगाए थे, परन्तु जाँच करने पर ये आरोप साबित नहीं किए जा सके।

(ख) और (ग) दो व्यक्तियों के बीच दुश्मनी होने के कारण, शांति भंग होने की आशंका के आधार पर राज्य सरकार को ऐसी एक सिफारिश प्राप्त हुई थी। परन्तु, उनमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर इस बारे में आगे की कार्रवाई अनावश्यक हो गई।

**नेशनल रबड़ मैनुफैक्चरिंग लि० में श्रमिक प्रबन्धक संबन्ध**

5288 : **श्री निरेन घोष** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि नेशनल रबड़ मैनुफैक्चरिंग लि० में, जब से नये महाप्रबन्धक ने नेशनल रबड़ मैनुफैक्चरिंग लि० फैक्टरी में जुलाई, 1978 में कार्यभार संभाला, तब से श्रमिक प्रबन्धक संबन्ध धीरे-धीरे बिगड़ने आरम्भ हो गये थे; और

(ख) सरकार का विचार इस संबन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) और (ख) : नेशनल रबड़ मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड में कुछ समय पूर्व कर्मचारी यूनियनों के साथ अच्छे संबन्ध न होने के कारण श्रमिकों व प्रबन्धकों के आपसी संबन्ध बिगड़ गए थे, यूनियन के नेताओं ने अध्यक्ष से शिकायत की थी कि महाप्रबन्धक (निर्माण) ने किसी भी मामले पर कोई बैठक नहीं बुलाई और उन्होंने उनके सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय ने महाप्रबन्धक (निर्माण) को परामर्श दिया था कि वे श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाने और उत्पादन तथा बढ़िया औद्योगिक संबन्धों के हित में उनके साथ साप्ताहिक बैठकें करें। तब से स्थिति सुधार हुआ है।

**दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन**

5289 : **श्री एन ई होरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मोटर-गाड़ियों के चालक सामान्यतया यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि चालकों को सड़क-नियमों के बारे में अवगत कराने के दिल्ली पुलिस के प्रयासों के कोई परिणाम नहीं निकले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की योजना से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(क) दिल्ली में यातायात अपराध उतने ही आम हैं जितने अन्य जगह हैं।

(ख) प्रयत्नों के अच्छे परिणाम निकले हैं। दुर्घटनाओं की दर में कमी होने की प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई है। इस वर्ष के प्रथम पांच महीनों में 272 घातक सड़क दुर्घटना में 288 व्यक्ति मारे गए थे इसकी तुलना में गत वर्ष इसी अवधि के दौरान 311 घातक सड़क दुर्घटनाओं में 329 व्यक्ति मारे गये हैं।

(ग) अनेक सड़क सुरक्षा शिक्षा योजनाएं चलाई गई हैं :

(1) विभिन्न मोहल्लों में सड़क सुरक्षा प्रदर्शन तथा फिल्में दिखाने का प्रबन्ध किया गया है।

(2) रेडियो, टेलीविजन तथा समाचार पत्रों के माध्यम से सड़क सुरक्षा सम्बन्धी विज्ञापन दिए जाते हैं।

(3) पर्चे, इश्तिहार, पुस्तिकाएं, स्टिकर, पोस्टर आदि जैसे मुद्रित साहित्य को विभिन्न भाषाओं जैसे हिन्दी, पंजाबी तथा उर्दू में ड्राइवरों में वितरित किए जाते हैं।

(4) प्रदर्शन पट्टों, किओस्कों' ध्वजा, दिल्ली परिवहन की बसों आदि की सहायता से गहन बाह्य प्रचार प्रारम्भ किया गया है।

(5) कामशियल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को मार्ग सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर तीन दिन का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है।

(6) दिल्ली परिवहन निगम के ड्राइवरों को प्रशिक्षण देने के लिए वजीरपुर दिल्ली परिवहन निगम डिपों में किए जाने वाले उनके कार्यक्रमों के साथ यातायात पुलिस अधिकारियों को सम्बद्ध किया गया है।

(7) स्कूल जाने वाले छात्रों को उनके स्कूलों के आगे और महत्वपूर्ण चौराहों पर यातायात को नियमित करने के लिए सड़क सुरक्षा गश्त कैडेट के रूप में भर्ती किया जाता है।

**अधीनस्थ कर्मचारी सेवा परीक्षा में उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों द्वारा प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में दिया जाना**

5290. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी दिल्ली में अधीनस्थ कर्मचारी सेवा परीक्षाओं में बैठने के पात्र नहीं हैं क्योंकि उन्हें अंग्रेजी में भी उत्तर देना होता है;

(ख) क्या यह सच है कि हिन्दी टाइपिस्ट के पद के लिए अंग्रेजी के साथ लिखित परीक्षा भी अनिवार्य है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन अभ्यर्थियों को टाइपिस्ट अथवा हिन्दी स्टेनों-टाइपिस्ट के पद की परीक्षा को पास करने के लिए लिखित परीक्षा से छूट देने का है जिन्होंने अपनी हाई स्कूल शिक्षा में अंग्रेजी विषय नहीं लिया था ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्यविभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या)**

(क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं।

**निर्धारित समय से अधिक समय तक ठहरने वाले पाकिस्तानी यात्री**

5291 : **श्रीमती प्रमिला दंडवते :**

**श्री अमर राय प्रधान :**

**श्री आर० के० महालगी :**

**श्री रामकृष्ण सदाशिव मोरे** : क्या गृह मन्त्री गृह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष 2,70,354 पाकिस्तानी यात्रियों ने भारत का दौरा किया, उनसे केवल, 2,18,552 यात्री वापस अपने देश लौटे ;

(ख) क्या 50,000 से अधिक पाकिस्तानी लोग भारत में ठहरे हुए हैं ; और

(ग) यदि हां: तो इन 50,000 पाकिस्तानी लोगों का ब्यौरा क्या है और भारत में वे कहां रह रहे हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(क) से (ग) पंचांग वर्ष 1979 के लिए संकलित की गयी सूचना के अनुसार इस अवधि के दौरान कुल 2,72,998 पाकिस्तानी नागरिक भारत आए और 2,20,172, देश छोड़कर गए। पाकिस्तानी नागरिकों का आना और जाना एक सतत प्रक्रिया है और उन्हें सामान्यत: 3 महीने भारत में रहने की अनुमति दी जाती है तथा वे तीन स्थानों में जा सकते हैं जो विभिन्न राज्यों में हो सकते हैं। इस लिए उन स्थानों को बताना व्यवहार्य नहीं है जहां ये पाकिस्तानी नागरिक उक्त अवधि में ठहरे थे।

**जनता सरकार के दौरान राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर**

5292 : **श्री चतुर्भुज** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता सरकार की अवधि के दौरान 28 वर्षों के कांग्रेस शासन की तुलना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर अधिक थी और यदि हां तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने प्रतिवेदन में इस तथ्य को माना है, और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि के क्या मूल कारण थे और इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

**योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)**

(क) और (ख) जनता शासन के दो वर्षों में और कांग्रेस शासन के 26 वर्षों में (जिनके अनुमान उपलब्ध हैं)। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर संलग्न विवरण में दी गयी है। मुद्रा एवं वित्त विषयक भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में इस विषय को नहीं लिया गया है। राष्ट्रीय

आय में वृद्धि की प्रवृत्ति का सार्थक अध्ययन करने के लिए केवल दो वर्ष की अवधि बहुत ही कम है। सम्भव है कि पिछले 26 वर्षों में चुने हुए दो क्रमिक वर्षों की अवधि भी 1977-79 की अवधि के दौरान अभिलेखबद्ध की गई वृद्धि दर के समान ही वृद्धि दर प्रकट करे अथवा उससे भी उच्चतर परिमाण प्रकट करे। 1977-79 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय में उल्लेखनीय वृद्धि 1977-78 में हुए बहुत अधिक कृषि उत्पादन के कारण हो सकती है। राष्ट्रीय आय में 45 से 50 प्रतिशत योधदान कृषि का होता है और कृषि उत्पादन में उतार चढ़ाव सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय को बहुत प्रभावित करता है।

**विवरण**

**विवरण · स्थिर भाव (1970-71) के आधार पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में औसत वार्षिक वृद्धि दर**

(प्रतिशत)

| अवधि | वृद्धि दर |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1951-52 से 1976-77 | 3·5 |
| 1977-78 से 1978-79 | 6·2 |

टिप्पणी : वृद्धि दरें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दरों (पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि) की साधारण औसत के अनुसार निकाली गई हैं।

**उच्चतर पदों में चयन के लिये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को संस्थागत प्रशिक्षण**

5293 : **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को संस्थागत प्रशिक्षण देने और विचार गोष्ठियों, सम्मेलन आदि में भाग लेने के लिये अधिक अवसर प्रदान करने का है ताकि उच्चतर श्रेणी के पदों में उनके चयन के अवसरों में वृद्धि हो सके ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उचित मार्गदर्शन करने की कोई व्यवस्था की गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अपनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या)** :

(क) सरकार की यह नीति है कि विभिन्न विभागों और स्वायत्त प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, विचार-गोष्ठियों, सम्मेलनों आदि के लिए मंत्रालयों/विभागों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को काफी बडी संख्या में नामित करना चाहिए जिससे कि उच्चतर पदों पर चयन के लिए उनके अवसरों में सुधार लाया जा सके। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर समुचित क्षेत्रों में ऐसे अधिकारियों के प्रशिक्षण को पूरा करें।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों, विचार-गोष्ठियों, सम्मेलनों आदि के लिए अधिकारियों का चयन करने में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(ख) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का प्रशिक्षण प्रभाग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए जब कभी आवश्यक होता है, उपयुक्त कार्यक्रमों का सुझाव देने और यहाँ तक कि इन्हें तैयार करने में सभी सहायता देता है।

(ग) इस सम्बन्ध में विस्तृत अनुदेश "सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के आरक्षण सम्बन्धी विवरणिका (5 वां संस्करण 1976) के पैरा 17·5 तथा पैरा 17·17 में दिए गए हैं।"

**वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा इंस्टीच्यूट आफ फिजिक्स, भवनेश्वर के लिये वित्तीय सहायता दिया जाना**

5294. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् से भवनेश्वर में स्थापित इन्स्टीच्यूट आफ फिजिक्स के सर्वांगीण विकास के लिये पर्याप्त सहायता देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** :

(क) से (ग) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के सर्वांगीण विकास के लिये समुचित मात्रा में वित्तीय सहायता पाने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु उड़ीसा सरकार ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस०आई०आर०) से सम्पर्क किया था। उन्हें यह सूचित कर दिया गया था कि सी० एस० आई० आर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें सी० एस० आई० आर० ऐसे संस्थान को खड़ा करने के लिये समुचित मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान कर सकें। सी0 एस0 आई० आर० विशिष्ट योजनाओं और परियोजनाओं तथा छात्रवृत्तियों आदि के लिये अनुदान देती है। इस संस्थान की ऊच्च शिक्षा संस्थान के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के लिये और राज्य सरकार के अनुदान के अतिरिक्त समुचित पूरक अनुदान प्रदान करने के लिये उड़ीसा सरकार ने सी० एस० आई० आर० के महानिदेशक को बाद में लिखा था चूंकि, ये मामले सी० एस० आई० आर० के कार्यक्षेत्र में नहीं आते, अतः मामला विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को विचारार्थ और उपयुक्त आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजा गया।

**दिल्ली में सीमेंट की बोरियों में सप्लाई**

5295. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में मकान कर अदा करने वाले लोगों को वर्ष 1980-81 में अपने मकान की मरम्मत के लिये सीमेंट की कम से कम दस बोरियां देने का है।

(ख) यदि हाँ, तो 1980-81 में मरम्मत कार्य के लिये उनको सीमेंट की कुल कितनी बोरियां दी जाएँगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरण जीत चानना)** :

(क) से (ग) दिल्ली प्रशासन, खाद्य व पूर्ति विभाग द्वारा सभी वास्तविक आवेदकों को उनकी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मकानों की मरम्मत के लिये सीमेंट जारी की जाती है। चूंकि की वर्ष 1980-81 में मरम्मत कार्यों में लिए सीमेंट का जारी किया जाना सीमेंट की मांग और उसकी उपलब्धता पर निर्भर करेगा अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि इस कार्य के लिए कुल कितनी मात्रा में सीमेंट दी जाएगी।

**रंगीन टेलीविजन के परीक्षणों पर व्यय**

5296. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रंगीन टेलीविजन के बारे में परीक्षण कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो अब तक किये गये परीक्षणों पर कितना खर्च किया गया है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी)** : (क) जी, हाँ।

(ख) आकाशवाणी ने पश्चिम जर्मनी को सरकार से उपहार स्वरूप प्राप्त 14·00 लाख रुपए कीमत के उपस्करों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी इन्जीनियरों अनुसंधान संस्थान पिलानी के सहयोग से यह प्रयोग हाथ में लिया है।

**भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० में संकट**

5297. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को दिनांक 29 जून के "बिजनेस स्टेन्डर्ड" में "भेल इन डालड्रम" (भेल संकट में) शीर्षक से छपे समाचार की जानकारी है जिसमें यह कहा गया है कि पाँच पूर्णकालिक निदेशकों में से केवल एक ही वास्तव में कार्य कर रहा है और उसे अगस्त में सेवा निवृत होना है ;

(ख) सेवा निवृत निदेशकों के स्थान पर नियुक्ति करने में किन कारणों से विलम्ब हुआ ;

(ग) एक निदेशक (वाणिज्य) ने किन कारणों से विदेश यात्रा की और गत दो वर्षों के दौरान कितने दौरों पर तथा वह कहाँ-कहाँ गये और क्या परिणाम प्राप्त हुए ; और

(घ) इस ढांचे में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) जी, हाँ उक्त लेख की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है।

(ख) इस समय केवल निदेशक (इन्जीनियरी) का पद रिक्त है। इस पद को भरने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(ग) निदेशक (वाणिज्य) भारत तथा विदेशों में विपणन कार्यों के प्रभारी हैं। बी०एच० ई० एल० पहले ही विभिन्न देशों में कार्य कर रहा है तथा निर्यात संचालन के लिये विदेशों के दौरे आवश्यक हैं। अब तक निदेशक (वाणिज्यिक), बी० एच० ई० एल०, 11 बार विदेशों में गये हैं तथा उन्होंने लीबिया, इंगलैंड, घाना, पश्चिमी जर्मनी, नाइजीरिया, केन्या, अमेरिका,

कनाडा, मलेशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, ईराक तथा इण्डोनेशिया का दौरा किया है। उनके दौरे विशिष्ट उद्देश्यों के लिये थे तथा वे लाभकारी सिद्ध हुए हैं।

(घ) उपरोक्त (क) से (ग) के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

**कर्नाटक राज्य में उद्योगों का बन्द होना**

5298. **श्री बी० वी० देसाई : श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बिजली की कमी के कारण कर्नाटक राज्य में इस वर्ष मार्च, अप्रैल तथा मई के दौरान रिकार्ड संख्या में उद्योग बन्द हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष जून और जुलाई में यह स्थिति बहुत ही बुरी हो गई ;

(ग) कर्नाटक राज्य में अब तक कुल कितने उद्योग बन्द हो चुके हैं ;

(घ) इन उद्योगों के बन्द होने में कुल कितनी हानि हुई ;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या उक्त स्थिति में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है ;

(च) क्या बहुत से उद्योगों ने अपने कर्मचारियों की संख्या में कमी भी कर दी है जिसके परिणामस्वरूप बहुत से लोग बेरोजगार हो गये हैं ; और

(छ) इन उद्योगों को तथा बेरोजगार हुए लोगों की सहायता करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) :** (क) से (छ) कर्नाटक राज्य में बिजली के उत्पादन और वितरण की जिम्मेदारी कर्नाटक राज्य सरकार की है।

उद्योग मंत्रालय द्वारा उन अनेक उद्योगों के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिन्हें प्रश्न में पूछी गई अवधि में कर्नाटक राज्य द्वारा लगाई गई विद्युत कटौतियों के कारण बन्द कर देना पड़ा था।

**माचिसों के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क कम करना**

5299. **श्री बी० बी० देसाई : श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : श्री गुलाम रसूल कोचक :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया मैच इण्डस्ट्रीज ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि लघु क्षेत्र के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क घटा कर 3 रु० प्रति गुरुस किया जाये और वर्तमान 1000 लघु गकर्कों को बन्द होने से बचाने के लिये तत्काल आधार पर कुटीर उद्योग के लिये 750 लाख सी के प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा फिर से लागू की जायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बारे में उद्योग मंत्री तथा वित्त मंत्री दोनों को अभ्यावेदन भेजे हैं ;

(ग) क्या कोई निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानन) :** (क) और (ख) जी हाँ, दियासलाई उद्योग के अखिल भारतीय चेम्बर से इस नेकार का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) इसकी जांच अन्य बजट के पश्चात् मिलने वाले विभिन्न अभ्यावेदनों के साथ की जा रही है और वित्त अधिनियम, 1980 में इस निमंय का समावेश कर दिया जायेगा।

**भारत को एक "ग्रेन पावर" बनाना**

5300. **श्री चित बसु** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने भारत को एक "ग्रेन पावर" और अनाज का निर्यातकर्ता बनाने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या ठोस योजना नीति तैयार की गई है ?

**योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) भारत को "ग्रेन पावर" और अनाज का निर्यातकर्ता बनाने के सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा अभी तक कोई सिर्णय नहीं किया गया है। वास्तव में छठ पंच वर्षीय योजना और भावी योजना को तैयार करने के संदर्भ में ये विचार अभी केवल चिन्तन या विछार की अवस्था में ही हैं।

(ख) छठी योजना अभी तैयार हो रही है, इसलिए इस अवस्था में कोई निश्चित उत्तर देना संभव नहीं है।

**रुग्ण उद्योग**

5301 : **श्री चित्त बसु** : **क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) वर्ष 1977 से 1979 के दौरान कुल कितने उद्योग रुग्ण हुए ;,

(ख) भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम ने उनमें से कितने उद्योगों को अपने-अपने अधिकार में ले लिया ;

(ग) कितने उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया है ; और

(घ) उनमें से कितने उद्योगों का अब तक स्वस्थ एककों के साथ विलय किया गया है ;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) रुग्ण औद्योगिक एकक की कोई सर्वमानय परिभाषा नहीं है। अतः एक किसी निश्चित समय के अन्दर "रुग्ण उद्योगों" की ठीक-ठीक संख्या बता सकता संभव नहीं है।

तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों (रुग्णता निर्धारण करने के इसके अपने मापदण्डों के अनुसार) और अनुसूचित बैंकों से एक करोड़ रुपए और उससे अधिक के कुल बैंक ऋण (एकबार) लेने वाले एककों के बारे में जावकारी इकट्ठी करता है। इस जानकारी के अनुसार 31 मार्च 1979 को संगठित क्षेत्र में 344 रुग्णा औद्योगिक उपक्रम थे।

(ख) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड को चार उपक्रमों का प्रबन्ध करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति नियुक्त किया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1977 से 1979 के बीच जिन एककों का प्रबन्ध अधिग्रहण किया गया था उनमें से अभी तक किसी भी एकक का राष्ट्रीकरण या स्वस्थ एकक के साथ विलय नहीं किया गया है।

**पिछड़े के क्षेत्रों के विकास के लिए पश्चिम बंगाल को सहायता**

5303 **श्री चित्त महाटा** : क्या **उद्योग** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए पश्चिम बंगाल राज्य को वर्ष 1979-80 के दौरान किस प्रकार की सहायता दी गई है और

(ख) राज्य ने वर्ष 1980-81 के लिए किस प्रकार की सहायता का अनुरोध किया है ;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) और (ख) पश्चिम बंगाल राज्य के पिछड़े हुए जिलों में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमी निम्नलिखित केन्द्रीय प्रोत्साहन पाने के लिए अर्ह हैं। जहां तक उद्योग मन्त्रालय द्वारा चलाई गई केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना का सम्बन्ध है पश्चिम बंगाल सरकार को वर्ष 1979-80 के दौरान 44,73,036 रुपए की राशि केन्द्रीय राजसहायता के रूप में दी गई थी :—

1. केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना।
2. अखिल भारतीय सार्वधिक ऋणदात्री वित्तीय संस्थानों की रियायती वित्त सुविधायें।
3. कर संबन्धी रियायतें।
4. लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया खरीद।
5. तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श।
6. ब्याज राजसहायता।
7. कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधायें।
8. ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम।
9. ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम।
10. जिला उद्योग केन्द्र।
11. मूल (सीड)/सीमांत (मार्जिन) धन राशि सहायता।

पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 1980-81 की राज्य-योजना में औद्योगिक विकास के लिए 45 लाख रुपए परिव्यय का प्रस्ताव किया है। जब कभी केन्द्रीय राजसहायता हेतु विशिष्ट आवेदन मिलेंगे उपयुक्त मामलों में उचित कार्रवाई की जाएगी।

**मंजूर किये जाने वाले बाँधों और सिंचाई योजनाओं की संख्या**

5304 **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **योजना मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि : (क) उन बाँधों और सिंचाई योजनाओं की संख्या और नाम क्या है जिन्हें 1980-81 के दौरान मंजूर किए जाने की सम्भावना है; और

(ख) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं को कोई प्राथमिकता दी जायेगी क्योंकि ये राज्य पिछड़े हुए राज्य हैं ?

**योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क)स्कीमों का अनुमोदन एक सतत प्रक्रिया है। राज्यों द्वारा बड़ी और मझौली सिंचाई स्कीमें विस्तृत समीक्षा के लिए केन्द्रीय जल आयोग को भेजी जाती हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की जांच केन्द्रील जल आयोग के विशेषज्ञ निदेशालयों में तथा कृषि और सहकारिता मन्त्रालय के जल प्रबन्ध प्रभान में और सिंचाई मन्त्रालय के तकनीकी अनुभाग में की जाती है। योजना आयोग द्वारा सिंचाई मन्त्रालय के सचिव की अध्य-

क्षता में स्थापित की गई बहु-उद्देश्यीय सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं से सम्बन्धित सलाहकार समिति परि-योजनाओं पर गई केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर विचार करती है। योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (सिंचाई और नियन्त्रण क्षेत्र विकास) इस सलाहकार समिति के सदस्य-सचिव हैं। स्कीमों की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग द्वारा राज्यों के परामर्श से परियोजनाओं तकनीकी समीक्षा के पूर्ण होने और बहु-उद्देश्यीय सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं से सम्बन्धित सलाहकार समिति द्वारा सहमति पर निर्भर करता है। इसलिए उन बाँधों और सिंचाई स्कीमों की संख्या और नाम प्रस्तुत करना संभव नहीं है जिनके 1980-81 में अनुमोदित होने की संभावना है तथापि, 1 अप्रैल 1980 से अब तक स्वीकृति की गई बड़ी और मझोली सिंचाई स्कीमों का विवरण संलग्न है।

(ख) सिंचाई राज्य का विषय है तथा बड़ी और मझोली सिंचाई स्कीमों के लिए परिव्ययों की राज्य योजना के भीतर व्यवस्था की जानी होती है। उत्तर प्रदेश और बिहार परियोजनाओं की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी दृष्टि से जाँच की जाने और उक्त सलाहकार समिति द्वारा सहमति दिये जाने के बाद इन पर भी अन्य राज्यों की परियोजनाओं के साथ-साथ स्वीकृति के लिए विचार किया जायेगा।

**विवरण**

**दिनांक 1-4-1980 से स्वीकृति की गई बड़ी और मझोली सिंचाई स्कीमों का विवरण**

| क्र० सं० | स्कीम का नाम |
|---|---|
| 1. | मोंडोवी सिंचाई परियोजना (गोवा दमण और दीव) |
| 2. | समानान्तर निचली गंगा नहर का परिशोधित अनुमान (उत्तर प्रदेश) |
| 3. | चंपावती सिंचाई परियोजना (असम) |
| 4. | लचूरा बाँध का प्रतिस्थापन (उत्तर प्रदेश) |
| 5. | थौबल बहु-उद्देश्यीय परियोजना (मणिपुर) |
| 6. | सांख सिंचाई स्कीम (महाराष्ट्र) |
| 7. | केलिया सिंचाई स्कीम (गुजरात) |
| 8. | झुज सिंचाई स्कीम (गुजरात) |
| 9. | बाह परियोजना (मध्य प्रदेश) |
| 10. | सागर परियोजना (मध्य प्रदेश) |
| 11. | दोहारा तालाब परियोजना (मध्य प्रदेश) |
| 12. | कालिया सोट परियोजना (मध्य प्रदेश) |
| 13. | तिल्लर बांध परियोजना (मध्य प्रदेश) |
| 14, | छापी सिंचाई परियोजना (राजस्थान) |
| 15. | बंकबल सिंचाई परियोजना (उड़ीसा) |
| 16. | वितरिकाओं का अस्तरण और छोटी परियोजना (पंजाब) |
| 17. | सीपू जलाशय परियोजना (गुजरात) |

**राजस्थान के झालावाड़ जिले में लघु उद्योगों की संख्या**

5305 **श्री चतुर्भुज** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : 15 जून, 1980 तक आलावाड़ जिले (राजस्थान) में, वहां जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना के बाद कितने उद्योग केन्द्र की स्थापना के बाद कितने और किन-किन लघु उद्योगों की स्थापना की गई है ;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** : राजस्थान सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार झालावार जिले में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित होने की तिथि से मई, 1980 के अन्त तक 71 लघु एकक स्थापित हुए हैं। लघु एककों के संवर्ध का उत्तरदायित्व मूलतः राज्य सरकार का है और देश के विभिन्न भागों के विभिन्न स्थानों में स्थापित एककों के नामों जैसे ब्यौरे सम्बन्धित राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों से रखे जाते हैं।

**नकली शराब पीने से हुई मौतें**

5306 **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) गत दो वर्षों में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में नकली शराब पीने से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ; और

(ख) गत दो वर्षों में अवैध शराब बेचते हुए कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर सभा पटल पर एक विवरण रख दिया जाएगा।

**बच्चों का अपहरण**

5307 : **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **गृह मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि : (क) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में गत दो वर्षों के दौरान अपहृत बच्चों से सम्बन्धित आंकड़े क्या है ;

(ख) कितने मामलों में गुमशुदा बच्चों को उनके माता पिता को सौंप दिया गया है ;

(ग) बच्चों को उठा ले जाने और उनके अपहरण से संबन्धित पाए गए अन्य अपराधों का स्वरूप क्या है ; और

(घ) देश के विभिन्न भागों में कार्यरत बच्चे उठाने वाले गिरोहों का ब्यौरा क्या है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

**औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया**

5308. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगोगिक लाइसेंस के लिए पुरानी प्रक्रिया क्या है और इस समय इसके लिए अपनाई जा रही नई प्रक्रिया क्या है और

(ख) नई प्रक्रिया अपनाने के परिणामस्वरूप सरकार को तथा उद्योगपतियों और नये उद्यमियों को क्या लाभ होंगे;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना** :

(क) और (ख) निम्नलिखित प्रकार के औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन-पत्र औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में प्राप्त होते हैं:—

| आवेदन का प्रकार | के द्वारा विचार किया गया | विचार समय-सीमा |
|---|---|---|
| 1. मिलेजुले आवेदन पत्र अर्थात वे आवेदन पत्र जिनमें एक से अधिक स्वीकृतियां जैसे औद्योगिक लाईसेंस, पूंजीगत माल, विदेशी सहयोग दो या अधिक स्वीकृतियाँ साथ-साथ माँगी जाती हैं। | बोर्ड परियोजना स्वीकृति (प्रोजेक्ट अप्रवल बोर्ड | 120 दिन |
| 2. एम. आर. टी. पी. हाउसेस द्वारा औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनपत्र | एल. सी. एवं एम. आर. टी. पी. समिति | 150 दिन |
| 3. ऊपर (1) और (2) से भिन्न अन्य औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदन पत्र। | लाइसेंसिंग कमेटी | 90 दिन |

2. 1975 तथा 1976 में तथा बाद के वर्षों में की गई पहल के फलस्वरूप अब निम्नलिखित उदारीकृत लाइसेंसिंग प्रक्रिया चल रही है—

(1) लघु क्षेत्र के उद्योग के लिए कोई भी लाइसेंस लेना अपेक्षित नहीं है। लघु क्षेत्रों के लिए 80 से अधिक उद्योग आरक्षित अधिसूचित किये गये हैं।

(2) उन स्थितियों में औद्योगिक लाइसेंस लेना जरूरी नही है यदि नई वस्तुओं/नये उपक्रमों/तथा पर्याप्त विस्तार के लिये किया गया निवेश 3 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो बशर्ते कि इस्पात तथा अल्युमिनियम से भिन्न कच्चे माल का आयात करने के लिए उत्पादन के कारखाने से निकलते समय के मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक अथवा 25 लाख रुपये जो भी कम हो, से अधिक विदेशी मुद्रा अपेक्षित न हो अथवा प्रस्तावित निवेश उत्पादन के शुरू होने के 3 वर्ष पश्चात् हिस्से पुर्जो/अवयवों का आयात करने के लिए किसी वर्ष 10 प्रतिशत अथवा 15 लाख रुपये, जो भी कम हो, से अधिक विदेशी मुद्रा अपेक्षित न हो। साथ ही बनाई जाने वाली वस्तु ऐसी न होनी चाहिए जो विनियमों के अधीन हो।

(3) विवरण 1 में सूचीबद्ध किये गये 24 उद्योगों के लिए कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है यदि,

(क) बनाई जाने वाली वस्तु आरक्षित सूची में नहीं है,

(ख) विदेशी सहयोग के लिए आयातित कच्चे तथा/पूंजीगत माल अपेक्षित न हो, तथा

(ग) आवेदक एम० आर० टी० पी/एफ० ई० आर० ए० एकक का नहीं है।

(4) विवरण 1 में सूची बद्ध किये गये 29 उद्योगों के लिए बिना किसी सीमा के अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग करने की अनुमति दे दी गयी है, बशर्ते कि वह लघु उद्योग की आरक्षित वस्तु न हो तथा बशर्ते कि देशी आयातित कोई अतिरिक्त मशीनरी अधिष्ठापित नहीं को गई हो और यह भी कि आवेदन एम० आर० टी० पी०/एफ० ई० आर० ए० एकक न हो।

(5) विवरण 111 में सूचीबद्ध किये गये 15 उद्योगों में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की सीमा तक अथवा रजिस्टर्ड/लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक पंचवर्षीय योजनावधि में 25 प्रतिशत तक स्वयमेव विस्तार करने की अनुमति दे दी गयी है, बशर्ते कि वह एक लघु उद्योग के आरक्षित वस्तु न हो और वशर्ते कि इस प्रकार का विस्तार करने में किया गया हो और बशर्ते कि एम. आर. टी. पी. अधिनियम के आशय के अंतर्गत वह एक प्रमुख एकक न हो।

(6) इसके अलावा, इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त क्षमता के लिए 25 प्रतिशत सीमा तक रजिस्टर्ड/लाइसेंसीकृत/प्राधिकृत क्षमता से अधिक उपयुक्त औद्योगिक एककों को अतिरिक्त उत्पादन करने की अनुमति दी जा चुकी है·

(7) अनेक श्रेणी के बड़े उद्योगों लिए लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अन्दर विविधीकरण करने की अनुमति दे दी गयी है और उसके लिए अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं हैं क्योंकि इस सम्बन्ध में प्रशासनिक मंत्रालयों को व्यापक अधिकार प्रत्यायोजित कर दिये गये हैं। एम० आर० टी० पी०/एफ० ई० आर० ए० एककों के मामलों में प्रशासनिक मंत्रालय में एक कृतिकबल की रिपोर्ट के पश्चात इसे एल० सी—सह—एम० आर० टी० पी० समिति के समक्ष रखा जाता है।

(8) यदि कोई औद्योगिक एकक अपने यहां के पदार्थों अथवा नये पदार्थों का उत्पादन करने/विस्तार करने के लिए दूषित जल का उपयोग करने के लिये दूषित जल का उपयोग करके अपनी विद्यमान लाइसेंस शुदा क्षमता का विस्तार/नई वस्तुओं का निर्माण करना चाहता है तो उसे प्रशासकीय मंत्रालय की सिफारिश पर इस प्रकार की क्षमता पृष्ठांकित कर उदारतापूर्वक ऐसा करने की अनुमति दे दी जाती है।

(9) तकनीकी विकास निधि योजना के अन्तर्गत प्रति उपक्रम प्रतिवर्ष 2,50,000 अमरीकी डालर की सीमा तक एक समन्वित रूप में सुधार करने की दृष्टि से अनेक श्रेणी के उद्योगों के लिये विवरण-4) विदेशी मुद्रा देने की व्यवस्था की जाती हैं।

(क) निर्यात क्षमता तथा निर्यात परिमाण।

(ख) लागत में कमी।

(ग) क्षमता का उपयोग।

(घ) प्रौद्योगिक कोटि उन्नमन।

(ङ) उत्पाद-मिश्र-युक्तियुक्तकरण, तथा

(च) आधुनिकी करण तथा युक्तियुक्तकरण।

तकनीकी विकास निधि के इस प्रकार के सभी आवेदनों पर निर्णय 45 दिनों के अन्दर देने होते हैं।

(10) वाणिज्यिक विदोहन के लिए अन्तर गृह अनुसंधान तथा विकास के लिसे साधनों का उपयोग भी उदार ही है और इस आधार पर औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन पत्रों पर साधारणत: अनुमति दे दी जाती है।

एम० आर० टी० पी०/एफ० ई० आर० ए० कम्पनियों के सम्बन्ध में ये केवल उन उद्योगों के सम्बन्ध में अनुसंधान तथा विकास हाथ में ले सकते हैं जो अनुबन्ध एक के अन्तर्गत

आते हैं और परिशिष्ट-1 की वस्तुओं पर अन्तरगृह अनुसधान तथा विकास पर आधारित औद्योगिक क्षमता की स्थापना करने के लिए इस प्रकार के प्रस्तावों पर गुणावगुणों के आधार पर अनुमति दी जाती है।

(3) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुये यह देखा जा सकता है कि औद्योगिक लाइसेंसिंग की सरकारी नीति निरन्तर सरल/सुप्रवाही बनाने, अनावश्यक नियंत्रणों अथवा प्रशासकीय प्रक्रियाओं से मुक्त करने का प्रयास करने की रही है। सरकार प्रशासकीय विलम्ब को निरंतर कम करने का प्रयास करती रही है जो आवेदनों की जांच करने में यदाकदा अनिवार्यतः बीच में आते रहे हैं, और आशा की जाती है कि हाल ही में किये गये कुछ उपायों से आगामी कुछ ही महीनों में ठोस उपलब्धियां होने लगेंगी। डी० जी० टी० डी० द्वारा लगाये जाने वाला रजिस्ट्रेशन का समय घटाकर लगभग 7 दिन कर दिया गया है। प्रशासकीय विलंब को कम करने हेतु औद्योगिक लाइसेंसिंग तंत्र को गतिमान बनाने का काम भी हाथ में ले लिया गया है।

**विवरण—1**

1. सूती धागा बनाने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन 50,000 तकुओं की क्षमता तक कपास की कताई :

(क) धागे की पैकिंग बैंक फार्म करने तथा वम्पर के अनुसार उत्पादन चालू नीति के अनुसार होना चाहिए और इस सम्बन्ध में समय-समय पर टेक्स- टाइल कमिश्नर द्वारा जारी किये गये निवेशों के अनुसार होना चाहिए।

(ख) नये एकक की क्षमता 25,000 तकुओं की होनी चाहिए।

(ग) एकक की स्थापना उन नगरों से जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, से भिन्न क्षेत्र में भी की जानी चाहिये।

2. कपास के बीजों सहित छोटे-छोटे बीजों से तेल/खली का साल्वेन्ट एक्सट्रेशन।
3. खेतों के अवशेष पदार्थों तथा विशिष्ट पदार्थों से लिखाई, छपाई तथा लपेटने का कागज।
4. बाँस से रेयन ग्रेड़ की लुगदी।
5. रिफ्रेक्टरीज।
6. 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर के आगे पानी के पंप
7. काटन सीड लिन्टर पल्प।
8. ट्रैक्टर चालित कृषि उपकरण।
9. ग्लास स्लैग तथा खनिज वूल तथा बने पदार्थ।
10. फाइनर बोर्ड/चिप बोर्ड और ऐसे ही पदार्थों सहित हार्ड बोर्ड।
11. जी. एल. एस. लैम्पस।
12. औद्योगिक सिलाई मशीनें।
13. आधारभूत औषधियां।
14. गढ़े हुए हाथ के औजार तथा छोटे-छोटे औजार।
15. लघु उद्योग के लिए आरक्षितों को छोड़कर चमड़े का सामान।
16. औद्योगिक मशीनें।

17. सर्जिकल तथा डाक्टरी रबड़ के उत्पादन ।
18. एन. टी. स्विचगियर ।
19. मशीन टूल्स ।
20. औद्योगिक तथा वैज्ञानिक उपकरण ।
21. आधारभूत कीटनाशी पदार्थ ।
22. स्वास्थ्य रक्षा ।
23. एच. टी. इन्सुलेटर्स ।
24. 4" गुणा 4" आकार तथा उससे अधिक की टाईलें ।

**विवरण—2**

उन 29 उद्योगों की सूची जिनमें सीमारहित अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, की सूची ।

1. विशेष अलाय, लोहा तथा इस्पात, कास्टिंग्स एस. जी. आयरन कास्ट्स्, स्टेन्लेस स्टील कास्टिंग्स तथा क्लोज्ड डाइ फोरजिंग्स ।
2. डीजल इंजन (15 हार्स पावर से ऊपर) तथा पम्प लघु उद्योगों के लिए आरक्षित छोटे पम्पों से भिन्न ।
3. बिजली के परिषण तथा वितरण के लिये उपकरण ।
4. पावर ट्रांसफारमरस् ।
5. स्विच गियर्स ।
6. इलैक्ट्रिक मोटर्स/विशेष किस्म के (उदाहरणार्थ फलेम प्रूफ मोटर्स)
7. इलैक्ट्रिक फरनेस ।
8. इलैक्ट्रानिक हिस्से पुर्जे तथा उपकरण ।
9. वाणिज्यिक गाड़ियाँ ।
10. ट्रैक्टर
11. स्कूटर
12. आटोमोवाइल के सहायक सामान ।
13. औद्योगिक मशीनें ।
14. मशीन टूल्स्
15. कन्वेयिंग इक्विपमेंट ।
16. क्रेन्स ।
17. भूमि उत्खनन, खनन तथा धनुकार्मिक उपकरण ।
18. डाइड्राविक इक्विपमेंट ।
19. नाइट्रोजीनस एण्ड फासफेटिक फरटीलाइजर्स ।
20. अकार्बनिक भारी रसायन ।
21. कार्बनिक भारी रसायन ।
22. फोटोग्राफिक रसायनों सहित उपकृष्ट रसायन ।

23. सिन्थेटिक रबड़ तथा रबड़ रसायन ।
24. औद्योगिक विस्फोटक पदार्थ ।
25. कीटनाशी पदार्थ, फफूंदनाशी पदार्थ, खरपतवारनाशी तथा ऐसे ही पदार्थ ।
26. कागज उत्पादकों सहित कागज तथा लुगदी ।
27. रिफ्रेक्टरीज तथा फरनेस लाइनिंग ब्रिक्स ।
28. पोर्टलेंड सीमेंट ।
29. आधारभूत औषधियां ।

**विवरण-3**

उन 15 उद्योगों की सूची जिसमें प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत का स्वयंमेव विस्तार करने अथवा रजिस्टर्ड/लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक पंचवर्षीय योजनावधि में 25 प्रतिशत तक विस्तार करने की अनुमति है ।

1. मोटर गाड़ी का सहायक सामान ।
2. कास्टिंग्स एण्ड फ्लोज डाई फोरमिन्स ।
3. ट्रैक्टर ।
4. वाणिज्यिक गाड़ियां ।
5. लाने ले जाने के उपकरण ।
6. डीजल इंजन, पम्प ।
7. क्रेनें ।
8. मिट्टी हटाने, खनन तथा धातुकार्मिक उपकरण ।
9. हाइड्रासिक उपकरण ।
10. रसायनिक संयत्र तथा मशीनों सहित औद्योगिक मशीनें ।
11. मशीन टूल्स ।
12. टैक्सटाइल मशीनें ।
13. बिजली के परिषण तथा वितरण के लिए उपकरण ।
14. पावर ट्रांसफारमरस् ।
15. स्विचनियर्स ।

**विवरण-4**

**तकनीकी विकास विधि के अंतर्गत उद्योग**

1. लोहा तथा इस्पात उद्योग ।
2. अलौह धातुएं ।
3. वायलर्स तथा भाप जनिनाप संयंत्र ।
4. प्राइम मूवर्स ।
5. इलैक्ट्रिकत इक्विपमेंट्स ।

6. दूरसंचार ।
7. परिवहन उपकरण ।
8. औद्योगिक मशीनें ।
9. मशीन टूल्स ।
10. कृषीय मशीनें तथा उपकरण ।
11. भूमि उत्खनन मशीनें, अन्य यांत्रिकीय तथा इन्जीनियरिंग उद्योग ।
12. वाणिज्यिक तथा अन्य उपकरण ।
13. मेडीकल तथा सर्जीकल उपकरण ।
14. इन्डस्ट्रियल इन्स्ट्रुमेंटस ।
15. वैज्ञानिक उपकरण तथा अन्य इन्स्ट्रूमेंटस ।
16. उवरक ।
17. रसायन ।
18. तेल अन्वेषण ।
19. औद्योगिक भैंसें ।
20. डाईस्टक ।
21. औषधियां तथा भेषजीय पदार्थ ।
22. लुगदी तथा कागज ।
23. टायर, ट्यूबें तथा टायर कार्ड ।
24. चमड़ा तथा चमड़े का सामान ।
25. कांच तथा चीनी मिट्टी का सामान ।
26. सीमेंट ।
27. ग्रेफाइट अलैक्ट्रोडस् ।
28. चाय ।
29. काफी ।
30. जूट टेक्सटाइल ।
31. सूती टेक्सटाइल ।
32. काजू ।
33. कायर के पदार्थ ।
34. चीनी तथा ।
35. अपरिष्कृत तम्बाकू ।

**राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र का दूसरा एकक आरम्भ किया जाना**

5309. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** क्या प्रधान मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र कोटा का दूसरा एकक आरंभ करने में सरकार
हो रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है -

(ख) इस बारे में हल कब तक ढूंढ लिया जाएगा और दूसरा एकक कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ; और

(ग) क्या इस बारे में तारीख निश्चित कर ली गई है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** (क) से (ग) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट को चालू करने में सरकार के सामने कोई विशेष कठिनाई नहीं आ रही है, सिवाय इसके कि भारी पानी आवश्यक से मामूली सी कम मात्रा में मिला है। बिजलीघर को चालू करने के लिये आवश्यक भारी पानी की अधिकांश मात्रा प्राप्त हो चुकी है तथा शेष मात्रा के भी शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है। बिजलीघर इस स्थिति में है कि उसे चालू किया जा सकता है। आशा है कि चालू करने का काम इस वर्ष के अन्त तक आरम्भ हो जाएगा।

**स्वतंत्रता सैनानी पेंशन नियम**

5310. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता सैनानी पेंशन नियमों का ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार नियमों की एक अद्यतन संशोधित प्रति सभा पटल पर रखने का है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

केन्द्रीय स्वतंत्रता सैनानी पेंशन योजना 1972 की एक प्रतिलिपि विवरण के रूप में जिसमें इसके मुख्य विशेषताएं और पात्रता के लिए वर्तमान मानदण्ड दिए गए हैं ; सभा पटल पर रखी जाती है।

**विवरण**

स्वतंत्रता सैनानी पेन्शन योजना 15.8.72 से शुरू हुई। योजना में जीवित स्वतंत्रता सैनानियों को, यदि वे जीवित न हों तो उनके परिवारों को और शहीदों के परिवारों को पेंशन देने की व्यवस्था है। इस योजना के अधीन एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों को पेंशन स्वीकृत नहीं की जा सकती।

परिवार में माता, पिता और विधुर/विधवा, यदि उसने पुनर्विवाह न किया हो, अविवाहित पुत्रियां और ऐसे आपवादिका मामलों में पुत्र शामिल होंगे जहां स्वतंत्रता सैनानियों की सजा। उनके शहीद होने के कारण वे स्वयं को स्थापित करने में असमर्थ रहे।

इस योजना के प्रयोजनों के लिए तत्कालीन राजाओं की रियासतों के 15 अगस्त, 1947 के बाद भारतीय संघ में विलयन के लिये आंदोलन और भूतपूर्व फ्रांसीसी व पुर्तगाली कालोनियों में हुए स्वतंत्रता संग्राम भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अंग समझे गए हैं।

आजाद हिन्द फोज तथा भारतीय स्वाधीनता लीग में भाग लेने की भी राष्ट्रीयता मुक्ति संघर्ष में भाग लेना माना एया है।

पात्रता : इस योजना के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित व्यक्ति स्वतंत्रता सैनानी हैं :—

(क) वह व्यक्ति जिसने स्वाधीनता से पहले भारत की मुख्य भूमि (मेनलैण्ड) जेलों में कम से कम छः महीने की जेल काटी है। किन्तु भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज तथा भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी तब भी पेंशन के पात्र होंगे यदि उनकी सजा/नजरबंदी भारत के बाहर हुई हो।

स्पष्टीकरण : 1. सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के आधीन नजरबंदी को कारावास समझा जायगा।

2. सामान्य छूट (रेमिशन) की अवधि को वास्तविक सजा भाग माना जायगा।

3. जिन मुकदमों में अन्ततः सजा हुई हो उनमें विचारण-अवधि को काटी गई वास्तविक सजा में गिना जायगा।

4. सजा की अलग-अलग अवधियों को जोड़ दिया जाएगा तथा उन्हें एक गिना जायगा।

(ख) वह व्यक्ति जो छः महीने से अधिक भूमिगत (अन्डर ग्राउंड) रहा हो बशर्ते कि :

1. वह घोषित अपराधी रहा हो, अथवा

2. उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया हो अथवा

3. उसकी नजरबंदी के आदेश जारी किए गये हों किन्तु तामील न हुए हों।

(ग) वह व्यक्ति जो अपने घर में नजरबंद (इनटर्न्ड) रखा गया हो अथवा अपने जिले से निकासित किया गया हो बशर्ते कि बन्दीकरण/निष्कासन की अवधि छः महीने या उससे अधिक हो।

(घ) वह व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जब्त की गई हो अथवा कुर्क की गई अथवा बेच दी गई हो।

(ङ) वह व्यक्ति जो गोली चलने अथवा लाठी चार्ज के दौरान स्थायीरूप से विकलांग हो गया हो।

(च) वह व्यक्ति जो राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के कारण अपनी असैनिक अथवा सैनिक नौकरी अथवा आजीविका के साधन से वंचित हो गया हो।

शहीद वह व्यक्ति है जो भारत की विमुक्ति के लिये राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण कार्यवाही के दौरान अथवा नजरबंदी में मर गया हो अथवा मारा गया हो अथवा जिसे मृत्यु दण्ड दिया गया हो। इसमें आजाद हिन्द फौज का अथवा सैना का ऐसा भूतपूर्व कर्मचारी शामिल होगा जो अंग्रेजों से लड़ता हुआ मारा गया हो।

**प्रक्रिया : 1—आवेदन पत्र प्रस्तुत करना**

जो व्यक्ति अपने को योजना के अन्तर्गत पेंशन के लिए पात्र समझते हैं उन्हें निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियों में आवेदन करना चाहिए। प्रपत्र की एक प्रति विधिवत भर कर तथा समर्थन में उपलब्ध दस्तावेजों सहित सचिव, गृह मंत्रलय, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए और दूसरी प्रति संबधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव को भेजी जानी चाहिऐ। आवेदन पत्र के प्रपत्र उपर्युक्त में से किसी भी कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदक को आवेदनपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भेजने चाहिये :—

(क) **सजा/नजरबंदी इत्यादि**—संबधित जेल प्राधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेटों अथवा राज्य सरकार से प्रमाण पत्र। ऐसे प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर किसी वर्तमान संसद सदस्य अथवा विधायक से अथवा किसी भूतपूर्व संसद सदस्य अथवा भूतपूर्व विधेयकसे सह-बन्दी (को प्रिजनर) प्रमाण पत्र जिसमें जेल की अवधि निर्दिष्ट हो।

(ख) **भूमिगत रहे**—आवेदन को एक अपराधी के रूप में घोषित करने, उसको मारने अथवा उसकी गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार घोषित करने अथवा उसको नजरबंद करने विषयक न्यायालय/सरकार के आदेशों का दस्तावेजी सबूत ।

(ग) **नजरबंदी अथवा निष्कासन**---नजरबंदी अथवा निष्कासन के आदेश की प्रतिलिपि सहित शपथ पत्र (एफीडेविट) अथवा पुष्टि करने वाला कोई अन्य दस्तावेज सबूत :

(घ) **सम्पत्ति रोजगार, आदि की हानि**—सम्पत्ति को जब्त करने या उसको बेचने के आदेश । सेवा से बर्खास्त करने तथा हटाने के आदेश ।

उस स्वतंत्रता सैनानी के मामले में, जिसने गिरफ्तारी/सजा के समय गलत नाम व पता दिया हो, ऐसे संसद सदस्य अथवा विधायक अथवा भूतपूर्व संसद सदस्य अथवा भूतपूर्व विधायक से, जो स्वतंत्रता सैनानी के साथ जेल में रहा हो और जो स्पष्टत; उसकी पहचान को प्रमाणित करता हो, एक प्रमाण पत्र आवश्यक है ।

स्वीकृति आदेश का जारी करना : आवेदनपत्रों की समीक्षा करने के बाद स्वीकृति पत्र जारी किये जाएंगे और सम्बन्धित क्षेत्र के महा लेखाकार को सूचित कर दिया जायेगा और उसकी प्रतिलिपियाँ राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के मुख्य सचिव और सम्बन्धित जिले के कलैक्टर डिप्टी कमिश्नर को भेज दी जायेगी । इसके साथ-साथ पेंशन की स्वीकृति तथा पेंशन की राशि की सूचना/देने के लिए एक पत्र प्रत्येक पेंशनग्राही को जारी किया जायेगा । जिन आवेदकों का अनुमोदन नहीं किया जा सकेगा, उन्हें विधिवत् सूचित कर दिया जायेगा ।

भुगतान का तरीका :—स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर सम्बन्धित महा-लेखाकार निम्नलिखित पहचान-कागजात प्रस्तुत करने पर भुगतान करने के लिए सम्बन्धित खजाना/उप खजाना अधिकारी को प्राधिकृत करते हुये पेंशन भुगतान के आदेश जारी करेगा :—

1 . फोटोग्राफ

2 . पहचान के लिए दो विशिष्ट निशान

3 . उन स्वतंत्रता सैनानियों के मामले में, जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि अपने हस्ताक्षर कर सकें, सक्षम प्राधिकारी से विधिवत सत्यापित उनके बांए हाथ के अंगूठे तथा उंगली के निशान ।

4 . जन्म तिथि

इनके प्रस्तुत किये जाने पर खजाना अधिकारी/उप खजाना अधिकारी पेंशन का भुगतान शुरू कर देगा ।

पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन निम्न प्रकार से प्राप्त की जाती हैं ।

1 . खजाने अथवा उप-खजाने से या तो स्वयं

2 . अथवा मनिअर्डर द्वारा

(क) सरकार के खर्च पर यदि पेंशन की मासिक राशि 100 रुपये से अधिक नहीं है,

(ख) मनीआर्डर कमीशन अदा करने पर यदि पेंशन की राशि 101 रुपये और 250 रुपये के बीच है,

टिप्पणी : 250 रुपये से अधिक मासिक पेंशन मनीआर्डर द्वारा नहीं भेजी जायेगी ।

3. यदि पेंशनग्राही का बैंक में खाता खुला हुआ है/खोल लिया जाय तो बैंकर के माध्यम से/ऐसे मामलों में पेंशन-प्राप्तकर्त्ता को प्रतिमह एक बिल बनाना पड़ेगा और इसे अपने बैंकर को प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो खजाने अथवा उप-खजाने से उसकी ओर से पेंशन वसूल करेगा और उसके खाते में जम करेगा।

अवधि : अविवाहिक पुत्रियोंके मामलों को छोड कर यह पेंशन उसके प्राप्तकर्ता के जीवन-काल के लिए है। अविवाहक पुत्रियों के मामलों में, उनके विवाहिक होने अथवा अन्यथा स्वावलम्बी हो जाने के बाद पेन्शन तुरन्त बन्द कर दी जायेगी पेन्शन प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी पेन्शन के लिए अन्यथा पात्र होने पर भी स्वतः इस पेंशन के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। उन्हें पेन्शन प्राप्त कर्त्ता की मृत्यु के सबूत के साथ नया आवेदन पत्र देना पड़ेगा और उनके आवेदन पत्र पर पेंशन योजना की शर्तों के अनुसार विचार किया जायेगा।

टिप्पणी :— (1) पेंशन योजना 15 अगस्त, 1972 से आरम्भ हुई है। 14 अगस्त 1673 को या उससे पहले प्राप्त आवेदन पत्रों पर 15 अगस्त, 1972 से पेन्शन स्वीकृत की जाएगी। इसके बाद प्राप्त आवेदनपत्रों परपेंशन के सम्बन्ध में प्राप्त होने की तारीख से विचार किया जागगा।

(2) आवेदन पत्र प्राप्त करने की आखिरी तारीख 31. 3. 1974 निर्धारित की गई थी। क्योंकि बड़ी संख्या में आवेदन पत्र अभी तक प्राप्त हो रहे हैं अतः यह निर्णय लिया गया कि 30.4. 1979 के बाद इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर विचार न किया जाय चाहे वे सीधे प्राप्त हो या राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हों।

(3) योजना उन स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन देने के लिए है जिन्हें आर्थिक सहायता आवश्यकता है। स्वतंत्रता सैनानियों/या उनके परिवारों की आर्थिक दशा पर विचार करने के पश्चात पेंशन स्वीकृत की जाएगी। केवल वे ही पेंशन स्वीकृति के पात्र हैं जिनकी आय सभी स्रोतों से 5000/- रु० से कम है।

**अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 25वें प्रतिवेदन को कार्यान्वित करना।**

5311 : **श्री भोखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के लोकसभा को पेश किए गए 25वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों सहित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा अब तक कुल कितनी सिफारिशें की गई हैं ;

(ख) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग उनमें से कितनी सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं ; और

(ग) क्या इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए अलग सैल की स्थापना का प्रश्न उनके मंत्रालय के विचाराधीन है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने अपने 25वें वार्षिक प्रतिवेदन में लगभग 4480 सिफारिशें की हैं।

(ख) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आयुक्त के 25वें वार्षिक प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को उचित कार्रवाई के लिए सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के ध्यान में लाया गया है।

(ग) जी हाँ, श्रीमान।

**पिछड़ा वर्ग आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग**

5312 : **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 240 के अन्तर्गत एक से अधिक बार पिछड़ा वर्ग आयोगों का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने आयोगों की नियुक्ति की गई है और कब-कब ;

(ग) क्या संविधान के अनुच्छेद 339 में अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग गठित करने के बारे में भी उल्लेख है ; और

(घ) यदि हाँ, तो अब तक इस प्रकार का आयोग गठित न करने के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) भारत सरकार ने संविधान की धारा 340 के अधीन दो पिछड़े वर्ग आयोग नियुक्त किए हैं। एक आयोग की नियुक्ति 29 जनवरी, 1953 को और दूसरे की 1 जनवरी, 1979 को की गई थी।

(ग) जी हाँ, श्रीमान।

(घ) 28 अप्रैल 1960 को "अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति आयोग" नाम से राष्ट्रपति ने एक आयोग नियुक्त किया था, दूसरा आयोग नियुक्त करने के लिए आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

**स्कूटरों का उत्पादन, उनकी मांग तथा क्षमता**

5313 **श्री मूलचन्द्र डागा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) देश में कम्पनीवार स्कूटरों की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) देश में स्कूटरों की वार्षिक माँग कितनी है ; और

(ग) कम निर्माण क्षमता के क्या कारण हैं और माँग को पूरा करने के लिये क्या कार्रवाही की जायेगी ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) योजना आयोग द्वारा परिवहन, मिट्टी हटाने की मशीनों तथा कृषि मशीनों के संबन्ध में नियुक्त किए गए कार्यकारी दल ने 1980-81 में 3 लाख स्कूटरों की मांग होने का अनुमान लगाया है।

(ग) तकनीकी तथा वित्तीय समस्याओं के कारण कुछ एककों में क्षमता का अपेक्षाकृत कम उपयोग हो रहा है। केन्द्रीय सरकार का उपक्रम स्कूटर्स इण्डिया लि० अपनी उत्पादन संबन्धी समस्याओं पर काबू पाने तथा अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये कदम उठा रहा है।

विद्यमान लाइसेंस प्राप्त तथा अधिष्ठापित क्षमताएं माँग को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं।

विवरण

| क्रम संख्या | एकक का नाम | वर्तमान अधिष्ठापित क्षम (नग) |
|---|---|---|
| 1. | मैं० आटोमोबाइल प्रौडक्ट्स आफ इण्डिया लि०, बम्बई | 39,000 |
| 2. | मैं० बजाज आटो लि०, पूना | 1,00,000 |
| 3. | मैं० स्कूटर्स इण्डिया लि०, लखनऊ | 80,000 |
| 4. | मैं० एस्कोर्ट लि०, फरीदाबाद | * |
| 5. | मैं० महाराष्ट्र स्कूटर्स लि०, पूना | 24,000 |
| 6. | मैं० गुजरात स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, अहमदाबाद | 3,000 |
| 7. | मैं० अरावली स्वचालित वाहन लि०, अलवर | 3,000 |
| 8. | मैं० आंध्र प्रदेश स्कूटर्स लि०, हैदराबाद | |
| 9. | मैं० पंजाब स्कूटर्स लि०' नाभा | 45,000*** |
| 10. | मैं० बिहार स्टेट इण्डस्ट्रीयल डैवलपमेंट कारपोरेशन लि०, पटना | |
| 11. | मैं० कर्नाटक स्कूटर्स लि०, बंगलौर | |
| 12. | मैं० वैस्ट बंगाल स्कूटर्स लि०, कलकत्ता | |

* 24,500 मोटर साइकिलों की कुल क्षमता के अन्दर। किन्तु उन्होंने स्कूटरों का उत्पादन पहले ही बंद कर दिया है।

** मैं० स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के लाइसेंसधारियों अर्थात आंध्र प्रदेश स्कूटर्स, कर्नाटक स्कूटर्स, वैस्ट बंगाल स्कूटर्स, बिहार स्टेट इण्डस्ट्रीयल डैवलपमेंट कारपोरेशन तथा पंजाब स्कूटर्स की क्षमता स्कूटर्स इण्डिया लि० (एस० आई० एल० ) द्वारा पावर पैकों की सप्लाई पर निर्भर है।

मैं० पंजाब स्कूटर लि० में स्कूटरों का उत्पादन बन्द कर दिया है।

**स्कूटरों के नये कारखाने खोलना**

5314. **श्री मूलचन्द्र डागा** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या देश में स्कूटर बनाने के कारखाने देश में स्कूटरों की माँग को पूरा करने में असमर्थ हैं ;

(ख) क्या सरकार का स्कूटरों के निर्माण में वृद्धि करने के लिये और अन्य कारखानें को खोलने का विचार है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इन कारखानों को देश में किन-किन स्थानों पर खोलने का विचार है तथा उनकी अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) देश में स्कूटर बनाने के लिये लाइसेंस प्राप्त क्षमता माँग को पूरा करने के लिये पर्याप्त समझी जाती है। फिर भी बजाज और प्रिया मेक के स्कूटरों, जिसे उपभोक्ता अधिक पसंद करते हैं ; की प्रतीक्षा सूची है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**"चम्बल डेकाइट्स यूज पाक बुलेट्स" शीर्षक से छपा समाचार**

5315 : **श्री आर के महालगी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार ने दिनांक 8 जून, 1980 के "सन्डे स्टैन्डर्ड" (बम्बई संस्करण) में "चम्बल डेकाइट्स यूज पाक बुलेट्स" शीर्षक के अन्तर्गत छपे हुए समाचार की ओर ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके तथ्य क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने आग्नेयास्त्रों तथा बुलेट्स आदि के अवैध आयात पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :**

(क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है उसके प्राप्त होने पर एक विवरण सभापटल पर रख दिया जाएगा।

**भूतपूर्व सैनिक की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए अनुरोध**

5316 : **श्री आर० के० महालगी** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार को भूतपूर्व-सैनिक कल्याण संगठन से मई, 1980 के अंतिम सप्ताह में जून 1980 के प्रथम सप्ताह में ऐसा कोई ज्ञापन मिला था जिसमें पेंशन की राशि को कम से कम 100 रुपये करने और उनकी अन्य शिकायतों की जांच करने का अनुरोध किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी अन्य मांगे क्या हैं ;

(ग) सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री सी० पी० एन० सिंह)**

(क) से (ग) भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन से मई 1980 के अन्तिम सप्ताह अथवा जून 1980 के प्रथम सप्ताह में कोई ज्ञापन मिला प्रतीत नहीं होता है। फिर भी 1-1-1973 से पहले रिटायर हुए सिपाही की राहत सहित न्यूनतम पेंशन 100/-रुपये प्रति माह; 1-1-1973 को या उसके बाद रिटायर हुए सिपाही की 121/-रुपये प्रतिमाह और 1-4-1979 को या उसके बाद रिटायर हुए सिपाही की 150/-रुपये प्रतिमाह है।

**उड़ीसा में जिला उद्योगों केन्द्रों की स्थापना**

5317. **श्री चिन्तामणि** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा राज्य सरकार से उस राज्य के अधिकतर जिलों में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) से (ग) वर्ष 1978-79 उड़ीसा राज्य के सभी 13 जिलों में से प्रत्येक के लिए एक एक जिला उद्योग केन्द्र स्वीकृत किया गया है। अत: और अधिक जिलों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**बजाज और प्रिया स्कूटरों की मांग**

5318. **श्री चिन्तामणि जेना** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में बजाज और प्रिया स्कूटरों की अत्याधिक माँग है ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्तियों को कितने समय की प्रतीक्षा समय के बाद इन स्कूटरों के मिल जाने की आशा होती है ; और

(ग) क्या सरकार को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि स्कूटरों के ये दो मेक खुले बाजार में अधिक मूल्य पर बेच दिये जाते हैं और यदि हाँ तो प्रत्येक मेक पर कितना-कितना अधिक मूल्य लिया जाता है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) जी, हाँ।

(ख) निर्माताओं ने बताया है कि बजाज स्कूटर के लिये प्रतीक्षा/सुपुर्दगी की अवधि 12 वर्ष से अधिक है तथा विदेशी मुद्रा योजना के अंतर्गत बजाज चेतक स्कूटर की सुपुर्दगी की अवधि लगभग 5 वर्ष है। प्रिया स्कूटर की सुपुर्दगी की अवधि लगभग 15 वर्ष है।

(ग) बजाज और प्रिया स्कूटर अधिक मूल्य पर खुले बाजार में बेचे जाने की सरकार की कुछ शिकायतें मिली हैं। निर्माताओं ने बताया है कि किसी भी इच्छुक खरीदार को अधिकृत मूल्य से अधिक मूल्य देने की आवश्यकता नहीं है।

**वालीमल्ला में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लिया गया प्लाट**

5319. **ए०ए० रहीम** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपनी एक परियोजना के लिए त्रिवेन्द्रम जिले के नीदूमांगद के निकट वालीमल्ला में एक प्लाट ले लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी)** (क) और (ख) अन्तरिक्ष विभाग के अनुरोध पर केरल सरकार ने नीदूमांगद के निकट वालीमल्ला में एक सौ एकड़ वन भूमि का आवंटन किया है। यह भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के अन्तर्गत है। भावी प्रमोचक राकेट विकास कार्यक्रमों के लिये इस भूमि पर कुछ सुविधाएँ स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

**कन्याकुमारी काजू पर आधारित उद्योग**

5320. **श्री एन० डेनिल** . क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में काजू पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) कच्चे काजू के आयात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) वित्तीय वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में काजू पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई विशेष कदम नहीं उठाए हैं।

(ख) कच्चे काजू के आयात को बढ़ावा देने के लिए 1979 में एक योजना बनायी गई थी, जिसके अन्तर्गत काजू के हकदार उत्पादकों/निर्यातकों को गैर-परम्परागत स्रोतों से कच्चे काजू का आयात करने की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते कि उन पर समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण भारतीय काजू निगम का हो और वे आयातित कच्चे काजू का आधा भागभारतीय काजू निगम को सौप दें। भारत में परिशोधन करने के उद्देश्य ले गुणा व गुण के आधार पर कच्चे काजू का सीधे आयात करने तथा प्रत्येक मामले में निर्धारित की गई कुछ शर्तों के अधीन इसका पुनः निर्यात करने की भी अनुमति दे दी गई है।

**केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान का वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को फिर से अन्तरण किया जाना**

5321. **श्री ए० के० राय** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पिछली सरकार की अनुसंधान की प्रयोगशालाओं की वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद से सम्बद्धता समाप्तकरनेऔर उनकी प्रयोक्ता मंत्रालय से सम्बद्ध करने की नीति का पता है ;

(ख) क्या यह सच है कि धनबाद का केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान इस प्रकार का ऊर्जा मंत्रालय से सम्बद्ध किया गया था ?

(ग) क्या देश के वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकी-विदों द्वारा इस प्रबन्ध को पसन्द नहीं किया गया है और साइंटिफिक वर्कर्स एसोसियेशन के केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान का वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को फिर से अन्तकरण करने की मांग की है और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) और (ख) भूतपूर्व सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 1-4-1978 से चार राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, तीन संग्रहालय और दस अनुसंधान संस्थाएं प्रयोगकर्ता मंत्रालयों को स्थानान्तरित किये गये थे। केन्द्रीयन ईंध अनुसंधान को संस्थान (सी० एफ० आर० आई०) धनबाद का स्थानान्तरण ऊर्जा मंत्रालय में किया गया था (और अब यह इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय के अन्तर्गत है)।

(ग) और (घ) वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी विदों और वैज्ञानिक कार्यकर्ता संघ आदि से बहुत बड़ी संख्या में प्रतिवेदन और ज्ञापन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में प्राप्त हुए हैं जिनमें विभिन्न स्थानांतरित संस्थाओं की वापसी की मांग को गई है। यह मामला सरकार के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

**पश्चिमी बंगाल में सन्थलों द्वारा विरोध प्रदर्शन**

5322. **श्री ए० के० राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 27 जून, 1980 की "अमृत बाजार पत्रिका" नामक समाचार पत्र में "पश्चिमी बंगाल में जसजातीय लोगों पर हुए अत्याचारों के विरोध में "प्रोटेस्ट रैली बाई सान्थल्स" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और उस क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) राज्य सरकार से रिपोर्ट मंगाई गई है । रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर सदन के पटल पर एक विवरण रखा जाएगा ।

**लिखाई और छपाई के कागज की मांग और सप्लाई**

5323. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या उद्योग मंत्री यह बतासे की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में लिखाई और छपाई के कागज की मांग और सप्लाई में अंतर बढ़ रहा है ;

(ख) इस बढ़ते हुए अंतर को पूरा करने हेतु उपरोक्त किस्म का कागज अधिक मात्रा में उत्पादित करने की क्या योजनाएं हैं ;

(ग) आगामी तीन वर्षों में सभी किस्म के कागज का निर्माण करने की नई क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ; और

(घ) कागज बनाने वाले कितने नए एकक रुग्ण सूची में हैं और सरकार ने उनको बचाने के लिए क्या प्रयास किए हैं;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) निकट भविष्य में कागज की मांग से कागज का देशी उत्पादन थोड़ा कम होने की सभावना हैं ।

(ख) और (ग) देश की कागज सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी व गैर-सरकारी, दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त क्षमता स्थापित की जा रही है । बिजली य कोयले की पलब्धता में सम्भावित सुधार होने से अधिक क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा तथा जिसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी । कागज के अधिक उप्पादन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं :—

(1) गौप कच्चे माल, जिसके लिए विदेशी मुद्रा व्यय नहीं करनी पड़ती, पर आधारित कागज मिलों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए इन्हें लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है ।

(2) 30 मी० टन प्रति दिन तक की क्षमता वाले पुराने कागज संयंत्रों के आयात की सुविधा दे दी गई है ।

(3) लुगदी के आयात को उदार बना दिया गया है ।

(4) कागज बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रद्दी कागज पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क को हटा दिया गया है ।

(5) अपरम्परागत कच्चे माल का उपयोग करने के लिए लघु कागज मिलों को उत्पादन शुल्क में रियायत दी गई है ।

(6) कागज बनने में खोई (बगासे) का उपयोग करने पर विशेष प्रोत्साहन दिए जाते हैं ।

(घ) रुग्णता सूची में किसी नए कागज उत्पादन एकक के होने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है ।

**लघु एककों पर उत्पादन शुल्क का बढ़या जाना**

5324 : **श्री बसंतकुमार पंडित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोल्टस एण्ड नटस मैयुफैक्चरिंग एसोसियेशन ने फरवरी 1980 में सरकार से कहा था कि बोल्ट तथा नट बनाने वाले लघु एककों के मामले में उत्पादन छूट से छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ा कर 15 लाख किया जाये ;

(ख) क्या 1977 में एस० आई० एस० आई० द्वारा किये गये सम्भाव्यता अध्ययन से सिद्ध हुआ था कि लघु एकक आर्थिक रूप से तभी सूक्ष्म हो सकते है जबकि उत्पादन 8·5 लाख से अधिक बढ़ जाये ;

(ग) क्या सरकार का विचार बोल्ट तथा नट बनाने वाले लघु एककों को सी० ई० टी० संख्या 52 से सी० ई० टी० संख्या 68 के अन्तर्गत स्थानान्तरित करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का लघु निर्माताओं को अन्य क्या राहत देने का और किस ढंग से उनको संरक्षण देने का विचार है;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) जी, हाँ।

(ख) संभाव्यता अध्ययन से पता चला है कि लघु एकक कम से कम 7·5 लाख रुपये का वार्षिक उत्पादन करने पर ही जीव्य हो सकता है और यह सुझाव दिया गया था कि उत्पादन शुल्क की छूट की सीमा बढ़ाकर 7·5 लाख रुपए कर दी जाये।

(ग) और (घ) वित्त विधेयक 1980 जिसके अंतर्गत सामान्य उत्पादक शुल्क पर 25 प्रतिशत की राहत 5 लाख से 15 लाख रुपयों के बीच की अनुमातियों पर लागू है, में प्रस्तावित सामान्य छुट की योजना के अंतर्गत उद्यमीकृत योजना के संदर्भ में हाल ही में इसकी जाँच की गई थी।

सामान्य छूट योजना (जिसके अंतर्गत नट्स एण्ड बोल्ट उद्योग आते हैं) के अधीन प्रस्तावित रियायतों की उदारीकृत योजना लघु उद्योग निर्माताओं के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये पर्याप्त समझी जाती है।

**मध्य प्रदेश को पिछड़े क्षेत्रों कोविकास के लिए सहायता**

5325 : **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य को पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 1979-80 के दौरान किस प्रकार की सहायता दी गई है; और

(ख) राज्य द्वारा वर्ष 1980-81 के लिए किस प्रकार की सहायता की मांग की गई है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** :

(क) और (ख) : मध्यप्रदेश राज्य के पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमी निम्नलिखित केन्द्रीय प्रोत्साहन पाने के अर्ह हैं। जहां तक उद्योग मन्त्रालय द्वारा चलाई गई केन्द्रीय राजसहायता का सम्बन्ध है, मध्य प्रदेश सरकार को वर्ष 1979-80 के दौरान 60,04638 रूपये की राशि केन्द्रीय राजसहायता के रूप में दी गई थी :—

1. केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजना।

2. अखिल भारतीय सर्वाधिक ऋणदात्री वित्तीय संस्थानों रियायतों वित्तीय सुविधायें।
3. कर सम्बन्धी रियायतें।
4. लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया खरीद।
5. तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श।
6. व्याज राज सहायता।
7. कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधायें:
8. ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम।
9. ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम।
10. जिला उद्योग केन्द्र।
11. मूल (सीड)/सीमान्त (मार्जिन) धनराशि सहायता।

मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1980-81 की राज्य-योजना में औद्योगिक विकास के लिए 30 लाख रुपये परिव्यय का प्रस्ताव किया है। जब कभी केन्द्रीय राजसहायता हेतु आवेदन मिलेंगे उपयुक्त मामलों में उचित कारवाई की जाएगी।

**पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए धनराशि**

5326 : **श्री दिलीप सिंह भूरिया** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में इस मामले में क्या निर्णय किया गया है।

**योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** :

(क) सरकार ने राज्य सरकारों को संसाधन के अन्तरण और केंद्रीय राजसहायता के आवंटन की मात्रा नियन्त्रित करने वाले फार्मूले में पिड़छेपन को एक उपादान के रूप में स्वीकार किया है। इसके अलावा राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों की विशेष समस्याओं के लिए, जैसे जन-जातीय लोगों और छोटे किसानों की बहुलता, सूखा-प्रवृत्तक्षेत्र, विकास की आवश्यकता वाले सिंचाई नियंत्रण क्षेत्र और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को भी केन्द्रीयप्रायोजित स्कीमों के जरिए सहायता के लिए स्वीकृत किया गया है।

(ख) विवरण संलग्न है।

**विवरण**

**मध्य प्रदेश**

1. 1979-80 में राज्य को केन्द्रीय सहायता : 113.25 करोड़ रू०
2. केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत विशेष सहायता :

| कार्यक्रम | मध्य प्रदेश में समावेशन | 1979-80 में केन्द्रीय सहायता (लाख रु०) |
|---|---|---|
| लघु कृषक विकास अभिकरण | 12 अभिकरण | 129.5 |
| सुखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम | 6 जिले | 236.25 |

| | | |
|---|---|---|
| | (बैतूल, धार, झाबुआ, खरगोन, सीधी और शहडोल) | |
| नियन्त्रण क्षेत्र विकास | 4 परियोजनायें | 418.00++ |
| गहन एकीकृत ग्रामीण विकास | राज्य में 458 खंडों में से 350 खंड | 443.72 |
| रियायती वित्त | राज्य में 36 ज़िले | ०० |
| निवेश आर्थिक सहायता | राज्य में सभी क्षेत्रों से चुने 6 क्षेत्र (65 ताल्लुके) | ०० |
| जनजातीय विकास | 42 एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम और 24 जिलों में 29 जनजातीय प्रक्षेत्र | 192.00 |

++ : ये आंकड़े राज्य योजना में प्रावधान के संकेतक हैं।

०० : किन्ही परिव्ययों की व्यवस्था नहीं की गई है। पात्रता के अनुसार धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

**त्रिपुरा हत्याकांड में हुई मौतें**

5327 : **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में हुए हाल के हत्याकांड में कितने आदिवासी और कितने गैर-आदिवासी मारे गए;

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) मृतकों के सम्बन्धियों और आश्रितों को क्या सहायता दी गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** :

(क) से (ग) : राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 21 जुलाई, 1980 तक 547 व्यक्ति (95 आदिवासी, 450 गैर-आदिवासी और 2 पुलिस कर्मचारी) मारे गये थे।

सेना और केन्द्रीय पुलिस बलोंको वायुयान द्वारा ले जाया गया और स्थिति को नियन्त्रित करने में राज्य पुलिस की सहायता के लिए त्रिपुरा पहुंचे। राज्य सरकार ने दंगों में मारे गए व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को 5000 रुपए का अनुग्रह भुगतान करने का निर्णय किया है।

केन्द्रीय सरकार स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को सभी सहायता और सहयोग दे रही है

**सशस्त्र दलों में घूम रहे भूतपूर्व डाकू**

5328 : **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार ने ऐसे समाचार देखे हैं कि जिन डाकुओं ने आत्म-समर्पण कर दिया था वे बाद में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सशस्त्र सगर्थकों के साथ घूमने लगे हैं;

(ख) यदि हाँ, क्या सरकार ने संबन्धित राज्यों के साथ इस समस्या पर विचार करने की कोई पहल की है; और

(ग) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व डाकुओं को सशस्त्र दलों के साथ घूमने से रोकने के लिए कार्यवाही करने का है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और यथावधि सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**अलग गोरखालैंड की मांग करने वाले पर्चे**

5329 : **श्रीमती किशोरी सिंहा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या पश्चिम बंगाल और सिक्किम के नेपाली जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ऐसे पर्चे बांटे गये हैं जिनमें अलग गोरखा भूमि की मांग की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन पर्चों के मूल स्त्रोत का पता लगाया है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर दिलाया है कि यदि इस मांग को फैलने दिया गया तो गंभीर स्थित पैदा हो सकती है; और

(घ) क्या सरकार ने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि क्या कुछ ऐसी वास्तविक स्थानीय समस्यायें हैं जिनकी राज्य सरकार उपेक्षा करती रही है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री योगेंद्र मकवाना )** : (क) और (ख) : एक गोरखा संगठन, "प्रान्तीय मोर्चे" ने अलग गोरखालैंड" के लिए अपनी मांग के समर्थन में पर्चे छपवाए और दार्जिलिंग तथा सिक्किम के नेपाली जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बांटे हैं ।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम सरकारों ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने किसी वास्तविक स्थानीय शिकायतों की अनदेखी नहीं की है ।

**पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों का विकास**

5330 : **श्री अमर रामप्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि : (क) सरकार ने देश में पिछड़े हुए जनजातीय क्षेत्रों को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए है; और

(ख) निकट भविष्य में क्या कदम उटाए जाने का प्रस्ताव है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री योगेंद्र मकवाना )** : (क) 16 राज्यों तथा दो संघ शासित क्षेत्रों में जनजातीय उपयोजनायें तैयार की गई है । अलग-अलग जनजातीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं । इन क्षेत्रों के विकास के लिए योजनायें विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, बागवानी, सिचाई, सहकारिता, वनरक्षण, लघु उद्योग, स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि में प्रारम्भ की गई हैं ।

(ख) जनजातीय क्षेत्रों के विकास की योजनायें सतत कार्यक्रम के रूप में चल रही हैं और 1980-81 के दौरान उसके लिए विशिष्ट केन्द्रीय सहायता के रूप में 70 करोड़ (सत्तर करोड़) रु0 की धनराशि दी जा रही है ।

**जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में नीतियों की क्रियान्विति**

5331. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) राज्यों के जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में क्रियान्वित हेतु सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्य

सरकारों को जो वन नीति, उत्पादन नीति और कार्मिक नीति तैयार करके भेजी गयी थी, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्यों ने उक्त नीतियों के अनुसार योजना और कार्यक्रम तैयार किये हैं और धन निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो राज्यने अब तक राज्यवार और नीतिवार क्या प्रगति की है; और

(घ) यदि नहीं तो राज्यों द्वारा नीतियों की क्रियान्वित में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) वर्ष 1978-83 के लिए जनजाति विकास सम्बन्धी कार्यकारी दल की रिपोर्ट उत्पाद शुल्क नीति, वन नीति और कार्मिक नीति के बारे में मार्ग निर्देशक सिद्धान्त दिए गए हैं। रिपोर्ट की प्रतिलिपियां केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्त सरकारों को अपनी वार्षिक जनजाति उपयोजनाओं में शामिल करने के लिए भेजी गई थी।

(ग) कुछ राज्य सरकारों की स्कीमें और कार्यक्रम इन मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों के अनुरूप ही हैं। धनराशि निर्धारित करने की प्रथा अपनाई जा रही है।

(ग) और (घ) इस समय राज्य छठी योजना अवधि 1980-85 के लिए जनजाति उप योजनाएं तैयार करने में व्यस्त हैं उनके दस्तावेजों से प्रगति की जानकारी होगी।

**उपग्रह द्वारा भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण**

5332. **श्री राजगोपाल नायडू** : क्या प्रधान मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे उपग्रहों द्वारा भू-वज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस सर्वेक्षण में पानी और तेल के "एक्वफर" पाये गये थे ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**आयुध डिपो, कलकत्ता**

5333. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या उन्हें यह पता कि यद्यपि सरकार ने आयुध डिपो, कलकत्ता को समाप्त करने का कोई निर्णय नही किया है तथापि नये सामान को लेना तथा और वस्तुओं की व्यवस्था करना बन्द कर दिया है और वर्तमान स्टाक को अब अन्य केन्द्रीय आयुध डिपुओं को वापस भेजा जा रहा है; और

(ख) क्या सरकार का विचार सम्बन्धित अधिकारियों को सलाह देने का है कि वे डिपो का सुचारु और सामान्य कार्य करण सुनिश्चित करें ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) और (ख) सरकार ने आयुध डिपो, कलकत्ता को बन्द करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। सामान को बड़ी मात्रा में वापस नहीं भेजा जा रहा है डिपो में कार्य सामान्य रूप से चल रहा है परन्तु वहां आगे के लिए भंडार की व्यवस्था नहीं की जा रही है

**वैज्ञानिकों को सेवा से हटाना**

5334. **श्री निहाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली है कि वैज्ञानिकों को विदेशों से बुला लिया जाता है और उन्हें कुछ दिनों तक वैज्ञानिकों के पूल में रखने के बाद सेवा से हटा दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो वैज्ञानिकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) और (ख) उच्च योग्यता प्राप्त वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों को विशेषत: विदेशों से लौटने वालों को जब वे नियमित पद के लिए देख रहे हों तो उस समय उपयुक्त संस्थान में कार्य करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अस्थाई पद देने के लिए वैज्ञानिक "पूल" का सृजन किया गया है : वैज्ञानिक "पूल" में चयन करने के लिए विदेशी से किसी वैज्ञानिक को नहीं बुलाया जाता । वैज्ञानिक पूल में नियुक्ति प्रदान करने के लिए उन व्यक्तियों में से चयन किया जाता है जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है । संघ लोक सेवा आयोग (यू० पी० एस० सी०) जिसका पूल में चयन करने का दायित्व है के निर्णयानुसार पूल में एक या दो वर्ष की सीमित अवधि के लिए नियुक्तियां की जाती हैं। वैज्ञानिकों के कार्य-कलापों के आधार पर नियुक्ति की अवधि बढ़ाई जाती है और तीन साल के बाद बहुत ही अपवाद के रूप में किसी के लिए तीन साल के बाद की अवधि बढ़ाई जाती है ।

किसी भी वैज्ञानिक को उसकी कार्य अवधि में पूल से निकाला नहीं गया । कुछ दिन पहिले कोई शिकायत पूल से किसी को निकालने के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुई है ।

**त्रिपुरा में जान माल की हानि**

5335. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) जून 1980 में त्रिपुरा में हुए दंगों में जान माल की कुल कितनी हानि हुई; और

(ख) दंगों में मिले हथियार किन-किन देशों में है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गयी जांच का ब्यौरा क्या है ।

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना)** : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 19 जुलाई, 1980 तक 546 व्यक्ति मारे गये थे । 34,661 झोपड़ियां जला दी गई बताई हैं । राज्य सरकार द्वारा सम्पत्ति की क्षति का मूल्यांकन 20·9 करोड़ रुपये हैं ।

(ख) हाल के दंगों के सम्बन्ध में अभी तक कोई विदेशी शास्त्र नही पकड़े गए हैं ।

**सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशत**

5336. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए संघ क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवाओं में किये गये आरक्षण की प्रतिशत क्या है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेंद्र मकवाना)** : अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है ।

**विवरण**

**केन्द्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूति जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता**

| | अनुसूचित जातियां | अनुसूचित जनजातियां |
|---|---|---|
| (1) अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती : | | |

| | | |
|---|---|---|
| (क) खुली प्रतियोगिता द्वारा (जैसे संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वार ली जाने वाली खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से) | 15 प्रतिशत | साढ़े सत प्रतिशत |
| (2) समूह "ग" तथा "घ" (क्षेणी III तथा Iv) के पदों पर, जिनके लिए सामांयतः किसी इलाका अथवा प्रदेश के उम्मीदवार आते हैं। | संबन्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जन संख्या के अनुपात में। | |
| (3) ऐसे ग्रेडों अथवा सेवाओं में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, जिसमें सीधी भर्ती का अंश, यदि कोई हो, 66/2/3 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है :— | | |
| (क) समूह "ख" "ग" तथा "घ" (श्रेणी II, III, तथा Iv) में सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से। | 15 प्रतिशत | साढ़े सात प्रतिशत |
| (ख) समूह "ख" (श्रेणी II) से समूह "क" (श्रेणी I) में प्रवर्ग की निम्नतम सीढ़ी (रंग) में तथा समूह "ख", "ग" तथा "घ" (श्रेणी II, iii तथा iv) में चयन द्वारा। | 15 प्रतिशत | साढ़े सात प्रतिशत |
| (ग) समूह "क", "ख", "ग" तथा "घ" (श्रेणी i, ii,, iii तथा iv) में उपयुक्तता के अधीन वरिष्ठता के आधार पर। | 15 प्रतिशत | साढ़े सात प्रतिशत |

**घरेलू तथा छोटे उद्योगों के लिए परिव्यय**

5337 : **श्री के प्रधानी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारुप में प्रस्तावित कुल परिव्यय में घरेलू तथा छोटे उद्योगों के लिए जो परिव्यय निर्धारित किया गया है वह द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित किये गये परिव्यय से कम है; और

(ख) यदि हाँ तो, क्या सरकार का विचार इसमें पर्याप्त वृद्धि करने का है जिससे कि इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आनुपातिक अनुरूप में लाया जासके;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** (क) जी हाँ। कुटीर एवं लघु

उद्योगों के लिए दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में वर्ष 1978-83 कीमसौदा योजना में कुल परिव्यय का अनुपात कर रखा गया है।

(ख) वर्ष 1980-85 की पंचवर्षीय योजना इस समय तैयार की जा रही है तथा योजना की अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए किए परिव्यय कापता लग सकेगा ।

**पिछड़े जिलों में मूल उद्योग योजना**

5338 : **श्री नवीन रवापी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) मूल उद्योग योजना के लिए 247 पिछड़े जिलों में से 101 जिलों का चयन किस आधार पर किया गया;

(ख) ऐसे मूल उद्योगों के लिए नए उपक्रमियों के आवेदन पत्रों की जाँच करने और उनकी स्वीकृति देने हेतु किन राज्यों ने अब तक राज्य स्तर की समितियां स्थापित की हैं; और

(ग) किन विशेष उद्योगों को "मूल" उद्योग समझा गया है और ऐसे जिलों का प्रौद्योगिकी-आर्थिक सर्वेक्षण का प्रचार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिससे पूंजी निवेश को आकर्षित किया जा सके;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) पिछड़े क्षेत्रों का चयन करने सम्बन्धी मापदण्ड की सिफारिश करने और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने के लिए आवश्यक वित्तीय आर्थिक अन्य प्रोत्साहनों की सिफारिश करने के लिए स्थापित किए गए दो कार्य-दलों की रिपोर्टों के आधार पर मुख्य मन्त्रियों की राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने अपनी सितम्बर 1969 की बैठक में दोनों कार्य-दलों की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों का पता लगाने के मापदण्ड के बारे में समिति चाहती थी कि योजना आयोग इस प्रश्न को वित्तीय संस्थानों व राज्य सरकार के परामर्श से सुलझा ले, इस निर्णय के अनुसरण में वित्तीय संस्थानों के परामर्श से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों का पता लगाने हेतु मापदण्ड बनाए गए थे तथा राज्यों व संघशासित प्रदेशों द्वारा जिलों के सांख्यकीय आंकड़ों के साथ प्रस्ताव भेजने हेतु उन्हें 'मार्गदशी सिद्धान्त' के रूप में अपनाने के लिए भेज दिया गया था। इन जिलों के चयन के लिए राज्यों व संघशासित प्रदेशों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों के आधार पर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों के रूप में सार्वधिक ऋण दायी वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्तीय सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए 246 जिलों का चयन किया गया है। इन जिलों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। योजना आयोग द्वारा राज्यों से परामर्श से इन 246 जिलों में से 101 जिले क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों के लिए 6 जिलों/क्षेत्रों और अन्य राज्यों के लिए 3 जिलों/क्षेत्रों के आधार पर चुने गये हैं। इन जिलों की सूची विवरण—11 के रूप में संलग्न हैं।

(ख) और (ग)स्वरूप की दृष्टि से यह उद्योग एक केन्द्रस्थ उद्योग होगा क्योंकि इससे आस-पास के क्षेत्रों में आनुषागिक व लघु उद्योगों का एक जाल से बिछ जाने की आशा की जाती है। पिछड़े क्षेत्रों में नाभिकीय उद्योग स्थापित करने वाले आवेदक उद्यतियों को सामान्य लाइसेंस पद्धति के अनुसार लाइसेंस जारी किये जाते हैं इस प्रकार का संयन्त्र स्थापित करने से पूर्व उद्यमी

द्वारा उस जिले का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किये जाने की आशा की जाती है। विगत में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण किये हैं :

आन्ध्रप्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा,दमण और द्वीप, दादर एवं नगरहवेली, हिमाचल प्रदेश, जम्भू व काश्मीर, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीजा, पांडिचेरी राजस्थान सिक्किम, त्रिपुरा उत्तर प्रदेश और अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी जिलों के सर्वेक्षण कार्य में राज्य सरकारों के साथ कार्य कर रहा है और जहाँ कहीं संभव होता है वह वित्तीय या अन्य प्रकार से आवश्यक सहायता देता है। ये रिपोर्ट समूल्य प्रकाशन हैं और इन्हें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बम्बई से प्राप्त किया जा सकता है।

**विवरण 1**

वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर वित्त लेने हेतु पात्रता के लिये चुने गये औद्योगिक दृष्टि के पिछड़े जिलों की सूची।

| | |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश (14) | अनन्तपुर, चित्तूर. कुडप्पा, करीमनगर, खंमाम, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नालगौंडा, नेलोर, निजामाबाद अंगोले, श्रीकाकुलम, और वारंगल। |
| असम (7) | कछार, खोलपारा, कामरूप, मिकिर हिल्स, नार्थ ककार हिल, नौगांव, और न्यू लखीमपुर जिला। |
| बिहार (16) | भागलपुर, चम्पारन, दरभंगा, मज्ज फरपुर, पालमऊ, पूर्णिमा, सहरसा, सन्थाल, परगना, सारन, नालन्दा, औरंगाबाद, नवादा, गया, भोजपुर, बेगूसराय और मुंगेर। |
| गुजरात (10) | अमरौली, बनास कठा, भावनगर, भडौंच, जूनागढ, कछ मेहसाना, पंचमहल्स, साबंरकंठा और सुरेन्दर नगर |
| हरियाणा (4) | भिवानी, हिसार, जिन्द और मोहिन्दरगढ़। |
| हिमाचल प्रदेश (7) | छम्ब, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल और स्पिति सोलन. और सरमूर। |
| जम्मू और कश्मीर (10) | अनन्त नाग, बारामूला, डोडा, जम्मू, कठआ, लद्दाख पूंछ नाजीरी, श्रीनगर, और उद्यमपुर। |
| केरल (5) | एलेप्पी, कैनानोर, गालापुरम, त्रिचूर, और त्रिवेन्द्रम। |
| कर्नाटक (11) | वेलगाम, बीदर, बीजापुर, धाडरार, गुलबर्गा, हसन, मैसूर, नार्थकनारा, राइचूर, साउथ कनारा और तुमकूर। |
| मध्ल प्रदेप | बालाघाट, बस्तर, बेतूल, बियासपुर, भिण्ड, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह, दतिया, धार देवास, गुना, होंसंगाबाद, झबुआ, खारगोन, मंडला, मन्दसौर मोरेना, नरसिंहपुर, पन्ना, रायगढ़ रायपुर, राजनन्दगांव, राजगढ़, रायसेन, रतलाम. रेवा ,सागर, |

| | |
|---|---|
| | शिवनी, शाजापुर, शिवपुरी, सिंघी, सुरंगुजा, टीकमगढ़, विदिशा और न्यू सिहोर जिला । |
| महाराष्ट्र (13) | औरंगाबाद, भंडारा, भीर, बुलनना, चांदा, गुलाव, धूलिया, जलगांव, नन्देड, उसमनाबाद, प्रभानी, रत्नागिरि और यवतमल । |
| मणिपुर (5) | पांचो जिले । |
| मेघालय (2) | गारो हिल्स और यूनाइटेड खासी और जन्तिया, हिल्स । |
| नागालैंड (3) | कोहिमा, मेकोकंचुग और तुनसंग । |
| उड़ीसा (8) | नातासोर, बोलनगिरि, धनेकनाल, कालाहंडी, केनझर, कोरापुट, मयूरगंज और संगरूर । |
| राजस्थान (16) | अलवर, बन्सवाड़ा, बारशेड, भीलवाड़ा, चुरु, डुंगरपुर, जैसलमेर जालोर झुनझुनू, झलवार, जोधपुर, नागोर, सिकर, सिरोही, टोंक, और उदयपुर । |
| सिक्किम (4) | चारों जिले, गंगटोक, मंगन, ग्यालसिंग और नामची । |
| तमिलनाडु (9) | धरमपुरी, कन्याकुमारी, मदुरै, नार्थ अस्कार्ट, रामानाथपुरम साउथ आरकोट, तंजौर, तिरूचापल्ली, और पुडुकोट्टाई,जिले । |
| त्रिपुरा (3) | तीनों जिले । |
| उत्तर प्रदेश (38) | अल्मोड़ा, आजमगढ़, बदाऊ, बहराइथ, बलिया,बांदा, वाराबंकी, बस्ती, बुलन्दशहर , चमोली, देवरिया, एटा, इंटावा, फैजाबाद, फरुखाबाद, फतेहपुर, गढ़वाल, गाजीपुर, गौंडा, हमीदपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, मैनपुर, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, शाहजहाँपुर, सीतापुर, सुलतानपुर, टिहरी, गढ़वाल, उन्नांव, और उत्तर काशीं । |
| पश्चिम बंगाल | बंकरा, वीरभूम, वर्दवान, कूच बिहार, दार्जिलिंग, हुगली, जलपाईगुडी, मालदा' मिदनापुर, मुर्शीदाद, नदिया, पुर्लिया और वेस्ट दिनाजपुर । |
| अंडमान और निकोबार | समस्त क्षेत्र |
| अरुणाचल प्रदेश | समस्त क्षेत्र । |
| दादरा और नगर हवेली | समस्त क्षेत्र |
| गोवा, दमन और दिव, | समस्त क्षेत्र |

| | |
|---|---|
| लक्षद्वीप, | समस्त क्षेत्र |
| मिजोरम, | समस्त क्षेत्र |
| पांडिचेरी | समस्त क्षेत्र |

* जिला जैसी कि उसकी स्थिति हाल ही में किये गये पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान थी

** जिला जैसा कि हाल ही में पुनर्गठित किया गया है ।

**विवरण—2**

**केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजनाओं के लिए पात्र जिले/क्षेत्र**

| | |
|---|---|
| 1. आन्ध्र प्रदेश | **श्री काकुलम जिला और पाँच "क्षेत्र"** |
| | रायलसीमा प्रदेश के 2 क्षेत्र जिसमें 22 ब्लाक हैं :– |
| क्षेत्र—1 | इसमें 13 ब्लाक अर्थात् चित्तूर, बांगरूपालम, पुत्त पत्तूर, चन्द्रगिरि व कलाहस्ती (चित्तूर जिले से कोडर, रामपेट, सिधोना, गुडप्पा, कमलापुरम, तथा पालीवेंडला (गुडप्पा जिले से) आते हैं । |
| क्षेत्र—2 | इसमें 9 ब्लाक अर्थात् टोडपत्री, सिंगनामला, गूटी (अनन्तपुर जिले से) व धोन, कुरनूल, बंगनापल्ली, न तथा गिडालूर (कुरनूल जिले से) आते हैं । |
| | **तेलगाना प्रदेश के तीन क्षेत्र जिसमें 43 ब्लाक हैं :-** |
| क्षेत्र—1 | इसमें 14 ब्लाक अर्थात् महबूब नगर, जाधचरेला, श कलावाकर्वी व अमंगल (महबूब नगर जिले से) और गोन्डा, मुगाडी, नकराकल, सूर्यापेट, कोडड, कुर गीरयालगुड्डा, पेट्टावोरा तथा देवराकक्रेन्डा, (आ जिले से) आते हैं । |
| क्षेत्र—2 | इसमें 14 ब्लाक अर्थात् खम्मम, तिरूमलायपालम, येनान्डू कोट्टामुडम, अवनरावेट, पुरागमपेट, तथा चलम (खम्मम जिले से) और महबूबाबाद, नरसमपेट कोन्डा, धानापुर, जनगाँव और मुलग (वारंगल जि आते हैं । |
| क्षेत्र—3 | इसमें 15 ब्लाक अर्थात् जहीराबाद, पाटअचेरव, मेडक और सिद्दीपेट (मेडक जिले से) येडाप येडापल्ली मावाद कामारेडी और डेमाकोन्डा (निजामाबाद और सिरिल्ला, करीमनगर, सुलतानाबाद, पे मन्थाली हुजूराबाद, (करीमनगर जिले से) आते है । |
| 2. असम : | गोलापाडा, मिकिहिल्स, कामरूप, अपनीगांव, और लखीमपुर जिले । |
| 3. बिहार | भागलपुर, दरभंगा, चंपारन, पालामऊ, सहरस |

संथाल परगना जिले ।

4. गुजरात — पंचमहल, भडौंच और सुरेन्द्र नगर जिले ।

5. हरियाणा — पुनर्गठित महिन्दरगढ़ जिला (जिसमें महिन्द्रगढ़ और रेवाड़ी) उपखण्ड आता है (भिवानी जिला) जिसमें भिवानी तथा दादरी उपखण्ड तथा 8 ब्लाक का एक क्षेत्र अर्थात् हिसार ब्लाक नम्बर । और बरवाना ब्लाक (हिसार तहसील का) हंसी ब्लाक नम्बर (हंसी तहशील से) तोहना ब्लाक (फतेहाबाद तहसील से) हिसार जिले से—जीर्ण ब्लाक और जुलाना ब्लाक (जीर्ण तहसील से) उद्दना ब्लाक (नरवाना तहसील) जिंद जिले से ।

*यह 10 जुलाई, 1972 के बाद चुने गए लि/उपखंड/ताल्लुक/ब्लाक/तहसील बनाता है।

**यह वह जिले बताता है जैसे कि हाल ही में किए गये पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान थे।

6. हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, चंबा कुलू सिरगुर तथा सोशल जिले

7. जम्मू तथा कश्मीर — जम्मू, श्रीनगर, अनन्तनाग डोडा, बारामूला और पुंछ जिले।

8. कर्नाटक — रायचूर, मैसूर तथा धारवाड़ जिले

9. केरल — एलेप्पी, कन्नानोर, तथा मालापुरम जिले ।

10. मध्य प्रदेश, — छः क्षेत्र

क्षेत्र—1 (पूर्वी प्रदेश के) इसमें 12 ब्लाक अर्थात् कोरबा, बलोदा, चम्पा, कोटा, मस्तूरी तथा बिल्हा (बिलासपुर) ब्लाक बिलासपुर जिले से) भाटापारा सिमगा, टिल्डा, भारसिवा (रायपुर) अभनपुर तथा राजिम ब्लाक (रायपुर जिले से) आते हैं ।

क्षेत्र—2 (पश्चिमी प्रदेश के) इसमें 10 ब्लाक अर्थात देवास और टोंक खर्द ब्लाक(देवास जिले से) गुलोना, शुजालपुर और शाजापुर ब्लाक)(शाजापुर जिले से) पंचोर (सारंगपुर) और ब्यावटा ब्लाक(राजगढ़ जिले से) आते हैं ।

क्षेत्र—3* (उत्तरी क्षेत्र से) इसमें 9 ब्लाक अर्थात शिवपुरी तथा करेरा (शिवपुरी जिले से) दतिया तथा सेउधा (दतिया जिले से) भिन्ड नेहगांव तथा सोहाद (भिन्ड जिले से) तथा मुरैना तथा जडरा (मुरैना जिले से)

क्षेत्र—4* (केन्द्रीय क्षेत्र से) इसमें 11ब्लाक अर्थात बीना, इटावा, खुरी बांदा (बिनैका) राहतगढ़, सागर, शाहगढ़ (अमरमटु) (सागर जिले से) टीकमगढ़, बल्पेवगढ़ (टीकमगढ़ जिले से) विदिशा और यारसपुर (विदिशा जिले से) और छतरपुर (छतरपुर जिले से) आते है ।

क्षेत्र—5* (पश्चिमी क्षेत्र 2 से) इसमें 12 ब्लाक अर्थात पेटलावाद, तथा मेघ (झाबुआ जिले से) पदनावार, नगर धार और नलोहा (धार जिले से) महेश्वर और बरवाहा (खारगोज जिले से) रतलाम और जडरा (रतलाम जिले से) मंदसौर मल्हरगढ़ और नीमच (मन्दसौर जिले से)

क्षेत्र—6 (उत्तर पूर्वी क्षेत्र से) इसमें 11 ब्लाक अर्थात रीवां और रायपुर (गढ़) (रीवां जिले से) मझौली, सीधी डूसर और बैधान (सीधी जिले से) सोनहट, बैकुठपुर, सनेन्दरगढ़ सूरजपुर और अम्बिकापुर (सरगुजा जिले से)।

| | |
|---|---|
| 11. मणिपुर | सभी पांच जिले। |
| 12 मेघालय | गारोहिल्स, तथा सुयुक्त खांसी और जंतिया हिल्स ** |

* यह 10 जुलाई 1972 के पश्चात चुने गये जिले/उपप्रभाग/ताल्लुक/ब्लाक/तहसील बताता है।

**यह वह जिले बताता है जैसे कि हाल ही के पुर्नगठन के पूर्व विद्यमान थे।

| | |
|---|---|
| 13. महाराष्ट्र | रतनगिरि, औरंगाबाद और चन्दरपुर जिले। |
| 14. नागालैंड | कोहिमा, मकोकचुग, त्युनसेग* जिले। |
| 15. उड़ीसा | कालाहान्दी, मयूरभज, बोलनगीर.* धेनकानाल, क्योंझार.* और कोरापुट.* जिले। |
| 16. पंजाब | होशियार पुर, संगरुर,* और भटिण्डा, जिले। |
| 17. राजस्थान | अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा,* चुरु,* नागौर और उदयपुर जिले। |
| 18. सिक्किम | गंगटोक,* मेंगन,* म्यातसिंग,* और नामची,* जिले (16.5.1975 से शामिल) |
| 19. तमिलनाडू | तीन क्षेत्र/ट्रैक्टस जिसमें 33 ताल्लुके हैं :— |

क्षेत्र—1. जिसमें 12 ताल्लुक उपताल्लुको को मिलाकर अर्थात (रायनाशपुरम, मदुकुलाथर, शिवगंगा परमाकुडी, थिरुवादानी, कारईकुडीर और थिरपाथुर ताल्लुक) (रामनाथपुरम जिले से मजूर ताल्लुक (मदुराई जिले से) पदकोट्टाई थिरुमायम, आलमगुली और कुलाथुर ताल्लुक (पुडाक्कोटाई जिले से)।

क्षेत्र—2 क्षेत्र 11 जिसमें धर्मपुरी, पालाकोड, होसूर, देनकानि कोट्टह, कृष्णागिरी उठानगरराय, हरुर (धमापुरी जिले से) तिरुपट्टूर वानियामवाडी वैल्लुर वालाजपेट (उत्तरी आरकोट जिलों से)।

| | |
|---|---|
| | क्षेत्र –3 जिसमें 10 ताल्लुक अरुणा कोट्टाइ सत्तूर, विरुधनगर, श्री विलीपुर राजपलायम (रामानाथपुरम जिले के पं० रामानाथ पुरम से) तिरुमंगलम, उसिलामपट्टी नीलाकोथाई, डिन्डी गुल और वेदासन्दूर (मदुरै जिले से) |
| 20. त्रिपुरा | सभी 3 जिले |
| 21. उत्तर प्रदेश | अल्मोड़ा* बलियावस्ती* फैजाबाद* झांसी* और रायबरेली* जिले । |
| 22. पश्चिम बंगाल | पुरुलिया; मिदनापुर* और नादिया* जिले । |

**केन्द्र शासित क्षेत्र**

| | |
|---|---|
| 1. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | पूरा संघ राज्य |
| 2. अरुणांचल प्रदेश | —वही— |
| 3. दादरा और नागर हवेली | —वही— |
| 4. लक्षद्वीप | —वही— |
| 5. मिजोरम | —वही— |
| 6. गोवा, दमन और दीव | संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी की नगरीय सीमा के भीतर |
| 7. पान्डीचेरी | के क्षेत्र को छोड़कर समस्त संघीय क्षेत्र । पांडिचेरि के नगरपालिका क्षेत्र के कोर छवरोल दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी बुलवर्ड सम्मिलित नहीं हैं । |

* 10.7.1972 के बाद चुने गये जिले/सब/डिवी जन्स/ताल्लुक/ब्लाक/तहसीलों को दर्शाता है ।

** अभी हाल ही में किये गये उनके पुनर्गठन से पूर्व जिलों को प्रदर्शित करता है।

**पूर्वोत्तर राज्यों में अर्द्धसैनिक बलों का तैनात किया जाना**

5339. **श्री नवीन रवाणी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में इस समय तैनात किये गये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों की राज्यवार संख्या क्या है ;

(ख) ऐसा करने में कितना दैनिक खर्चा होता है और इन बलों को वहां कब से तैनात किया गया है ; और

(ग) क्या इन बलों द्वारा अब तक विदेशी चिन्हों वाले कुछ हथियार पकड़े गये हैं ; और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) इन ब्यौरों को प्रकट करना लोक हित में नहीं है ।

(ग) पहली जनवरी, 1980 से अब तक सीमा सुरक्षा बल ने असम में पी० ओ० के०

मार्क के 25 राउंड पकड़े हैं और के० रि० पु० बल ने मणिपुर राज्य में चीनी मार्क की दो पिस्तौल और जापानी मार्क का एक बैनट पकड़ा है।

**अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए आबंटन**

**ब्यौरा**

5340 **नवीन रवाणी** : क्या गृह मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए 1980-81 बजट में किए गए 100 करोड़ रुपए के आबंटन का राज्यवार अथवा योजनावार कोई विभाजन किया गया गया है, यदि हां, तो उसके लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है ;

(ख) क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है कि इस तरह की योजनाओं के कार्यान्वयन में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाए ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई योजना तैयार करने का है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) माननीय सदस्य संभवतः अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजनाओं के लिए विशिष्ट केन्द्रीय सहायता की योजना के लिए 1980-81 के बजट में 100 करोड़ रु० की व्यवस्था का उल्लेख कर रहे हैं। यह सहायता केवल अनुसूचित जातियों के विकास के लिए उपलब्ध हैं, इस योजना में अनुसूचित जनजातियां समाहित नहीं हैं। राज्यों को विशिष्ट केन्द्रीय सहायता देने के लिए दो निश्चित मानदंड बनाए जायेंगे—उनमें से एक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या तथा पिछड़े पन पर आधारित है और दूसरा उन प्रयत्नों पर आधारित है जो राज्यों के विशिष्ट संघटक योजनाओं में अंकित किए गए हैं। पहले मानदंड आधार पर 50 करोड़ रुपए का विभाजन उन राज्यों के बीच किया गया है जिन्होंने विशिष्ट के संघटक योजनायें तैयार करके उन्हें अंतिम रूप दे दिया, उन्हें पहली किस्त दे दी गई है।

(ख) और (ग) विशेष केन्द्रीय सहायता, राज्य योजना और अनुसूचित जातियों के लिए बनाये गए गये कार्यक्रमों के अतिरिक्त है और विशिष्ट स्कीमों के लिये योजनाबद्ध पैटर्न का अनुसरण नहीं करेगी। ये पूर्ण रूप से विकास के लिए, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए राज्य के प्रयत्न होंगे। जनजातियां उप योजनाओं के लिए विशिष्ट केन्द्रीय सहायता के समान राज्य की विशिष्ट संघटक योजनाओं को प्रभावकारी ढंग से सुधारने के लिए इसे एक साधन के रूप में माना गया है और इसका कई गुणा प्रभाव पड़ेगा। विशेष केन्द्रीय सहायता से अनुसूचित जातियों के विकास, विशेष रूप से मार्मिक क्षेत्रों, जैसे पशुपालन, कृषि, ग्राम तथा कुटीर उद्योग आदि के लिए तत्सम्बन्धी कार्यक्रमों की अपेक्षित नीति की व्यवस्था होगी। अनुसूचित जाति के परिवारों की एक बड़ी संख्या विशिष्ट केन्द्रीय सहायता के परिणामस्वरूप बनाए गए कार्यक्रम तथा उनके कार्यान्वयन से सीधा लाभ पाने की आशा करते हैं।

**एम०ई०एस० कर्मचारियों के वेतनमानों को पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव**

5341. **श्री टी०एस० नेगी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या

यह सच है कि सरकार एम० ई० एस० कर्मचारियों के वेतनमानों को पुनरीक्षित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) इस मामले में निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) और (ख) सरकार ने तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एम० ई० एस० सहित रक्षा स्थापनाओं के औद्योगिक कर्मचारियों को संशोधित ग्रेड देने के बारे में कुछ प्रस्ताव तैयार किए हैं। इन प्रस्तावों को विचार विमर्श केलिए दो रक्षा संगठनों (इंडियन नेशनल डिफेंश वर्क्स फेडरेशन और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संगठन) के पास भेजा गया है और इस मामले पर जल्दी ही निर्णय ले लिया जायेगा।

**मंत्रालय में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्तियां**

5342. **श्री टी०एस० नेगी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी सलाहकार समिति ने आज से काफी समय पूर्व 1964 में की गई अपनी बैठक में यह सिफारिश की थी कि हिन्दी कार्यक्रम के सन्तोषपूर्ण कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक मंत्रालय तथा उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्तियां की जानी चाहिए।

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त सिफारिश के बावजूद भी कई सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों ने अभी तक हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की है ;

(ग) उक्त कार्यालयों में हिन्दी अधिकारियों के पदों को बनाने में विलम्ब क्यों हो रहा है ;

(घ) इन पदों से सम्बन्धित ऐसे कुल प्रस्तावों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक वित्तमंत्रालय से स्वीकृति नहीं मिल पाई है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) हिन्दी के प्रचार प्रसार और विकास तथा संघ के सरकारी कामकाज में उसके प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में भारत सरकार को सलाह देने के लिए वर्ष 1964 में गृह मंत्रालय के तत्वावधान में एक हिन्दी सलाहकार समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपनी 6 अक्तूबर, 1964 को हुई बैठक में यह सिफारिश की थी कि, "हिन्दी का काम शीघ्र बढ़ाने के लिए प्रत्येक विभाग में हिन्दी अधिकारी होने चाहिएं।" गृह मंत्रालय द्वारा 19 दिसम्बर, 1964 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन में सभी मंत्रालयों से यह अनुरोध किया गया था कि हिन्दी सम्बन्धी आदेशों के कार्यान्वयन के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों के आकार और संगठनात्मक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए एक या उससे अधिक हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। गृह मंत्रालय द्वारा 6 अगस्त, 1973 को जारी किए नए एक अन्य पत्र में उपयुक्त मानक भी सुझाए गए जिनके अनुसार मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी सम्बन्धी पदों के सृजन पर विचार किया जा सके। सरकार के उपर्युक्त अनुदेशों/निदेशों के अनुपालन में लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अनेकों सम्बन्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी अधिकारी आदि

के एक या अधिक पद सृजित किये जा चुके हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक पद सृजित करने सम्बन्धी कार्रवाई हर मंत्रालय द्वारा अलग अलग की जाती है।

(घ) और (ङ) नए पदों के सृजन से सम्बन्धित प्रस्ताव सामान्यतः सम्बन्धित मंत्रालयों के आंतरिक वित्त सलाहकार/सम्बद्ध वित्त प्रभाग के परामर्श से निपटाए जाते हैं। ऐसे प्रस्ताव के विषय में कोई केन्द्रकृत जानकारी नहीं रखी जाती और न उनकी स्थिति रहती है। तथापि इस सम्बन्ध में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि साविधिक दायित्वों की पूर्ति के के लिए आवश्यक नए पदों के सृजन पर लगाई गई सामान्य रोक से मुक्त रखा गया है।

**कर्नाटक में टायर उद्योग में धागे की कमी**

5343. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में टायर उद्योग पर धागे की कमी के कारण काफी बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) कर्नाटक में आटोमोबाइल टायर बनाने वाले एक एकक मैं० विक्रांत टायर्स लिमिटेड द्वारा नाइलोन धागे की कमी की बाबत सूचना भेजी गई है।

(ख) इस कम्पनी को नाइलोन टायर धागे का आयात करने हेतु सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

**कर्नाटक में हाथ करघा विकास के लिए आवंटन**

5344. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान कर्नाटक में हाथकरघा उद्योग के विकास के लिए कितना आवंटन किया गया था और ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए विभिन्न मदों और लेखा शीर्षों के अंतर्गत यह आवंटन किया गया है ?

**योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के आधार पर हाथ करघा के लिए अनुमोदित परिचय, जिनके लिए उनकी योजनाओं में व्यवस्था की गई है, नीचे सारणी में बताए गए हैं :—

(लाख रु०)

| 1977-78 | 1978-79 | 1979-80 |
|---|---|---|
| 75·00 | 120·00 | 75·50 |

इसके अलावा केन्द्रीय योजना की धनराशि में से राज्य सरकार को निम्नलिखित धनराशि दी गई थी :—

(लाख रु०)

| 1977-78 | 1978-79 | 1979-80 |
|---|---|---|
| 90·00 | 114·50 | 60·00 |

(ख) हाथकरघा उद्योग के विकास के लिए राज्य योजना में शामिल की गई बड़ी स्कीमें इन विषयों से सम्बन्धित हैं—(1) हाथ करघा कपड़े की बिक्री पर छूट ; (2) शीर्ष समितियों को बढ़ाना ; (3) बैंकों से जुटाए गए ऋणों पर बुनकर सहकारी समितियों को ब्याज की आर्थिक सहायता ; (4) राज्य हाथ करघा विकास निगम को सहायता ; (5) सामूहिक बुनाई केन्द्रों की स्थापना ; (6) शेयर पूंजी के लिए प्राथमिकता बुनकर समितियों को सहायता ; (7) प्रक्रमण सुविधाओं का निर्माण ; और (8) सवेतन सचिवों आदि को नियुक्त करने लिए बुनकर सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता।

केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को जिन स्कीमों के लिए धन राशि दी गई उनमें ये स्कीमें शामिलें हैं—(1) निर्यातोन्मुख उत्पादन परियोजना ; (2) प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के शेयर पूंजी आधार को बढाना ; (3) राज्य हाथकरघा विकास निगम को शेयर पूंजी की सहायता ; (4) करघा-पूर्व और करघा परवर्ती प्रक्रमण सुविधाओं के लिए सहायता ; और (5) गहन हाथ करघा विकास परियोजनाएं (केवल 1977-78 और 1978-79 के लिए)।

**हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के प्रबन्ध ढांचे का पुनर्गठन**

5345. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **उद्योग मंत्री** क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के एककों के प्रबन्ध ढांचे का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां. तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** :

(क): जी, नही। व्यापार की सामूहिक धारणा (विजनिस ग्रुप कान्सेप्ट) पर प्रबन्ध ढांचे को पहले ही पुनर्गठित कर दिया गया है।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता।

**पूर्वी राज्यों में नमक की कमी**

5347. : **श्री पी यूष . तिरकी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी राज्यों में नमक की अत्यधिक कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सप्लाई को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** (क) और (ख) :—वर्ष 1980 (30 जून, 1980 तक) के दौरान असम को छोड़ कर जहां इस अवधि में 66,300 मी० टन के अनुपातिक कोटे के बदले 55,400 मी० टन नमक की सप्लाई की गई थी, पूर्वी राज्यों को नमक का सम्भरण आमतौर पर सन्तोषजनक रहा है। असम को नमक की सप्लाई बढ़ाने के लिए रेलवे के सहयोग से विशेष उपाय किए जा रहे हैं।

**पिछड़े क्षेत्रों के लिए समान नीति तैयार करना**

5348 . **श्री भीखाभाई** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों, आदिम जाति क्षेत्रों, रेगिस्तान क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों अथवा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए समान योजनायें बनाई जा सकती हैं ; और

(ख) उक्त क्षेत्रों में से किन क्षेत्रों के लिए संवैधानिक दृष्टि से केन्द्रीय सरकार अत्यधिक उत्तरदाई है ?

**योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) : जी, नही। विकास आयोजना का उद्देश्य है देश में विभिन्न अंचलों/क्षेत्रों की भू-आकृतिक और सामाजिक-आर्थिक विशिष्टताओं बाध्यकारिताओं और विकास की क्षमताओं का पता लगाना और तब ऐसी स्कीमें तैयार करना जो हर अंचल/क्षेत्र के लिए विशिष्ट और उपयुक्त हों। इस प्रकार इन क्षेत्रों के लिए स्कीमों को तैयार करने में पिछड़े क्षेत्रों, जन जातिय क्षेत्रों, रेगिस्तान क्षेत्रों और अनुसूचित जन जातिय क्षेत्रों की अपनी अलग विशिष्ट विशेषताओं, समस्याओं और क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) : संविधान के अन्तर्गत, "अनुसूचित क्षेत्र".के रूप में पदनाभित अनुसूचित जन जातिय और जन जातिय क्षेत्रों के संरक्षण और विकास का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का है।

**जनगणना आयोग द्वारा क्षेत्रीय विकास का अध्ययन**

5350· **श्री हरि नाथ मिश्र : योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1961 की जनगणना के बाद भारत के जनगणना आयुक्त ने देश में क्षेत्रीय विकास के स्तरों पर अध्ययन करने शुरू किये थे ;

(ख) क्या उनके निष्कर्ष ये थे कि सारन, चम्पारन, मुजफ्फरनगर और दरभंगा जिले के ऐसे जिलों में से हैं, जहां विकास का स्तर निम्नतम था ;

(ग) योजना आयोग ने उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित जिलों के चहुंमुखी विकास के लिए क्या उपाय किये थे ; और

(घ) 1971 की जनगणना के बाद बिहार राज्य के बारे में जनगणना आयुक्त के क्या निष्कर्ष थे और राज्य के चहुंमुखी विकास तथा अर्द्ध विकसित क्षेत्र के विकास के लिये क्या उपाय किए गये हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

**योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) : जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य के भीतर क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना और जिलों में समग्र विकास का सुनिश्चित करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है और राज्य, जिला और स्थानीय स्तर की योजनाओं के जरिए इसके लिये प्रयत्न किया जाता है। योजना आयोग ने इस दिशामें मार्गदर्शी शिद्धान्त दिये हैं। जहां समस्याएं बहुत तेज होती हैं वहां केन्द्र भी राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करा करके राज्य के प्रयत्नों की अनुपूर्ति करता है। इसके अलावा पिछड़े क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिये केन्द्रीय प्रयोजित कार्यक्रमों के रूप में विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इस प्रश्न में उल्लिखित जिले निम्नलिखित विशेष कार्यक्रमों अंतर्गत समाविष्ट हैं।

| | |
|---|---|
| (1) रियायती वित्त स्कीम | सभी चारों जिले |
| (2) औद्योगिक निवेश आर्थिक सहायता स्कीम | चंपारण और दरभंगा जिले |

| | |
|---|---|
| (3) लघु कृषक विकास अभिकरण | सारण, चंपारण और दरभंगा जिले । |

(घ) : जनगणना आयुक्त ने 1971 की जनगणरा के बाद क्षेत्रीय विकास के स्तरों के सम्बन्ध में कोई अध्ययन नहीं किया है, जैसा कि 1961 की जनगणना के बाद किया था ।

**अम्बाला छावनी में नई सफाई मजदूर कालोनी के क्वाटरों में सुधार**

5351. **श्री सूरज भान** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या कैन्टोन्मेंट बोर्ड, अम्बाला ने सितम्बर, 1978 की बाढ़ से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुये अम्बाला की सफाई मजदूर क्वार्टरों की दशा सुधारने तथा अम्बाला छावनी में नई सफाई मजदूर कालोनी के निर्माण के लिये निदेशक, रक्षा भूमि तथा छावनियां, पश्चिमो कमान, शिमला को कुछ प्रस्ताव भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का क्या हुआ है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मो. पी. एन. सिंह)** (क) : जी हाँ, ।

(ख) : छावनी बोर्ड से कुछ सूचना और दस्तावेज मँगवाये गए हैं जिनके प्राप्त होने पर इस प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

**कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड, मद्रास में अनुसूचित जातिओं और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी**

5352. **श्री थाझाई एम० करुणानिधि** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड (बोर्ड आफ स्टाप सैलेक्शन कमिशन), मद्रास में आरम्भ से ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

**गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुबय्या)** (क) : आयोग के मद्रास सहित चार क्षेत्रीय कार्यायियों में कोई भी स्थाई साक्षात्कार बोर्ड नहीं है। जब कभी साक्षात्कार द्वारा उम्मीदवारों के चयन की आवश्यकता होती है तभी बोर्ड गठित किए जाते है तथा बोर्डों का गठन सम्बन्धित पद की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। जब भी किसी बोर्ड का गठन किया जाना अपेक्षित होता है तो इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को शामिल करने की कोशिश की जाती है। मद्रास क्षेत्रीय कार्यालय के मामले में, अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को कोर्ट क्लर्कों की भर्ती के लिए गठित साक्षात्कार बोर्ड में शामिल किया गया था ।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) : जब कभी भी व्यवरार्य होगा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के एक सदस्य को शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे ।

**मनीपुर रेजीमेन्ट बनाया जाना**

5353. **श्री नगमगोम मोहेन्द्रा** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार मनीपुर में मनीपुर रेजीमेन्ट बनाने की सोच रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या करण हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन सिंह)**(क) जी नहीं ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) : सरकार की नीति किसी वर्ग, जाति, धर्म या क्षेत्र के नाम पर कोई नई रेजीमेन्ट यूनिट बनाने की नहीं है ।

**बीकन सिविलियन एम्प्लाइज यूनियन से अभ्यावेदन**

5354. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें 1326 बेस डिपो, पठानकोट में काम कर रहे दस नैमित्तिक श्रमिकों, जिनकी एक से दस वर्ष तक की सेवा हो चुकी है, की सेवायें बर्खास्त करने के बारे में बीकन सिविलियन एम्प्लाइज यूनियन, पठानकोट से तार/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अभ्यावेदन पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०पी०एन० सिंह)** : (क) इस बारे में तार की एक डाक प्रति तथाकथित "बीकन सिविलियन एम्प्लाइज यूनियन, पठानकोट" से प्राप्त हुई थी । यह यूनियन न तो मान्यता प्राप्त है और न ही स्पष्ठ रूप से वैध है ।

(ख) इस बारे में स्थिति यह है कि बेस डिपो में काम कम जाने की वजह से दस नैमित्तिक श्रमिकों को दुबारा काम पर नहीं लिया गया और ऐसा उनकी रोजगार की शर्तों के अनुसार ही किया गया है । इसलिए इस बारे आगे कार्रवाई करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**पश्चिमी घाट विकास योजना के अन्तर्गत पोलादपुर तथा महाद तालुकों का विकास**

5355 : **श्री बापु साहेब पारुलेकर** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा पश्चिमी घाट विकास योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र के जिला कोलाबा के पोलादपुर तथा महाद तालुकों के विकास के लिए उनका सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) क्या प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

**योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में और महाद तालुकों का सर्वेक्षण राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा पश्चिमी घाट क्षेत्र के लिए तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को तैयार करने के लिए आवश्यक सांख्यिकीय सूचना एकत्र करने के लिए किया गया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

**मंत्रालय द्वारा हिन्दी में पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन**

5356 : **श्री विजयकुमार यादव** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी के संवर्द्धन तथा प्रजार के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं के प्रकासन के बारे में क्या प्रावधान हैं और हिन्दी सलाहकार समिति ने क्या निर्णय लिये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सभी मंत्रालयों तथा विभागों को ये निर्देश दिये गये हैं कि वे हिन्दी प्रकासन कार्य में सँलग्न कर्यचारियों को अंग्रेजी प्रकाशन कार्य में संलग्न कर्मचारियों के समान ही सुविधायें तथा वेतन आदि प्रदान करें ;

(ग) यदि हाँ, तो किन-किन विभागों में इन निदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकारी प्रकाशनों में भाषायी विषमताओं को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति ने अपनी 23 नवम्बर, 1972 को हुई बैठक में इस विषय पर विचार करने के बाद यह सिफारिश की थी कि राज भाषा नीति के अनुरूप सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन हेतु सरकारी पत्रिकाओं में हिन्दी का उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग किया जाए। अत: गृह मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया गया कि उनके द्वारा प्रकाशित सरकारी हत्रिकाओं में हिन्दी का प्रयोग आरम्भ करने के लिए यथोचित कार्रवाई की जाए।

उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार भारत सरकार के कई मंत्रालय/विभागों आदि ने अपने कार्यों, योजनाओं, उपलब्धियों आदि के प्रचार प्रसार के लिए अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में भी पत्रिकाएँ प्रकाशित करना आरम्भ कर दिया है। कुछ विभाग केवल सिन्दी पत्रिकाएं भी प्रकाशित कर रहे हैं।

(ख) से (घ) केन्द्रीय हिन्दी समिति ने दिसम्बर 1977 में निम्नलिखित सिफारिश की थी :—

"विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के सम्पादकीय विभागों में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के जो अधिकारी तथा कर्मचारी काम करते हैं, उनके तथा समान स्तर का अंग्रेजी में काम करने वाले व्यक्तियों के वेतनमान, पदनाम तथा अन्य सेवा शर्तों में कोई भेद भाव नहीं होना चाहिए और इस सम्बन्ध में एकरूपता लाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।" सभी मंत्रालयों आदि से इसका अनुपालन सूनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही, मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रकाशित विभिन्न हिन्दी पत्रिकाओं के स्तर, भाषा, स्टाफ, आदि के विषय में विचार करने के लिए राजभाषा विभाग के तत्वाधान में एक पत्रिका उप समिति भी गठित की गई है जो इस दिशा में काम कर रही है।

सरकार की यह सुविचारित नीति है कि सरकारी काम काज के लिए हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए। विभिन्न मंत्रालय इस सम्बन्ध में कार्यवाई भी कर रहे हैं। तथापि, यह एक समय साध्य कार्य है और वास्तविक प्रगति अलग अलग मंत्रालयों की अपनी अपनी आवश्यकता और साधनों पर निर्भर करती है इस बारे में सरकार द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश बराबर दिया जा रहा है।

**उड़ीसा को नमक की आवश्यकता और आवंटन**

5357 **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) उड़ीसा की राज्य सरकार ने अपनी मासिक आवश्यकतानुसार नमक की कितनी मात्रा की मांग की है और उसे जनवरी, 1980 से मई, 1980 तक कितनी मात्रा सप्लाई की गई तथा इस मद की कितनी मात्रा प्रति माह वास्तव में राज्य में पहुंची ;

(ख) यदि कोई कम सप्लाई की गई तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उड़ीसा की सरकार ने नूनि कोरिन से नमक का आयात करने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) राज्य/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा मासिक आधार पर नमक की मांग नहीं की जाती है, बल्कि उनकी आवश्यकताओं का अनुमान वार्षिक आधार पर लगाया जाता है । उड़ीसा राज्य को निर्धारित किया गया नमक का वार्षिक कोटा 1,52,000 मी० टन है तथा जनवरी से मई, 1980 की अवधि के लिए आनुमातिक कोटा 65,000 मी टन बनता है । इस कोटे की तुलना में इस अवधि के दौरान 83,500 मी० टन नमक भेजा गया है ।

जनवरी से मई, 1980 तक की अवधि में उड़ीसा राज्य को वास्तविक रूप से पहुंची नमक की मात्रा सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(ख) उड़ीसा राज्य को नमक की कम आपूर्ति नहीं जा रहीं है ।

(ग) जी, हाँ । मामला विचाराधीन है ।

**उत्तरी पूर्वी राज्यों में चीन में प्रशिक्षित व्यक्ति**

5358. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि आसाम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में सैनिक और राजनैतिक रूप से चीन में प्रशिक्षित नवयुवक सक्रिय हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ल्हासा में प्रशिक्षित कुल नवयुवक मणिपुर में सक्रिय हैं और हाल ही में जिन दंगों ने राज्यों को हिलाकर रख दिया था उनमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** (क) यद्यपि असम के सम्बन्ध में ऐसी कोई सूचना नहीं है, नागा तथा मिजो भूमिगत लोगों के कुछ गिरोह और मैतई उग्रवादियों का एक ग्रुप प्रशिक्षण के लिए पहले चीन गया था । यह भी जानकारी है कि नागा तथा मिजो भूमिगत लोग 1976 और 1777 में वहाँ से वापस आए थे ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) सरकार कृत संकल्प है और उग्रवादियों द्वारा की जाने वाली हिंसा को समाप्त करने के लिए उपाय किए आ रहे हैं । पुनर्वास के लिए सहायता के देकर उन्हें हिंसा के कार्यों से विमुख करने के लिए भी उपाय किए गए हैं ।

भूमिगत लोगों लोगों को चीनी सहायता के मामले को चीन सरकार से दूतावास स्तर

पर उठाया गया था। फरवरी, 1979 में चीन के विदेश मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि पहले दी गई ऐसी सहायता को अब अतीत की बात समझा जाए। उस समय से यही नीति है। चोरी छिपे सीमा पार करने की घटनाओं को रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों द्वारा बड़ी निगरानी रखी जा रही है।

**आसाम समस्या में विदेशी हाथ**

5359. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : श्री सी० एम० हईद : श्री गुलाम रसूल कोचक :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि सरकार के पास पर्याप्त सबूत है कि बाहर के देश में अव्यवस्था पैदा करने में सहायता करते रहे हैं और आसाम में आन्दोलन को बहुत अधिक विदेशी सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल में विदेशों में बने शस्त्र गोला बारूद पकड़े गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसमें किन किन देशों का हाथ है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुछ विदेशी तत्वों द्वारा अनावश्यक रूप से रुचि लेने के संकेत हैं।

(ख) और (ग) सुरक्षा बलों ने नवम्बर, 1979 से अब तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विदेशों में बने निम्नलिखित शस्त्र/गोला बारूद बरामद किये हैं .—

| | | |
|---|---|---|
| (1) | हथियार | 4 (चीनी पिस्तौलें और राइफलें) |
| (2) | द्वितीय विश्व युद्ध विन्टेज | 3 (जापानी और इतालवी सम्मिलित हैं) |
| (3) | गोला बारूद | 681 (296 राउंड चीनी और 385 राउन्ड पाकिस्तानी) |

**खण्डेलवाल ग्लास वर्क्स, अम्बोना का बंद होना**

5360 : **श्री ए० के० राय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या उनको पता है कि बिहार के धनवाद जिले में अम्बोना स्थित खण्डेलवाल ग्लास वर्क्स वर्षों से बन्द पड़ा है, जबकि उस क्षेत्र में इस प्रकार का केवल एक उद्योग होने के कारण उसे लाभ की भारी सम्भावनाएं हैं, यदि हां, तो ब्यौरे-वार तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या श्रमिकों और सरकार को धन राशि इस कारखाने के मूल्य से अधिक है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार को देय राशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस कारखाने का राष्ट्रीयकरण करने तथा अपने प्रबन्ध के अधीन आरम्भ करने का है ;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) मैं० खण्डेलवाल वर्क्स धनवाद को हावड़ा से जोड़ने वाली बाड गेज लाइन के रेलवे स्टेशन अम्बोना के बिल्कुल पास स्थित है। बिहार राज्य सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार यह कारखाना जनवरी, 1968 से बन्द पड़ा हुआ है। यह सूचित किया गया है कि यह कारखाना 1952 में तकनीकी विकास के महानिदेशालय में उनके पत्र सं० आर/57/112-आर-32 (1) /31, दिनांक 21 अक्तूबर, 1952 द्वारा पंजीकृत किया गया था।

खण्डेलवाल ग्लास वर्क्स अम्बोना को 1979 तक लघु एकक के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था।

राज्य स्तरीय समन्वय समिति बिहार सरकार दिनांक 6-4-1979 को हुई अपनी बैठक में सहमत हो गई थी कि खण्डेलवाल ग्लास वर्क्स, अम्बोना को लघु एकक के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए और उसे बन्द पड़े हुए रुग्ण उद्योगों की श्रेणी रखा जाना चाहिए ताकि इसकी पुनर्स्थापना के लिए उपयुक्त सहायता प्रदान की जा सके।

(ख) संगत तुलन पत्र के अनुसार 10-11-1077 को खंडेलवाल ग्लास वर्क्स अम्बोना की कुल परिसम्पत्तियां 2,56,604·95 रु० मूल्य की थीं जब कि भविष्य/निधि, कर्मचारी राज्य बीमा (ई० एस० आई०) और बिक्री कर से सम्बन्धित कुल देयताएं 3,10,005·00 रु० की थीं।

(ग) मामला बिहार सरकार के विचाराधीन है।

(घ) फिलहाल ग्लास फैक्ट्री का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। अतएव बिहार सरकार द्वारा इसके प्रबन्ध अधिग्रहण का प्रश्न ही नहीं उठता।

**कपड़े धोने के साबुन के मूल्यों में वृद्धि**

5361. **श्री आर० के० महालगी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या कच्चे माल जैसे चावल की भूसी का तेल (ब्रान आयल), और रोजिन जैसी वस्तुओं के मूल्यों में आसामान्य वृद्धि के कारण कपड़े धोने के साबुन के मूल्यों में भारी वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या चावल की भूसी का तेल और रोजिन के मूल्यों में वृद्धि का कारण इन वस्तुओं के लिए निर्यात बाजार की वृद्धि होना है ;

(ग) क्या सरकार का विचार "चावल की भूसी का तेल" और "रोजिन" की निर्यात बचनवद्धता पर नियंत्रण करने और इसके परिणामस्वरूप कपड़े धोने के साबुन के मूल्यों में कमी लाने के लिए कार्यवाही करने का है ; और

(घ) कपड़े धोने के साबुन के मूल्य में कमी लाने के लिये सरकार का विचार क्या अन्य कार्यवाही करने का है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) कपड़े धोने के साबुन के मूल्यों में वृद्धि कच्चे माल अर्थात तेलों जिसमें चावल की भूसी का तेल (राइस ब्रान आयल) भी शामिल हैं के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण हुये हैं। किन्तु रोसिन के मूल्य कम हुए हैं,

(ख) और (ग) जी, नहीं। रीसिन के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। चावल की भूसी का तेल का कोई निर्यात नहीं किया जाता है।

(घ) लघु क्षेत्र के लिए तेल तथा चर्बी की उपलब्धता को पूरा करने हेतु हर सम्भव प्रयास किये जा रहे जिसमें भेड की चर्बी का आयात किया जाना भी शामिल है।

**टायरों और टयूबों के मूल्य में वृद्धि**

5362 : **श्री जी०आई० कृष्णन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार के टायरों और टयूबों के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : विगत दो वर्षों अर्थात जून, 1978 से लेकर 1980 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के टायरों तथा टयूबों के मूल्यों में हुई वृद्धि का ब्यौरा देने वाला एकक विवरण संलग्न है।

विवरण

टायरों तथा ट्यूबों का थोक मूल्य

(मूल्य रूपयों में)

| | जून, 1978 | जून, 1980 | जून 1978 के मूल्यों से आगे जून, 1980 तक मूल्यवृद्धि का प्र०श० |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| विशिष्टियों/आकार सहित टायर | | | |
| कार टायर स्टैन्डर्ड रेयन बी० एस० डल्यू० | | | |
| 1. 6.70-15.6 प्लाई रेटिंग सी० 49 | 299.73 | 453.00 | 51.1 |
| 2. 5.90-15-6 प्लाई रेटिंग सी० 49 | 228.74 | 367.00 | 60.4 |
| 3. 5.20-14.6 प्लाई रेटिंग सी० 49 | 197.19 | 316.00 | 60.4 |
| 4. 5.60-13.6 प्लाई रेटिंग सी० 49 | 208.23 | 326,00 | 56.6 |
| ट्रकों के टायर | | | |
| 5. 8.25.20—12 पी०आर०एच०डब्ल्यू० 105-रेयन | 1077.43 | 1578.00 | 46.4 |
| 6. 9.00.20—12 पी आर एच डब्ल्यू 105 एम के आई आई | 1370.85 | 1832.00 | 33.6 |
| मोटर साइकिल के टायर | | | |
| 7. 3.25-19 4 प्लाई | 112.36 | 163,00 | 45.1 |
| स्कूटर के टायर | | | |

| 1 | 2 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| 8. 3.50-10 4 प्लाई ट्रक्टर के टायर | 72.23 | 101.00 | 39.8 |
| 9. 12.2-28(11.28) जी जी-4 प्लाई रियर | 893.85 | 1214.00 | 35.8 |
| 10. 12.4-36(11.36) 6 प्लाई रियर आफ दि हार्डवेयर | 1074.39 | 1526.00 | 42.0 |
| 11. 12.00,24/25 16 प्लाई नाइलोन | 3113.99 | 5661.00 | 81.8 |
| 12. 8.00-24/25 12 प्लाई नाइलोन साइकलों के टायर | 9805.74 | 15830.00 | 61.4 |
| 13. 28-1/1/2 डब्ल्यू ओ ट्यूब | 12.20 | 14.65 | 20.1 |
| 1. मोटर कार ट्यूब 5.90-15 (जी-15) | 33.13 | 50.00 | 50.9 |
| 2. जायन्ट ट्रक ट्यूब 9.00-20 (बटाइल) | 120·05 | 195,00 | 62.4 |
| 3. मोटर साइकिल ट्यूब 3.25-16 | 22.73 | 33.00 | 45.2 |
| 4. स्कूटर ट्यूबें 3.50-10 (दो पहिए) | 16.48 | 24.00 | 45.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| साइकिल की ट्यूबें | | | |
| 5. बेटस/रिक्शा (हैवी सर्विसेज) | 5.00 | 6.00 | 20.0 |
| 6. रोडस्टेर | 5.15 | 6.15 | 19.4 |
| ट्रैक्टर की ट्यूबें | | | |
| 7. 12.4-28/11-28/जी जी | 126 10 | 217.00 | 72.1 |
| 8. 12 4-36/11-36 जी जी | 175.12 | 281.00 | 60.5 |
| आफ दि हाईवे ट्यूबें | | | |
| 9. 12.00-24/25 | 217.21 | 301.00 | 38.6 |
| 10. 18.00-24/25 | 653.21 | 888.00 | 35.9 |

**चमड़ा उद्योग कर्मचारी सभा, कानपुर से ज्ञापन**

5363 : **समर मुखर्जी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को चमड़ा उद्योग कर्मचारी सभा, कानपुर से इस उद्योग के लगे हुए मजदूरों की समस्याओं के बारे में दिनांक 3 मार्च, 1980 के ज्ञापन की एक प्रति प्राप्त हुई है;

(ख) ज्ञापन में किस प्रकार को समस्याओं का उल्लेख है; और

(ग) सरकार ने इन समस्याओं के निराकरण के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) जी, हां। टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया, कानपुर के कर्मचारियों की समस्याओं के बार में अनेक ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

(ख) प्रमुख मांगें कर्मचारियों का ग्रेडेशन करने और उनके वेतन ढांचे में संशोधन करने के सम्बन्ध में हैं। इसके अलावा वे खेल-कूद, पुस्तकालय, कारखाने के ही अन्दर कैन्टीन की सुविधाय तथा एक वर्क्स कमेटी का गठन किए जाने की भी मांग कर रहे हैं।

(ग) मांगों पर अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक द्वारा यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सरकार वेतन में संशोधन करने के प्रश्न पर ध्यान दे रही है। अन्य मांगों के सम्बन्ध में उन्हें आवश्यक सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था करने हेतु कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया गया था।

**क्रांति करने के लिए लोकदल के अध्यक्ष का आवाहन**

5364 : **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 21 अप्रैल, 1980 को समाचार-पत्रों में प्रकाशित लोकदल के अध्यक्ष के हाल ही के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं को क्रांति के लिए आवाहन किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**: (क) : जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) और (ग) : सरकार ने लोकदल के अध्यक्ष द्वारा लखनऊ में दल के कार्यकर्त्ताओं के सम्मेलन में दिए गए वक्तव्य को नोट किया है। लोक व्यवस्था के किसी उलंघन पर कानून के अनुसार कार्वाई की जाएगी।

**जापान के "रैड-ब्रिगेड" की गतिविधियां**

5365 : **श्री चतुर्भुज** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को कभी अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस की ओर से जापान के "रैड-ब्रिगेड" की भारत में चल रही स्तम्भनकारी गतिविधियों के बारे में सूचना मिली थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सूचना के आधार पर भारत सरकार को क्या उपाय करने थे और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है।

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(क) और (ग) : जून, 1979 में टोकियो शिखर सम्मेलन के संदर्भ में जापानी रेड आर्मी जैसे कुछ लड़ाकू दलों द्वारा अवांछनीय गतिविधियों की विकास के विषय में इन्टरपोल से सूचना प्राप्त हुई थी। उचित एहतिहाती उपाय किए गए थे।

**ऋषिकेश में विदेशी नागरिकों का निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरना।**

5366. **श्री डयाराम शाक्य :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार को यह पता है कि अलरिच स्कुल्ज उर्फ "अलीबाबा" एन्टन, वेग्ल और हैंस डीटर नामक चार विदेशी राष्ट्रिक तथा सूसन क्रिस्टोफर वूली नामक एक महिला डाक्टर अपने वीसा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में ऋषिकेश में अभी ठहरे हुए हैं और धर्म का प्रचार करने के बहाने से संदिग्ध गतिविधियों में भाग ले रहे है। और यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुध क्या कार्यवाही है;

(ख) क्या यह सच है कि "अलीबाबा" पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों का दौरा भी अपनी कार से करता हैं और खोखली मूर्तियों के निर्यात के बहाने से तस्करी करता है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि "अलीबाबा" के विरुद्ध लक्ष्मणझूला पुलिस स्टेशन में नटस, हैड—कांस्टेबल पर घातक हमला करने और बाबा वुधमणि को गम्भीर रूप से पीटने की रिपोर्ट दर्ज कराने तथा उस पर आरोप लगाने के बावजूद ये मामले दबा दिये गये और "अलीबाबा" के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(क) और (ख) : ये विदेशी राष्ट्रिक वैद्य यात्रा पारपत्रों पर भारत आये थे और इन्होंने दावा किया है कि वे "सत्या एम्बैसी" नामक संस्थान, योग अनुसंधान धर्मसंघ, लक्ष्मण झूला (हिमालय), वारास्ता ऋषिकेश में योग का अध्ययन/अभ्यास/अध्यापन कर रहे है। सर्व/श्री अलरिच सचूल्ज, अन्टन वोल्ग और श्रीमती सुसान क्रिस्टोफर वूली उर्फ देवी शक्ति राठोड के आवेदन पत्र संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श के साथ विचाराधीन है। संस्थान और सह-वासियों के विरुद्ध अनेक आरोप लगाये गए हैं लेकिन अब तक की गई जाँच पड़ताल से यह आरोप सिद्ध नहीं हो सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सड़क से यात्रा करने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार से श्री हैंस डाईटर के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, जिसने आवास वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन नहीं किया प्रतीत होता है।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार मुठभेडों की दो अलग अलग घटनाओं के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा श्री अलरिच सचूल्जके विरुद्ध अगस्त, 1979 और फरवरी, 1980 में क्रमशः दो मामले दर्ज किए गए। ये अभी न्यायालय में विचारण के लिए लम्बित हैं।

## स्थगन प्रस्ताव के बारे में

**श्री मनीराम बागड़ी** (हिसार) : अध्यक्ष महोदय नियम 376 के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था प्रश्न है। आप 184 पेज देखें। 1, 2 और तीन के आधार पर मैं यह व्यवस्था का प्रश्न रखना

चाहता हूं, 4, 5, 6 और 7 के आधार पर नहीं। पेज 34 आप निकालें। मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न कामरोको प्रस्ताव के बारे में है। चार व्यक्तियों ने भूख से तंग आकर आत्म हत्या कर ली हैं। झांसी के अन्दर शहर अली ने—

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इसको डिसएलाउ कर दिया है।

**श्री मनीराम बागड़ी** : लोक सभा किस बात के लिए है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न इस कायदे के तहत है कि भूख से तंग आकर शहर अली ने अपनी 4, 5 और 9 वर्ष की बच्चियों के साथ आत्म-हत्या—

**अध्यक्ष महोदय** : इसको मैंने डिसएलाउ कर दिया है।

**श्री मनीराम बागड़ी** : यही मैं पूछ रहा हूं कि भुखमरी के सवाल से कोई दूसरा भी बड़ा सवाल हो सकता है—

**अध्यक्ष महोदय** : और कोई सवाल है ? इसको मैंने डिसएलाउ कर दिया है। कोई और बात हो तो बताइये।

**श्री मनीराम बागड़ी** : दूसरा प्रश्न मैंने आपको 222 के अन्तर्गत दिया था।

## आकाशवाणी के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

**अध्यक्ष महोदय** : 21 जुलाई, 1980 को श्री मनीराम बागड़ी ने आकाशवाणी के विरुद्ध अध्यक्ष द्वारा 17 जुलाई 1980 को इस सभा में उस समय की गई घोषणा को प्रसारित न करने के विषय में विशेषाधिकार के मामले की सूचना दी थी जब हरयाणा के सिरसा जिले के दुबावली थाने के कतिपय सिपाहियों द्वारा एक महिला के साथ कथित बलात्कार और बाद में उसकी हत्या के सम्बन्ध में अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। सर्व श्री मनीराम बागड़ी, के० के० गोयल, सतीश अग्रवाल, जयपाल सिंह कश्यप, चन्द्रपाल शैलानी और रामविलास पासवान द्वारा इस विषय पर दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को जब मैंने अस्वीकार किया तो, मैंने ऐसी घटनाओं के बारे में सभा की चिन्ता के विषय में कुछ टिप्पणी भी की थी।

सूचना और प्रसारण मंत्रायय ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने का समाचार आकाशवाणी ने अपने सांय 4 बजे के अंग्रेजी बुलेटिन में संक्षिप्त रूप में दिया था तथा 'पार्लियामेंट दुडे' तथा 'संसद समीक्षा' में भी इसका हवाला दिया था।

मुझे सन्देह नहीं है कि आकाशवाणी एवं जन संचार माध्यम के अधिकारी पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखेंगे, विशेषरूप से उन टिप्पणियों को जिनमें सभा की चिन्ता अभिव्यक्त की गई हो।

**श्री मनीराम बागड़ी** : अध्यक्ष महोदय, यह सदन का सवाल है। सदन ने मरने वाले के प्रति जो भावना आपके माध्यम से व्यक्त की·····

**अध्यक्ष महोदय** : यही तो कहा है।

## ऊर्जा तथा कोयला मंत्री द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में की गई कतिपय टिप्पणियों के बारे में

**श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) :** महोदय, मैंने कल के बारे में आपने और सभापति महोदय, श्री पाटिल ने जो कुछ कार्यवाहियों और टिप्पणियां की हैं उनके बारे में आपको लिखा था। जो कुछ कहा गया था उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया है। मुझे कहना पड़ रहा है कि आप ऐसा करने में सक्षम नहीं है।**

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, अनुमति नहीं दी जाती।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** कही गई बात को कार्यवाही वृतान्त से निकाला जाना महत्वपूर्ण बात है। इस बारे में नियम 380 मौजूद है।

**अध्यक्ष महोदय :** आप मुझे लिखित रूप में दें।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** मैं लिखकर दे चुका हूं। आप इसे कार्यवाही से निकाल नहीं सकते।

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया व्यवस्था बनाए रखें। मैं जानता हूं मैं क्या कर सकता हूं? नियम है और मार्ग दर्शक सिद्धान्त मौजूद हैं जिनके अनुसार मुझे काम करना है। आप मेरे पास आकर इस पर विचार कर सकते हैं। मैंने जो किया वह मेरे अधिकार के अन्तर्गत है।

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय :** और कुछ है तो मैं उसके लिए अनुमति दे सकता हूं। व्यवस्था का कोई ओर प्रश्न है?

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी के खिलाफ मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है। उन्होंने इस सभा में जानबूझकर··· **

**अध्यक्ष महोदय :** आप ऐसा नहीं कर सकते-कृपया शान्त रहें।

**प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) :** आप उन्हीं की बात सुनते है जो चिल्लाते हैं, जिनके फेफड़े मजबूत है।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपकी बात भी सुनता हूं। मुझे एक सूचना देनी है। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? कृपया राजधानी एक्सप्रेस भी तेजी से भागने का प्रयास न करें। मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में 9 जुलाई 1980 को इस सभा में ऊर्जा और कोयला मंत्री श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी द्वारा की गई कतिपय टिप्पणियों के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु का दिनांक 16 जुलाई, 1980 का पत्र मिला है। मुझे श्री सोमनाथ चटर्जी तथा दूसरों से भी 19 जुलाई 1980 का पत्र मिला है जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के पत्र की विषय वस्तु को इस रूप में पढ़ने और उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को परिचालित करने का अनुरोध किया गया है।

मैंने दोनों पत्रों को कोयला और ऊर्जा मंत्री तथा प्रधान मन्त्री को उनकी टिप्पणी के लिए भेज दिया है।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

तथापि मुझे यह कहना है कि इस प्रकार के पत्रों को सभा के ध्यान में लाने औ परिचालित करने की सामान्य प्रथा नहीं है।

जहाँ तक उनके खिलाफ लगाये गए आरोपों का प्रश्न है, ऊर्जा और कोयला म मुझे एक पत्र भेजा है। और स्थिति स्पष्ट की है। साथ ही कुछ दस्तावेज भेजे हैं। श्री ज मॅय वसु ने भी मुझे लिखा है और मुझसे मिले भी हैं। उन्होंने इस बारे में कुछ दस्तावेज कि की बात कही है। मैं भी वसु से उनके प्रस्ताव के समर्थन में दस्तावेज प्राप्त होने पर कामक आगे विचार करूंगा।

**श्री ज्योतिर्मय** : एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने कलकत्ता में कोयले की सप्लाई के में 9 जुलाई को इस सभा में उन्होंने जो कहा उसके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव रख क्योंकि उनका वक्तव्य पूर्णतः असत्य है। यही मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास मुख्य मंत्री का पत्र है।

**श्री ज्यातिर्मय बसु** : मेरा विशेषाधिकार प्रस्ताव भी गनीखान चौधरी के खिलाफ है।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री ज्यतिर्मय वसु, कृपया बैठ जाँय। हर समय अपना ही अधिका समझें।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मन्त्री ने यह कहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जायें।

**श्री झारखण्डे राय** :

**श्री झारखण्डे राय (घोसी)** : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक की फायरिंग पर मैंने काम स प्रस्ताव दिया था।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उसे अस्वीकृत कर दिया है। यह राज्य का मामला।

**प्रो० पी० जे० कुरियत** : मैंने भी एक विशेषाधिकार का नोटिस दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपकी सूचना मुझे मिल चुकी है। मैं आपको बता चुका हूं। तथ्यों का पता लगाने हेतु भेज दिया गया है।

**श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर)** : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एडजर्नमेंट मोशन दि है। दिल्ली में रोज डकैतियां हो रही हैं···

**अध्यक्ष महोदय** : अत्रजी मद। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। श्री केदार पाण्डे

## सभापटल पर रखे गये पत्र

**वर्ष 1980-81 के लिए सिंचाई मन्त्रालय को अनुदानों की विस्तृत मांगें (सामान्य)**

**सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे)** : मैं वर्ष 1980-81 के लिए सिंचाई मन्त्रालय के दानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हू

(ग्रन्थालय में रखी गई—देखिए संख्या एल० टी०—1136/80)।

**वर्ष 1980-81 के लिए पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें (सामान्य)**

**सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे)** : मैं वर्ष 1980-81 के लिए पूर्ति

पुनर्वास मन्त्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गई—देखिए संख्या एल० टी० 1137/80)।

**वर्ष 1980-81 के लिए विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें (सामान्य)**

**विधि, न्याय और कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : मैं वर्ष 1980-81 के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गई—देखिए संख्या एल० टी० 1138/80)।

लगन जूट मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के 31 अक्तूबर, 1978 को समाप्त हुए हुए वर्ष के कार्यकरण की समीक्षा तथा बिलम्बन के कारण बताने वाला विवरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उद्योग विकास तथा विनिमय, अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत।

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) लगन जूट मनीशरी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के 31 अक्तूबर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) लगन जूट मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, 31 का अक्तूबर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 1139/80)।

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) की एक-एक प्रति :—

(एक) ट्रक्टर वितरण तथा (नियन्त्रण) नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, 1980, जो दिनांक 13 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 398 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) आयातित सीमेंट नियन्त्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1980 जो दिनांक 27,जून 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आं० आ० 471 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) आयातित सीमेंट नियन्त्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, 1980 जो दिनांक 30 जून,

1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 476 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

ग्रंथालय में रखा गया—देखिए एल० टी० संख्या 1140/80)।

(4) उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मैसर्स इंडिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा के प्रबन्ध पर नियन्त्रण जारी रखने के बारे में सां० आ० 747 (ङ) जो दिनांक 22 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) मैसर्स आन्ध्र साइन्टीफिक कम्पनी लिमिटेड, मछलीपटनम के प्रबन्ध पर नियन्त्रण जारी रखने के बारे में सां० आ० 465(ङ), जो दिनांक 26 जून 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ग्रंथालय में रखे गये—देखिए संख्या एल० टी० 1141/80)।

**वर्ष 1980-81 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें (सामान्य)**

**स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : मैं वर्ष 1980-81 के लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गई—देखिए संख्या एल० टी० 1142/80)।

**भौतिक अनुसंधान शाला, अहमदाबाद, के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा**

**रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : मैं भौतिक अनुसंधान शाला, अहमदाबाद के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा* के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 1143/80)।

महाराष्ट्र एसोसियन फार दी कल्टीएशन आफ साइंस, पुणे, रमण रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर तथा इंडियन नेशनल साइन्स अकादमी, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकरण की समीक्षा तथा विलम्ब के कारणों के बारे में विवरण।

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में उपमन्त्री (श्री एम० विजय पाटिल)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (क) महाराष्ट्र एसोसियेशन फार दि कल्टीवेशन आफ साइन्स, पुणे के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखें।

* भौतिक अनुसंधान शाला, अहमदाबाद का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन 26 मार्च, 1980 को सभा-पटल पर रखा गया था।

(दो) सरकार द्वारा समीक्षा तथा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये—देखिए संख्या एल० टी० 1144/80)।

(2) (एक) रमण रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजों संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरकार द्वारा समीक्षा तथा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के के कारणों बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये—देखिए संख्या एल० टी० 1145/80)।

(3) (एक) इंडियन नेशनल साइन्स अकादमी नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखें।

(दो) सरकार द्वारा समीक्षा तथा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये—देखिए संख्या एल० टी० 1146/80)।

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

**नई दिल्ली में हाल ही में हुए श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन में किए गए निर्णय**

**श्री रामावतार शास्त्री (पटना)** : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रम मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बंध में एक वक्तव्य दें :—

"नई दिल्ली में श्रम मंत्रियों के हाल ही में हुए सम्मेलन में किये गये निर्णय।"

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री मंत्री (श्री टी० अंजैया)** : राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के 31वें अधिवेशन में, जो19 और 20 जुलाई, 1980 को हुआ अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें सम्पूर्ण औद्योगिक संबन्ध, औद्योगिक प्रशासन और श्रमिकों का कल्याण शामिल है। सम्मेलन में यह सर्व सम्मति थी कि औद्योगिक सामंजस्य, कल्याण और उत्पादन एवं उत्पादिता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनमें एक-साथ प्रोन्नति की जानी होगी।

2. सम्मेलन ने यह स्वीकार किया कि औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र को श्रमिकों की समस्याओं का पूर्वानुमान करने तथा कामबन्दी को रोकनेके लिये तातकालिक के उपचारी कार्यवाही करने के लिये सरल तथा सुदृढ़ बनाया जाए, और यह कि औद्योगिक सम्बंधों तथा ट्रेड यूनियनों से सम्बंधी कानूनों में उपयुक्त रूप से सन्शोधन किए जाएं।

3. सम्मेलन ने यह स्वीकार किया कि कार्यान्वियन तंत्र को सुदृढ़ बनाने की शीघ्र आवश्यकता है, ताकि वे न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने, बंधित श्रमिकों को मुक्त कराने और उन्हें पुर्नवसित करने, ठेका प्रणाली और नैमित्तिक श्रमिकों के नियोजन मेंअनुचित श्रम पद्धतियों का अन्मूलन करने के लिए अधिक मौलिक कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य कर सकें। सम्मेलन में यह इच्छा व्यक्त की गई कि तंत्र को इस प्रकार सुदृढ़ करने तथा विशिष्ट कार्यक्रमों के लिये छठी योजना में समुचित व्यवस्था की जाए।

4. यह निर्णय किया गया कि निर्माण श्रमिकों की कार्यदशाओं और मजदूरी को नियमित

करने के लिए एक केन्द्रीय कानून लागू किया जाए ।

5. सम्मेलन में स्थायी समिति स्थापित करने का निर्णय लिया गया ताकि निर्णयों का प्रभावी अनुपालन किया जा सके । इस समिति में सभी मंत्री शामिल होंगे ।

6. मैं सदन की मेज पर एक विवरण रखता हूं जिसमें सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें दी गई हैं ।

**विवरण**

श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन के 31वें अधिवेशन की मुख्य सिफारिशें निम्न पैरों में दी गई :-

**(क) औद्योगिक सम्बन्ध**

सम्मेलन ने सिफारिश की कि औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र को श्रमिकों की समस्याओं का पूर्वानुमान करने तथा कामबन्दी को रोकने के लिए तात्कालिक उपचारी कार्यवाही करने के लिए सरल तथा सुदृढ़ बनाया जाए ताकि औद्योगिक सामंजस्य तथा उत्पादन हो सके ।

2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में कानूनी परिवर्तन, जिनका सम्मेलन ने सुझाव दिया, समझौतातंत्र, श्रम न्यायालयों के पंचाट, कामबन्दी, जबरी छुट्टी और श्रम न्यायालयों/अधिकरणों की शक्तियों आदि के बारे में उपबंधों में परिवर्तनों के अतिरिक्त "समुचित सरकार", "उद्योग" और "मजदूरी" शब्दावलियों की पुनः परिभाषा जैसे विभिन्न मामलों से संबंधित हैं ।

3. औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के बारे में सुझाया गया कि संशोधन निर्वाह भत्ते के भुगतान के लिए यथेष्ट व्यवस्था करने और माडल स्थायी आदेशों के अधिक उपयुक्त उपबन्धों को अपनाने से सम्बंधित है ।

4. ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के बारे में सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ-साथ पंजीकरण के लिए न्यूतम सदस्यता को बढ़ाने, श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायालय में अन्तः-यूनियन और अन्तरा—यूनियन विवादों के निर्देशन के अनुसार कृषि औरग्रामीण श्रमिकों को अन्तर्ग्रस्त करने के लिए नए उपबन्ध समाविष्ट करने और किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन का कार्य चलाने में बाहरी व्यक्तियों की वर्तमान सीमा में कमी करने का सुझाव दिया ।

**(ख) प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता**

5. सम्मेलन में श्रमिकों की सहभागिता की योजना को कानूनी समर्थन देने के सिद्धांत पर सर्वसम्मति थी । प्रबन्ध और इक्विटी में श्रमिक सहभागिता संबंधी 21 सदस्यीय समिति की अन्य सिफारिशों को सामान्यतः स्वीकार कर लिया गया । श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता को अनिवार्य समझा गया ताकि उन्हें सहभागी फार्मों में अपनी समुचित भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा सके । यह भी स्वीकार किया गया कि श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चयन गुप्त मतदान द्वारा किया जाना चाहिए जबकि कुछ राज्यों ने दिया कि नामांकन मान्यता प्राप्त यूनियन द्वारा किया जाए ।

**(ग) श्रम कानूनों में एकरूपता**

6. यह स्वीकार किया गया कि राज्य स्थानीय दशाओं के अनुकूल अपने श्रम कानून बनाने या वर्तमान कानूनों में संशोधन करने में स्वतंत्र हो ।

(घ) मजदूरी

7. केन्द्रीय सरकार को समर्थकारी कानून बनाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक बड़े उद्योग के सम्बन्ध में केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा मजदूरी का निर्धारण/संशोधन करने के लिये सांविधिक मजदूरी बोर्डों की स्थापना की व्यवस्था की जाए। राज्य बोर्डों के कार्यों में समन्वय करने के लिये कानून में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की व्यवस्था की जाए।

8. यद्यपि न्यूनतम मजदूरी के स्तर में उन्मुख संशोधन करने के लिये निरन्तर निगरानी रखने की आवश्यकता है, फिर भी न्यूनतम मजदूरी गरीबी रेखा जैसा कि योजना आयोग द्वारा परिभाषित की गई है, से नीचे नहीं होनी चाहिए, और जहां कहीं ये मजदूरी दरें इस समय हैं उनमें वृद्धि करने का पर प्रयास करना चाहिए, ताकि इनको उस स्तर तक लाया जा सके।

9. न्यूनतम मजदूरी दरों से सम्बंधित अन्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुसूची में समय-समय पर परिवर्धन करके यथा-सम्भव अधिक से अधिक नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाए।

(2) न्यूनतम मजदूरी दरों की, यदि आवश्यक हो, कम से कम दो वर्ष में एक बार या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 पाइंट की वृद्धि होने पर, जो भी पहले हो, पुनरीक्षा की जाए और इनमें संशोधन किया जाए।

(3) केन्द्रीय सरकार ऐसे नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर सकती है, जिनमें राज्य सरकार ने 3 वर्ष से अधिक अवधि तक न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित नहीं की हैं या इनमें संशोधन नहीं किया है।

(4) बीड़ी और काजू उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी दरों का संशोनधन शीघ्र किया जाए।

(5) जबकि मजदूरी दरों में पूर्ण एक-रूपता लाना सम्भव नहीं है, फिर भी पड़ोसी राज्यों द्वारा निर्धारित मजदूरी दरों में बहुत अधिक फर्क नहीं होना चाहिए।

6. हथकरघा उद्योग में वर्तमान मजदूरी ढांचे की पुनरीक्षा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त की जाए और मजदूरी दरों में एकरूपता लाने के लिए उपाय सुझाव जाएं।

10. खेतिहर श्रमिकों के विशेष संदर्भ में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वि-यन को सुनिश्चित करने के लिए, अनेक उपाय भी सुझाए गए हैं।

11. सम्मेलन ने ऐसे वर्क-चार्ज कर्मचारियों की अधिक संख्या की ओर ध्यान भी आकृषित किया, जिन्हें नियोजित प्रतिष्ठान के अन्तर्गत नहीं लाया गया है, और सुझाव दिया कि उनको नियमित करने के लिए तत्काल उपाय किए जाएं।

(ङ) सुरक्षा और कल्याण

12. सम्मेलन ने सिफारिश की कि—

(1) बुनकरों और मत्स्य तथा चमड़ा उद्योगों में नियोजित व्यक्तियों के लिए सांविधिक कल्याण उपकर निधि की स्थापना।

(2) बाल श्रमिकों का उत्तरोत्तर उन्मूलन और जब तक पूर्ण उन्मूलन नहीं हो जाता उनकी कार्यदशाओं का नियमन (सम्मेलन ने यह स्वीकार किया कि

इस समय देश में बाल श्रमिकों का पूर्ण उन्मूलन करना इसके सामाजिक-आर्थिक विकास की वर्तमान स्थिति को देखते हुए व्यावहार्य नहीं है)

(3) श्रमिकी के लिये, सेवा निवृत होने से पूर्व, "अपना मकान बनाओ," आवास योजना से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिये समिति की नियुक्ति।

(4) सभी राज्यों में स्थित कारखानों और खानों में सुरक्षा सम्बंधी प्रवर्तन तंत्र को बढ़ाना।

(च) **सामाजिक सुरक्षा**

13. यदि अनिवार्य हो, तो उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया जा सकता है कि नियंत्रण प्राधिकारी के अधिकारों को कम न किया जाए और प्राधिकारी को दावे की ग्राहयता या किसी राशि का दावा करने के लिये व्यक्ति के अधिकार सम्बन्धी विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो। अधिनियम में यह स्पष्ट करने के लिये भी संशोधन किया जा सकता है कि नियंत्रण अधिकारी को उपदान के भुगतान के प्रासंगिक सभी मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार हो।

14. अधिनियम ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठानों, जिनमें 10 या इससे अधिक श्रमिक नियोजित है, सहित सभी प्रतिष्ठानों पर लागू किया जाना चाहिए। तथापि, ऐसा करने से पूर्व उपदान निधि की स्थापना के प्रश्न पर अन्तिम रूप से निर्णय ले लेना चाहिए। निरीक्षकों की नियुक्ति तथा अधिनियम के विस्तार के लिए अधिनिगम में उपबन्ध भी बनाए जाने चाहिए।

15. यदि अधिनियम से छूट दी जाय, तो छूट प्राप्त प्रतिष्ठान नियंत्रण प्राधिकारी और अपील-प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त उपदान कुकों से सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

16. अन्य सिफारिशें इस प्रकार है—

(क) अधिनियम का सीमा क्षेत्र प्रति माह 1600 रुपये तक या प्रति माह 2000 रुपये तक भी वेतन पाने वाले कर्मचारियों तक विस्तृत कर दिया जाए।

(ख) यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उपदान प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए (आधे माह के स्थान पर) 15 दिन की मजदूरी दर से दिया जाए।

(घ) नियंत्रण प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील करने वाले नियोजक के लिए अपील-प्राधिकारी के पास अन्तर्ग्रस्त राशि जमा करना अपेक्षित होना चाहिए।

(घ) नियंत्रण प्राधिकारी के पास उपादान की राशि का देर से भुगतान करने के मामले में नियोजक से ब्याज वसूल करने का अधिकार होना चाहिए।

17. जब कर्मचारी राज्यबीमा अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के अधीन एक बार देय राशि कानिर्धारण कर लिया जाये और राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किए जाएं ती राजस्व वसूली प्राधिकारियों द्वारा विस्तृत अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में प्रत्येक मामले के गुण-दोष को परखने के, जो कि वसूली के लिए प्रयास की आवृत्ति है, के बजाय इन पर समय पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

18. राज्यों में विशेष वसूली सेल स्थापित किए जाने चाहिए जो कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए।

19. राज्य/केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा निगम की देय राशि की वसूली करने के बारे में, केन्द्र और राज्य सरकार के सम्बंधित प्रशासनिक विभाग बकाया रशि के परिसमान के लिए दोषी प्रतिष्ठानों को उचित निर्देश जारी कर सकती है।

20. ऐसे प्रतिष्ठानों, जो रुग्ण हो जाते हैं और बाद में सरकार के नियंत्रण में ले लिए जाते हैं या सरकारी निगमों के मामलों में केन्द्र/राज्य सरकार के सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से वर्तमान देय राशि के नियमित भुगतान के लिए आग्रह किया जा सकता है।

21. विभिन्न राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लिए चिकित्सा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए अलग केडर होना चाहिए।

22. राज्य सरकारों को निम्नलिखित के लिए प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए—

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से तैयार किए गए क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार नए क्षेत्रों/नई श्रेणी के प्रतिष्ठानों से कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार करना;

(ख) बीमा शुदा व्यक्तियों के परिवारों को दी जा रही चिकित्सा सुविधा में सुधार; और

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन चिकित्सा सेवाओं के स्तर और स्टेंडर्ड में सुधार।

23. अन्य सिफारिशों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(क) विस्तार के लिए तैयार किए गए क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार अधिक श्रमिकों को अन्तर्गत लाने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना के विस्तार की गति तीव्र की जानी चाहिए और राज्य सरकारों को इनके लिए चिकित्सा व्यवस्था करने तथा ऐसे शहरों और कस्बों में जहां पहले से स्कीम लागू है, भवन निर्माण के श्रमिकों को इसके अन्तर्गत लाने के लिए कार्यवाही में तीव्रता लानी चाहिए।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन लाने के लिए मजदूरी सीमा प्रति माह 1600 रुपये तक एक अतिरिक्त उपबन्ध के साथ बढ़ा दी जाय कि एक श्रमिक जो एक बार योजना के अधीन बना रहेगा चाहे उसकी मासिक मजदूरी विशिष्ट सीमा से बढ़ जाए। एक उपबन्ध ऐसा भी बना जाए जिससे केन्द्रीय सरकार समय-समय पर इस मजदूरी सीमा को बढ़ा सके।

(ग) ऐसे कारखानों/प्रतिष्ठानों को जो इस समय कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की सीमा में नहीं आते हैं, ऐच्छिक रूप से इस योजना के अन्तर्गत लाने के लिए एक उपबन्ध बनाया जाए।

(घ) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियिम और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम

में संशोधन किया जाए ताकि ग्रामीण दशाओं तथा आवश्यकताओं के अनुकूल ग्रामीण क्षेत्रों में बीड़ी श्रमिकों मौसमी श्रमिकों आदि के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाई ज

(छ) **रोजगार और प्रशिक्षण**

24. शिक्षुता अधिनियम, 1961 के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में, सम्मेल विशेष सिफारिशें की हैं :—

(1) वाणिज्य व्यवसायों में अनुपात का निर्णय समुचित प्राधि जाए, जो उनके क्षेत्र के भीतर अलग-अलग वर्ष की नि करेगा ।

(2) वाणिज्यिक निर्दिष्ट व्यवसायों के अलावा निर्दिष्ट व्यवसायों के निर्धारित अनुपात का पालन किया जाना चाहिए और उद्योग व्यवस्था करनी चाहिये

(क) या तो यह व्यवस्था उनके प्रतिष्ठान में की जानी चाहिए, जो अ पर निर्भर है या (ख) उद्योगों के एक वर्ग द्वारा स्थापित उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिये जिसने प्रति अनुसार हुये कुल वास्तविक व्यय में अंशदान दिया है जो च किया जाये ।

(3) प्रतिष्ठान में होने वाली रिक्तियों में सीधी भर्ती में से 50 उस प्रतिष्ठान में प्रशिक्षित शिशुओं के लिये आरक्षित होनी चाहि

(4) बिभिन्न प्रतिष्ठानों के स्थाई आदेशों में बिभिन्न व्यवसायों, जि अधीन निर्दिष्ट किया गया है, में भर्ती करने के लिये शिक्षुओं व्यवस्था की जानी चाहिये ।

(5) इस अधिनियम को और अधिक व्यवस्थाओं में लागू करके शि कार्यक्रम में विविधता लाई जानी चाहिए ।

(6) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति को लागू अनुपात प्रत्येक तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, परन्तु इसे वर्ष के दौ प्रतिष्ठान में रखे गए कुल शिक्षुओं को लागू होंगे ।

(7) प्रशिक्षण की कोटि में सुधार करने के लिये, यह सुझाव दि पर्यवेक्षी कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए, ताकि विभिन्न प्रति द्वारा प्राप्त किये गये प्रशिक्षण का उचित और लगातार निरीक्ष जिससे उनका सस्ते श्रमिक के रूप में प्रयोग न किया जा स मानकों वे अनुसार उचित रूप से प्रशिक्षण दिया जा सके ।

(8) प्रशिक्षण सुविधाओं के सर्वेक्षण के प्रयोजनार्थ पर्याप्त स्टाफ की और उन्हें इस क्षेत्र में उचित ढंग से प्रशिक्षित किया जाये ।

(9) विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यकलापों में समन्वय करने के लिए, यह सुझाव दिया गया कि इन्हें एक सँगठन के अन्तर्गत लाया जाए, ताकि आवृति से बचा जा सके।

(10) शिक्षुओं को प्रतिष्ठान में मुफ्त खाना और परिवहन मिलना चाहिये।

25. विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास को बढ़ावा देने के प्रयासों में तीव्रता लाने की आवश्यकता पर बल देते हुये सम्मेलन ने निम्नलिखित सुझाव दिए :—

(1) इस उद्देश्य से और अधिक विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित किए जाएं कि प्रत्येक राज्य में कम से कम ऐसा एक कार्यालय में बड़े राज्यों हो आवश्यकतानुसार एक से अधिक विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित किए जांए।

(2) विकलांग व्यक्तियों के लिये जिला स्तर पर रोजगार कार्यालयों में विशेष कक्ष की स्थापना की जाए।

(3) विकलांग व्यक्तियों के लिए सभी विशेष रोजगार कार्यालयों में नियुक्ति अधिकारियों की नियुक्ति की जाये, ताकि नियुक्तियां सम्बन्धी कार्यकलापों को सुदृढ़ किया जा सके।

(4) व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों/उत्पादन यूनिटों की स्थापना की जाए, ताकि श्रमिकों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिये टेलरमेड प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जा सके।

(5) वर्ग "ग" और "घ" के पदों के लिये उन राज्यों में आरक्षण किया जाए, जहां ऐसा आरक्षण पहले से विद्यमान नहीं है।

(6) यह सुनिश्चित करने के लिये राज्य स्तर पर मोनिटरिंग सेल की स्थापना की जाए कि आरक्षण आदेशों का पूर्णतया कार्यान्वयन किया गया है।

26. सम्मेलन की अन्य सिफारिशों में राज्य निदेशालयों और जिला रोजगार कार्यालयों में जाव विकास यूनिटों की स्थापना, ब्लाक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कार्यालय तंत्र का विस्तार, तथा सांविधिक आयोगों के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के अलावा सरकारी और निजी क्षेत्रों दोनों में वर्ग "ग" और "घ" के सभी पदों को रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरा जाना शामिल है।

27. महिलाओं के व्यवसायिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में ; सम्मेलन ने सिफारिश की कि महिलाओं के रोजगार सम्बन्धी व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विविधता लाई जाए और यह कि प्रत्येक राज्य के रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय में विशेष महिला कक्ष स्थापित किया जाए। इसने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की कोटि में सुधार करने के लिए उपाय भी सुझाए हैं।

(ज) **ठेका श्रमिक, बंधित श्रमिक और अन्तर राज्यीय प्रवासी श्रमिक, आदि**

28. ठेका श्रम (विनियम और उत्पादन), अधिनियम 1970 के कार्यान्वयन में होने वाली कुछ कठिनाईयों को दूर करने के लिये' सम्मेलन ने निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की हैं।

(1) किसी प्रकार के ठेके की मंजूरी देने से पहले, विभिन्न फुटकर व्यय के लिये ठेकेदार से एक मुश्त राशि या अतिरिक्त सुरक्षा राशि ली जानी चाहिए।

(2) आवश्यक कानूनी व्यवस्था की जाये, जिससे मुख्य नियोजकों का यह दायित्व हो जाय कि वह ठेका श्रमिकों को अपने यहां खपा लें, जहां इस पद्धति को समाप्त किया जाता है।

(3) अधिनियम में और अधिक सीधा और विशेष उपबन्ध होना चाहिये, जिसमें मुख्य नियोजकों द्वारा लाईसेंस न प्राप्त ठेकेदारों को रखने पर रोक लगायी जा सके।

(4) ठेकेदारों द्वारा अपने प्रतिष्ठानों को विभाजित करने के मामले हैं, ताकि अधिनियम के वैधानिक उपबन्धों से बचा जा सके। इस त्रुटी को दूर किया जाए।

(5) केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निगमों और अन्य एजेन्सियों को केन्द्रीय क्षेत्र (धारा 2 (क) की परिधि में लाने की अत्यावश्यकता है। राज्य क्षेत्र के लिये भी इसी प्रकार की व्यवस्था करने की सिफारिश की गई है।

(6) सरकार जमानत को जब्त करने, ठेके को रद्द करने, ठेकेदार को काली सूची में लिखने और ऐसे व्यक्तियों को उचित मुआवजा देने के लिये, जो ठेकेदारों के पास उसने कार्यकाल के दौरान अत्याचारों से पीड़ित है' अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध बनाने की वांछनीयता की जाँच करे।

29. बंधित श्रमिकों के प्रश्न पर, सम्मेलन की सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) यद्यपि राज्य सरकरों द्वारा बंधित श्रमिकों का पता लगाने मे किये गए प्रयास जारी रखे जाये और इनमें तीव्रता लाई जाये, फिर भी पता लगाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए इस क्षेत्र में गैर-सरकारी एजेन्सियों और विशेष ज्ञान रखने वाले कुछ शैक्षणिक निकायों को शामिल करने के लिये कार्यवाही की जाए। इन सर्वेक्षणों पर किये जाने वाले व्यय का वहन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाए।

(2) सैम्पल वित्तीय सहायता की वर्तमान 50 प्रतिशत मात्रा को बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया जाए।

(3) पुनर्वास योजना के वित्तीय उपादान की वर्तमान 4000/-रुपये की राशि को 10, 000/- रुपये की अधिकतम सीमा तक बढ़ा दिया जाये।

(4) पुनर्वास कार्यक्रम में बंधित श्रमिकों का पूर्ण परिवार आना चाहिये, न कि केवल बंधित श्रमिक, जैसे कि इस समय प्रणाली है।

(5) पुनर्वास योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल किया जाये कि :—

(क) टिकाऊ सामुदायिक सम्पतियों, अर्थात कुओं, सड़कों, आदि का निर्माण।

(ख) आर्थिक सहायता का उपभोग करने की अधिकतम अवधि एक वर्ष की होनी चाहिये ताकि मुक्त कराए गये और वास्तविक पुनर्वास के बीच समय- अन्तराल में बीच बंधित श्रमिक की देखरेख की जाये।

(ग) रोजगार गारन्टी योजनाओं को पुनर्वास कार्यक्रमों के साथ अनिवार्य रूप से संबद्धित किया जाए।

(6) बंधित श्रमिकों को मुक्त कानूनी सहायता ही दी जाये, जब कभी वे मामलों फंस जाए।

(7) मुक्त कराये गए बंधित श्रमिकों के बच्चों के लिए मुक्त छात्रावास सहित रिहायश स्कूलों की व्यवस्था की जाए। जहाँ ऐसे स्कूलों की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है, वहाँ ऐसे विद्यार्थीयों को पर्याप्त वृत्ति दी जाए।

(8) मुक्त कराए गये बंधुआ श्रमिकों को ग्रामीण श्रमिक कैम्पों के माध्यम से प्रशिक्षित और संगठित किया जाना चाहिए और उन्हें सरकारी सहायता दी जाए, ताकि वे अपने अधिकार माँगने की स्थिति में हो सकें।

(9) बंधित श्रमिक अधिनियम में संशोधन करना अपेक्षित है, ताकि हाल ही के मामलों में कतिपय न्यायालयों द्वारा बताई कमियों को दूर किया जा सके। अधिनियम में ऐसे विभिन्न प्रकार के बंधित श्रमिकों को शामिल करने के लिए संशोधत करना भी अनिवार्य है, जिन्हें अधिनियम के अधीन नहीं लाया गया। अधिनियम में राज्य स्तर की समितियों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

30. अन्तर राज्यीय प्रवासी कर्मकार (विनियम और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर सम्मेलन द्वारा विचार किया गया और निम्नलिखित मुख्य निष्कर्ष सामने आए :—

(1) प्रवासी श्रमिकों के शोषण सम्बन्धी मामलों पर उन राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से जाँच की जानी चाहिए, जिन राज्यों के वे हैं, और जिन राज्यों में वे नियोजित हैं, ताकि तुरन्त और उपचारी कार्यवाही की जा सके।

(2) गृह मन्त्रालय द्वारा प्रवायी श्रमिकों पर किए गये अत्याचारों सम्बन्धी मामलों पर शीघ्र और प्रभावी जांच करने के कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसे पिड़ितों को उत्पीड़न से बचाने के लिए, ऐसे मामलों में मुकदमें उनके राज्य, जहाँ के निवासी हैं, में किए जाने चाहिए, जहाँ कहीं कानून ऐसी अनुमति देता है।

(3) महिला और बाल प्रवासी श्रमिकों के लिये उनके आवास के इर्द गिर्द विशेष रोजगार योजनाएं चलाई जानी चाहिए, ताकि ठेकेदारों और बिचौलियों द्वारा उनके शोषण को रोका जा सके।

(4) प्रवासोन्मुख क्षेत्रों में काम के बदले आनाज कार्यक्रम को तीव्र किया जाना चाहिए।

(5) प्रवासोन्मुख क्षेत्रों में ग्रामीण श्रमिक कैम्पों के माध्यम से शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

(6) गृह मन्त्रालय और सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा ऐसे प्रवासी श्रमिकों का पता लगाने के संगठित प्रयास किये जाने चाहिये जिनका पता लगाना मुश्किल है।

(7) ऐसे प्रवासी श्रमिकों और परिवारों के लिये प्रभावी पुनर्वास योजनाएं बनाई जानी चाहिए, जो अपने कार्य के दौरान विकलांग हो गए हैं और जिनका रोटी कमाने वाला कार्य करते समय अपना जीवन खो बैठा है।

(8) अन्तर-राजीय प्रवासी श्रमिकों के लिये' राज्य सरकारों को उनकी कार्यदशाओं को

नियमित उनके तथा उनके शोषण को रोकने केलिए प्रभावी व्यवस्था करनी चाहिए,

31. सम्मेलन ने श्रमिकों के कतिपय अन्य वर्गों जैसे घरेलू नौकरों और नैमित्तिक श्रमिकों पर भी विचार किया। इसने सिफारिश की-

(1) घरेलू नौकरों से सम्बन्धी प्रस्तावित कानून में ऐसे प्रवासी महिला श्रमिकों की समस्याओं को ध्यान में रखा जाए, जिन्हें ठेकेदारों द्वारा भाड़े पर कार्य करने के लिये भर्ती किया जाता है और वैयक्तिक परिवारों के साथ कार्य कर रहे घरेलू नौकर, जिनका कभी-कभी आर्थिक और यौन सम्बन्धी शोषण किया जाता है।

(2) नैमित्तिक/बादली और अन्य असंगठित श्रमिकों की कार्य दशाओं को नियमित करने के लिये केन्द्रीय कानून बनाया जाए।

(3) भवन और निर्माण श्रमिकों की कार्य दशाओं, रोजगार के घन्टों, मजदूरी, कल्याण तथा सुरक्षा उपायों को नियमित करने के लिये केन्द्रीय कानून लागू किया जाए।

**श्री रामावतार शास्त्री** : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में 18 और 19 जुलाई को हुआ। उस सम्मेलन में बहुत ही विस्तार के साथ विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया और सम्मेलन में विचार करने के बाद जो सिफारिशें की हैं मंत्री जी ने, अपना जो संलग्न वक्तव्य है उसमें उनको आठ हिस्सों में बांटा है। वे 8 हिस्से हैं (1) औद्योगिक सम्बन्ध, (2) प्रबन्ध में मजदूरों की हिस्सेदारी, (3) श्रम कानून में समानता, (4) सुरक्षा और कल्याण, (5) सामाजिक सुरक्षा, (6) मजदूरी का सवाल, (7) रोजगार का प्रशिक्षण और (8) ठेका मजदूर, बंधित मजदूर आदि। इन आठ हिस्सों में इन्होंने जो वहां बहस हुई और बहस के बाद जो सिफारिशें की गई उनको बांटने की कोशिश की है। यह बहुत लम्बा वक्तव्य है और उसमें बहुत सारी काम की बातें हैं, अच्छी बातें हैं।

मैं यह जानना चाहूंगा कि इन बातों के सम्बन्ध में कानून बनाने के सिलसिले में सरकार कौन सा कदम उठा रही है? बराबर मांग होती रही है कि जो पुराने कानून हैं जैसे ट्रेड यूनियन ऐक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट 1947, इंडस्ट्रियल एम्प्लायमेंट स्टैंडिंग आर्डर्स ऐक्ट 1946, इन तमाम को मिलाकर और जितनी बातों पर चर्चा सम्मेलन में की गई, सिफारिशें की गईं उनको लेकर कोई एक कानून सरकार बनाने का विचार रखती है या नहीं और अगर रखती है तो कितना समय उसके लिए लेना चाहती है क्योंकि मजदूरों का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आपने बहुत सारी बातें कहीं हैं। अगर औद्योगिक सम्बन्ध ठीक नहीं रहेगा तो न उत्पादन बढ़ेगा न कोई काम चलेगा। इन तमाम बातों का जिक्र इसमें है। तो इसमें जितनी जल्दी की जाय उतना ही बेहतर होगा। मैं जानना चाहूंगा कि कोई समय वगैरह के बारे में आपने तय किया या नहीं कि इस समय तक हम एक : काम्प्रीहेंसिव लेबर कानून लाना चाहते हैं?

इस सम्मेलन में वायलेंस की बात (व्यवधान)··· सुनी गई, हो गया या नहीं, इसके लिए उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, आप उपाध्यक्ष नहीं हैं। ···(व्यवधान)··· टोकाटोकी से आप मुझे रोक नहीं सकते हैं, मैं बोलता ही रहूंगा। —(व्यवधान) —

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया उनका उत्तर न दें। वे जो कुछ कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

**श्री रामावतार शास्त्री** : उस सम्मेलन में प्रधान मंत्री जी का भी भाषण हुआ। उन्होंने भी हिंसा का जिक्र किया कि मजदूर लोग उसमें होते हैं और नाम भी लिया गया, महाराष्ट्र की चर्चा की गई और फरीदाबाद की चर्चा की गई। अब उनका इशारा पाकर वहां कोई प्रस्ताव भी तब हो गया कि हिंसा बहुत बढ़ रही है, मजदूर लोग गड़बड़ करते हैं जिसकी वजह से औद्योगिक सम्बन्ध बिगड़ते हैं। मंत्री जी भी जानते हैं, सारा सदन जानता है और सारा मुल्क जानता है कि जो भी जगह जगह हिंसा के वारदात हो रहे हैं उसके लिए मजदूर जवाबदेह नहीं है। उसके लिए कारखानेदार, मालिक, उद्योगपति, पूंजीपति जो मजदूरों का निर्मम शोषण करते हैं वे जवाबदेह हैं और उनकी मदद कौन करता है ? आप करते हैं, सरकार करती है। सरकार की पुलिस नियम और व्यवस्था तो नहीं रख सकती डकैती को तो नहीं रोक सकती, हमारी बहनों की अस्मत की रक्षा तो नहीं कर सकती लेकिन मजदूरों पर डंडे बरसा सकती है मालिकों की रक्षा में जिसका उदाहरण है फरीदाबाद। 18 अक्तूबर को फरीदाबाद में मजदूर मारे गए। यहां आपकी बगल में है।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नई दिल्ली में हुए श्रम सम्मेलन के बारे में है। मैं आपको केवल अनुस्मरण करा रहा हूं कि चर्चाधीन क्या है।

**श्री रामावतार शास्त्री** : जहां भी हो रहे हैं, इसके लिए मालिक और पुलिस का गठ-बन्धन जवाबदेह है, लेकिन इसकी निन्दा कहीं नहीं है। मजदूरों के सम्बन्ध में आपने कहा है कि मजदूर लोग ऐसा करते हैं, पूंजीपति रोज लाक-आउट करते हैं, रिट्रेंचमेंट करते हैं ले-आफ करते हैं। इसके बारे भी आपने विचार किया होगा, लेकिन इसका जिक्र इस लम्बे वक्तव्य में कहीं नहीं है। उनको रोकने के लिए आप कोई कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं ? उनके साथ आपकी मिली-भगत क्यों है ? हिंसा करे कोई, मार खाये कोई यानी खेत खाए गधा और मार खाए जुलाहा। इसी तरह आपके राज में हो रहा है। आपकी बुनियादी मजदूर नीति मजदूर विरोधी है। आप मजदूरों के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। कानून बनाते भी है तो अमल में नहीं लाते हैं। दिन-रात पूंजीपति उन कानूनों का उल्लघन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बहस में हमने कहा था कि धनबाद में 40-45 कारखाने बन्द हैं, क्यों ? इसलिए कि वहां पर वेज-बोर्ड का फैसला लागू नहीं होता, लेबर कानून लागू नहीं होता, समझौता लागू नहीं होता। तो इसलिए मेरा कहना है कि--

**श्री मूलचन्द डागा (पाली)** : वह श्रम पर सामान्य चर्चा कर रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तक ही सीमित रहिए।

**श्री रामावतार शास्त्री** इसमें प्रत्येक बात का उल्लेख है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : किन्तु हम उसे देख नहीं पा रहे हैं।

**श्री रामावतार शास्त्री** : इसीलिए मैं उसे उद्धरित कर रहा हूं।

**श्री एम० सत्यनारायण राव (करीम नगर)** : चूंकि श्रम सम्बन्धी मांग नहीं आ रही है अतः वह इस अवसर पर उस पर बोलेंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया मुख्य प्रश्न पर आइए।

(व्यवधान)

**श्री रामावतार शास्त्री** : हिन्दी में 17 पृष्ठ हैं। सभी श्रम मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशें हैं। आप मुझे इनका उल्लेख करने से कैसे रोक सकते हैं ?

मैं डिटेल में न जाकर, सिर्फ एक बात आपसे जानना चाहता हूं। इस कान्फ्रेंस की मुल्क में चर्चा है, मजदूरों में बहुत बेचैनी है, चिन्ता है कि आप बीच-बीच में वेज-फ्रीज की बात उठाते रहते हैं। वेज-फ्रीज नीति पूंजीपतियों की मदद के लिए है, क्योंकि आपकी सरकार उनके ऊपर निर्भर है, उन्हीं की सरकार है और इसीलिए आप उनके पक्ष में बातें करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वेज-फ्रीज के बारे में भी कोई बात-चीत चली है ? अगर चली है, तो आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है ? इसी तरह से हमारे मुल्क में बहुत बड़ी संख्या में बीड़ी मजदूर भी हैं, लाखों की तादाद में हैं, लेकिन उनका इसमें कोई जिक्र नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप बहुत ही वरिष्ट सदस्य हैं। श्रम कानूनों या श्रमिक मांगोंपर कोई चर्चा नहीं है। श्रमिक के एक अच्छे स्तर के बारे से विशेष रूप से यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। यह एक विशिष्ट विषय है।

**श्री रामावतार शास्त्री** : कृपया इसे पढ़िए। इसमें प्रत्येक बात का उल्लेख है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा के सूचनार्थ—

**श्री रामावतार शास्त्री** : तब मैं उस पर कुछ कहूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप उस पर अपना प्रश्न पूछें।

**श्री रामावतार शास्त्री** : इसलिए मैं एक प्रश्न पूछूंगा। आप आज मुझे रोक क्यों रहे हैं। मेरे लिए कोई विशेष नियम नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : असंगत बोल रहे हैं।

**श्री रामावतार शास्त्री** : कोई असंगत नहीं बोल रहा हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : हर कोई अपनी राय रख सकते हैं। आप उनको उत्तर क्यों देते हैं ?

(व्यवधान)

**श्री रामावतार शास्त्री** : हर बात का इसमें इगमें उल्लेख है।

(व्यवधान)

मैं हर बात पर बोलूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : तब आपको अधिक समय नहीं लेना चाहिए ताकि अन्य सदस्य भी बोल सकें।

**श्री रामावतार शास्त्री** : यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हिंसा कि बहुत बातें करते हैं, मजदूरों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और मजदूरों को मारने के लिए बातें करते हैं। इंदिरा जी का इशारा है कि अगर नहीं मानें, तो उनको डंड से दुरुस्त करो और यही हो रहा है। ···(व्यवधान)··· गाजियाबाद में लोग मारे गए हैं, फरीदाबाद में लोग मारे गए हैं, कई जगहों पर लोग मारे जा रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप अपने प्रश्न पर ही बोलें।

(व्यवधान)

वह एक प्रश्न पूछ रहे हैं।

(व्यवधान)

ध्यानाकर्षण में कोई व्यवधान न डालें, उनके प्रश्न के बाद सभा आपके प्रश्न को लेगी।

**श्री रामावतार शास्त्री** : क्या आपके सम्मेलन में खेतिहर मजदूरों के लिये, पूरे हिन्दुस्तान के पैमाने पर उनके लिये कानून बनाया जाय, उनकी सुविधाओं के बारे में, मजदूरी के बारे में, कुछ तय हुआ, क्योंकि इस सदन में एक गैर-सरकारी प्रस्ताव पर बहस हुई थी और उसके जवाब में अपने कहा था कि हम लोग सोच रहे, रास्ता निकाल रहे हैं ? क्या कोई रास्ता निकाला गया ? यदि निकाला गया है तो आप उसके लिये बतलाइये, क्या आप डेफिनिट रूप से उनके लिये कोई कानून बना रहे हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपने प्रश्न पूछ लिया है।

**श्री रामावतार शास्त्री** : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। आप मेरी भाषा नहीं समझते···

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप ऐसा कैसे मान सकते हैं।

**श्री रामावतार शास्त्री** : आप जानते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है फिर भी मैं प्रश्न को अंग्रेजी में पढ़ूंगा (क) क्या यह सच है कि श्रम मंत्री ने 30 जून, 1980, को दिल्ली में श्रमिक संगठनों के नेताओं की एक बैठक बोनस, वेतन तथा विवादों के निपटारे के लिए तंत्र जैसे कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करने के लिए बुलाई थी और यदि हां तो क्या सभी नेताओं ने बोनस की सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया —

**श्री टी० अंजय्या** : आपके काल-एटेन्शन में यह नहीं था।

**श्री रामावतार शास्त्री** : सब है : यदि हाँ तो क्या सभी नेताओं ने अधिकतम 750 रुपए के बजाय 1500 रुपए तक पर बोनस देने और बोनस की देय राशि की अधिकतम सीमा 1600 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपये करने का सुझाव दिया और क्या श्रम मंत्रालय तथा सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है।

(ख) जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, रेलवे, डाक व तार और रक्षा के कुछ कर्मचारी इस सुविधा से वंचित हैं। क्या प्रस्तावित विधेयक में इन व्यक्तियों के बोनस के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए कोई प्रावधान किया जायेगा और यदि हाँ, तो किस रूप में ;

(ग) क्या प्रमुख उद्योगों के लिये शिखर निकाय के पुनर्जीवित करने के लिए दिए गए सुझावों पर भी चर्चा की गई और यदि हां, तो श्रम मंत्रालय की उस पर क्या प्रतिक्रिया थी ?

आखिरी बात, क्या आपने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, अस्पतालों के कर्मचारियों या दूसरे कर्मचारी जो बोनस पाने से महरूम हैं, उनको भी बोनस देने के बारे में इस सम्मेलन में विचार-विनिमय किया है ? यदि किया है तो क्या फैसला हुआ है, मेहरबानी करके बतला दीजिये ?

**श्री टी० अन्जय्या** : मेम्बर साहब ने बड़ा चिल्लाते हुए बहुत सी बातें पूछी हैं और यह

भी कहा कि जो डिसीजन्स लिये गये वे अच्छे हैं। उसमें उन्होंने वायलेंस का भी जिक्र किया। वायलेंस किसके ऊपर होता है, वायलेंस से मैनेजमैंट को मारते हैं या वर्कर्स को मारते हैं ? अगर अगर आप वर्कर्स को मार रहे हैं, क्या आप उसको पसन्द करेंगे ? मैं पूछता हूं—कौन से मैनेजमेंट को मारा है और कौन सा मैनेजमेंट मर कर जन्नत को गया है ?

मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वायलेंस कर रहे हैं। वह मजदूरों पर कर रहे हैं, वे उन लोगों पर कर रहे हैं। आप यह देखेंगे कि वर्कर्स को मारने के लिए उन पर वायलेंस कर रहे हैं।''' (व्यवधान)'''आप वर्कर्स को इल्जाम दे रहे हैं। उनको मारने के लिए ही अगर उनको इल्जाम दे रहे हैं तो क्या आप खुश हो जायेंगे। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि ट्रेड यूनियन लीडर होकर इस तरह से आप वायलेंस के बारे में कहते हैं। आप को वायलैंस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। यह जो लेबर मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस हुई थीं, उसमें बंगाल के लेबर मिनिस्टर भी थे, केरल के लेबर मिनिस्टर थे और बिहार के लेबर मिनिस्टर भी थे, केरल के लेबर मिनिस्टर थे और बिहार के लेबर मिनिस्टर थे मगर शायद बिहार के लेबर मिनिस्टर से इनका कोई वास्ता नहीं है।'''(व्यवधान)'''आज बम्बई में क्या हो रहा है। यहां पर सुब्रह्मण्यम स्वामी जी बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि किस तरह से वहां पर ट्रेड यूनियन मूवमेंट चलाया जा रहा है।

**श्री रामावतार शास्त्री** : सवाल कुछ किये हैं और जवाब कुछ और हैं।'' (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप उन्हें उत्तर देने दें।''

(व्यवधान) **

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपके व्यवधान कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं लिए जायेंगे।

**श्री टी० अन्जय्या** : वायलेंस करके अगर वर्कर्स को मारने की आपकी नीति है। व्यवधान

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप उन्हें सुनें और यदि चाहें तो उनका विरोध करें।

**श्री टी० अंजय्या** : अगर वायलेंस करके वर्कर्स को मारने की आपकी नीति है, तो यह नीति चलेगी नहीं इस नीति को हम नहीं चलने देंगे। आज हमको वर्कर्स को काम पर जाने के लिए फ्रीडम देनी चाहिए। मैं यह कह सकता हूं कि जितना भी वायलेंस हो रहा है, इसमें में सी० पी० आई० या ए० आई० टी० यू० सी० का हाथ नहीं है मगर ख्वामखाह पब्लिसिटी के लिये आप ऐसा प्लीड कर रहे हैं। ए०आई०टी यू०सी०वालों से भी मैंने बात की है और उन्होंने यह कभीनहीं कहा कि वायलैंस हो लेकिन हमारे पास बहुत से रैप्रेजेन्स आते हैं, जिनमें यह होता है कि वायलैंस के जरिये ट्रेड यूनियन मूवमेंट चल सकता है, तो यह सही नहीं है।

**श्री रामावतार शास्त्री** : हम यह नहीं समझते।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जब आप अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे थे तब मंत्री महोदय ने इस प्रकार व्यवधान नहीं डाला। आप धैर्य क्यों नहीं रखते ?

(व्यवधान) **

**उपाध्यक्ष महोदय** : ये सभी बातें रिकार्ड नहीं की जायेंगी।

**श्री टी० अंजय्या** : मैं यह कहना चाहता हूं कि 30, 40 साल से मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं बना है। हम चाहते हैं कि उनके लिए कोई अच्छी कानून बनी ट्रेड यूनियन एक्ट और

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

इन्डस्टियल डिस्प्यूटस एक्ट तथा बोनस के बारे में भी आप ने जिक्र किया है, मगर इस वक्त मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि गवर्नमेंट इस बारे में फैसला लेने जा रही है और मैं यह बता दूं कि पिछले साल जो बोनस दिया गया था, उससे अच्छा बोनस रहेगा, उससे ज्यादा अच्छा बोनस रहेगा। हम लेबर पालिसी में काफी चेन्जेज ला रहे हैं। मजदूरों के लिए हाऊसिंग स्कीमों के बारे में सोच रहे हैं, प्रोवीडेंट फंड और इन्सोरेंस स्कीमों के बारे में सोच रहे हैं। यह बात भी सही है कि पब्लिक सेक्टर को कुछ लोग से बोटेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से माल मंगाया जाए, इसकी कोशिश होती है। देश देश में हड़तालें होती हैं ताकि यहां पर माल न बन सके। मैं कहना चाहता हूं कि हम दुनिया के दूसरे देशों के भरोसे पर क्यों रहें। मैं यह मानता हूं कि मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ गड़बड़ होती है। बहुत से इन्डस्ट्रियेलिस्ट चाहते हैं कि यहां पर गड़बड़ हो और वे लेबर लीडरों से इनडाइरेक्टली हाथ मिलाते हैं। फैक्टरियाँ बन्द रहें, इस में उनका भी हाथ होता है और हम जानते हैं कि उनको किस तरह ठिकाने लगाया जाए। हमने पहली मर्तबा मजदूरों के लेबर लीडर और लेबर मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस बुलाई और अब आकर एम्पलायर्स कहते हैं कि हमारी मीटिंग क्यों नहीं बुलाते।

मैंने कहा कि आपकी मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत है? अगर बुलानी हैं तो बुलायेंगे और आपसे भी बातचीत करेंगे। मगर हम जो डिसीजन ले रहे हैं वह मजदूरों से पूछ कर, लेबर लीडर्स से पूछ कर ले रहे हैं और मिनिमम वेजिज के बारे में, वेजिज पोलिसी के बारे में बोनस के बारे में, सैफ्टी के बारे में, वेल्फेअर के बारे में भी ले रहे हैं।

बीड़ीज का भी आपने जिक्र किया है। बीड़ी मजदूरों के लिए भी काफी वेल्फेयर स्कीम्स लाने की सोच रहे हैं। आप दो तीन महीने इन्तजार कीजिए, आपको बोलने का मैं मौका ही नहीं दूंगा। अभी हमने काम शुरू किया है और हमने जो काम शुरू किया है, उसमें आपने देखा होगा कि किस स्पीड से हम जा रहे हैं, किस ढंग से हमने स्टेट गवर्नमेंटस से कहा है।

केजुअल लेबर्स के बारे में भी हमें दर्द है। केजुअल लेबरर और टेम्प्रेरी लेबरर जो कि 15-20 साल से चले आ रहे हैं उनको भी प्रोटेक्शन देने के बारे में हम कुछ करने वाले हैं। कांट्रेक्ट लेबरर सिस्टम को भी हम अबालिस करने की सोच रहे है। हिन्दुस्तान का जो मजदूर है उसको पूरे तरीके से प्रोटेक्शन देने के लिए हम सोच रहे हैं। इस सोचने में आप वायलेंस की बात कहां से लाये? पूरी कांफ्रेंस की बात को आपने देखा होगा और उसको देखते हुए वायलेंस की बात करना ठीक नहीं है।

कांफ्रेंस में जो डिसीजन ले लिए गये हैं, लेबर मिनिस्टर्स ने जो डिसीजन लिए हैं उन डिसीजनों पर कानून पार्लिवामेंट में बहुत जल्दी आने वाला है। ऐसा तो नहीं कि प्रिंटिंग प्रेस में देकर ही यहां कानून आ जाएगा। कानून जो बनाना है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स से भी हमें बात करनी है। स्टेट गवर्नमेंटस से हम बातचीत कर रहे हैं और तमाम चीजों की हम कोशिश कर रहे हैं। आप हमारी मदद करने के बजाय, हमारी सपोर्ट करने के बजाय वायलेंस के बारे में बात करते हैं। अगर बोम्बे में आयलेंस होगा तो आप भी वहाँ से भाग जायेंगे, आपकी यूनियन भी वहां से भागने वाली है। फिर आप सेन्टर से कहेंगे कि हमें शेल्टर दो। इस तरह से आपने जो बात छेड़ी है वह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की

प्राइम मिनिस्टरशिप में मजदूरों के लिए हमारे कदम आगे बढ़ेंगे और उन्हीं कदमों के अन्तर्गत हम लेबरलाज में काफी तबदीली लाने की कोशिश कर रहे हैं।

**श्री रामावतार शास्त्री** :.....के बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

**श्री टी० अंजय्या** : किसी भी चीज के बारे में आपके बोलने की जरूरत नहीं होगी। वह भी हम कर रहे हैं, उसका भी हमें पता है।

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति छटा प्रतिवेदन

**श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा)** श्रीमान, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबन्धी समिति का छटा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

### सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबन्धी समिति

### प्रथम प्रतिवेदन

**श्री जेवियर अराकल (डार्नाकुलम)** मैं सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

## नियम 377 के अधीन मामले

**(एक) मथुरा तेल शोधक कारखाने में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकत देने की आवश्यकता**

**श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा)** उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि तेल शोधक कारखाने मथुरा (उ० प्र०) के अधिकारियों की कार्य-प्रणाली पर जनता में गहरा असंतोष है। वहां की जनता की शिकायत है कि जब तेल शोधक कारखाने की स्थापना हुई थी तो मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश और माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मथुरा में बृहत् सभा में घोषणा की थी कि इस कारखाने से देश का हित होगा ही, मथुरा और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी काम मिलेगा, बेकारी दूर होगी। जिनकी भूमि जा रही है उनको काम देने में प्राथमिकता दी जायेगी।

अब जनता की शिकायत है कि नौकरी और ठेका अधिकतर बाहर के आदमियों को ही मिल रहे हैं। मथुरा नगरी में बाहर के लोग आकर बसने लगे हैं जिनकी भूमि गई उनको नौकरियों में प्राथमिकता नहीं दी गई और मथुरा जिले और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी प्राथमिकता नहीं दी गई। कारखाने के अधिकारी अन्य प्रदेशों के हैं वे अपने क्षेत्र के आदमियों को प्राथमिकता देते है। इसलिए जनता आंदोलन कर रही है। अनेक बार लोगों ने आमरण अनशन किए हैं। लिखकर मंत्री जी से शिकायत की है। अब जनता में गहरा असंतोष है और सत्याग्रह की संभावना है। वहां जो सामान कारखाने में प्रयोग हो रहा है उसके संबन्ध में आम धारणा है कि घटिया किस्म का है। नौकरियों के सम्बन्ध में आम धारणा है कि उनका नीलाम होता है।

माननीय मन्त्री जी, वहाँ जाते हैं तो वहां के संसद सदस्य तक को पता नहीं लगता। यदि इस ओर सरकार शीघ्र ध्यान नहीं देगी तो वहां बहुत बड़े पैमाने पर आन्दोलन होने की संभावना है और कारखाने की प्रगति में बाधा पहुंचेगी।

जनता कहती है कि भूमि मथुरा की गई, मथुरा जिले की जनता को हानि होगी, स्वास्थ्य

पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, यमुना का पानी गंदा होगा। गहरे ट्यूबवेल कारखाने के वास्ते नीचे से पानी निकालेंगे। उससे मथुरा के किसानों के नलकूपों के लिए पानी नहीं रहेगा। ताजमहल को हानि पहुंचेगी। भरतपुर में देश का सबसे महत्वपूर्ण पक्षी विहार (घना) में पक्षी नहीं आयेंगे। अनेक बाहर के लोग मथुरा में आकर बस जायेंगे। हानि होगी मथुरा और मथुरा के आस-पास की जनता की और लाभ उठायेंगे बाहर के लोग। पेट्रोलियम मन्त्रालय के माननीय मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि अविलम्ब उचित कार्रवाई करें और जनता में विश्वास पैदा करें ताकि अधिक असन्तोष न फैले। कृष्ण भगवान की पवित्र भूमि में जो लोग देश और विदेशी आते से हैं, उनका स्वागत होता है। किन्तु इस असन्तोष के कारण ऐसा न हो कि जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने इस के खिलाफ आन्दोलन किया था, व्रजवासियों को भी उसी प्रकार इस असन्तोष के कारण वैसा ही आन्दोलन करना पड़े।

**(दो) "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के लिये उत्तर प्रदेश को शीघ्र खाद्यान्नों की सप्लाई करने की आवश्यकता**

**श्री जैनुल बशर (गाजीपुर)** : मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व के एक प्रश्न को उठाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि कृषि मन्त्री जी इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

इस समय पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न न पहुंचाए जाने के कारण उत्तर प्रदेश के वाराणसी गोरखपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद और झांसी मंडलों में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत चलाए जा रहे सभी कार्य ठप्प हो गए हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न के मामले में और आपूर्ति में बराबर अन्तर रहा है परन्तु इस समय यदि अन्तर बाकी रखा गया तो आने वाले महीनों के लिए उत्तर प्रदेश.....में भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस जुलाई के महीने के लिए उत्तर प्रदेश ने 97 खाद्यान स्पेशलों की मांग की है। इसके विपरीत भारत सरकार ने 64 स्पेशल भेजना मंजूर किया है और जिस रफ्तार से स्पेशल भेजे जा रहे हैं उससे लगता है कि इतना भी पहुंच पाना मुश्किल है।

ऐसी स्थिति में मैं केन्द्रीय कृषि मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह उत्तर प्रदेश और विशेष कर वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद और झांसी मंडलों में उत्तर प्रदेश सरकार की मांग के अनुसार शीघ्रताशीघ्र खाद्यान पहुंचाने की व्यवस्था करे। यदि जरा भी विलम्ब किया गया तो भयंकर अकाल से पीड़ित यहां के लोग भुखमरी के कगार पर खड़े हो जायेंगे।

**(तीन) श्री अरविन्द का राष्ट्रीय स्मारक बनाने हेतु ओरेविले का अधिग्रहण करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता**

**डा0 कर्णसिंह (उधमपुर)**: मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व का निम्नलिखित मामला रखना चाहता हूं।

बहुत वर्ष पूर्व एक अद्भुत परियोजना अरविले नाम से श्री अरविन्द आश्रम पांडिचेरी की माता जी द्वारा शुरू की गई। एक नये प्रकार के अध्यात्मिक समुदाय के रूप में इसकी कल्पना की गई थी जहां सभी गतिविधियों का उद्देश्य अध्यात्मिक खोज करना होगा। इसमें बहुत सेरोचक प्रयोगात्मक कार्यक्रम सम्मिलित किये गए जो कि कृषि शिक्षा तथा समुदायिक जीवन से सम्बद्ध

थे। जब तक माता जी जीवित रहीं। परियोजना उन्नति करती गई परन्तु दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु के बाद पूरी धारणा ही तित्र-मित्र हो गई है। श्री अरविन्द सोसाइटी, जो इस विस्तृत परियोजना के एक मात्र स्वामित्व को माना करती है और आरोविले के निवासियों में असंख्य संघर्ष चल रहे हैं।

हिंसा की घिनौनी घटनाएं घटी हैं और दोनों दलों ने एक दूसरे के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाये हैं। हाल ही में औरोवेले में, जिसे आध्यात्मिक केन्द्र माना जाता है, मातृ मन्दिर के संबंध में पुनः संघर्ष हुआ है।

औरोवेले जैसी बृहत परियोजना के अन्तर्गत तमिलनाडु और पांडिचेरी संघ क्षेत्र में विस्तृत भूमि के अधि ग्रहण, औरोवेले में रहने वाले कई विदेशियों के वीसा एवं पारपत्र से सम्बन्धित कई समस्याएं और विस्तृत विकास तथा प्रशासनिक मामले आते हैं। स्पष्टतः इन सब बातों का निपटारा करना श्री अरविंदो सोसाइटी के सामर्थ्य के बाहर है विशेषकर इसलिए कि स्वतः इस सोसाइटी के अध्यक्ष पर कई काले कारनामों का आरोप लगाया गया है।

यह खेद की बात है कि औरोवेले जैसी सुन्दर योजना के जिसे यूनेस्को से मान्यता मिली है वह तुच्छ षड्यन्त्रों और प्रशासनिक धांधली का शिकार होना पड़ा। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह औरोवेले को श्री अरविंद के प्रति राष्ट्रीय स्मारक के रूप में अपने अधीन ले आई इस उद्देश्य से जितनी जल्दी हो सके संसद में विधेयक लाये।

**(चार) आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर सप्लाई करना:**

**श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं। चीनी, दाल, तेल, साबुन एवं अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में पुनः वृद्धि हो गयी है। चीनी का दाम कहीं-कहीं तो आठ रुपये प्रति किलो हो गया है, जिससे गरीब आदमी तो उसे खरीद भी नहीं सकता। गुड़ की भी कीमत एक माह के भीतर दुगुनी हो गयी है। वेवीफूड की कीमत प्रायः बढ़ती चली जा रही है। सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति में निहित दोष के कारण बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण नहीं स्थापित हो पा रहा है। बहुत सी वस्तुयें जैसे सीमेंट आदि तो उपभोक्ताओं को मिल भी नहीं पा रही है।

अतः सरकार को शीघ्र प्रभावशाली कदम उठाने चाहियें जिससे उपभोक्ता वस्तुयें सस्ते दामों पर आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें। बजट पेश होने बाद उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि अत्यन्त चिन्ताजक है। नागरिक आपूर्ति मंत्रालय को तत्काल इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिये।

**(पाँच) मध्य प्रदेश के झाबुआ, रतलाम, धार, और खरगोन जिलों के आदिवासि क्षेत्रों में राहत कार्य पुनः शुरू करने की आवश्यकता--**

**श्री दिलीपसिंह भूरिया (झाबुआ)** : उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग में झाबुआ, रतलाम, धार, खरगौन जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में जहां एक ओर अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये गये हैं, वहां दूसरी ओर कई महीनों की मजदूरी का भुगतान उन्हें नहीं किया गया है। साथ ही सस्ते अनाज की दुकानों में आदिवासियों का मुख्य भोजन मोटा अनाज, ज्वार,

मक्का आदि उपलब्ध नहीं है। बाजार में ऊंचे दामों में अनाज मिल रहा है, जिसे आदिवासी क्रय नहीं कर सकता है।

अतः सर्वत्र आदिवासियों में भुखमरी एवं असंतोष व्याप्त है। राज्य सरकार को निर्देश दिये जावें कि जब तक नई फसल नहीं पके, तब तक राहत कार्य जारी रखे जायें एवं मजदूरी का अविलम्ब भुगतान किया जावे और शासकीय सस्ते अनाज की दुकानों पर मोटे अनाज की व्यवस्था की जावे।

**(छ) राजस्थान में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए तुरन्त गेहूं सप्लाई करने की आवश्यकता।**

**श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर)** : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय खाद्य निगम ने राजस्थान प्रान्त में गेहूं का स्टाक जो उनके गोदामों में जमा कर रखा था, उक्त स्टाक प्रान्त में दस दिन से बिल्कुल समाप्त हो गया है। जिसके कारण राजस्थान प्रांत में जिला बाड़मेर, जैसलमेर, आदि में अकाल राहत कार्य चलते थे, वह बन्द हो गये हैं। अन्य कार्य जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत चल रहे थे, वे सभी बन्द हो गये हैं। सस्ते अनाज की दुकानों में प्रान्त भर में गेहूं के न मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर असंतोष है। गेहूं के भाव चरम सीमा पर पहुंच गये हैं। अकाल राहत कार्य एवं अनाज के बदले कार्य, फूड फार वर्क नहीं चलने से कुछ जिलों में भुखमरी की स्थिति आ रही है। अतः केन्द्र सरकार तुरन्त राजस्थान प्रान्त में गेहूं का स्टाक जल्दी से जल्दी पहुंचा कर राजस्थान की जनता की आवश्यक मांग की पूर्ति करे।

**(सात) भारत स्थित विदेशी कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियमआदि का उल्लंघन किये जाने के समाचार**

**श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमंड हार्बर)** : उपाध्यक्ष महोदय अधिकारियों की जांच से यह पता चला है कि विदेशी कम्पनियों की शाखाएं व सहायक कम्पनियां जो भारत में कार्य कर रही हैं, कम्पनी अधिनियम जैसे, औद्योगिक विकास और विनियमण अधिनियम (लाइसेंस देना) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और एकाधिकारी निर्बन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम का मन-माने ढंग से उलंघन कर रही हैं।

ब्रिटिश कम्पनियां, जिनकी संख्या कुछ समय पहले 319 थी, उलंघन करने वालों की सूची में सब से ऊपर थीं। यद्यपि विदेशी मुद्रा विनियमण अधिनियम के दबाव के कारण यह संख्या घटी है किन्तु उन्होंने बाहर भेजी जाने वाली राशि में बहुत ज्यादा वृद्धि की है। उनकी परिसम्पत्ति अंधाधुन्ध बढ़ रही है। 1973-74 में उनके सम्पत्ति का प्रकट मूल्य 1790·4 करोड़ रुपये था और 1978-79 में यह बढ़कर 2403·4 करोड़ रुपये हो गया। 1975-76 में यह 2178·2 करोड़ रुपये था।

इसके अतिरिक्त इसके वितरकों, एजेंटों, व्यापारियों एवं बेनामीदारों के पास बड़ी मात्रा में काला धन है। यह अनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष बीजक में हेरा फेरी कर 1500 करोड़ रुपये की धन राशि देश से बाहर जाती है। देश में भारत-विरोधी क्रियाकलाप करने वाले

मिशनरियों एवं विदेशी एजेन्टों को इस धनराशि का बहुत बड़ा भाग, भारतीय मुद्रा में दिया जाता है।

एक ब्रिटिश मोटर कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक जिन्होंने अपना कारोबार कलकत्ता से शिलांग में स्थानान्तरित किया है लाखों रुपये भारतीय मुद्रा में विदेशी मिशनरियों को दिया है और विदेश में उसे प्रीमियम के साथ विदेशी मुद्रा में वापस लिया है।

सम्बन्धित मंत्रालय से इस बारे में विस्तृत उत्तर दिया जाना चाहिए।

## अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1980-81

### उद्योग मंत्रालय

**उपाध्यक्ष महोदय** : सदन अब उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा एवं मतदान करेगा।

**श्रीमती कृष्णा साही (बेगूराय)** : उपाध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में जब माननीय सदस्य, श्री जार्ज फर्नान्डीस, भाषण दे रहे थे, तो मैंने बहुत ध्यान से उसको भी सुना और तीन वर्ष का उनका और उनकी पार्टी का परफार्मन्स भी देखा। वह अपने भाषण में अपनी सरकार की नीतियों की दुंदुभि भी जोर से बजा रहे थे और अपनी उपलब्धियों की झड़ी भी लगा रहे थे। लेकिन मैं समझती हूं कि उस शृंखला में वह कुछ कड़ियों को जोड़ना भूल गये। मैं अपनी ओर से उनकी तथा-कथित सफलताओं को उसमें जोड़ना चाहती हूं।

मैं जानना चाहती हूं कि जनता पार्टी के शासन-काल के तीन वर्षों में सरकारी और गैर-सरकारी औद्योगिक संस्थानों में कितनी हड़तालें हुई, कितने लाक-आउट्स हुए, हमारे कितने उद्योग-धंधे बन्द हो गये और कितने मैनडेज का लास हुआ। इसके अलावा हमारे औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन कहां तक पहुंच गया ? गत वर्ष हमारा उत्पादन शून्य तक पहुंच गया, उससे हमारी कितनी राष्ट्रीय क्षति हुई ? ये सारी बातें हमारे सामने प्रश्न-चिह्न बन कर उपस्थित है।

जनता पार्टी की सरकार तीन वर्षों तक रही और अपने औद्योगिक साम्राज्य के विस्तार के लिए उसने बड़े-बड़े उपभोगपतियों पर से सभी प्रकार के नियंत्रणों को हटा लिया। मनोपलीज कमीशन की भूमिका नगण्य रह गई और उसके अधिकार बहुत सीमित हो गये। बड़े-बड़े वित्तीय संस्थानों और बड़े-बड़े उद्योगपतियों को सूद की रियायत मिल गई और उनको साधन आसानी से उपलब्ध किये गये, वहां औद्योगिक क्षमता निम्नतम स्तर पर पहुंच गई।

देश को आर्थिक स्वावलम्बन और आत्म-निर्भरता की ओर ले जाना प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू का एक सपना था। उनका दर्शन देश में औद्योगिक क्रान्ति का अग्रदूत बनकर आया था। जब तक हमारी पार्टी की सरकार रही, तब हम आत्म-निर्भरता की ओर जा रहे थे। लेकिन जब जनता पार्टी का शासन आया, तो इस दर्शन पर कड़ा प्रहार हुआ और इसका सबसे बुरा असर औद्योगिक क्षेत्र पर पड़ा। मैं उसका एक ज्वलन्त उदाहरण देना चाहती हूं। तीन वर्षों में रांची के एच० ई० सी० को खोखला बना दिया गया।

पता नहीं किस को व्यवस्थापक के रूप में इन्होंने भेजा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन जो व्यवस्थापक यहां से गये उन्होंने तीन वर्षों में उसको खोखला ही नहीं बना

दिया बल्कि सब तरफ से उसको अपंग बनाकर छोड़ दिया। 77, 78 और 79 तक 65 करोड़ का तो कारखाने का लास हुआ और इसके अलावा जो उसके एस्टैब्लिशमेंट पर खर्च था वह तो बढ़ता ही चला गया। इसी एच० ई० सी० में 76 और 77 में इसके उत्पादन के अन्दर अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी और मुनाफा भी हुआ था। एच० ई० सी० हिन्दुस्तान की आर्थिक ऊंचाई का एक बहुत बड़ा स्तम्भ है। लेकिन वहां ऐसे व्यवस्थापक गए जो उसकी निगरानी तो कुछ कर नहीं सके, उसका उत्पादन कुछ कर नहीं सके उलटे वहां जो उत्पादन हो सकता था और होता था उसको भी बन्द कर दिया। तत्कालीन उद्योग मंत्री ने संभवतः जैसी कि हम लोगों को जानकारी है, वैस्ट जर्मनी की एक बहुत बड़ी फर्म को करोड़ों का कांट्रेक्ट दिया है। मैं जानना चाहती हूं कि हमारे यहां उत्पादन हो सकता था और जिन चीजों की उत्पादन क्षमता हमारे यहां थी, वह यहां क्यों नहीं बनाई गई और बाहर विदेशी मुद्रा क्यों उस पर खर्च हुई जिसके के लिए हम कर्जदार हो गए। पहली बार हमारी सरकार आई है तो एच० ई० सी० को करोड़ों का कांट्रेक्ट बाहर से मिला है। मैं कहना चाहती हूं कि इसमें मैनेजमैंट के ऊपर निगरानी रखने की जरूरत है। और चुस्ती की जरुरत है क्योंकि एग्जीक्यूट करना उनका काम है। इससे हमारी जो आर्थिक क्षति हुई है वह बहुत अंशों में पूरी होगी।

वाइजैग में भी एक स्टील प्लान्ट है। वहां भी उसकी जो आवश्यकतायें हैं वह बाहर से आती हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि वहां जो आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति के लिए भी एच० ई० सी० को आर्डर दिया जाय और उसको कांट्रेक्ट दिया जाय ताकि वह वाइजैग में उसको सप्लाई करे और उसकी आर्थिक उन्नति हो सके।

उद्योग विभाग के अनुदान का समर्थन करते हुए मैं भारत सरकार का ध्यान बिहार की विपन्नता की ओर ले जाना चाहती हूं। उन से अदब के साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि यह एक विडम्बना है कि उपजाऊ धरती है, प्रचुर खनिज पदार्थ हैं- अगाध जल-स्रोत है, यह सब रहते हुए भी बिहार क्यों नंगा और भूखा है ? देश में जितने कोयले के उत्पादन की क्षमता है उसका 40 प्रतिशत अकेले बिहार में हैं। अभ्रक 60 प्रतिशत है। ताँवा लोहा आक्साइट, क्रोमाइट, जस्ता, मैंगनीज, जिंक, ऐस्बेस्टस, फायर-क्ले, चूना-पत्थर आदि काफी मात्रा में बिहार में है। लेकिन हमारे यहाँ आर्थिक दिवालियापन है ? क्यों ? इसलिए कि जो हमें रायल्टी मिलती है वह बहुत पुराने दर पर मिल रही है और जो मैंगनीज है, अभ्रक है या और भी जितने खनिज पदार्थ हमारे यहां पर मिलते हैं उनके आधार पर कोई इन्डस्ट्री हमारे यहाँ नहीं लगाई गई है। बहुत दिनों से इसकी माँग चली जा रही है। मैं भारत सरकार से कहना चाहती हूं कि यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जो बिहार में पैदा होता है जो कि भारत में क्या विदेशों में भी बहुत कम जगहों में उपलब्ध होता हैं।

छोटा नागपुर के लोहरदगा एवं उसके आस पास में एल्यूमिनियम का बहुत बड़ा भण्डार है। यह सारी सम्पत्ति वहां ऐसी है जो कि बिहार की आर्थिक उन्नति अकेले कर सकती है। 20-25 लाख टन बौक्साईट का लदान प्रति वर्ष वहाँ से होता है। लेकिन कोई यातायात की सुविधा नहीं है। यदि इन्फा-स्ट्रक्चर की सहायता वहाँ दी जाय तो कागज और एल्यूमिनियम के कारखाने वहां खड़े हो सकते हैं।

बिहार इंडस्ट्रियल कारपोरेशन ने लटेहाट में एल्यूमिनियम फैक्ट्री की स्थापना के लिए आवेदन पत्र दिया है। सभी फार्मुलेशन्स बहुत साल पहले ही तय कर दिये गए हैं लेकिन मैं नहीं जानती कि क्यों उसमें भारत सरकार विलम्ब कर रही है और दुख की बात है कि जब बिहार ने आवेदन पत्र दिया था उसके बाद प्रान्तों ने जो आवेदन पत्र दिया तो दूसरे प्रान्त को तो दे दिया गया लेकिन बिहार सरकार को नहीं मिला। यह आश्चर्य की बात है कि दो ढाई साल पहले ही यहां से पश्चिम बंगाल की एक प्राइवेट फर्म को यह दिया गया है।

धनबाद में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड है जहाँ जस्ते और शीशे का उत्पादन होता है। उसकी क्षमता 18 हजार टन है। इसके भी आधुनीकरण के लिए हमारी योजना भारत सरकार के पास पड़ी हुई है। 20 करोड़ की यह योजना है। इससे इसकी कैपेसिटी बढ़ जायेगी तो उत्पादन में काफी वृद्धि होगी। लेकिन पता नहीं भारत सरकार के उद्योग विभाग में यह कागज कहाँ पड़ा हुआ है।

मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहती हूं कि उत्तर बिहार में सहरसा और पूर्णिया में चीनी और जूट की मिलें हैं, जो कि वेस्ट बंगाल को बहुत सारी फैक्ट्रियों में सप्लाई होता है, लेकिन हमें अभी तक इसका आशय पत्र भी नहीं मिला है। हमारी जूट की मिलें बन्द हैं और चीनी के कारखाने बन्द हैं, इस ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बातें जो इनके विभाग से संबंध नहीं रखती हैं, फिर भी मैं कहना चाहती हूं। हमारे यहाँ पैट्रोकैमिकल काम्पलेक्स की स्थापना की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है, इससे न सिर्फ बिहार की उन्नति होगी, बल्कि इसका भारत-वर्ष पर भी असर पड़ेगा। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो इनका सिस्टम है, जो तरीका है, यह उद्योग विभाग देखे कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। यदि कहीं पर कम्पनीज एक्ट में परिवर्तन करना पड़े तो वह भी करना चाहिए। यह तभी हो सकता है, जब हमारे पास ऊर्जा होगी। आज हम हाइड्रो और थर्मल पावर पर निर्भर कर सकते हैं, लेकिन एक समय आयेगा जब हमें एटम से ऊर्जा लेनी पडेगी और इसके लिए जरूरी है कि हमारे बिहार में एटोमिक पावर अथोरिटी की की स्थापना हो। न्यूक्लियर और फयूअल से हम बिजली ले सकते हैं, लेकिन हमें यूरेनियम की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, जो कि बिहार में काफी तादाद में मिलता है।

मैं अन्त में यह कहना चाहती हूं कि यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो बच्चा रोगी होत है, जो बच्चा रुग्ण होता है, उसकी माँ विशेष ख्याल करती है, इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि बिहार बहुत ही रुग्ण है, बहुत अस्वस्थ है, इसको मजबूत बनाने के लिए, इसको पैरों पर खड़ा करने के लिए, आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

मैं बड़े अदब से यह भी कहना चाहती हूं कि बिहार में डिफेंस की इन्डस्ट्रीज की बहुत दिनों से मांग चली आ रही है और टूरिज्म पर भी हम इन्डस्ट्रीज वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत ही ऐतिहासिक सुन्दर-सुन्दर जगह हैं, बहुत ही मनोरम दृश्य हैं, जिनको यदि इन्डस्ट्री का रूप दिया जाए, तो हमारे बिहार की काफी आर्थिक उन्नति हो सकती है। गाँधी जी बिहार को भारत का दिल कहा करते थे। मैं जानना चाहती हूं कि यदि हम लोगों का दिल ही रोगग्रस्त रहेगा तो हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। निजनल इम्बेलेंस की बात होती है तो

तरफ आन्दोलन छिड़ जाते हैं बहुत अधिक विपन्नता बढ़ जाती है, तो इसके लिए उद्योग विभाग उत्तरदायी होता है। मैं मंत्री महो- दय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करती हूं कि सभी विभाग जो इन्डस्ट्री बढ़ाने से संबंधित हैं, उनका को-आर्डीशन होना चाहिए, नहीं तो निजी उद्योग के छोटे-छोटे लोग परेशान होकर काम छोड़ देते हैं कि कैसे आगे उद्योग करेंगे। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस ओर भी ध्यान दें।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः उनसे अनुरोध करती हूं कि वे बिहार की ओर विशेष ध्यान दें और मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करती हूं।

* **श्री डी०एस० शिवप्रकाशम (तिरुनेलवेली)** : माननीय उपाध्यक्ष, उद्योग मन्त्रालय के अनुदान मांगों का स्वागत करते हुए मैं पिछडे इलाकों के औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

जब हमारे वर्तमान वित्तमन्त्री महोदय श्री वेंकटरामन तमिलनाडु में उद्योग मन्त्री थे, तो मैं यही कहूंगा कि उनका सारा कार्याकाल औद्योगिक विकास का युग था और भारत के औद्योगिक नक्शे में तमिलनाडु का तीसरा स्थान हो गया था। यह अच्छी स्थिति डी.एम.के. की सरकार के शासनकाल तक रही। अखिल भारतीय अन्नाद्रविड़ मुनेत्र कड़गम के अकुशल शासन के कारण औद्योगिक विकास में राज्य 13वें स्थान में गया। दस रोज पूर्व श्री आर० वेंकटरामन ने अपने भाषण में इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की चर्चा की और स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह मुख्यतः अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार की ओर से पहल के अभाव के कारण है। तमिलनाडु की अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कड़गम की सरकार उद्यमियों को प्रोत्साहन नहीं देती है। इसी कारण अशोक लेलैंड्स के एकक, जो तमिलनाडू में स्थापित किए जाने का था, उसे दूसरे राज्य में ले जाया गया। उसी तरह से रेलवे वर्कशाप, जिसे केन्द्र सरकार तमिलनाडू में स्थापित करना चाहती थी। ए. आई. ए.डी.एम.के. की सरकार की निष्क्रियता के कारण किसी दूसरे राज्य को दे दी गई है। मैं यह अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार तमिलनाडू के औद्योगिक विकास में सीधी रूचि ले। यहां तक की एक तमिल साप्त हिक पत्रिका ने जो शर्म की बात है, कि ए०आई० ए०डी०एम०के० सरकार की प्रवक्ता थी, जहां तक राज्य में औद्योगिक विकास का सम्बन्ध है, अपने संपादकीय में तमिलनाडू की ए०आई०ए०डी०एम०के०सरकार के अपरिपक्व दृष्टिकोण की आलोचना की है। इसने वर्तमान सरकार को तमिलनाडू राज्य से बड़े उद्योगों को बाहर ले जाने के लिए दोषारोपण किया है।

केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारी उद्योगों को केवल किसी विशेष राज्य में ही स्थापित न किया जाए। इन्हें देश के सभी राज्यों में स्थापित किया जाना चाहिये, जिससे देश में औद्योगिक विकास समान रूप से हो। मुझे यह खेदपूर्ण बताना पड़ता है कि मेरे चुनाव क्षेत्र तिरुनेवेली में केन्द्रीय औद्योगिक उपक्रमों की संख्या नगण्य है। केवल भारी संयन्त्र तूतीकोरन में स्थित है और वहां कोई उल्लेखनीय केन्द्रीय औद्योगिक उपक्रम नहीं हैं। मैं केन्द्रीय सरकार से देश के स्थाई रूप से सूखे से पीड़ित इस क्षेत्रमें उद्योग स्थापित करने हेतु कदम उठाने के लिए अनुरोध करता हूं। इन क्षेत्रों में औद्योगिक सर्वेक्षण कर उपयुक्त उद्योग स्थापित किए

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण

जाने चाहिए। सरकार को तूतीकोरीन में पोत कारखाना लगाने के बारेमें विचार करना चाहिए। तूतीकोरीन से देश में सबसे बड़ी मात्रा में नमक का उत्पादन होता है। नमक जैसे मूल कच्चे मॉल पर आधारित यहां रासायनिक उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। मेरे संसदीय चुनाव क्षेत्र के विलाथीकुलम और ओट्टापीदरम विधानसभा चुनाव क्षेत्र हमेशा सूखे की स्थिति का सामना करते हैं और वास्तव में ये मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में खराद जैसी छोटी मशीन भी नहीं लगाई गई हैं। भारत सरकार को इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करना चाहिए और यहां उपयुक्त उद्योग लगाने के मामले में सहायता करनी चाहिये। इसके लिये एक स्थाई सर्वेक्षण संगठन होना चाहिये जो विशेष रूप से औद्योगिक दृष्टि के पिछड़े क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उपयुक्त उद्योग लगाने के बारे में सुझाव देगा।

इस समय मैं समाज के केवल धनी वर्ग के लोग ही औद्योगिक निवेश निगम, ऋण निगम आदि से आर्थिक सहायता ले रहे हैं। यूनिट ट्रस्ट आफ ईण्डिया जनता को इकाइयाँ बेचती हैं और औद्योगिक उपक्रमों सेशेयर खरीदती है। जनता से पैसा इकट्ठा करने और औद्योगिक उपक्रकमों में शेयर खरीदने के लिए दूसरी ऐसी संस्था शुरू की जा सकती है, मैं सरकार से इस प्रस्ताव पर पक्ष में विचार करने के लिये अनुरोध करता हूं। सरकार को छोटे लघु उद्योगों की स्थापना के लिए सीधी सहायता करनी चाहिये। खादी और ग्राम उद्योग आयोग छोटे माचिस उद्योगों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता दे रहा है। उसी तरह से दूसरे लघु इकाइयों के लिये भी सरकार आर्थिक सहायता कर रही है।

मेरे चुनाव क्षेत्र तिरुनेलवेली की तरह तमिलनाडू में पेरियार जिला भी औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है। सरकार को इस जिले को ऐसा ही पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर औद्योगिक विकास के लिए समय सीमा निर्धारित करनी चाहिये। अगर 5 या 10 साल की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई तो उससे लगे हुये क्षेत्र भी औद्योगिक रूप से पिछड़े हो जायेंगे। केन्द्रीय नमक आयुक्त को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जहाज केवल नमक उत्पादकों को मिलें और उन विचौलियों व्यापारियों को न मिलें, जो आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम रूपसे कमी करते हैं। अगर कोई उद्यमी उद्योग स्थापित करना चाहता है तो कम से कम 2 वर्ष का समय नियम और विनियमों का पालन करने में लग जाता हैं। मेरा यह सुझाव है कि इन कठोर नियमों और विनियमों में इस प्रकार की ढील करनी चाहिए ताकि आवेदन करने का तारीख से छः महीने के अन्दर वह उद्योग उत्पादन करना शुरू करें। सभी आवश्यक सुविधायें जैसे बिजली, कच्चे माल इत्यादि भारत सरकार द्वारा बिना किसी देरी के उपलब्ध किया जाना चाहिये।

मैं अपने भाषण समाप्त करने के पूर्व बीड़ी उद्योग के बारे में कहना चाहूंगा कि सरकार ने आम लोगों में आत्मनियोजन को प्रोत्साहन देने के लिये बिना लेबल वाली बीड़ी के उत्पादन शुल्क से मुक्त कर दिया है। भूतपूर्व सरकार ने 60 लाख बीड़ी तक उत्पाद शुल्क की छूट थी। परन्तु वर्तमान वित्त मन्त्री महोदय ने उत्पाद शुल्क की सीमा घटाकर 30 लाख बीड़ी कर दी है। एक आदमी एक दिन में 1000 से 1500 बीड़ी बना सकता है और एक वर्ष में वह 5 लाख बीड़ी बिना उत्पाद शुल्क अदा किये बना सकता है। यह छूट स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिये दी गई है। परन्तु बड़े बीड़ी उत्पादक भी उत्पादन शुल्क से बचने के लिये इस क्षेत्र में घुस गये हैं।

इस तरह से उत्पाद शुल्क की चोरी का काम बड़े पैमाने में केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर-प्रदेश में हो रहा है। ये लोग बीड़ी का निर्माण करते हैं और बिना उत्पाद शुल्क अदा किये 30 लाख तक बिना लेबल की बीड़ी बेचते है। सरकार को उनके वैध राजस्व कर से वंचित रखा जा रहा है। बीड़ी उद्योग को जिंदा रखने के हित में सरकार को उत्पाद शुल्क में इस प्रकार के भेद को अविलम्ब दूर करना चाहिये। अगर तह नहीं किया जाता है तो बीड़ी उद्योग समाप्त हो जाएगा। मैं सरकार से इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करने के लिये मांग करता हूं।

मैं भाषण समाप्त करने से पूर्व यह बताना चाहूंगा कि गत वर्ष औद्योगिक विनियोग में कोई वृद्धि नहीं हुई किन्तु बचत में 22 प्रतिशत वृद्धि हुई जो पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक है। मैं इसके कारण जानना चाहूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री चक्रधारी सिंह (सरगुजा)**: उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो अनुदान की मांगे पेश की गई हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं। ये मांगें जो हैं अनुकूल एवं वाजिब हैं।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हमारे देश में बहुत से उद्योगों की स्थापना हो सकती है, जिस के लिए प्रयास जारी है। इस देश में बहुत से अच्छे खदान हैं और जो कच्चा माल है उसकी उपलब्धि विपुल मात्रा में भी है अगर उसकी खोज की जाए। अभी हमारे देश में कुछ ऐसे जगहें ऐसी हैं जहां पर उद्योगों का निर्माण होना अति-आवश्यक है। जिन क्षेत्रों में अभी तक उद्योगों की स्थापना नहीं हुई है, वहां अगर छोटे लघु उद्योग या मध्यम वर्ग के उद्योग स्थापित किये जायें, तो उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है और देश में आर्थिक कार्यक्रम है, उसमें वे सहायक हो सकते हैं। ये जो छोटे-छोटे लघु उद्योग और मध्यम वर्ग के उद्योग हैं, उन तरफ मैं विशेष ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि हम देश में अभी भी बहुत से ऐसेअनएम्पलायड लोग हैं, जो कि नौकरी प्राप्त नहीं कर सकें हैं। अगर इन उद्योगों की स्थापना की जाए, तो उनको रोजी और रोटी मिल सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, मध्यम वर्ग के उद्योग हैं, इनकी स्थापना जहां अभी नहीं हो पाई है, वहां अवश्य की जाए। मैं सरगुजा जिला, मध्य प्रदेश से चुनकर आया हूं वहां की विशेष जानकारी देना चाहूंगा। वह एक पिछड़ा हुआ और जंगली इलाका है, जहां अभी तक कोई भी उद्योग स्थापित नहीं हो पाया है और कोई भी औद्योगिक प्रगति नहीं हो पाई है, जिससे वहां के लोगों को फायदा हो सके और वह जिला प्रगति की ओर बढ़ सके। पिछले वर्ष वर्षों से वहां जो मैंनपाठ का क्षेत्र है, वहां एल्युमीनियम बाक्साइड की खदानों के लिए सर्वे का काम चल रहा था लेकिन वह अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इस की मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन3, 4 साल हो गये हैं। इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं। अगर सर्वे पूरा हो गया होगा, तो नि:सन्देह उस जिले में बहुत बड़ी इण्डस्ट्री स्थापित हो सकती है। जो पूरे देश में अल्युमीनियम और बोक्साइड पाया जाता है उसका छठा हिस्सा जैसा कि सर्वे रिपोर्ट से पता लगता है कि मैंनपाठ में पाया जाता है। इस प्रकार से मैं सोचता हूं कि वहां पर अल्युमीनियम और बोक्साइड की इंडस्ट्री स्थापित होनी चाहिए जहां कि इतनी अधिक अल्युमीनियम और बोक्साइड पाया जाता है। इससे देश को आर्थिक दृष्टि से बहुत मदद मिलेगी और उस क्षेत्र में जहां कि

अनएम्प्लाएमेंट बहुत ज्यादा है, उसके कम करने में भी मद मिलेगी । वहां के लोगों की वहां नौकरी और रोजी मिल सकेगी ।

दूसरे वहां एक प्रतापपुर इलाका है जहां पर यूरेनियम का सर्वे चल रहा है । यहां सर्वे पूरा करके वहां पर यूरेनियम के उद्योग स्थापित कर दिये जाएं । यूरेनियम के वहां पर प्लांट स्थापित कर दिए जायें । इससे उद्योग को बहुत बड़ा स्रोत एनर्जी मिल जाएगा और देश को जो दूसरी चीजों के लिए शक्ति चाहिए वह भी इस यूरेनियम के द्वारा मिल सकती है ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो हमारा जिला है यह पिछड़ा हुआ है । क्षेत्रफल की दृष्टि से सरगुजा जिला मध्य प्रदेश शायद दूसरे नम्बर पर आता है । वहां जनसंख्या कम है । जंगल पहाड़, नदी, नाले वहां अधिक हैं । उस ऊबड़-खाबड़ जमीन का सही प्रयोग नहीं हो रहा है वहां के जंगलों में बांस बहुत पाया जाता है उसका उपयोग कागज की इण्डस्ट्री लगा कर किया जा सकता है इससे वहां के लोगों को मजदूरी और नौकरी मिल सकती है और वहां इंडस्ट्री स्थापित हो जाने से वहां के लोगों के आर्थिक विकास में भी मदद और सहायता मिल सकती है । हमारे सरगुजा जिले में तीन बड़े-बड़े पठार हैं । उनकी भूमि समतल है । वहां मैं एक डेरी फार्म खोलने की सिफारिश करना चाहूंगा क्योंकि वहां पर सैकड़ों एकड़ पठारी जमीन है जो कि खाली पड़ी हुई है । उस जमीन का आज तक कोई उपयोग नहीं हुआ है । इसलिए वहां पर डेरी फार्म खोल दिया जाए जिससे कि दूध और दूध से बनी चीजें देश में वितरित हो सकें । उससे जो लगा हुआ क्षेत्र है उसको भी वहां से दूध और दूध से बनी चीजें सप्लाई की जा सकती हैं । इसलिये वहां एक बहुत बड़ा डेरी फार्म स्थापित किया जाए ।

इसी तरीके से मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बिश्रामपुर थर्मल प्लाट की जो वहां की योजना है वह यहां पर प्लानिंग कमीशन में पड़ी हुई है । वहां जल्दी ही उसकी स्थापना होना बहुत आवश्यक है । वहां जो कोयला बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यक चीजों के रूप में पाया जाती हैं उनको भी इस थरमल प्लांट से बहुत मदद मिल सकती है । उसके आस पास कोयले की खदानें हैं जिन से कि हिन्दुस्तान को विपुल मात्रा में कोयला प्राप्त होता है । थरमल पावर स्टेशन को जो कोयले की जरूरत होती है उसके लिए वहां से पर्याप्त मात्रा में कोयला मिल सकता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि सरगुजा जिले की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाये और वहां पर इंडस्ट्रीज की स्थापना की जाये ताकि जिले का उद्धार हो सके और देश भी लाभान्वित हो सके ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : हमें शाम 3.30 बजे तक इस चर्चा को समाप्त कर देना है । शाम 3.30 बजे माननीय मंत्री महोदय बहस का उत्तर देंगे, साढ़े 4 बजे सायं सारी मांगों को पारित किया जाना है । उसके पश्चात हमें दूसरे विषय पर चर्चा शुरू करनी है । इसलिये हरेक सदस्य केवल पांच मिनट बोलेगा ।

**श्री ए० ए० रहीम चिरयिन्किल** : उपाध्यक्ष महोदय प्रारम्भ में मैं माननीय वित्तमंत्री महोदय को उनके बजट के लिए बधाई देना चाहूंगा जिसका कि भारतीय जनता के हर वर्ग ने स्वागत किया है । इस बजट ने पिछली सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये पहले के बजट के रुख को उलट दिया है । विकसित प्रोद्योगिकी और विकास के वर्तमान युग में देश के औद्योगिकीकरण के

विपरीत किसी सिद्धान्त को लागू करने और उसका प्रचार करने के लिए अत्याधिक साहस की आवश्यकता होती है। वर्तमान विपक्ष ने जब वह सतारूढ़ था, यह कार्य करने का प्रयास किया परन्तु वह बुरी तरह असफल रही। तेजी से औद्योगीकरण के बिना देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। कृषि और उद्योग के बीच स्पर्द्धा की भावना पैदा करना एक बचपने वाली बात है। यदि केवल कृषि का विकास किया जाता है और उद्योगों की उपेक्षा की जाती है तो यह देश निरन्तर अविकसित देश बना रहेगा और यहाँ के निवासी गरीब किसान तथा जीवन पर्यन्त मधुमक्खी पालन करने वाले लोग ही स्थाई रूप से बने रहेंगे। वास्तव में कृषि के विकास के लिये औद्योगीकरण बहुत ही अत्यावश्क है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि हमारे औद्योगिक विकास की गति नकारात्मक हो गई है। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर रहा कि ऐसे अनेक आर्थिक कारण हो सकते हैं जो नकारात्मक विकास गति के इस तथ्य के पीछे कार्य करते रहे हैं। परन्तु इस बात को स्वीकार करना चाहिये कि नकारात्मक विकास गति इस तथ्य के लिये मुख्य रूप से जिम्मेदार कारण था राजनीतिक संकल्प और दिशा-निर्देश का पूर्ण अभाव। सौभाग्यवश, देश की जनता इस आसन संकट को बड़ी जल्दी समझ गई और उसने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वालों को अपदस्थ कर दिया। हमें यहाँ इस प्रकार की अल्पव्यस्थितअर्थ-व्यवस्था विरासत में मिली है परन्तु हमें इस बात का स्पष्ट शासनादेश मिला है कि हमारे देशकी अर्थव्यवस्था में जो विकृतियाँ शुरू कर दी गई हैं। हम उनको दूर करें। पिछले तीन वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में कुप्रबन्ध का साम्राज्य रहा। इतना ही नहीं कि न केवल अच्छी स्थिति वाली औद्योगिक इकाइयाँ रुग्णता की ओर प्रवृत्त हुईं अपितु स्वयं औद्योगिक वातावरण भी दूषित हो गया। अब यह हमारा कर्तव्य बन गया है कि हम इस वातावरण को ठीक करने के लिये कर्मचारियों में आई अनुशासन हीनता को दूर करें और प्रबंधकों में सावधानी तथा कार्यकुशलता पैदा करें। हमारा औद्योगिक क्षेत्र संघर्ष की संस्कृति पर आधारित रहा है श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के बीच दोनों का टकराव हड़ताल और तालाबन्दी के जिसने कि अब एक स्थाई कारण रूप धारण कर लिया है के मूल कारण हैं। मैं श्रमादिवसों के बढ़ते हुए नुकसान के विस्तार में नहीं जा रहा हूं। इसके साथ ही मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि एक नया औद्योगिक सम्बन्ध कानून बनाया जाना चाहिए जिससे कि कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच बेहतर सम्बन्ध बनें और श्रमिकों में भागीदारी की भावना पैदा हो। इसके अलावा किसी औद्योगिक इकाई में मजदूर संघों की संख्या सीमित कर देनी चाहिए इस तरह का कानून जानते समय हमें पिछले शासन के प्रारूप के उन विषयों को भी ध्यान में रखना होगा जिनका व्यापर तौर पर विरोध हुआ था। इस तरह के कानून में औद्योगिक विकास को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना चाहिए केवल श्रम सम्बन्धों को नियंत्रित करने से काम नहीं चलेगा। यह एक रिवाज सा बन गया है कि औद्योगिक प्रबंधक अपनी सभी असफलताओं के लिये मजदूरों पर दोष मढ़ देते हैं। न तो मैं मजदूरों पर आरोप लगाऊंगा और न मैं उन सभी का आंख मूंदकर बचाव करूंगा मुझे अपने उन जुझारू कामरेडो पर भी संदेह है जो स्वयं को मजदूरों के मार्गदर्शक, मित्र और चिंतक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। फिर भी, मुझे इस बात का विश्वास है कि हमारे औद्योगिक केन्द्र अच्छा उत्पादन कर सकते हैं वशर्ते कि श्रमिकों में ऐसी भावना उत्पन्न की जाये कि वे उस संस्थान के महत्वपूर्ण अंग हैं जिसमें कि वे कार्य करते हैं।

यह बड़े दुख की बात है कि हमारे उन कुछ बड़े सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं गया है जिनका अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। मैं सरकारी क्षेत्र की केवल एक परियोजना का उल्लेख करूंगा जिसमें मेरे राज्य में समय समय पर श्रमिक समस्या पैदा होती रही है। केरल में हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन की अखबारी कागज की परियोजना दो वर्ष पूर्व शुरू की जानी थी परन्तु दूसरे वाणिज्यिक उत्पादन की लक्ष्य तिथि में समय समय संशोधन किया जाता रहता है। शायद समय आ गया है कि सरकार निगम की कार्यप्रणाली के बारे में एक जांच करने का आदेश दे जिससे खास तौर पर यह पता चला सके कि केरल न्यूज-प्रिंट परियोजना में वास्तव में क्या खराबी है।

चूंकि मैं केरल से निर्वाचित होकर आया हूं मैं राज्य के औद्योगिक पिछड़ेपन का उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता। मुझे इस बात से सचमुच धक्का पहुंचा है कि इस वर्ष भी केरल में कोई प्रमुख उद्योग आवंटित नहीं किया गया है। मुझे विश्वास है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि राष्ट्र के व्यापक हित में इस बात को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि सभी राज्यों में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का समान वितरण हो। केरल में अपार जनशक्ति है और यह अकेला ऐसा राज्य है जो कि अतिरिक्त पन बिजली पैदा करने का दावा कर सकता है। वास्तव में संकट के समय हमने अपने पड़ौसी राज्यों को सहायता दी है। हमारे सुप्रशिक्षित कर्मचारी सभी तरह के बाहरी स्थानों पर भेजे जाते हैं। यदि संसाधनों को समुचित रूप से काम में लाया जाना है तो राज्य में हमारे पास और अधिक औद्योगिक इकाइयां होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे यहां खनिज सम्पदा और समृद्धि जंगलों जैसे प्राकृतिक संसाधनों की बाहुलता है। जहां तक संचार का सम्बन्ध है उनकी इस राज्य में अच्छी व्यवस्था है चाहे वह संचार सेवा समुद्र से हो, सड़क अथवा रेल से हो। फिर भी सरकार वहां सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की नई इकाइयां स्थापित नहीं कर रही है। यह उद्योग स्थापित करने के लिये यह एक आदर्श स्थान है। जिसमें भारी संख्या में शिक्षित व्यक्तियों तथा भारी मात्रा में बिजली की आवश्कता होती है। हमारे राज्य में कोई प्रमुख केन्द्रीय सरकारी उपक्रम नहीं हैं। हमारे राज्य में इस तरह के उपक्रमों में हमारी जनसंख्या के आधार पर जितना निवेश किया जाना चाहिए वह काफी कम है। राष्ट्रीय वितीय संस्थानों द्वारा दी जाने वाली अग्रिम धनराशि तथा निवेश औद्योगिक गतिविधियों का सूचक होती है। इस दृष्टि से केरल में प्रगति बहुत कम है। केरल की जनता सुगन्धित (आरोमेटिक) कम्पलेक्स एफ० ए० सी० टी० की कालीकेटम परियोजना, रेल कोच फैक्ट्री तथा रक्षा सामग्री उत्पादन इकाइयां भारतीय टेलीफोन उद्योग इकाइयों का विस्तार तथा इंस्ट्रूमैंटेशन लिमिटेड की इकाइयों का विस्तार जैसी अनेक परियोजनाओं के लिये आवाज उठाती रही है ये परियोजनायें जनता के मानस को उद्वेलित करती रही हैं। नकदी फसलों समुद्री उत्पाद के निर्यात से तथा विदेशों में रह रहे केरल वासियों द्वारा प्रेषित धनराशी से केरल राज्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए मैं उद्योग मंत्री से इस बात का अनुरोध करूंगा कि वे नए सरकारी उपक्रम स्थापित करने के मामले में केरल की ओर विशेष ध्यान दें। खासतौर पर ऐसे समय में जब नारियल जटा, काजू हथकरघा जैसे हमारे परम्परा गत उद्योगों को गंभीर संकट का सामान करना पड़ रहा है। शिक्षित बेरोजगारों की समस्या बहुत व्यापक हो गई

है। परन्तु इसका तब तक समाधान नहीं किया जा सकता जब तक सम्पूर्ण देश में लघु उद्योगों के व्यापक विकास की ओर जोरदार प्रयास नहीं किया है। खास तौर पर मेरे राज्य केरल में यह गम्भीर समस्या है जहां शिक्षित बेरोजगारों की संख्या सर्वाधिक है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि गत तीस वर्षों में इसदिशा में उल्लेखनीय काम किया गया है। परन्तु, मेरे विचार में जितनी धन-राशी इसके लिये खर्च की गई है उस अनुपात में इसके परिणाम अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान खास तौर पर कुछ पहलुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं कहूंगा कि लघु उद्योगों के विकास के मामले में बैंकों ने अपनी उचित भूमिका को नहीं निभाया है जोउन्हें अपनानी चाहिए थी। माननीय वित्तमंत्री महोदय ने पिछले दिन इस सदन में यह बात स्वीकार की थी कि जब तक बैंक स्वयं लघु उद्योगों की स्थापना में और उनको विकसित करने में सहायता नहीं देंगे तब तक हम देश में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को हल नहीं कर सकते है मुझे विश्वास है कि उद्योग मन्त्री एक ऐसी प्रक्रिया का विकास करने में पहल करेंगे जिसमें जिला स्तर पर राज्य सरकार के विभाग, बैंकें और उद्योगपति सहयोजित और सम्बन्धित विभागों को उनके अपने कार्य निष्पादन के लिए उत्तरदायी बनाया जाए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अभी 35-40 वक्ताओं को और बोलना है। कृपया आप अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

**श्री ए० ए० रहीम** : मुझे इस बात का विश्वास है कि कर्मठ युवा उद्योग मन्त्री उन समस्याओं के समाधान के लिए, जिन्होंने हमारे देश की औद्योगिक प्रगति को अवरुद्ध कर दिया है, हर संभव कोशिश करेंगे। मैं जोरदार शब्दों में मांगों का समर्थन करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री आर० के० महालगी बोलें। आपकी पार्टी को नौ मिनट दिए गए हैं।

****श्री आर०के० महालगी (ठाणे)** : उपाध्यक्ष महोदय, यदि गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं तो हमारे देश की औद्योगिक नीति का मजबूत आधार होना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने 1956 में और मार्च 1977 में अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। इन दोनों नीतियों की प्रमुख बात की मिश्रित अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं समझता हूं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही हमारी औद्योगिक नीति का पथप्रदर्शक होना चाहिए। इसका उद्देश्य सरकारी, सरकारी और निजी क्षेत्र का एवं संतुलित विकास करना होना चाहिए। सरकारी क्षेत्र निःसन्देह महत्वपूर्ण है, परन्तु साथ ही निजी तथा सरकारी क्षेत्रों की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। केन्द्रीय सरकार को उन समस्याओं को, जिनका निजी एवं सहकारी क्षेत्रों को सामना करना पड़ रहा है, हल करना चाहिए।

जनता पार्टी ने 1977 में अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। इसमें लघु उद्योगों के विकास पर अत्यधिक बल दिया गया था। भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गांवों में रहता है और इसलिए यह आवश्यक है कि उद्योगों का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। जनता सरकार की नीति लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की और इस नीति का लक्ष्य इस उद्देश्य को प्राप्त करना था। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वर्तमान सरकार को भी उसी नीति का अनुसरण करना चाहिए।

* मराठी में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

महोदय, इस समय छोटे पैमाने के हजारों उद्योग बीमार हैं। उनमें कुछ की स्थिति गंभीर है। मैं समझता हूं कि उनके बीमार होने के मुख्य रूप से चार कारण हैं। (एक) कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई, (दो) बिजली का संकट, (तीन) वित्तीय सहायता की कमी और (चार) विपणन सुविधाओं का अभाव।

कच्चे माल की सप्लाई में कमी के सम्बन्ध में मैं महाराष्ट्र राज्य से संबन्धित एक या दो उदाहरण देना चाहूंगा जो राज्य की आवश्यकताओं तथा केन्द्र द्वारा सप्लाई के लिए की गई व्यवस्था पर प्रकाश डालेंगे। इस समय महाराष्ट्र की सीमेंट की आवश्यकता 1'31,000 मीट्रिक टन तिमाही है। परन्तु पूर्ति केवल 35,000 मीट्रिक टन है। कोयले की आवश्यकता 5600 वैगन प्रतिमाह है परन्तु हम केवल 2700 वैगन प्राप्त करते हैं। पैराफिन मोम की वार्षिक 18000 मीट्रिक टन की आवश्यकता के स्थान पर हमें केवल 11,140 मी० टन ही प्राप्त होता है। हमें प्रतिमास 6500 मी० टन कच्चे लोहे की आवश्यकता है परन्तु हमें प्रतिमाह केवल 2480 मी० टन होता है। जिसकी हमें आवश्यकता और सप्लाई के बीच जो अन्तर है उससे स्थिति हो जाती है। कच्चे माल की पूर्ति राज्य की आवश्यकता के बराबर होनी चाहिए। कुछ राज्य कच्चामाल अधिक मात्रा में प्राप्त करते हैं और कुछ कम मात्रा में प्राप्त करते हैं। भारत सरकार को केन्द्रीय एजेंसी योजना शुरू करनी चाहिए। इसको अधिक कारगर बनाना चाहिऐ। केन्द्रीय एजेंसियां निम्नलिखित कार्य कर सकती है—

(1) छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर विभिन्न राज्यों के लिए कच्चे माल के कोटे को सावधिक रूप से निर्धारित करना (2) सम्बन्धित राज्यों को आवंटित कच्चे माल की सप्लाई तथा लाने ले जाने की देख-रेख करना (3) केन्द्रीय तथा सरकारी एजेंसियों तथा राज्य सरकारों के बीच सम्पर्क बनाए रखना।

केन्द्रीय एजेंसियों को विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठकें आयोजित करनी चाहिए और समस्या का समाधान निकालना चाहिए। यह कच्चे काल की पूर्ति सप्लाई की असमानता को दूर करेगी।

केन्द्रीय सरकार 'स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज' नामक एक पत्रिका निकालती है जो अंग्रेजी व हिंदी में प्रकाशित होती है। यह क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित की जानी चाहिए। इससे लघु उद्योगों से सम्बन्धित सभी व्यक्ति कच्चे माल की सप्लाई से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें। इस समय केवल अंग्रेजी तथा हिंदी जानने वाले व्यक्ति ही इस पत्रिका में प्रकाशित जानकारी प्राप्त करते हैं। यह मान लेना गलत है कि वे सभी लोग हिंदी व अंग्रेजी जानते हैं। जो लघु उद्योग चला रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि उस पत्रिका को क्षेत्रीय भाषा में भी प्रकाशित किया जाना चाहिए।

बिजली की सप्लाई की कमी के सम्बन्ध में यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उद्योग और ऊर्जा का निकट का सम्बन्ध है। कोई भी उद्योग बिजली के बिना चल ही नहीं सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को उनकी स्वीकृति के लिए छः योजनायें भेजी है। परन्तु उनमें से अधिकांश सितम्बर 1977 से लम्बित पड़ी है। मुझे सूची देखने की आवश्यकता नहीं है

परन्तु पवन योजना, गिराना योजना तथा कुछ अन्य योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं। सरकार को इन योजनाओं को स्वीकृत करने के लिए तुरन्त उपाय करने चाहिए।

उद्योग मन्त्रालय को औद्योगिक एककों के लिए ऊर्जा सप्लाई पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। ऊर्जा मन्त्रालय को यह मान लेना चाहिए कि लघु उद्योग तब तक नहीं चल सकता है जब तक कि पर्याप्त तथा नियमित रूप से बिजली की सप्लाई न की जाती हो। इसलिए उद्योग तथा ऊर्जा मन्त्रालयों में समन्वय अत्यन्त आवश्यक है।

मैं केन्द्रीय सरकार की वित्तिय सहायता के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। 1960 में भारत सरकार द्वारा साख गारन्टी योजना शुरू की गई थी और बहुत सी योजनायें भी शुरू की गई थी। ऋण सुविधायें देने वाली संस्थाओं का एकीकरण करने के लिए साख गारन्टी योजना लागू की गई थी। केन्द्रीय सरकार ने इन संस्थाओं का एकीकरण करने के लिए कार्यकारी दल नियुक्त किया था। इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। श्रीमान् मैं अनुरोध करता हूं कि यह प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को प्रतिवेदन पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए। इससे लघु उद्योगों को समय पर अपेक्षित राज सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

लघु उद्योगों की वित्तीय स्थिति की जाँच करने की आवश्यकता है। बड़े उद्योगपति लघु उद्योगों से माल खरीदते हैं। परन्तु वे छः महीने से पहले भुगतान नहीं करते हैं। बड़े उद्योग पतियों को एक महीने के भीतर देय राशियों को भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना सरकार के ऊपर है कि उद्देश्य के लिए कानूनी व्यवस्था या कोई अन्य उपाय कैसे किये जा सकते हैं।

सरकार ने इस आशय के कतिपय स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त दिये हैं कि विपणन सुविधाओं से सम्बन्धित लघु क्षेत्र द्वारा निर्मित माल को केन्द्रीय सरकार, सरकारी उपक्रम तथा राज्य सरकारें खरीदे मंत्री महोदय को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या सभी एजेंसियां लघु क्षेत्र से माल की निर्धारित मात्रा खरीदती। इस विषय पर एक प्रतिवेदन इस सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे लघु उद्योगों को अपना माल बेचने में मदद मिलेगी।

औद्योगिक बस्तियों के आधार पर वाणिज्यिक बस्तियाँ भी स्थापित की जानी चाहिए। इससे बेहतर विपणन सुविधाएं मिल जायेंगी। छोटे व्यापार केन्द्र भी होने चाहिए। परीक्षण सुविधाएं भी लागू की जानी चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मछली उद्योग को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज मेरे मित्र श्री परुलेकर के अतारांकित प्रश्न सं० 5272 के उत्तर में सरकार ने इस प्रकार उत्तर दिया है। मैं उद्धृत करता हूं।

क्या सरकार इस मत्स्य उद्योग को लघु उद्योग स्वीकार करेगी और इसके परिणामस्वरूप मिलने वाले सभी लाभ मछुओं को देगी।"

"ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।"

श्रीमान्, मैं मांग करता हूं कि मत्स्य उद्योग को लघु उद्योग घोषित किया जाना चाहिए और लघु उद्योगों को उपलब्ध लाभ तथा सुविधाएं मछुओं को भी मिलनी चाहिए।

1977 में जनता सरकार ने जिला औद्योगिक केन्द्र शुरू किये थे। यह जनता सरकार की बहुत अच्छी बात थी और यह रखा जाना चाहिए।

यह कहा जाता है कि ये केन्द्र भविष्य में कार्य नहीं करेंगे। परन्तु सरकार को उत्तरदायित्व लेना चाहिए और इन केन्द्रों को कारगर ढंग से चलाना चाहिए तथा लघु उद्योगों की मदद करनी चाहिए। इस सम्पर्क, हमें मालूम है कि वे इतने कारगर ढंग से नहीं चल रहे हैं जितना उन्हें चलना चाहिए था। इस सम्बन्ध ने तैयार की गई कार्यवाही योजना को चरण बद्ध कार्यक्रम के साथ क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इन केन्द्रों के लिए रोजगार-लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

इन केन्द्रों के अधिकारियों को उस समय विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए जब लघु उद्योगों के मालिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आयें। उन्हें अच्छा मार्गदर्शन तथा सहायता प्रदान करनी चाहिए।

मैं बिहार के अपने मित्र का एक प्रश्न संक्षेप में बताता हूं क्यों कि शायद उन्हें बोलने का अवसर न प्राप्त हो। चार हजार मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। क्योंकि के० ई० डब्लू०इन्जीनियरिंग वर्क्स बिहार पिछले कितने ही महीनों से बंद पड़ा है। तुरंत कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए। क्योंकि 4000 कर्मचारियों की जीविका समाप्त होने का प्रश्न है। यह उचित नहीं है कि इतना बड़ा कारखाना बंद हो जाना चाहिए। मैं इन कर्मचारियों की समस्या का तुरत समाधान करने के लिए सरकार से अनुरोध करता हूं।

**श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर)** : माननीय सभापति महोदय, ढाई साल के जनता शासन के बाद पहली बार श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में यह बजट पास हो रहा है, जिसमें की घाटे को अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए और उत्पादन के तमाम क्षेत्रों में फिर से आत्म-विश्वास पैदा करने के लिए प्रयास किया गया है। कुछ विरोधियों को छोड़ कर इस बजट का सारे देश में स्वागत हुआ है। कल हमने इस सभागृह में एक जाने-माने नेता श्री जार्ज फरनान्डीज साहब का बहुत लम्बा भाषण सुना।

इसी सन्दर्भ में मैं आप से कहना चाहूंगा—हमारे उद्योगों की आज जो स्थिति है और हम लोग जो अपने-अपने क्षेत्रों से चुनकर आये हैं, सबके सामने यह तथ्य है कि इस देश की 50 फीसदी आबादी का जो क्षेत्र है वह औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है और हर सदस्य चाहता है कि वह अपने क्षेत्र के बारे में यहां पर कहे, ऐसी स्थिति में जो समय यहां बोलने के लिए दिया गया है, वह बहुत अल्प है। उसमें हर सदस्य अपनी बात को कह नहीं सकता है।

कल जब जार्ज साहब इस सरकार की औद्योगिक नीति के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि इस सरकार की कोई औद्योगिक नीति नहीं है। मैं इसी सन्दर्भ में कहना चाहूंगा—जब उनकी सरकार इस देश में सत्ता में थी, तो औद्योगिक दृष्टि से जो पिछड़े इलाके है, उनका विकास करने का उस सरकार ने फैसला लिया। फैसला लेने के बाद, प्रश्न पैदा हुआ कि विकास किस तरह से किया जाय, विकास की नीति क्या हो ? उनके पास इसका कोई मापदण्ड न होने की वजह से उन्होंने एक "नेशनल कमेटी फार दि डेवेलपमेंट आफ बैकवर्ड एरियाज" की स्थापना की, जिसके अन्दर इस देश के आइ० ए० एस० अफसरों को, ऐसे लोगों को जो हजारों रुपया

तनख्वाह पाने वाले लोग हैं जो एअर-कण्डीशन रूम में बैठने वाले लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों की लम्बी-चौड़ी कमेटी बनाई। इस तरह से हमारे औद्योगिक विकास के प्रश्न को आइ० ए० एस० अफसरों की गोद में, जैसे किसी रोते हुए बच्चे को किसी आया की गोद में डाल दिया जाय, उसी तरह से डाल दिया गया। इस कमेटी की टर्म्ज-आफ-रेफ्रेंस यह थी।

वर्तमान नीति उद्देश्यों के लिए प्रचलित परिभाषाओं में आने वाले पिछड़ेपन की विभिन्न सिद्धान्तों की बंधता की जाँच करना।

**पिछड़े क्षेत्रों की समस्या को कारगर ढंग से सुलझाने के लिए उपयुक्त नीति या नीतियों की सिफारिश करना**

सभापति महोदय, इस कमेटी की पिछले दो सालों में कई बैठकें हुई। यह प्लानिंग कमीशन के अन्तर्गत आती है, जिसके बारे सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये राष्ट्रीय समिति की मापदण्ड तय करने के लिये कई बैठकें हुई हैं, लेकिन अभी तक इस समिति की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। आज जब देश के सामने पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने या औद्योगिक विकास करने का कोई उचित मापदण्ड नहीं हैं. उचित रण-नीति नहीं है, तो हम किस तरह से इनका विकास कर सकते हैं।

मैं उद्योग मन्त्री जी तथा हमारी सदन की नेता से यह कहना चाहूंगा कि उस कमेटी में हमारे जैसे ससंद सदस्य एक भी नहीं हैं। जिन संसद सदस्यों का देश के मतादारों से, जनता से, डायरैक्ट कमिटमेन्ट है, आइ० ए० एस० अफसरों का कमिटमेन्ट नहीं होता है, हम जनता के सामने जवावदेह हैं, इस लिए जो भी समिति बने उस में संसद के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। इसके साथ ही समिति के लिये कोई कैलेण्डर होना चाहिये, कोई समय निश्चित होना चाहिये, जिसमें वह समिति अपनी रिपोर्ट दे दे। प्राय: ऐसा नहीं होता है कि समितियां निर्धारित समय में रिपोर्ट देदें। इस समिति की भी यही स्थिति है और हमें वताया गया है कि इस की मियाद दो साल के लिये बढ़ा दी गई है। इसका मतलब है कि फिर इसकी मीटिंग चलती रहेंगी और रुपया खर्च होता रहेगा।

सभापति महोदय, मैं इस सदन में पहली बार आया हूं और मेरे जैसे कई युवक इस सदन में आये हैं, जो देश के युवकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने इस सदन में आने के बाद एक बात देखी कि हिन्दुस्तान के उन सभी क्षेत्रों से, जिनका अभी विकास नहीं हुआ है, एक मांग बड़े जोर-शोर से आ रही है कि पिछड़े क्षेत्रों में रेल्वे लाइन बिछाई जाय तथा जहां पर छोटी लाइन है, उसको बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाय। आज उन क्षेत्रों की तरक्की के लिए जनता में बड़ी तड़प है, उनके अन्दर अपना विकास करने का उत्साह जाग गया है। वे विकास के लिए मचल रहे हैं। यह एक अत्यन्त आशाजनक वातावरण है। इस लिये मैं उद्योग मंत्री जी से अर्ज करूगा कि रेल्वे लाइनों की जल्द से जल्द व्यवस्था करायें, इस देश की औद्योगिक नीति को बढ़ाने में रेल्वे लाइनों का विछाया जाना वहुत सहयोग दे सकता है। वैसे हमारे मित्र-महालगी जी ने भी इसी सन्दर्भ में वोलते हुए कहा है तथा महराष्ट्र में जो हमारी अभी नई सरकार वनी है, जिस के मुख्य मन्त्री श्री अंतुले जी हैं उनकी तरफ से भी केन्द्रीय सरकार के पास एक प्रपोजल आई है कि एक नाडल एजेन्सी की स्थापना की जाय।

जिसका कार्यक्षेत्र प्रधान मंत्री के अन्तर्गत चले। अभी यह होता है कि उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित जितने काम हैं, उनका एक दूसरे से कोई समन्वय या कार्डीनेशन नहीं है। उद्योग मंत्रालय के सेक्रेटरी और रेलवे मंत्रालय के सेक्रेटरी को आपस में कोई परिचय नहीं है, एनर्जी विभाग के सेक्रेटरी और उद्योग मंत्रालय के सेक्रेटरी का आपस में कोई परिचय नहीं है, उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, तो उसको आप सही कर दीजिए। जो तथ्य हैं, वे मैं आप के सामने रख रहा हूं क्योंकि जो रिजल्ट सामने आना चाहिए, वे आ नहीं रहे हैं, परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि कामों को स्कीशियेटली करने के लिए एक नोडल एजेन्सी की स्थापना की जाए, जो कामों को इफेक्टिवली कर सके। इस देश में उद्योगों के मामले में जो ऋण नीति होनी चाहिए, वह नहीं होती है और तकरीरें कर दी जाती हैं। हमारी टेक्नोलोजी है, उसमें भी क्रान्ति लानी चाहिए।

जब हम इन बातों की चर्चा करते हैं। तो एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के जो औद्योगिक घराने हैं, बिग बिजनेस हाऊसेज हैं मोनोपली हाऊसेज हैं, वे एक तरफ तो बड़ी-बड़ी मोटरें बनाते हैं और एटोमिक एनर्जी पैदा करते हैं लेकिन दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि छोटी-छोटी चीजें जैसे साबुन की डिबिया और नमक की पुड़िया तक बनाते हैं जो चीजें काटेजइंडस्ट्री और कुटीर उद्योगों में बनाई जा सकती हैं लेकिन वे उनको बनाने की हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि उनको बिरला और टाटा से स्पर्श करनी पड़ती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि हम एक उचित नीति अपनाएं। जब हम एशिया में जापान देश को देखते हैं, तो वहां के जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, वे अपने देश के भीतर लोगों से पंजा नहीं लड़ाते बल्कि वे अमेरिका और दूसरे प्रगतिशील राष्ट्रों के उद्योगपतियों से वर्ल्ड मार्केट में जा कर पंजा मिलाते हैं और वहां उनसे स्पर्द्धा करते है वहां की जो काटेज इंडस्ट्री होती है, उन छोटे-छोटे उद्योगों से माल लेकर वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचते हैं और इस तरह से अपने यहां के छोटे उद्योगों को मार्केटिंग की हहूलियतें वे देते हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि ये जो छोटी-छोटी चीजें बड़े उद्योगों में बनाई जाती हैं, उन पर पाबन्दी लगाई जाए। जो सामान छोटे-छोटे उद्योग और सामान्य आदमी बना सकते हैं, उनको बनाने के लिए उन लोगों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है।

इस सम्बन्ध में मैं प्लास्टिक उद्योग का भी जिक्र करना चाहता हूं। आज जो प्लाटिक बनाने वाले उद्योग हैं, वे प्लास्टिक भी बनाते है और प्रोसेस का काम भी वही करते हैं। इस तरह से प्रोसेस करने वाले उद्योग का बड़ा नुकसान हो रहा हैं और इससे स्माल सेक्टर इंडस्ट्री को खतरा पैदा हो रहा है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि जो प्लास्टिक का निर्माण करने वाले उद्योग हैं, वे प्रोसेस करने का काम न करें।

मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है, वह विदर्भ विभाग में, महाराष्ट्र में है और यह कहा जाता है कि महाराष्ट्र उद्योगों के मामले में काफी आगे बढ़ा हुआ है और इस बात पर मुझे फख्र है लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में पूना, थाना और बम्बई इन तीन को छोड़ कर,मराठावाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, कोंकण और विदर्भ का क्षेत्र विकास की दृष्टि से हिन्दुस्तान के

किसी भी विभाग की तुलना में उतना ही पिछड़ा हुआ इलाका है जितने और हिस्से हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि वहां पर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज का होना बहुत जरूरी है।

मैं नयी इंडस्ट्रीज लगाने के बारे में नहीं कहूंगा। लेकिन जिस इंडस्ट्रीज का सर्वे हो चुका है उसकी तरफ आप ध्यान दें। स्कूकोज फैक्ट्री, वेगन फैक्ट्री के निर्माण के बारे में रेलवे बोर्ड के चेअरमेन ने दो साल पहले कहा था मैं उसी के संदर्भ में चाहूंगा कि नागपुर में उस वेगन बनाने वाली फेक्ट्री की स्थापना होनी चाहिए क्योंकि उसके लिए वहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध है।

हमारे महालगी साहब ने बीमार उद्योगों के बारे में कहा कि बीमार उद्योगों की एक महामारी-सी आ गयी है। उन्होंने इसका कारण यह बताया कि रा-मेटेरियल की कमी है, एनर्जी की कमी है, फाइनेंस की कमी है, लेबर ट्रबल है लेकिन एक कारण बताना वे भूल गये कि मिल-मालिकों के आपसी झगड़ों की वजह से भी उद्योग बन्द किये जाते हैं। हमारे संविधान में जो नीति सम्पति का फण्डामेन्टल अधिकार दिया हुआ है कि किसी भी मिल को ताला लगा दिया तो बहुत से इस उद्योग तरह की तालाबन्दी के कारण भी बंद हो जाते हैं।

हमारे यहां एक उद्योग है शिराज फाईन आर्ट्स लिथो वर्क्स जिसमें मशीनरीज लगी हुई है और जिसकी ख्याति एशिया भर में है जैसी कि एशिया में कहीं नहीं है। 1959 में जवाहर लाल जी नेहरू वहां आये थे और उन्होंने वहां शिवजी के पुतले का उद्घाटन किया था। लेकिन 6 साल से वह फेक्ट्री बन्द है। अभी हमारे जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं श्री बसंत साठे, जो मजदूरों के नेता रहे हैं उन्होंने अपने जमाने में उस फेक्ट्री के बारे में बहुत कोशिश की थी कि वह उद्योग चले लेकिन वह उद्योग अभी तक बन्द पड़ा है। इस संदर्भ में भी मंत्री जी ध्यान दें।

आज प्रश्नोत्तर काल में मन्त्री महोदय ने बताया था कि औद्योगिक दृष्टि से जो पिछड़े इलाके हैं उनमें रेल लाइनें बिछाने पर वे विचार कर रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्रों में चन्द्रपुर, नागभीड़, गोन्दिया, जबलपुर की जो रेल लाइन है यह नेरो गेज रेल लाइन है। इसको ब्राडगेज में कंवर्ट करने के लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरह से आपके पास प्रपोजल आये हैं और रेलवे विभाग को भी गये हैं। हमारे चन्द्रपुर और भण्डारा में कोयला है, मिनरल हैं और बड़ी मात्रा में लकड़ी है। इसलिए इस लाइन का ब्राडगेज में कंवर्शन बहुत जरूरी है। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारा आदिवासी एरिया है और आदिवासियों के हित के लिए हमारी सरकार और हम कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि उद्योग मन्त्रालय की ओर से रेल विभाग को रिकमण्ड किया जाए कि उस नेरो गेज रेल लाइन को ब्राडगेज में परिवर्तित किया जाए। इससे उस चन्द्रपुर और भण्डारा के आदिवासी इलाके का विकास तो होगा ही साथ ही आन्ध्र और कर्नाटक से जो गाड़िया कलकत्ता जाती हैं वे अगर गोंदिया और जबलपुर हो कर जाएंगी तो साढ़े तीन सौ किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और मदास से कलकत्ता और कलकत्ता से मद्रास जा कर जो बिकता है उसके भाव भी कम हो जाएंगे।

ये सब बातें कहते हुये मैं उद्योग मन्त्री जी से कहूंगा कि वे हमारे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं,

योग्य मन्त्री हैं वे इन बातों पर विचार करें। हमारे जैसे युवक जो इंदिरा जी के कुशल नेतृत्व में इस सदन में आये हैं वे चाहेंगे कि उद्योग मन्त्रालय को आप गति प्रदान करें और गति ही विकास का सार तत्व है।

इतना बोलते हुए मैं इन अनुदान की मांगों की समर्थन करता हूं।

**श्री मेराबदन के० गधावी** (बनास कांठा) सभापति महोदय, सर्व प्रथम हमारे उद्योग मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्हें जो विरासत उन्हें मिली थी वह उससे उनका मंत्रालय संकट में था।

भूतपूर्व उद्योग मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीस ने जिन्होंने कल यहां बड़े जोर-शोर से भाषण दिया एकाधिकार के विरुद्ध बात कही परन्तु अपने कार्यकाल में उन्होंने दोहरा स्तर अपनाया। जब वे बोल रहे थे और हम सुन रहे थे, तभी मुझे मिड समर नाइटस में श्री वाटम का एक कथन याद आया जिसमें एक शेर बुलबुल की तरह से बोला करता था।

जब श्री जार्ज फर्नान्डीस उद्योग मंत्री थे तो वे बड़े एकाधिकारियों के विरुद्ध दहाड़ा करते थे परन्तु उनकी दहाड़ बड़े एकाधिकारियों के लिये इतनी मीठी थी कि वे इसे ऐसे सुन रहे थे मानों कि यह बुलबुल की आवाज थी। (व्यवधान) वह बुलबुल की तरह से बोल रहे थे। न कि शेर की तरह दहाड़ रहे थे।

यह अच्छा लक्षण तथा अच्छी बात है कि अब औद्योगिक विकास की प्रवृति है। परन्तु मैं आपको बताऊं कि अब हमें एक विभिन्न सिद्धांत पर कार्य शुरू करना हैं। जो लोग उन पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे हैं जहां कोई उद्योग नहीं चल रहा है वहां इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र के विकास के लिए तुरन्त कुछ किया जाएगा। मेरे सभी बुद्धिमान मित्र इस बारे में बोल चुके हैं और मुझे भी उनके साथ उसकी चिन्ता है। उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की गई थी जो क्षेत्र पिछड़े हैं। उस समिति की अनेक बैठकें हुई परन्तु अभी तक उस समिति ने अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है। अन्ततः उन्हें किस बात का पता लगाना है। केवल क्या एक क्षेत्र पिछड़ा है या नहीं। आप अपनी आंखों से यह देख सकते हैं कि वे कौन से क्षेत्र हैं जो औद्योगिक रूप से पिछड़े हुये हैं। जब हम यह पूछते हैं कि एक विशेष क्षेत्र को राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार राज-सहायता योजना के अन्तर्गत पिछड़ा क्षेत्र क्यों घोषित नही किया गया है तो यह बताया जाता है कि वहां मूलभूत सुविधायें नहीं हैं। क्या उस व्यक्ति के लिये मूलभूत सुविधाओं को स्थापित करना संभव है। जो लघु उद्योग या मध्यम उद्योग स्थापित करना चाहता है? क्या एक व्यक्ति के लिये मूलभूत सुविधाओं को स्थापित करना संभव है। यदि ऐसा बहाना बताया जाता है तो मैं आपको बताऊं कि यह उचित बात नहीं है।

गुजरात राज्य ने—मैं भी गुजरात का हूं—वहां एक पेट्रो-रसायन उद्योग लगाने के लिए कहा है और इसके लिए एक लाइसेंस के लिए कहा है। किन्तु केन्द्र से कोई उत्तर नहीं मिला है। गुजरात में इसकी बड़ी सम्भावना है और अच्छी गुंजाइश है। वहां अनेक उद्योग लगाये जा सकते हैं। आज की स्थिति में जब कि कृषि पर हमारे देश में काफी बोझ है और जमीन बढ़ नहीं सकती है तो लघु उद्योगों तथा मझौले उद्योगों की स्थापना से बड़ी राहत मिलेगी और रहन-सहन के स्तर को उठाने में सहायता मिलेगी तथा इसकी औद्योगिक विकास में और राष्ट्रीय

आय में योगदान भी होगा। इस सम्बन्ध में जिस बात पर में जोर देना चाहता हूं। वह यही है। जैसा कि मेरे कुछ मित्रों ने सही कहा है कि रेलवे मंत्रालय उद्योग मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय के बीच अधिक अच्छा समन्वय होना चाहिए। इन सभी मंत्रालयों द्वारा ठोस और समन्वित प्रयत्न किया जाना चाहिए। अन्यथा केवल बहाने ही बनाये जायेंगे। विद्युत क्यों नही ? क्योंकि कोयला नहीं है। क्यों कोयला उपलब्ध नहीं है ? क्योंकि गाड़ो का डिब्बा नहीं हैं ? कुछ और भी नहीं है। अतः हम कोयला क्षेत्रों के निकट बिजली घर स्थापित करने की सोच रहे है। किन्तु यह उद्योग पर लागू नहीं होगा क्योंकि हमें समस्त देश में उद्योग लगाने हैं और उद्योगों का एक मधुमक्खियों का छत्ता सा बनाना है। इसके लिए देश के सुदूर कोनों को देखना हैं। हमारा क्या अनुभव रहा है ? हम उद्योगों के बारे में बहुत कहते हैं। मैं आलोचना नहीं करता किन्तु मैं यह केवल बताना चाहता हूं। जब लघु उद्यमकर्ता जिला एकक अथवा राज्य एकक में या अन्य अधिकारियों के पास मार्ग दर्शन के लिए जाते हैं तो उन्हें उचित नहीं मिलता है। यदि तकनीकी इंजीनियर एक छोटा एकक स्थापित करना चाहते हैं तो वे इसे स्थापित करने की स्थिति में नहीं होते हैं उन्हें उचित आंकड़े, उचित सूचना, उचित वित्तीय सहायता तथा कई अन्य चीजें नहीं मिलती हैं। जैसा कि मेरे कुछ मित्रों ने सही कहा है कि वे बड़े एकाधिकारी गृह प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः लघु तथा मझौले उद्योगों के विकास को रोक रहे हैं। अतः इस पहलू पर ध्यान देना होगा।

टाटा, बिरला साबुन बना रहे हैं। वे ट्रक भी बना रहे है। किन्तु ट्रकों पर लाभांश देखिए। ड्राइवर वह व्यक्ति है जिसे मालिक-ड्राइवर के रूप में पहले ध्यान दिया जाना है। किन्तु ट्रक 40,000 रुपये के लाभांश से बेचे जा रहे हैं। क्या हम इसे रोक रहे हैं ? केवल उन लोगों को जो अपना पंजीकरण करते हैं और जिनके पास रुपया है, यह मिलता है किन्तु गरीब और जरूरतमंद लोगों को यह नहीं मिल रहा है। यह केवल चोर बाजारी करने वालों, मुनाफाखोरों और एजेन्टों को मिलता है जो कि इससे रुपया कमाते हैं। महोदय, इस सम्बन्ध में भी कुछ किया जाना है। मुझे अपने चुनाव क्षेत्र बम्बई के बारे में मालूम है कि वहां कई टैक्सी ड्राइवर हैं और कई लोगों ने ट्रकों के लिए आवेदन पत्र भेजे हैं। उनका पिछले 3 या 4 या 5 वर्षों से पंजीकरण हो रखा है किन्तु उन्हें मिला नहीं रहा है। यदि आप 40,000 रुपये दें तो आपको मिल जायेगा।। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को तथ्यों के बारे में मालूम हो और उन्हें इस धांधली को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए।

महोदय, जहां तक पेट्रो-रसायनों का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही कहा और मैं इसे दोहराऊँगा। गुजरात सरकार ने पेट्रो-रसायन उद्योग के लिए एक लाइसेंस के लिए कहा है। इस पर भारत सरकार ने अभी स्वीकृति नहीं दी है। मैं इस बात पर जोर नहीं देता हूं कि इसे पूरी तरह से राज्य सरकार के क्षेत्र में होना चाहिए। केन्द्र का भी इसमें हिस्सा होना चाहिए बड़ौदा में केन्द्रीय सरकार का एक डी० पी० सी० है प्रतियोगिता होनी चाहिये ताकि हमें मालूम हो कि कौन अच्छा काम कर रहा है। उद्योगों में स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस बात पर भी ध्यान देंगे।

बीमार एककों का जहां तक सम्बन्ध है एककों को रुग्ण बनाने की प्रवृत्ति तथा ताला-

बन्दी आदि घोषित करने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। महोदय, यह आश्चर्य की बात है कि वे मालिक जो उन रुग्ण एककों का प्रबन्ध कर रहे हैं जिन्हें अन्ततः सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था, आर्थिक दृष्टि से कभी बीमार नहीं हुए। वे मोटे हो गये और इस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, मैं जानता हूं कि समय बहुत कम है और मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं। एक पहलू के बारे में मैं आपसे कहूंगा। कृषि उद्योगों के बारे में अधिक जोर दिया जाना चाहिए ताकि कृषि का कृषि-उद्योगों के साथ अच्छा संयोजन हो। इसमें काफी गुंजाइश है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था दृढ़ बनेगी जिससे ग्रामीण गतिविधियों को बढ़ावा एवं बल मिलेगा। इस समय हम काफी हल्ला-गुल्ला सुनते हैं कि शहरों की ओर बहुत से लोग भाग रहे हैं और बड़े शहरों में काफी भीड़-भाड़ हो गई है। चन्द देश के विभिन्न भागों में तथा देश के सुदूर भागों में हम कृषि-उद्योग स्थापित कर सकें तो मैं समझता हूं कि आबादी के घनत्व की समस्या तथा बड़े शहरों में आबादी के संकेन्द्रण की समस्या, जिससे कई बुराइयां पैदा होती हैं, कुछ हद तक हल हो जायेगी। अतः इस बात पर भी मैं सरकार से कहूंगा कि वह इसका उचित ख्याल करे और इस प्रश्न पर उचित ध्यान दें।

बनास कांठा जिला, जिसका इस सभा में प्रतिनिधि होने का मुझे गर्व है, एक पिछड़ा जिला है। इसे पिछड़ा जिला घोषित किया जाना चाहिए और मैंने प्रधान मंत्री को जब वह अम्बाजी में थी, लिखा था। मुझे जो उत्तर मिला वह यह यह था कि इस पहलू की एक समिति जांच करेगी। मुझे आशा है कि आप इस मामले पर शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

उत्तरी गुजरात औद्योगिक दृष्टि से राज्य का एक बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। कहा जाता है कि गुजरात औद्योगिक दृष्टि से अच्छा उन्नत राज्य है। किन्तु मेरा आपसे कहना यह है कि आपके सभी उद्योग राष्ट्रीय राजमार्गों अथवा राज्यमार्गों के दोनों ओर हैं और न कि सुदूर गांवों में हैं। वे केवल राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकसित हुये हैं जिस प्रकार सड़कों के दोनों ओर बागान होते हैं और उनके पीछे सभी बंजर होता है। जैसलमेर का ही मामला ले लीजिए अथवा बाड़मेर या बनासकांठा जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों को ही लीजिए। इन स्थानों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कभी-कभी तो यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम यहां किसी विशेष क्षेत्र के बारे में कहते हैं किन्तु जो लोग इसके प्रभारी हैं यह नहीं जानते कि हमारे देश में वह क्षेत्र कहां है। यह बड़ी ही दुख की बात है और कभी-कभी हमें बड़ी लाचारी आती है। मुझे आशा है कि जैसा वर्तमान सरकार का उत्साह है हमें ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अतः इन अनुदानों का समर्थन करते हुए, मैं नहीं समझता कि मैं समय के अन्दर अनेक बातों को कह सकूंगा। क्योंकि आप घंटी बजा देंगे और मुझे बैठना पड़ेगा अतः मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि उन्हें तीन या चार मंत्रालयों के बीच उचित समन्वय बनाने के लिए ठोस प्रयत्न करने चाहिए क्योंकि उनका इस मंत्रालय से अन्तर-संबंध है। एक बड़े सिद्धान्त की बात होनी चाहिए। बड़े-बड़े एकाधिकारी गृहों, बड़े-बड़े व्यापारियों का सम्मान हो और छोटे-छोटे उद्यमी, छोटे-छोटे लोग भी उद्योग मंत्री के कार्यालय या किसी अन्य कार्यालय में नंगे पांव

जाये और उनके साथ भी वही बर्ताव किया जाये जो इन बड़े-बड़े व्यापारियों के साथ किया जाता है। जब तक आप यह नहीं करते तब तक मैं नहीं समझता कि हम देशका उस प्रकार से विकास कर पायेंगे जैसा हम चाहते हैं। हम यह अवश्य ही सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आवश्यक वस्तुओं का अधिक उत्पादन हो। इस सम्बंध में उत्पादन वृद्धि के लिए ऐसे प्रयत्न किये जायें जिनमें कम व्यय करना पड़े।

मुझे आशा है कि उद्योग मंत्री इस बारे में ठोस प्रयत्न करेंगे। उन्हें पहले कोयले के पहलू पर देखना होगा कि इसे उन क्षेत्रों को भेजा जाये जहाँ यह उपलब्ध नहीं है अथवा गुजरात, राजस्थान और अन्य भागों जैसे क्षेत्रों को भेजा जाये जहां यह जल्दी नहीं पहुंच सकता है। अब सूरज और लहरों से ऊर्जा पैदा करने का अनुसंधान चल रहा है। हमें अपनी सौर ऊर्जा पर बहुत अधिक निर्भर करना है। यदि हम इस देश से गरीबी हटाना चाहते हैं तो परमाणु-ऊर्जा इस देश के लिए ऊर्जा वैकल्पिक स्रोत होगा।

हम सभी की इसके लिए निष्ठा है। अतः मेरा निवेदन है कि इन सभी पहलुओं पर उद्योग मंत्रालय द्वारा विचार करना होगा। हमने इस संसद में मंत्री की लगन और उत्साह को देखा है। अतः मुझे आशा है कि वह इन पहलुओं पर उचित ख्याल रखेंगे तथा उन पर पूरा ध्यान देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (वडागरा)** : सभापति महोदय, मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि मेरे पास समय कम है। अतः मैं अपने भाषण में नीति सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण एवं प्रमुख बातों का ही उल्लेख करूंगा और मैं उनके बारे में विस्तार से नहीं जाऊँगा यद्यपि इसकी काफी गुंजाइश है तथा इसकी इच्छा होती है। हम यहां इस महत्वपूर्ण मंत्रालय की मांगों के बारे में प्रधान मंत्री श्रीमती—इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में, जिन्हें भारी बहुमत मिला, बनी नई सरकार बनने के छः महीने बाद वाद-विवाद कर रहे हैं। इस अवसर पर सभा को यह जानने का हक है कि सरकार की औद्योगिक नीति की क्या रूप-रेखा है तथा उसमें क्या विस्तृत बातें हैं।

मुझे इस बात की जानकारी है और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि मंत्री महोदय तथा उनके मंत्रालय के पास उपलब्धियों के लिए पर्याप्त समय नहीं था क्योंकि वे केवल छः महीने पहले ही आये हैं। किन्तु यह जानने का अवसर है कि नई नीति की विस्तृत रूपरेखा क्या है। साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं और जो अधिक महत्वपूर्ण है कि जो मूल औद्योगिक नीति गत तीस वर्षों में अपनाई गई है उसमें क्या संशोधन करने का विचार है अथवा किये जा रहे हैं।

महोदय, इस नीति का जो 1956 के औद्योगिक नीति सकल्प, के फलस्वरूप अपनाई गई थी स्वतंत्रता आन्दोलन एक ऐतिहासिक आधार था क्योंकि 1930 से आरम्भ होने वाले दशक को करांची कांग्रेस अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय कांगेस ने राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के रूप में एक आर्थिक कार्यक्रम अपनाया था जिसमें न केवल इस पक्ष का ही नहीं किन्तु दूसरे पक्ष का भी योगदान था और बाद में इसे योजना प्रक्रिया में शामिल किया गया। इस कार्यक्रम को स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के समक्ष रखा था;

अतः 1956 का यह औद्योगिक नीति संकल्प एक खिलवाड़ की वस्तु नहीं है।

इसका एक आधार है। इसकी जड़ें हैं। इसमें देश की न केवल वर्तमान आवश्यकताओं का किन्तु, मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ दशकों के लिए समाधान है। इनका अर्थ यह नहीं है कि देश स्थायित्व की स्थिति में है और आगे की ओर कोई गति नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी कोई विचार नहीं है। यही कारण है कि औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में जो परिवर्तन के बारे में फुसफुसाहट अथवा सरकार में जो जोर-जोर की बातें हो रही हैं उससे मुझे चिंता हो रही है।

इसीलिए तो पिछले दो वर्षों तक जो लोग इस ओर की बेंचों पर बैठे रहे थे, उनकी सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता और हम में से कुछ ने इस नीति की दिशा परिवर्तन के लिए, ग्रामीणवाद के प्रस्तावकों या व्याख्याताओं के पहले के प्रयत्नों का डटकर विरोध किया था।

महोदय, अब मैं विशेषरूप से समाचार-पत्रों में दिये गये कुछ समाचारों का उल्लेख करूंगा। मैं उस दस्तावेज से उद्धृत करता हूं जो कि 18 जुलाई के 'बिजनेस स्टैन्डर्ड' में छपा है और जिसे योजना आयोग तथा उद्योग मंत्रालय के बीच विचार-विमर्श का पृष्ठ भूमि-टिप्पण कहा जाता है। महोदय मैं जानता हूं कि यह एक उच्च वंशावली-दस्तावेज है। मैं यह भी जानता हूं कि इस दस्तावेज के पीछे राष्ट्रीय विचारधारा से कहीं अधिक सम्भवतः अन्तराष्ट्रीय बहुधारावाद काम कर रहा है। मुझे इस तथ्य की भी जानकारी है कि विश्व-बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-निधि अर्थव्यवस्था में संरचात्मक फेर-बदल की मांग करते रहे हैं तथा इस पहलू के बारे में पत्र व्यवहार एवं बातचीत भी करते रहे हैं। परन्तु तत्काल मैं जिस बात से चिंतित हूं तथा जिसे मैं उद्धृत करता हूं—प्रथमतः श्री मराठे की बात उद्धृत करता हूं :

> "श्री मराठे ने बैठक में कहा था कि औद्योगिक नीति संकल्प का पुनरीक्षण करना आवश्यक हो सकता है, जिसे विभिन्न ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों आदि में तैयार किया गया था।"

साथ ही "डा० मनमोहनसिंह ने निजी-क्षेत्र के लिए एक मामला भी तैयार किया था। उनका कहना था कि छठी योजना को साधनों की भारी कमी के अन्तर्गत काम करना पड़ेगा और औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी-क्षेत्र के विस्तार बहुत ही चयनात्मक रूप में करना होगा तथा उनका यह भी कहना था कि सरकारी क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विस्तार न करना भी, तर्क सम्मत है।" टिप्पण में आगे कहा गया है कि निजी-क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों में जिनमें आधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है और जहां उद्योगों के पनपने में लम्बी अवधि लग सकती है। भारी मात्रा में निवेश करने की स्थिति में है और भी बहुत सी बातें कहनी है, परन्तु इन सब बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं।

संक्षेप में यही समस्या है। हम इस देश में क्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं? क्या यह सरकार बुद्धि विहीन है या क्या मन्त्री महोदय—मैं मानता हूं कि वे बहुत ही व्यस्त व्यक्ति हैं—के पास अपना मस्तिष्क लगाने का समय है अथवा उनके दल या नेताओं ने इस समस्या पर दिमाग लगाया है? मुझे इस तथ्य की भी जानकारी है कि औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की कमी परिवहन संकट इत्यादि जैसी प्राकृतिक बाधाएं हैं परन्तु इतना कुछ होते हुए क्या आपकी कोई नीति है? क्या आपने नीति में परिवर्तन किया है? जो कुछ मैं कहना चाहता हूं और जोरदार

शब्दों में कहता हूं वह है कि 1956 के औद्योगिक नीति-संकल्प के पथ को बदलने के स्पष्ट प्रयास चल रहें हैं। योजना प्रक्रिया और 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में जैसा निहित है, हमारी औद्योगिक नीति का उद्देश्य केवल राष्ट्रीय उत्पादकता को बढ़ाना और स्वावलम्बी विकास प्राप्त करनानहीं है, परन्तु आय का समान वितरण तथा सामाजिक समानता लाना भी है। आपके केन्द्रीकरण के सम्बन्ध में महानोलोबिस समिति ने भी एक जोरदार बात कही थी और औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति समिति ने भी आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को रोंकने की बात कही थी। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, इसमें विशाल सामाजिक उद्देश्य निहित था जो कि राष्ट्रीय आन्दोलन के द्वारा स्वयं राष्ट्र के समक्ष रखे गये लक्ष्यों से प्रकट होता है। और जिसे जवाहर लाल नेहरू के हाथों में नया स्वरूप दिया गया तथा जिसका इसके पश्चात देश की आगे आने वाली सरकारों ने अनुसरण किया। इस प्रयास और परिप्रेक्ष्य के ही कारण हम न केवल सरकारी क्षेत्र का एक पर्याप्त विस्तार कर सके है तथा अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक नहीं किन्तु काफी प्रगति कर पाये, परन्तु इस देश में हमने प्रौद्योगिक जन-शक्ति का तीसरा सबसे बड़ा भण्डार बनाया है। यह एक मुख्य और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं। यह आत्म-निर्भरता और स्वावलम्बी विकास से निकट रूप से सम्बद्ध हैं। मैं क्षुब्ध हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत से सरकारी क्षेत्र के संगठनों में, हमारे बहुत से अभियन्ताओं और वैज्ञानिकों को हतोत्साहित किया जाता है। मेरा विऐार था कि इस सरकार के आने पर और भूतपूर्व सरकार के जाने से ऐसी सभी समस्याएं हल हो जायेगी, परन्तु ठीक इसके विपरीत मैं देखता हूं कि आज जैसा उनका मनोबल इतना कभी नहीं गिरा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि1960 से आरम्भ होने वाले दशक के अन्त में और 1970 से आरम्भ होने वाले दशक के आरम्भ में भी सरकारी क्षेत्र की इसी प्रकार बुरी हालत थी परन्तु इसके आगामी 3 या 4 वर्षों में उनका पोषण किया गया और उसका विकास किया गया जिससे पहले के परिणामों की तुलना में पर्याप्त लाभ प्राप्त हुआ। 1971 के बाद इनका श्रवन धसरकार ने सम्भाला तथा इन सरकारी उपक्रमों का कुल लाभ 1970-71 के 146 करोड़ रुपये से बढ़कर 1975-79 में 668 करोड़ रुपये हो गया जो कि 290 प्रतिशत वृद्धि है और 306 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ है जो कि लगभग 1400 प्रतिशत की वृद्धि थी जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है परन्तु योजनाकारों और अधिकारियों ने हमें बताया है जो कुछ उन्होंने कहा है मुझे वह तो ठीक से तो याद नहीं परन्तु इन रिपोर्टों से यह स्पष्ट है कि सरकारी-क्षेत्र की योजना बद्ध नियमित रूप से बदनामी करने की चाल चली जा रही है। मैं यह तो नही जानता कि क्या हम कृषि को फिर से प्राथमिकता प्रदान करेंगे जो कि जनता सरकार का मुख्य विषय था। आज हमारी क्या स्थिति है ? मुझे इसका स्पष्ट उत्तर चाहिए। क्या आप चारों ओर से पड़ने वाले दवाब के समक्ष हथियार डाल देंगे ? क्या आप 1956 के समय के परीक्षण पर सही उतरे औद्योगिक नीति संकल्प से पीछे हट रहे हैं या आप आगे बढ़ना चहाते हैं? महोदय, भारत हैवी-इलैक्ट्रिकल्स तो एक गौरव संयन्त्र है, जिसे बड़ी सावधानी से खड़ा किया गया है। मैं गर्व से कहता हूं कि यह भारत में सरकारी क्षेत्र एक महानतम उपलब्धि है। आज उनकी आदेश पुस्तकाएं खाली पड़ी हैं। इसके विपरीत ऐसे उपस्करों के आयात के प्रयत्न किए जाते है जो कि यहाँ तैयार हो सकते हैं। और उस दिन हमारे मन्त्री महोदय —श्री गनी खान चौधरी ने यहां तक कह गये कि "वे बिजली घरों को विदेशी विशेषज्ञों को सौंप देंगे।" मुझे वास्तव में आश्चर्य

हुआ। परन्तु वे तो यही कहते आ रहे हैं। वे तो यहां तक कह गये कि हम उन्हें बिजली संयन्त्रों को चलाने के लिए आमन्त्रित करेंगे। यह एक नवीन अभ्यास है। यदि विधि और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती है तो क्या आप पुलिस और अपराध विज्ञान के विशेषज्ञों को बाहर से बुलायेंगे क्योंकि इसका तो यही अर्थ हुआ।

महोदय विकासात्मक प्रक्रिया में भी अन्यथा पहले से ही बहुत सी विकृतियां है। मन्त्री महोदय अब यहां नहीं हैं। वे तो स्वयं भी एक अर्दशास्त्री हैं। विकास की प्रक्रिया की प्रथम समस्या भारतीय उद्योग क अधिक पूंजी की आवश्कता है। आई० सी० आई० सी० आई० के एक अध्ययन के अनुसार 1968 में प्रत्येक कार्य के लिए यह लगभग 32,980 रुपये थे लगभग थी और अब बढ़कर यह 48,000 रुपये के आस-पास चली गई होगी। परन्तु मैं तो यही कहूंगा कि न केवल अधिक पूंजी आवश्यकता और न ही क्षमता का उपयोग ही एक प्रमुख समस्या है। परन्तु भारतीय उद्योग के मांग के स्वरूप में कुछ ऐसी कठिनाईयां हैं। जो चली आ रही हैं मैं जिस एक समस्या पर सदैव बल देता रहता हूं। वह है मांग का स्वरूप उद्योगों के क्षेत्र में विशेषकर निर्मित वस्तुओं को खरीदने के लिए लोगों के पास साधन और क्षमता नहीं है यदि बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो इसका यही अर्थ निकलता है। उदाहरण स्वरूप 1969 में औद्योगिक वस्तुओं के कुलशहरी विपणन में से जो कि 1600 करोड़ रुपये का था 568 करोड़ रुपये का उपभोग (अथवा 35 ०/०) का उपयोग 10 ०/० शहरी अमीर लोगों ने किया और फिर 4600 करोड़ रुपये के ग्रामीण विपणन में से 10०/० ग्रामीण धनिकों ने अर्थात 1724 करोड़ रुपये या 37.6 प्रतिशत के बराबर वस्तुओं का उपयोक किया। अतः भारतीय उद्योग का यह मुख्य कठिनाई है। मांग के स्वरूप की यही मुख्य विकृति है। अतः महोदय जब तक आप कृषि क्षेत्र में भूमि सुधार जैसे दूरगामी अन्तर सम्बन्धित परिवर्तन नही कर देते जब तक आप धन का जनता की जेबों तक नहीं पहुंचा देते, तब तक भारतीय उद्योग के विकास में सदैव ये ही प्राकृतिक बाधाएं सक्रिय रहेगी। दूसरे जिस मुद्दे पर मैं बल देना चाहता हूं वह है क्षेत्रीय असन्तुलन। महोदय मैं तो विनियामक व्यवस्था का हमारी औद्योगिक नीति के संदर्भ में एक अर्थ एवं विषय वस्तु है। परन्तु मैं मोटर-गाड़ियों के मूल्य-नियन्त्रण की तरह के नौकर शाही नियन्त्रण के विरुद्ध हूं। इसका क्या महत्व है क्योंकि मैं यह नहीं समझ पाया कि एम्बेसडर कार को 75,000 या 80,000 रुपये में बिके इसकी हमें क्या चिन्ता है जैसे बाजार स्तर पर अपनी कीमत स्वयं प्राप्त करनी चाहिए। देखना यह है कि इस मूल्य नियन्त्रण से किसे लाभ मिलता है? कुछ क्षेत्रों में सीमेंट की कीमतें नियन्त्रित की गई हैं। हो सकता है सीमेन्ट के कुछ उत्पादन को सरकार निश्चय ही अपने हाथ में ले ले। परन्तु जो कुछ यहां के सीमेंट उत्पादकों को दिया जा रहा है सरकार उससे कहीं ऊंचे दामों पर अधिक धन देकर सीमेन्ट का आयात करने की इच्छुक है, चाहे ये उत्पादक बड़े व्यवसायी घराने ही के क्यों न हों। इह प्रकार की नौकरशाही नियन्त्रणों से काले धन को बढ़ावा मिलता है और इससे न केवल समस्त अर्थव्यवस्था को ही हानि पहुंचती, अपितु इससे आय के स्तरों में विरोध उत्पन्न होता है। अतः यदि हमें इसका सामना करना है तो यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि वे विनियामक व्यवस्था पर एक बार आवश्यक दृष्टिपात करे परन्तु जैसा कि मैंने पहले ही परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना होगा जिसके साथ खिलवाड़ नही किया जा सकता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस ने एकाधिकारियों और बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों की बात की है। बहु-राष्ट्रीयों के प्रश्न पर अक्सर अनेक बार यह कहा गया है कि यहां तक कि रूस ने भी फियेट या मोनसान्टों केमिक्लस जैसी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को निमन्त्रित किया है। परन्तु सोवियत रूस ने समाजवादी क्रांति और विकास के लिए 40 वर्ष बाद सशक्त प्रौद्योगिक एवं भौतिक आधार पर एक व्यापक पूंजी आधार खड़ा किया है जो उस देश की अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं को खोये बिना या उसमें परिवर्तन किये बिना विदेशी प्रौद्योगिकी को आत्मसात कर सकती है। परन्तु हम इस देश में अभी तक उस अवस्था में नहीं पहुंच पाये हैं, जहां हम बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों की बड़े पैमाने पर भागीदारी को वहन कर सकें, जब तक कि निर्यातजन्य विकास की आवश्यता हो। मैं जानता हूं कि हम पर दबाव है। विश्व-बैंक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन की मांग कर रहा है। परन्तु, महोदय, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, आत्मनिर्भरता ही हमारा लक्ष्य है और आत्मनिर्भरता एक निश्चित अवधि में तभी प्राप्त की जा सकती हैं, यदि हम ऐसी नीतियों का पालन करें, जिसमें हमारे अपने अभियन्ताओं, हमारे अपने डिजाइनरों, हमारे अपने विज्ञानिकों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक मुख्य भूमिका निभाने का अवसर मिले, विशेषकर भारी उद्योग क्षेत्रों में। परन्तु आज आप देखते क्या हैं? आप पायेंगे कि जो भी डिजाइन संगठन हमने बनाये हैं, उन्हें हमें वापिस निजी क्षेत्र अर्थात बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को देना चाहते हैं यहां यह बताना अत्यंत संगत जान पड़ता है क्योंकि मैं यह सदन को भी बताना चाहता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि पेट्रोलियम मन्त्री यहां उपस्थित हैं।

जहां तक उर्वरक निगम की बात है अनुसंधान और अभिकल्प कक्ष में हमारे यहां अनेक मेधावी, प्रतिभाशाली अभियन्ता हैं और एफ० ए० सी० टी० के एफ० इ० डी० ओ० डिजाइन कक्ष में भी उन्होंने 7 या 8 उर्वरक संयन्त्रों का डिजाइन बनाया गया है। इसमें लगभग 95 प्रतिशत का इन्हीं लोगों ने डिजाइन पूर्णतया बनाकर तैयार किया था। अब हम देखते हैं कि वे बिना रोजगार के हैं, क्योंकि यूरिया के जो नये संयन्त्र हम लगाना चाहते हैं, मुझे बताया गया है कि उन्हें 'स्नाम प्रोगति' को सौंप दिया गया है और अमोनिया संयन्त्रों को अमरीकी बहु-राष्ट्रीकों को सोंपा गया है। मैं नहीं समझता कि क्या न्यूनतम लाभों के लिए हम इस ढंग से बहु-राष्ट्रीक प्रौद्योगिकी को आमन्त्रित करके अपना विकास कर सकेंगे। इस पर आप सदैव तर्क दे सकते हैं। परन्तु इन लोगों का क्या होगा? जैसा कि श्री वी० एन० गाडगिल ने पिछले दिन एच० ए० एल० के बारे में बताया था, इसका प्रभाव औद्योगिक उत्पादन और उसके कार्य-कलापों के समग्र क्षेत्र पर पड़ रहा है। हम अपने अभीष्ट लक्ष्यों और आत्मनिर्भता की नीति से पीछे हट रहे हैं। अतः मुख्य प्रश्न यह है कि हम कौन सी नीति अपनाना चाहते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि विकास की इस अवस्था में आप उस नीति से भिन्न कोई दूसरी नीति नहीं अपना सकते जो कि हमारी नीति रही थी। मैं यहां यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि कल जो नियंत्रण आवश्यक था वह आज भी जारी रहना चाहिये। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

बजट के दौरान वित्त मंत्री महोदय की घोषणा से मुझे कुछ थोड़ा सा आश्चर्य हुआ जिसमें उन्होंने बड़े व्यवसायियों को खुली गारंटी दी कि यदि सरकार सार्वजनिक वित्त संस्थाओं से धन लगाए तो भी सरकार निजी क्षेत्र का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसा पहले तो किसी भी

मंत्री ने नहीं कहा था, यह उनकी नीति का अंग नहीं था। इस परिवर्तन का गंभीर प्रभाव पड़ेगा। कुछ भी तर्क क्यों न हो, आपका कहना है कि आप कहीं भी उनकी तुलना नहीं कर सकते। दूसरी ओर आप कहते हैं कि आप प्रत्येक बीमार प्रतिष्ठान, उपक्रम को अपने हाथ में ले लेंगे। हाल ही में 23 मार्च को इसी सदन में उद्योग मंत्री महोदय ने, जो कि अब अनुपस्थित हैं, कहा था कि वे कुमार धूबरी इन्जिनियरिंग वर्क्स को अपने हाथ में ले लेंगे। उन्होंने एक आश्वासन दिया था परन्तु अब मुझे बताया गया है कि उसे फिर निजी क्षेत्र को सौंपा जा रहा है। मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि समय आ गया है कि लोग यह अनुभव करें कि जिस मुख्य आधार को हमने अपनाया था उससे किसी भी प्रकार हम दूर नहीं हुआ जा सकते हैं।

**श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव)** : माननीय सभापति महोदय, मैं इस माननीय सदन में एक ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं जो कि केवल आर्थिक विकास की आधार शिला ही नहीं है बल्कि हमारे सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, वैज्ञानिक विकास, रक्षात्मक विकास और आत्मनिर्भरता के आधार पर प्रभावित वैदेशिक नीति की आधार शिला है। किसी भी देश की औद्योगीकरण की नीति को देखने के लिए कि यह कहां तक सफल रहीं है। हम उसकी सफलता को तभी देख सकते हैं जब कि हम यह देखें कि विकास की दर क्या रही है, औद्योगिक विकास की गति क्या रही है। इस संदर्भ में हम को भारत की विकास दर को तीन अवधियों के अन्दर देखना होगा। पहली है 24 मार्च 1977 से पहले की अवधि, फिर 24 मार्च 1977 के बाद जनवरी 1980 के बीच की अवधि और जनवरी 1980 के बाद की अवधि। इस प्रकार जब हम देखते हैं तो इस माननीय सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने आलोचना और समालोचनाएँ की हैं। इस बारे में सदस्यों ने तरह तरह की बातें कही हैं। हमारे विरोधी पक्ष के साथियों ने कहा है कि उनकी सरकार के जमाने में उद्योगों में काफी प्रगति हुई है। मैं केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि अगस्त 1979 में हम यह देखते हैं कि जो सूचक अंक था, वह अन्तिम छः माहों के अन्तर्गत 006 प्रतिशत था जब कि उसी अवधि में सन् 1977-78 के बीच में वह 7·7 प्रतिशत था। इस तरह से औद्योगिक विकास की जो गति रही है, उद्योगीकरण की जो दर रही है, वह हम देखते हैं कि इसके पहले अर्थात् जनता पार्टी की सरकार जब पदारूढ़ हुई, उसके जमाने में औद्योगिक विकास की गति में कमी आई है। इसलिए हम यह मानते हैं कि कल जो हमारे माननीय जार्ज फर्नांडीज, जो यहां बहुत जोरों से औद्योगिक नीति के बारे मे बोल रहे थे, आज वे इस माननीय सदन में हमारी बात सुनने के लिए नहीं आए हैं, उनके जमाने में औद्योगिक विकास में कमी आई थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक भारतीय औद्योगिक विकास का सवाल है, श्रीमति इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में विकास की गति में वृद्धि हुई थी और हम औद्योगिक उन्नयन की तरफ जा रहे थे लेकिन जनता पार्टी के ढाई वर्ष के शासन में औद्योगिक विकास पीछे गया है, उसकी अधोगति हुई है।

हम इस चीज को दो पक्षों में देखना चाहते हैं। एक भारी उद्योगों की नीति और दूसरी लघु उद्योगों की नीति। माननीय सदस्यों ने यहां पर भारी उद्योगों में भारी संरक्षण की बात कही है। जो भारी उद्योग चलते है, उनमें क्या हमारी सरकार ने मदद की थी ? और ढाई वर्ष

की जनता पार्टी की अवधि में उसने क्या खर्च किया था ? मान्यवर जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो 1976-77 की अवधि में 3500 करोड़ रुपया भारी उद्योग में खर्च किया गया था, लेकिन मान्यवर चालू वित्तिय वर्ष में जब से कि समाजवादी व्यवस्था के आधार पर श्रीमती गांधी के नेतृत्व में जो सरकार गठित हुई हैं उस सरकार ने इस पर 5000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। इससे मन साफ हो जाता है कि हम भारी उद्योग में कहाँ जा रहे हैं।

मान्यवर हम लघु उद्योगों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनका विश्व के मानचित्र में अपना एक अलग मानचित्र बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि भारी उद्योगों और लघु उद्योगों दोनों का समन्वय हो और दोनों के समन्वय से ही एक-दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से हम समाजवादी समाज की स्थापना कर सकते हैं। इसी संदर्भ में जार्ज साहब से पूछना चाहता हूं जो कि अपने को समाजवादी नेता मानते हैं और जो कि दो वर्ष तक उद्योग मन्त्री भी रहे हैं उन्होंने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के प्रश्न पर क्या किया ? दो वर्ष तक वे उद्योग मन्त्री रहे और उन्होंने भारी उद्योगों में इन लोगों के आरक्षण के लिए कुछ भी नहीं किया मान्यवर आप जानते हैं कि जब हुमायुं बादशाह हार कर जा रहा था तो भिश्ती ने उसे पार नहीं कराया। उसके उपहार में 24 घंटे शासन का अधिकार दिया, इस पर उसने चमड़े का सिक्का 24 घंटे के अन्दर चला दिया था । वह चमड़े का सिक्का आज भी देश के अजायब घर में रखा हुआ है। मैं जार्ज साहब से जानना चाहता हूं, जो इस तरह से हरिजनों और गिरिजनों के रोजगार की बात कर रहे हैं, उन्होने अपने काल में उनके लिए क्या किया ?

मान्यवर, मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र में 1978 में कुल 7410 कर्मियों में से 1106 और 377 कर्मी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के थे। यह सारी भर्ती का 14.9 प्रतिशत और 5 प्रतिशत है। 1978 में 1977 की तुलना में 1.68 प्रतिशत की कमी हुई। क्या इस प्रकार से वे इन लोगों को रोजगार देने की बात इस माननीय सदन सदन में कर रहे थे ? मैं कहना चाहता हूं कि जब माननीय साहब दो-ढाई वर्ष तक उद्योग मन्त्री थे तो उन्होंने हरिजनों, गिरिजनों और पिचड़े हुए लोगों के आरक्षण को कभी पूरा नहीं किया। मैं आपके माध्यम से उद्योग मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भारतीय संविधान में उद्घोषित 18 प्रतिशत उनका आरक्षण है, उसकोवे पूरा करें।

मान्यवर, बहुत संक्षेप में मैं लघु उद्योग के बारे में भी कहना चाहता हूं। भारत गांवों का देश है और यहां की 80 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है। लेकिन मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इन्दिरा जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उसने 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रूपए का इस बजट में प्रावधान किया है, जिससे ग्रामीण अंचलों म रोजगार देने के लिए 146 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ होगा।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिला गोरखपुर में एक बासगांव निर्वाचन क्षेत्र है जिसको हम सभी जानते हैं और उद्योग मन्त्री भी जानते हैं, यह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। मान्यवर किसी भी स्थान पर उद्योग स्थापित करने के लिए उत्तम जलवायु कच्चा माल, श्रम आवागमन के साधन, उचित जमीन,पूंजी तथा सरकारी संरक्षण होना बहुत जरूरी है। इसी आधार पर मान्य-

वर बांसगांव निर्वाचन क्षेत्र में दो-तीन वस्तुओं के लघु उद्योगों के आधार पर भारी उद्योग स्थापित कर सकते हैं।

मान्यवर, आप भी जानते हैं और शास्त्री जी भी जानते हैं, हमारे निर्वाचन क्षेत्र चौरी-चौरा का स्थान है, जहां पर पूर्वांचल के बीसों जिलों का चमड़ा इकठ्ठा किया जाता है, लेकिन आज तक वहां पर कोई उद्योग-धन्धा नहीं खोला गया। मान्यवर इसी प्रकार से हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड जो बना हुआ है, उस आधार पर देश के अन्दर कागज, लुगदी, अखबारी कागज के सर्वेक्षण करने के लिए एक और कारपोरेशन बने। जिससे पिछड़े क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया जाए। उस आधार पर सोचें तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ी मिल हमारे यहां सरदार नगर में स्थापित की जा सकती है। यहाँ पर खोई बहुत पैदा होती है और खोई के आधार पर वहाँ कागज की मिल बड़ी आसानी से आप स्थापित कर सकते हैं।

मैं यह भी चाहता हूं कि विद्वान उद्योग मन्त्री नोट करें। चौरी चौरा में चमड़े का उद्योग स्थापित बड़ी आसानी से स्थापित हो सकता है। माननीय झारखण्डेय राय जो जानते हैं, हमारे बांसगांव क्षेत्र में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पर तीन-तीस गांवों में केवल जुलाहे ही रहते हैं या बुनकर ही रहते हैं। पचास परसेंट के करीब वहाँ बुनकर होंगे। मैं मांग करता हूं कि उस आधार पर गोला बाजार में या बड़हलगंज में या कहीं और एक कताई, बुनाई की मिल स्थापित की जाए।

मैं यह भी चाहता हूं कि आप इस सारे क्षेत्र का सर्वेक्षण करायें। आप कहते हैं कि आगे-आगे आवागमन के साधन दौड़ते हैं, रेलवे लाइन दौड़ती है और पीछे-पीछे उद्योग दौड़ते हैं। इस दृष्टि से भी मैं विद्वान उद्योग मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र का वह सर्वेक्षण करायें और वहाँ पर जो उद्योग आसानी से स्थापित हो सकते हैं, उनको स्थापित करने का आदेश दें।

आप ने राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम की स्थापना की है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना की है, हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेट की स्थापना की है। इन तीनों कारपोरेशंज की आपने जब स्थापना की है तो उनके द्वारा आप प्रत्येक क्षेत्र का सर्वेक्षण करायें और हिन्दुस्ता के विभिन्न भागों में जहाँ पर क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा हो गया है और उसके कारण से जो क्षेत्र पिछड़े रह गए हैं, उनको आगे लाने का आप यत्न कर, वहाँ ईद्योग धन्धों की आप स्थापना करें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। समाजवादी नीतियों पर चलते हुए निरन्तर प्रगति पथ पर वह अग्रसर है। वह विश्व के बड़े-बड़े नेताओं में से एक हैं। वह देश को आगे ले जाने में पूर्णतया सक्षम हैं। मैं आशा करता हूं कि समाजवादी व्यवस्था और समाजवाद के सिद्धान्तों को सामने रखते हुए आप यह सर्वेक्षण हाथ में लेंगे और लघु तथा भारी उद्योगों की स्थापना करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

**श्री गंगाधर एस कुचन (शोलापुर)** : सभापति जी, उद्योग मन्त्रालय द्वारा 1980-81 के लिए जो अनुदान की मांगें हमारे आदरणीय उद्योग मन्त्री जी ने स्वकृति के लिए सदन के सामने

रखी है, मैं उनका समर्थन करता हूं और इस मन्त्रालय से आम लोगों की अपेक्षायें उनको आपके द्वारा उन तक पहुंचाना चाहता हूं।

कृषि के बाद उद्योग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और भारत को करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त कर देते हैं। इस मन्त्रालय का सम्बन्ध इससे ही है। इसके विभिन्न पहलू हैं। तरह-तरह के उद्योग स्थापित करना, उनको सही ढंग से चलाना, उनके प्रबन्ध को देखना, करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना इस मन्त्रालय के अन्दर आता है और वह इन सब कामोंको करने की क्षमता रखता है। अब इस कन्त्रालय की और भारत के करोड़ों शिक्षित युवक रोजगार की प्रतिक्षा में, छोटे-मोटे उद्योग स्थापित करने के लिए देख रहे हैं और यहभी देख रहे हैं कि यह मन्त्रालय क्या और किस-किस किस्म के उपाय करने जा रहा है। ऐसे वक्त पर इस मन्त्रालय को बड़ी सावधानी वरतनी होगी ओर सचेतक अपनी पालिसी रखनी होगी।

ग्राम और लघु उद्योगों के लिए 1979-80 में 71.11 करोड़ रु० की मांग की गई थी। मगर वस्तुतः सिर्फ 37.13 करोड़ ही खर्च किया गया। इसको देखकर अब 1980-81 के बजट में 40-15 करोड़ रूपए की माँग रखी गई है। जो रकम खर्च नहीं की गई और ट्रांसफर कर दी गई। उसका फल यह हुआ कि उद्योगों को गढ़ावा देनेमें सरकार असफल रही। इससे यह साबित होता हैकि जनता सरकार ने इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया और इसका यह परिणाम निकल-कि देश में बेरोजगारी वढ़ती गई। इसलिए मेरा सुझाव हैकि इसका पूरी तरह से सर्वेक्षण किया जाए और इस योजना को कारगर वनाने का हर प्रयत्न किया जाए। जहाँ सम्भव हो वहाँ पावर-लूम सैक्टर का एक भाग इसमें शामिल किया जाए, ताकि शिक्षित वेरोजगारों और युवकों क अपने ही गाँव में इस तरह के उद्योग स्थापित करने का अवसर प्राप्त हो सके।

वहाँ 5 हजार वस्ती के गाँव में 24 यन्त्रभाग, 25,000 वस्ती के गाँव में 48 यन्त्रभाग और 50,000 वस्ती के गाँव में 96 यन्त्रभाग की यूनिटें दी जायें। अनेक प्रो और आफ्टर की प्रोसेस की यूनिटें 80 मील के नजदीक के शहर में स्थापित कर उसके रा-मैटिरियल और मार्के-टिंग की सुविधा उपलब्ध की जाए। ऐसा होने से गाँव के शिक्षित युवकों की वेरोजगारी कम हो जाएगी और शहर की ओर जाने का काम बन्द हो जाएगा।

बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर कर के सरकार कई इन्सैटिव योजना लागू करके उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। यह वहुत अच्छी वात है, मगर इसको डिक्लेयर करने का मापदंड क्या है? यह मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि कुछ राज्यों में हर डिस्ट्रक का कुछ भाग और कुछ राज्यों में सिर्फ दो या तीन डिस्ट्रिक डिक्लेयर किए गए हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ चन्द्रपुर, रत्नागिरी और औरंगावाद डिष्ट्रीक है। मगर हम देख रहे हैंकि इन जिलों के मुख्य सिटी के आस-पास ही केवल उद्योग बढ़ गए हैं, बाकी का पूरा जिला जैसा का जैसा ही पिछड़ा रह गया है। इसलिए मेरा सुझाव हैकि हर राज्य में हर डिष्ट्रीक के कुछ ताल्लुकाओं का सर्वेक्षण कर के पिछड़ा क्षेत्र डिक्ले यर किया जाए तो समूचे भाग का विकास हो जाएगा और प्रदेशिक असमता का प्रश्न सुलझ जाएगा।

डिस्ट्रीक इन्डस्ट्रीज सेंटर के कार्य का विस्तार सही तौर से अभी होना है, उनको और कारगर वनाना पड़ेगा और ऐसा वात/वरण निर्माण करना पड़ेगा कि गांव का वेकार युवक

उनकी तरफ आकर कई बार चक्कर मारने के बजाय, इस सेंटर के सभी अधिकारी बार-बार गाँव में जाकर सभी सुविधायें, वित्त और यान्त्रिकी समेत उपलब्ध कराने की कोशिश करें।

क्रेडिट गारन्टी स्कीम एक अच्छी योजना है। इसका और विस्तार किया जाना चाहिए। अभी की योजना प्रारूप प्राइमरी लेबर कठट्रैक्ट सोसायटीज को इसमें शामिल नहीं किया गया है यह सोसाइटिज भी कुछ न कुछ वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं, इस लिए इनको इस योजना में शामिल किया जाए तो हर गाँव में ऐसी सोसाईटिज द्वारा कुटीर उद्योग का बढ़ावा मिलेगा।

नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि० संस्था द्वारा हायर परचेज पर मशीनरीज सप्लाई होती रहती हैं। इसके लिये बजट में 4.57 करोड़ की माँग है, यह बहुत कम है। इसको बढ़ा कर इस कार्पोरेशन को ज्यादा से ज्यादा लघु और ग्राम उद्योगों को मशीनरी सप्लाई करने के लिये कहा जाये। इसका जो प्रोसीजर है, उसमें और सरलता लानी चाहिये।

भारत में मेज का उत्पादन दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, मगर इसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मेज स्टार्च का उत्पादन बहुत कम है, यह इस मंत्रालय ने भी महसूस किया है। इसको देखते हुए, इस उद्योग को बढ़ाने लिये कुछ खास रियायतें देनी चाहिए। मेज का भाव अभी करीबन 100 रुपये क्विंटल है और मेज स्टार्च का भाव करीबन 400 रुपये क्विंटल है। यह देखते हुए इस कृषि प्रधान उद्योग का विस्तार और विकास करने के लिये खास ध्यान देना चाहिए।

भारत की अधिकतर गरीब जनता के लिये हमारी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पहले कन्ट्रोल क्लौथ की योजना शुरु की थी, मगर जनता सरकार ने अनेक बड़े उद्योगों के फायदे के लिये इसमें बड़े पैमाने पर तबदीलियां की। उन सब को हटाकर जैसी पहले की स्कीम थी लागू की जाये। इसका कुछ भार डिसेंट्रलाईज पावरलूम सैक्टर के ऊपर भी कुछ खास रियायतें देकर दिया जाये जिससे हर परिवार को कम-से-कम कपड़ा मिलता रहे।

भारत में डिसैंट्रलाईज्ड सैक्टर कीसंख्या 3,47 लाख बताई जाती है। मगर मेरे ख्याल से यह पाँच लाख के ऊपर है। अन-अथौराइज्ड पावरलूम अथौराइज्ड किये जा रहे हैं, यह पांचवी बार किया जा रहा है। बड़ी मिलों को औटोमैटिक लूम्स के बदले में देखा जाये तो इस इण्डस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को काम मिलता है और मिलता रहेगा। यह देखते हुए मेरा सुझाव है कि इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है, उनको पूरी तरह से हटाया जाये और जो कोई यन्त्रभाग लगवाना चाहता है, उसको काट नया सिल्क के यंत्रभाग लगाने की स्वतन्त्रता दी जाए ताकि देश कपड़े के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो और ज्यादा पैमाने पर नियति भी कर सकें, इतना ही नहीं, इस उद्योग को सही तौर पर स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय निगम बना कर वित्तीय सहायता उपलब्ध करने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। उस उद्योग से हाथकरघा उद्योग को धोखा है, ऐसा जो कहा जाता है, वह गलत है क्योंकि प्रोडक्शन में रिजर्वेशन किया गया है और उसकी अगर उसकी इम्पलीमैंटेशन सख्त करने की कोशिश की जाये तो उसमें उलझनें पैदा नहीं होंगी

कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने की नीति सरकार की है, यह देखते हुए इसको जो रा-मैटेरियल चाहिए, उसके लिए काटन-यार्न की उपलब्धी बढ़ाने का अभिनय खासतौर पर किया जाना चाहिए। सौभाग्य से देश में दिन व दिन कपास की उपज बढ़ती जा रही है, उसको ध्यान में

रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना में कम से कम 100 सहकारी कताई मिलें स्थापित करनी चाहिए और सभी मिलों की कैपेसिटी 50,000 स्पिंडल्स तक बढ़ाने के लिए सभी प्रकार की सुविधायें वित्तीय सहायता आदि जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाये और इसके लिए वर्ल्ड बैंक की सहायता जरूरी हो, तो उसके भी हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ओल्ड स्पिंडल्स बदलवाने के लिए माडर्नाइजेशन प्रोग्राम बड़े पैमाने पर लाना चाहिए और वेस्ट स्पिनिंग यूनिटस को 40 काउन्ट तक स्पिनिंग करने की जो परमीशन दी गई है, उसको कायम करके, उनको सभी वित्तीय सहायता माडर्नाइजेशन के लिए आई० डी० बी० आई० में खास सेल बनाया जाये, ताकि ज्यादा काटन-यार्न की प्रोडक्शन बढ़े, कपास-उत्पादकों को उचित मूल्य मिलता रहे। इस परस्पर सहयोग की बात बन जायेगी।

अभी काटन यार्न की प्राइसिज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेरा दावा है कि जिस प्रमाण में काटन की प्राइसिज बढ़ी है, उससे कहीं ज्यादा मात्रा में यार्न की प्राइसिज बढ़ गई हैं। उसका जो प्राइस स्ट्रक्चर बनाने का फार्मूला है, वह गलत है और उसको सही बनाना चाहिए। वर्तमान फार्मूले से बड़ी मिलों को बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है। यह शीघ्र ही बन्द होना चाहिए। इसके लिए एक गैर-सरकारी कमेटी बनानी चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है।

इसके अलावा इम्पोर्टिड विसकोस स्टेपल फाइबर पर अभी जो ड्यूटी लगाई गई है, वह हटाई जाये, ताकि काटन यार्न बनाते वक्त सही मात्रा में ब्लेंड करने को बढ़ावा मिले और काटन यार्न की प्राइस को काबू में रखने का प्रयास किया जाये।

पब्लिक सैक्टर की एच० एम० टी०, बंगलौर, तीन करोड़ रुपये से चालीस लाख ट्यूब लाइट बनाने का कारखाना खोल रहा है। महाराष्ट्र का शोलापुर जिला, जहां से मैं चुन कर आया हूं, बंगलौर से सड़क और रेल द्वारा सीधा जुड़ा हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि यह कारखाना शोलापुर में स्थापित किया जाये, जो हमेशा अकाल ग्रस्त रहता है।

इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं। आपने मुझे इस विषय पर विचार प्रकट करने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका भी आभार मानता हूं।

**श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण)** : महोदय, मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं। इसका कारण यह है कि सरकार देश में नियोजित ढंग से औद्योगिक विकास लाने में असमर्थ रही हैं। जापान और जर्मनी युद्ध की विभीषिका से पूर्णतः नष्ट हो चुके थे। पर उन्होंने 8-10 वर्ष की अवधि में उद्योगों के संगठित रूप से पुनर्निर्माण में काफी सफलता प्राप्त करली है। हम स्वतंत्रता के 33 वर्ष बाद भी व्यवस्थित तरीके से औद्योगिक विकास नहीं कर पाए हैं। भारत को विश्व के औद्योगिक मानचित्र में स्थान पाने के लिए अभी काफी कुछ करना पड़ेगा। हम प्रादेशिक असंतुलन की बात करते हैं, उद्योगों को ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में ले जाने की बात करते हैं। पर इस दिशा में संतोषजनक प्रगति नहीं कर पाए हैं। किस उद्योग को प्राइवेट सेक्टर में और किसको सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में लगाया जाए, हम इसका फैसला नहीं कर पाए हैं। हम लघु उद्योग और कुटीर उद्योग का वर्गीकरण नहीं कर पाए हैं। कौन सी वस्तुएं विशिष्ट रूप से बड़े उद्योगों में बनाई जाएं

इसका भी निर्णय नहीं हो पाया है। हमारे पास आवश्यक वस्तुओं की कमी को पूरा करने हेतु कोई विस्तृत योजना भी नहीं है।

हमारे पास कच्चे माल और मानव शक्ति के जो विपुल स्रोत उपलब्ध हैं उनका उचित उपयोग कर उचित लागत पर उपभोक्ता सामान तैयार करने के लिए हमारी औद्योगिक नीति निर्धारित की जानी चाहिए। हम अभी आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हमें जो रिपोर्ट दी गई है उससे पता चलता है कि बियर, प्रेशर कुकर शराब, सिगरेट, प्रसाधन सामग्री, बढ़िया किस्म का सूती कपड़ा, पंखे आदि जैसे विलासिता के माल का उत्पादन बढ़ा है। सीमेंट, चीनी, कागज, खाद्य तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में हम असफल क्यों रहे ?

यह दुर्भाग्य की बात है कि हमें सीमेंट, चीनी और अन्य वस्तुओं का आयात करना पड़ रहा है जिन्हें हम अपनी जरूरत के अनुसार बड़ी आसानी से अपने देश में ही पैदा कर सकते हैं। सीमेंट का उतना उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए जितने की हमें हर वर्ष आवश्यकता है। यह दुःख की बात है कि चीनी का उत्पादन प्रति वर्ष गिरता जा रहा है जब कि इसकी मांग काफी बढ़ती जा रही है। इसकी कीमत भी इतनी बढ़ रही है कि आम आदमी इसे खरीद नहीं सकता। कृषि और उद्योग मंत्रालय को नियोजित ढंग से काम करना चाहिए ताकि इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़े और लागत कम हो।

हालांकि कागज का उत्पादन बढ़ रहा है पर बाजार में इसकी कमी है। छात्रों को दी जा रही कापियों और पुस्तकों में काफी चोर बाजारी चल रही है। इस कृत्रिम कमी को दूर करने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए।

मोटर गाड़ी उद्योग का हाल यह है कि एक कार की कीमत 50 हजार रुपये से भी अधिक हो है। पेट्रोल का मूल्य भी बढ़ रहा है। इस स्थिति में सरकारी परिवहन व्यवस्था का अधिक उपयोग होगा। पता चला है कि लारियों की चेसिस उपलब्ध नहीं हैं। सरकार को चेसिस की सप्लाई बढ़ानी चाहिए ताकि यात्रियों के लिए अधिक बसों और लारियों का प्रबन्ध हो सके। कर्नाटक के सड़क परिवहन निगम ने लगभग एक वर्ष पूर्व 1000 चेसिसों के लिए आर्डर दिए थे। पर उसे केवल 300-400 चेसिस मिली हैं। शहरी और मुफस्सिल यात्रियों की और परिवहन की मांग की पूर्ति हेतु बसों और लारियों की चेसिस बनाने की दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे।

वस्त्र उद्योग के संदर्भ में सरकार रुग्ण मिलों को अपने हाथ में ले रही है। अधिकांश मिलों की देनदारियां बहुत भारी हैं। इनकी ज्यादातर मशीनें पुरानी हैं। यह उचित होगा कि इन मिलों को मशीनें मरम्मत योग्य न रहने से पूर्व इन्हें अर्जित कर लिया जाए। इन मिलों की देनदारियों का भुगतान करने तथा पुरानी मशीनों के स्थान पर आधुनिक मशीनें लगाने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए।

अगर रुग्ण उद्योग को व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जाए तो इसमें लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे और हम भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा सकेंगे।

कर्नाटक में रेशम विनिमय कानून लागू होने के बाद इस उद्योग में गड़बड़ी पैदा हुई है। इसके कारण बुनकरों को काफी कठिनाई हो रही है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस मूल्यवान उद्योग को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं।

खादी और ग्रामोद्योग को ग्रामीण विकास विभाग को सोंपने का फैसला बुद्धिमानी का फैसला नहीं है। उद्योग विभाग के पास उद्योगों के विकास को जारी रखने की मशीनरी विद्मान है। उद्योग विभाग ग्रामीण विकास निगम को अपने अन्तर्गत ले सकता था और फिर उसके और बेहतर कार्यकरण को सुनिश्चित कर सकता था। इसी प्रकार तकनीकी विकास का महानिदेशालय के औषधि सम्बन्धी तकनीकी विभाग का काम रसायन विभाग के तकनीकी विंग देख रहा है। इस प्रकार का दोहरापन समाप्त होना चाहिए।

औषध के उद्योग का तकनीकि विकास महानिदेशालय द्वारा पंजीकरण अन्य उद्योगों की भांति किया जाना चाहिए। समय के अभाव के कारण में औषध उद्योग कारण में औषध उद्योग का विवरण नहीं दे पाऊंगा। पर मेरी कुछ समस्या एं हैं। मैं मंत्री महोदय को टिप्पणियां दूंगा और मुझे विश्वास है वे उस पर उचित कार्यवाही करेंगे।

निष्कर्ष में मैं सरकार से आवश्यक वस्तुओं के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का अनुरोध करूंगा।

ग्रामीण जन संख्या का शहरों में प्रवेश रोकना भी जरूरी है। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए ताकि शहरों का विकास काफी हद तक सीमित किया जा सके।

**सभापति महोदय** : मेरे पास कांग्रेस (इ) के 35 सदस्यों के नाम हैं और विपक्ष से भी 5 या 6 सदस्य बोलना चाहते हैं। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे मोटे-मोटे मुद्दों पर ही बोलें और प्रत्येक सदस्य विशेषकर कांग्रेस (इ) के पांच-पांच मिनट से अधिक समय न लें ताकि सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिल सके।

**श्री रामनाथ दुबे (बांदा)** : सभापति महोदय, मैं उद्योग मंत्रालय की मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह अनुभव करता हूं कि उद्योग मंत्रालय एवं माननीय उद्योग मंत्री को इस समय औद्योगिक नीति निर्धारित करने में जो कठिनाई का अनुभव करना पड़ा होगा वह सभी सदस्यों की जानकारी में है, क्योंकि जनता, लोकदल शासन से हमारी सरकार को एक एक बिगड़ी हुई दुर्व्यवस्थित औद्योगिक नीति विरासत में मिली है और इस परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक नीति निर्धारित करने में हमारे योग्य माननीय उद्योग मन्त्री ने जो दूरदर्शिता तथा जिम्मेदारी का निर्वाह किया है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है जोकि निरन्तर औद्योगिक प्रगति के पथ पर जा रहा है। इस दिशा में सफल औद्योगिक इकाइयां हमारे देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान कर सकेंगी। हमारे देश में इस समय मुख्यतया भारी, मध्यम एवं लघु उद्योगों की स्थापना की गई। इसके अलावाउद्योगों की प्रगति सार्वजनिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्र में सरकार की ओर से की जा रही है। देश में भारी उद्योग लगाये अत्यन्त आवश्यक हैं। इनके साथ साथ इस बात का भी ध्याय

रखना आवश्यक है कि मध्यम एवं लघु उद्योग भारी उद्योगों की दौड़ में उपेक्षित न रह जायें। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि हमारे देश में लघु उद्योगों को पूरा सहयोग यानी वांछित सहयोग न मिलने के कारण वे उपेक्षित हैं और मैं तो यही कहूंगा कि लघु उद्योग आज देश में सिसकती हुई दशा में विद्यमान हैं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि भारी एवं मध्यम उद्योगों तथा लघु उद्योगों का कार्य-क्षेत्र अलग अलग विभाजित कर दिया जाए और इस प्रकार के उद्योगों के लिए अलग अलग धनराशि निर्धारित की जाए जिससे कि लघु उद्योगों की प्रगति में किसी कारण धन एवं साधनों का अभाव न हो सके।

मैं उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारा प्रदेश 56 जिलों में विभाजित है, जनसंख्या अधिक है, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है, उद्योग लगाने के लिए क्षमता विद्यमान है और अगर प्रयास किया जाए तो उत्तर प्रदेश देश का एक औद्योगिक केन्द्र बनाया जा सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। विगत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग कारखानों को चलाने में उपेक्षा की गई है। उदाहरण के तौर पर में आपको मथुरा बिल्डिंग मैटीरियल कांप्लेक्स के बारे में बतलाना चाहूंगा। इसकी स्थापना सन् 1976 में की गई थी और पैकेज असिस्टेन्ट स्कीम के अन्तर्गत अनेक प्रकार के के साधन उपलब्ध कराने का वादा किया गया लेकिन वे सब वादे पूरे नहीं किए गए। (व्यवधान) थोड़ा सा समय और दिया जाये।

उद्योग चलाने के लिये पैकेज असिस्टेन्स की जो स्कीम रखी गई, मैं समझता हूं जिस उद्देश्य से वह निर्धारित की गई वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल धोखे नीति निर्धारित की गई। उस क्षेत्र में भी उनको सहयोग नहीं दिया है। उनको चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल फाइनेंशिल कारपोरेशन के माध्यम से देने का जो वायदा किया गया था, वह भी पूरा नहीं किया गया है। जो कुछ कच्चा माल और रा-मैटिरीयल उनको मिलना चाहिये जैसे लोहा है, वह उनको उस मात्रा में नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वे बिगड़ी हुई स्थिति में पड़े हुए हैं, वह उद्योग मंत्री जी से यह भी कहना चहाता हूं कि किसी भी तरह से उनको यह माल ब्लैक में मिल जाता है, इस तरह से वे अपना काम चला रहे हैं।

बिजली का जहां तक सवाल है, वह भी उनको पूरी तरह से नहीं मिल है और इसके बावजूद भी उनसे न्यूनतम चर्जेज वसूल किये जाते हैं। मैं अपने क्षेत्र बांदा जनपद के बारे में, जहां बहुत ही खनिज उपलब्ध हैं, बतलाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में सिलिका सैंट काफी मात्रा में उपलब्ध है, जिससे कि सिलिका सैंड की इन्डस्ट्री लगाई जा सकती है। वाक्साइट भी काफी मात्रा में प्राप्त होता है, जिससे एल्मयूना उद्योग लगाया जा सकता है। इसी तरह से शजर पत्थर भी भारी मात्रा में पाया जाता है, जिसका उद्योग लगाया जा सकता है इस क्षेत्र में तेंदु की पत्ती भी भारी मात्रा में उपलब्ध है, जिससे बीड़ी उद्योग खोला जा सकता है।

मेंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में खिलौन व पत्थर का सामान बनाने के लिये काफी मात्रा में साधन उपलब्ध हैं। हमारा क्षेत्र मजदूर क्षेत्र है और पिछड़ा हुआ इयाका है, जहां आज तक एक भी इन्डस्ट्री खोलने के बारे विचार नहीं किया गया आज 30 साल की आजादी के बाद भी।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में फर्टिलाइजर का कारखाना, शक्कर का कार खाना, पैडी का कारखाना सफलता के साथ लगाया जा सकता है।

मैं अन्त में निवेदन करना चाहता हूं कि 1956 की औद्योगिक नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और क्रातिकारी परिवर्तन करने की आवश्कता है। भारत गांवों में वसता है और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। देश की प्रगती के लिये ग्रामवासियों की अर्थिक स्थिति सुधारना, गरीबी दूर करने व वेरोजगारी समाप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना करना सरकार की सर्वोपरि नीति होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदान की माँगों का समर्थन करता हूं।

**श्री रणजीत सिंह (चतरा)** : सभापति महोदय, में उद्योग मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

हिन्दुस्ताज गाँवों का देश है, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग देहातों में रहते हैं। देहातों में अभी भी बहुत से लोगों के पास जमीन नहीं है। जिस पर वे खेत कर सकें। हमारे देश के 80 प्रतिशत जनता आज भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करती है। इस स्थिती को देखते हुए स्व0 पंडित जवाहर लाले नेहरू ने कहा था कि हिन्दुस्तान के सभी भागों में औद्योगी-करण कर दिया जन्ए. जिससे हमारे गरीव और वेरोजगार नौजवान नौकरी पा सकें और हिन्दुस्तान में सभी चीजों का उत्पादन हो सके।

सभापति महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में अभी भी औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। वहुत से पिछले इलाकों में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना नहीं हो पाई है। इसका एक कारण यह भी है कि हिन्दुस्तान में आज तक जोभी औद्य-योगीकरण कर दिया जाए, जिससे हमारे गरीव और वेरोजगार नौजवान नौकरी पा सकें और हिन्दुस्तान में सभी चीजों का उत्पादन हो सके।

सभापति महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में अभी भी औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। वहुत से पिछड़े इलाकों में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना नहीं हो पाई हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हिन्दुस्तान में आज तक जोभी औद्योगीकरण किया गया है या जहां हर औद्योगिक संस्थानों की स्थापना हुई है, वहां पर किसी भी तरह का फायदा नहीं हो पा रहा है। वहां की वेरोजगारी को मुत्म नहीं किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि कभी किसी उद्योग के लिए कोयले की कमी हो जाती है, कभी लोहे की कमी हो जाती है, कभी रेलवे लाइन या यातायात की सुविधायें उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उद्योग विभाग ट्रोसपोर्ट विभाग, रेलवे विभाग और इनर्जी विभाग इन चारों विभागों को एक साथ बैठ कर, इस समस्या का हल निकालना चाहिए और विभिन्न स्थानों पर उद्योग लगाने के कार्म में ध्यान देना चाहिए। जिससे हमारे इलाके का विकास हो सके। में विहार के चतरा क्षेत्र से चुनकर आया हूं, जहां-सारे-के लोग घास की रोटी खाते हैं, महुआ खा कर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। वहां पर ज्यादातर आदिवासी और हरिजन लोग हैं। ऐसे पिछड़े स्थान पर न जाने क्यों आज तक कीई औद्योगिक संस्थान है। हमारे क्षेत्र में लातेहर एक क्षेत्र है जहां एक नियम

फैक्ट्री लगाने का तय हुआ था, जमीन भी ले ली गई थी लेकिन अभी तक यह फैक्ट्री नहीं लगी है। पूछते हैं तो सेंटर कहता है कि स्टेट से कमेन्ट्स माँगे जा रहे हैं। ,स्टेट कहता है कि सेंटर से एप्रूवल नहीं हो पाई है। पांच-पांच वर्ष सेन्टर और स्टेट के झगड़े में बीत जाते हैं और ऐसे पिछड़े क्षेत्रों का कोई विकास नहीं हो पाता है।

सभापति महोदय पब्लिक सैक्टर, प्राइवेट सैक्टर,स्माल सैक्टर और कुटीर उद्योग-ये चार महत्वपूर्ण सैक्टर्स होते हैं। पब्लिक सैक्टर में हड़तालें होने की वजह से, लेबर प्राबलम की की वजह से, सफलता नहीं मिल पाती है। हमारे विरोधी दलों के लोग हमेशा वहां हड़तालें कराने में लगे रहते हैं। जिसके कारण पब्लिक सैक्टर पूरी तरह से डिस्टर्ब रहता है। हमारे उद्योग मंत्री का यह प्रयास होना चाहिए कि लेबर और पब्लिक सैक्टर के बीच समझौता हो और ऐसी नीति बने जिससे लेबर के साथ झगड़ा न होने पाये। इसी तरह से जो प्राइवेट सैक्टर्स हैं, जिन में टाटा, बिड़ला, मफतलाल और दूसरे बड़े-बड़े लोग हैं, इन लोगों का भी प्रयास होता है कि पब्लिक सैक्टर डिस्टर्ब्ड रहे, जिससे प्राइवेट सैक्टर को आगे बढ़ने का मौका मिले और पब्लिक सैक्टर सफल न हो पाये। हमारी सरकार को यह चाहिए कि जो ऐसे बड़े-बड़े पूंजीपती हैं बड़े-बड़े घराने हैं जो पब्लिक सैक्टर को डिस्टर्ब करा रहे हैं, उन का फैक्ट्रीयों का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए। बिना राष्ट्रीयकरण के इस समस्या का समाधान नही हो सकता है। राष्ट्रीकरण के द्वार ही गरीबों और मजदूरों को रोजी और रोटी मिल सकती है। इन बड़े-बड़े घरानों के चलते हमारे देश का औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है। हमारी नीति में परिवर्तन आना चाहिये जिससे पब्लिक सैक्टर और स्माल सैक्टर को बढ़ावा मिल सके।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तानी गाँवों का देश है, जिसके 80 प्रतिशत लोग गाँवों में रहते हैं। यहाँ पर छोटी-छोटी फैक्ट्रीज और कुटीर उद्योगों का निर्माण होना चाहिए। बहुत से लोग छोटी-छोटी फैक्ट्रीज में अपनी पूंजी लगाते हैं, लेकिन सब बेकार हो जाते हैं इसका कारण यह है कि इनर्जी विभाग से उनको पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती है, वोल्टेज की कमी होती जाती है, लेबर की प्राबलेम्ब पैदा हो जाती है और एक सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग की है। वे लोग मार्केट में अपना सामान बेच नहीं पाते हैं। इसके लिए सरकार को मर्केटिंग की व्यवस्था करनी चाहिये, बिजली की व्यवस्था करनी चाहिये और बड़े-बड़े उद्योपतिओं पर यह रोक लगानी चाहिये कि वे छोटे-छोटे सामान को जिन को स्माल सेक्टर में बनाया जा सकता है, न बनायें।

हमारे इलाके में बहुत सी शुगर की फैक्टरीज बीमार पड़ी हुई हैं। हमारे उद्योग मंत्री का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है जबकि चीनी आज 8 रुपये किलो बिक रही है। ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है कि सभी शुगर मिलों को सरकार अपने हाथ में ले ले, इससे समाज का कल्याण होगा और गरीबों को रोजगार मिलेगा।

हमारे इलाके में अवाख मैंगनीज यूरेनियम फायर-क्ले और तरह की फौरेस्ट-प्रोड्यूस मिलती है। यह सब सामान जंगलों में पड़ा हुआ है, अगर वहाँ पर इन चीजों के कारखाने लगाए जायें तो वहाँ के हरीजनों और आदिवासियों को रोजगार मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर पेपर की फैक्ट्री लग सकती है, फायर-क्ले की फैक्ट्री लग सकती है, एलमुनियम की फैक्ट्री लग सकती है लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तरफ सरकार ने बिलकुल ध्यान

नही दिया है । चतरा जैसे क्षेत्र में जहाँ 6 कांस्टीचूएन्सीज हैं-वाराचट्टी, लातेहर, पाँकी, चतरा इमामगंज और फतहपुर-इन सभी स्थानों में आज तक कोई इण्डस्ट्रीज नहीं बैठाई गई है । स्टेट और केन्द्रीय सरकार आपस में कमेन्ट्स ही माँगते रहते हैं । मैं उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे चतरा क्षेत्र की तरफ ध्यान दें और उस इलाके में पेपर फैक्ट्री तथा एलूमिनियम फैक्ट्री का शीघ्र से शीघ्र निर्माण करायें ।

(श्री रणजीत सिंह···जारी)

मैं यह कह देना चाहता हूं कि गया में एक नाइलोन फैक्ट्री बनाने का प्रस्ताव था । उस प्रस्ताव को बने हुए पाँच वर्ष हो गये हैं, जमीन का आवंटन हो गया लेकिन अभी तक स्टेट और सेन्ट्रल गवर्नमैंट के बीच में कमेंटस चल रहे हैं और इस वजह से वह बेकार पड़ी हुई है और काम नहीं हो रहा है । इस कारण वहां के नवयुवक भी बेकार पड़े हुए हैं और उनको रोजी-रोटी नहीं मिल रही है । जब ऐसी स्थिति है, तो एक विस्फोट हो सकता है और जो हमारे सिद्धान्त हैं और जो हमारी सरकार का विचार है सभी को आगे बढ़ाने का 20 प्वाइन्ट आर्थिक लक्ष्य के अन्तर्गत, आज औद्योगिक विकास न होने की वजह से सारे का सारा बेकार पड़ा है ।

इतना कहते हुए मैं आप को धन्यवाद देता हूं और इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे मेरे सुझावों पर ध्यान दें ।

**श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) :**

सभापति जी, इस देश के राष्ट्रीय आन्दोलन में और आजादी के क्रम तथा आजादी के बाद औद्योगिक नीति के पाँच पहलु उभर कर सामने आये थे। पहला था एन्टी-मल्टीनेशनल, दूसरा एन्टी-मोनोपली, तीसरा राजकीय क्षेत्र का विस्तार और कमन्डिंग हाईट्स तक उसको पहुंचाना, चौथा था स्माल स्केल इन्डस्ट्री को प्रोत्साहन तथा प्रोटेक्शन देना और पांचवा था समाजवादी मुल्कों के साथ दोस्ती करके औद्योगीकरण करना, लेकिन आज जो हो रहा है और जिस बात की बहुत जोरदार चर्चा अखबारों में आती है और तमाम अखबारों में लेख लिखे जा रहे हैं, तमाम नीति जिसको श्री जवाहरलाल नेहरू और देश ने स्वयं आजादी की लड़ाई के बाद जो अनुभव थे, उन अनुभव के आधार पर बनाया था, उस नीति में न केवल छेद किया जा रहा है बल्कि उसको उल्टकर रिवर्स गियर में काम करने का प्रयास किया जा रहा है और इस बात का बहुत प्रचार किया जा रहा हैं कि प्राईवेट सेक्टर जो है, उसके पास कार्यकुशलता हैं, उसके पास एक्सपर्टीज हैं और उसके पास मैंनेजीरियल कैपेसिटी है और उसको बढ़ावा दिया जाय और इससे राजकीय सेक्टर को काफी घाटा हो रहा है । राजकीय सेक्टर की जगह पर जो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की नीति चल रही है, यह न केवल देश की आजादी के लिए ही बल्कि देश की औद्योगिक उन्नति के लिये भी भयंकर खतरा है और इस बात का जो प्रयास चल रहा हैं और औद्योगिक मंत्रालय को सेबोटेज करने की बात हो रही है, मैं उसका जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इन नीतियों पर चल कर अगर आप यह सोचते हों कि इन से देश का औद्योगिक विकास होगा, तो यह मंत्रालय का एक दिवा-स्वप्न है क्योंकि हम ने यह देखा है कि जो मुल्क आजाद हुए हैं और जिन्होंने मल्टी-नेशनल्स को अपने देश में औद्योगिक विकास के लिए बुलाया है, उसका नतीजा क्या हुआ है, वह सब जानते हैं। उन्होंने

वहां के जनमत को, वहाँ के अर्थतन्त्र को अपने वस में कर लिया है और उन सब पर मल्टी-नेशनल्स हावी हो गये हैं और हावी होने के वाद वहाँ की राजनीति, शैक्षणिक, सामाजिक और तमाम दूसरी आजादी को वे निगल जाते हैं। यह सब मल्टी-नेशनल्स की कार्य-वाहियाँ हैं और माननीय सदस्य हमको जो कह रहे हैं वे अपने दिल में महसूस करते होंगे कि यह बात है या नहीं है। इसलिए ये जो आपकी नीतियां है, इनको आपको वदलना चाहिए। चानना जी, जो हम लोगों के वीच मंत्री बनकर आये हैं, वे नवयुवक हैं और हम यह सोचते थे कि वे हमें कुछ प्रेरणा देंगे और कुछ करिश्मा कर के दिखायेंगे लेकिन औद्योगिक विकास में कोई करिश्मा करके उन्होंने नहीं दिखाया है वल्कि उसमें कुछ ह्रास हुआ है। आज हम यह देखते हैं कि सारा पूंजीवाद भयंकर संकट में है। अमेरिका में संकट है, पश्चिमी जर्मनी में संकट हैं, जापान में संकट है, इटली में संकट है और फ्रांस में संकट है और उस संकट में वंधेः हुए अर्थतंत्र में इन्टरनेशनल मोनीटरी फंड और वर्ल्ड वैंक की सहायया से या हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों की सहायता से आप कुछ करना चाहते हैं, तो यह असंभव वात है।

**(श्री कमला मिश्र-मधुकर-जारी)**

चाहते हैं कि करना है। असम्भव वात है। आपने हिन्दुस्तान के चीनी मिल मालिकों को किसी न किसी रूप में करीव 6 हजार करोड़ रुपया मुनाफे का दे दिया है फिर भी आज चीनी की हालत क्या है। आज देश में चीनी 8 रुपये किलो विक रही है। क्या लाभ हुआ इससे देश को ? जितने भी चीनी मिलें चम्पारण में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और प्राईवेट सेक्टर में हैं वे तमाम की तमाम चीनी मिलें घिसी-पिटी हैं। रिनोवेशन के नाम से सरकार उन्हें सरकारी ऋण देती है, राष्ट्रीयकृत वैंकों से उन्हें ऋण दिये जाते हैं। वे उनका इस्तेमाल रिनीवेशन में नहीं करके अपने दूसरे प्रतिष्ठानी में करते है। उन प्रतिष्ठानों में भी विकास नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों की यह वरावर मांग कर रही है कि तमाम चीनो मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। पब्लिक सेक्टर के कारखानों में कुछ खामियाँ हैं, नौकरशाही को वालवाला है। लेकिन फिर भी यह न हो कि उन्हें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया जाय। प्राइवेट सेक्टर में जितनी पूंजी लगी हुई उसके अनुपात में प्राइवेट सेक्टर से कहीं ज्यादा काम लोगों को राजकीय क्षेत्र में मिलता है। बहुत सारे राजकीय क्षेत्र के उद्योग आज ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं कि वे काफी मुनाफा कमा रहे हैं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजकीय क्षेत्र को खत्म करने की दिशा में जो काम हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। हमारा मेल कारखाना जो टरवाइन वना सकता है लेकिन विजली बोर्डों को आदेश दिये जा रहे हैं कि वाहर से टरवाइन आयात करो। यह मेल जैसे देश के मूल उद्योगों के साथ विश्वासघात है। क्या उन टरवाइनों को देश में ही नहीं बनाया जा सकता हैं ? फिर क्यों ये टरवाइन वाहर से मंगाये जा रहे हैं, राज-कीय क्षेत्र में कर सकते हैं वे काम आज प्राइवेट कम्पनियों को दिये जा रहे हैं। ऐसे वहुत सारे प्रयत्न किये जा रहे हैं। आप लोग जनता पार्टी, जनता पार्टी खूब कहते हैं लेकिन कार्यवाही क्या चल रही है ? 1974 से मल्टी नेशनल कम्पनियों को हिन्दुस्तान में वढ़ावा दिया जा रहा है। आप में और जार्ज साहव क्या फ़र्क है ? पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में 1956 में

जो औद्योगिक नीति चली थी, आज 1980 में उसको विकृत किया जा रहा है। वह नीति इसलिए चली थी जिससे कि देश में तेजी से औद्योगिक विकास हो मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता। मल्टी नेशनल कम्पनियों से देश का औद्योगिक विकास करना मात्र दिवा स्वप्न होगा। इससे देश आगे बढ़ने वाला नहीं है।

इसके बाद में बिहार की समस्याओं पर आता हूं। हमारा बिहार बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हमारे बिहार में 40 फीसदी खराने हैं और उनमें जो-जो खनिज पदार्थ मिलते हैं उन्हें गिनाऊंगा नहीं। उन खनिज पदार्थों के मिलने के बावजूद अभी तक बिहार की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। उसके विकास में बाधा शासकों ने डाली है। हमारे यहां खनिज पदार्थों की रायल्टी का सवाल है। वहां के खनिज पदार्थों के लिए रायल्टी हमें वेल्यु पर मिलनी चाहिए जबकि दी जाती है वेट पर, टनेज पर। बिहार को रायल्टी वेल्यु पर मिलनी चाहिए।

इसी प्रकार से बिहार में जितने उद्योग हैं उनके हैड क्वार्टर बिहार में ही क्यों नहीं हो सकते हैं जिससे कि बिहार को फायदा हो। मेरी जोरदार मांग है कि वे हेड क्वार्टर बिहार में ही होने चाहिए।

बिहार में कई कारखानों के खोलने के लिए आपके पास आवेदन पत्र पड़े हुए हैं। किशनगंज में एक जुट मिल खोलने के लिए भी है जिसकी कि आपने कोई सुनवाई नहीं की। अल्युमिनियम खनिज पदार्थ का कारखाना कटिहार में खोलने के लिये महीनों से आपके यहां फाइल पड़ी हुई हैं, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है पटना में गैस प्लान्ट खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मिनिस्ट्री आफ एनर्जी में वोटलनेक की वजह से वह नहीं हो पा रहा है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नाइट्रोबेंजाइन एनिलीन तथा नाइट्रिक एसिड बनाने की इजाजत मैसर्सकौमरिया कैमिकल्ज 1979 में दे दी गई और राजन प्रोप्राइटर को पटना में इस कारखाने को स्थापित करने नहीं दिया गया। यह बहुत ज्यादती हुई। इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

पैट्रो कैमिल्ज की बात भी अभी की गई है। मैं उसका समर्थन करता हूं। पैट्रो कैमिल्ज पर आधरित उद्योग बिहार में भी खोले जाने चाहिये।

बिहार में चम्पारन जिले में रामा कास्ट आयरन में करोड़ों रुपये की पूंजी लगी हुई है। वह उद्योग दो साल हो गये है बन्द पड़ा है। मैंने इस प्रश्न को यहां भी उठाया था और आपको भी इसके बारे में लिखा था। आपका कोई जवाब नहीं आया। आप इसको खुलवाने का प्रयास करें। मैं टेक ओवर या नेशनलाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप इसको गुलवाएं इसकी वजह से हजारों मजदूर बेकार फिर रहे हैं। इसको आप दुबारा खुलवाए और भी उद्योग है जिनकी स्थापना आप बिहार में कर सकता है। चम्पारन में अनेक बटन बनाने के काखाने हैं। बटन सीप से बनते हैं। सीप हिन्दुस्तान में बहुत कम जगह मिलता है। चम्पारन में बहुत ज्यादा मिलता है। किन्तु उसके लिए मार्किट नहीं मिल रही है। मैं चाहता हूं कि बटन उद्योग को सरकार वहां बढ़ावा दे, उसको वहां प्रोत्साहित करे।

किशनगंज में जूट मिल की योजना है। वह वहां स्थापित होनी चाहिये। इसी तरह से वाराचक्यिां जूट का बहुत बड़ा सैंटर है, इसको सब जानते हैं। वहां भी एक जूट मिल खुलनी

चाहिए। कांटी में थर्मल पावर प्लांट आप लगा रहे हैं। जार्ज साहब के निर्वाचन क्षेत्र में वह पड़ता है। बहुत कोशिश की है तब जा कर इसको मंजूरी मिली है। भेल को इसको बनाने का काम सौंपा गया है। काम बहुत ढिलाई से चल रहा है। पता नहीं किन कारणों से वहां के जनरल मैनेजर को जो एक बहुत अच्छे और कुशल जनरल मैनेजर समझे जाते थे बदल दिया गया है। मैं चाहता हूं कि इस प्लांट को आप जल्दी लगाएं और इस काम में प्रगति की रफ्तार को तेज करें।

बिहार में बुनकरों की समस्यायें हैं, बीड़ी मजदूरों की समस्याये उन पर भी आप ध्यान दें।

**श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव)** : सभापति महोदय, मैं उद्योग मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। इस मन्त्रालय के नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र के बहुत सारे उपक्रम हैं जिनमें 990 करोड़ रुपया लगा हुआ है और 1,60,000 लोग करते हैं।

वर्ष 1979-80 के दौरान उद्योगों की सामान्य स्थिति निराशापूर्ण रही। यद्यपि 1978-79 में औद्योगिक उत्पानन में 7·6 प्रतिशत की वृद्धि हुई पर 1979-80 में इसमें काफी गिरावट आई। इस वर्ष कुल मिलाकर वृद्धि शून्य ही रहेगी। इसका मुख्य कारण निर्माण क्षेत्र में लगभग 1·5 प्रतिशत की गिरावट है।

इस गिरावट के कारण स्पष्ट हैं, आधार भूत ढांचे का अकुशल कार्यकरण, श्रम सम्बन्धों में तनाव तथा अन्य प्रबन्धात्मक समस्याएं।

मन्त्रालय द्वारा चालू वर्ष के लिए जिन कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया है। उसके संदर्भ में मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के महत्व पर बल देना चाहता हूं। महोदय, 31-3-79 को केन्द्र नियन्त्रार्थन के सरकारी उपक्रमों में कुल लागत राशि 15,602 करोड़ रुपये थी। इसमें 7,801 करोड़ रुपये इक्वीटी के और 7,801 करोड़ रुपये दीर्घावधि ऋण के रूप में हैं और ये कुल 176 उपक्रम हैं। इन उपक्रमों ने 18,936 करोड़ रुपये का व्यवस्था किया।

सरकारी क्षेत्र को मजबूत बनाया जाना चाहिए और उसका विस्तार होना चाहिए। अर्थव्यवस्था यही क्षेत्र आधार होना चाहिए जिससे की पूर्व कल्पित समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। इस क्षेत्र के कुछ विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य हैं। इनसे न केवल औद्योगिक राज्य की स्थापना होगी अपितु श्रम-प्रबन्ध सम्बन्धों को भी सही दिशा मिलेगी और प्रादेशिक विनास में असन्तुलन दूर होगा एवं सामान्य औद्योगीकरण में वृद्धि होगी। सामाजिक दायित्वों के कारण इन उद्योगों का मूल्यांकन लाभ और हानि प्रक्रिया के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इनके कार्यकरण के वित्तीय परिणामों को नजरअन्दाज किया जाए क्योंकि हमारे देश में पूंजी दुर्लभ है और कभी-कभी हमें आधुनिक सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना और विकास के लिए विदेशी संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस मुद्दे को हमारी प्रधान मन्त्री ने 1970 में तब पूरी तरह स्पष्ट किया था जब वह मार्च, 1970 में सामान्य बजट पर चर्चा का उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा :

हम चाहते हैं कि हमारा सरकारी क्षेत्र लाभ कमाये पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र का एक दूसरा महत्वपूर्व उद्देश्य है अर्थात् अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचा

खड़ा करना। सरकारी क्षेत्र के आधुकर्मी, भारी इंजीनियरिंग और भारी विद्युतीय इकाइयों का निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया है।

महोदय, इन उद्योगों की क्षमता का पिछले तीन वर्षों में पूरा उपयोग नहीं हो पाया वस्तुतः क्षमता को परिभाषित करना कठिन है इसकी कई परिभाषायें की गई हैं, अर्थात् लक्षित क्षमता। स्थापित क्षमता, विकसित क्षमता अथवा प्राप्त क्षमता। कुछ भी हो किसी भी इका भी लक्षित क्षमता पारियों की संख्या पर निर्भर है चाहे वह एक वस्तु निर्मित करती हो अथव विभिन्न वस्तुओं का मिश्रण। सरकारी उद्यम ब्यूरों द्वारा दी गई सांख्यिकीय जानकारों के अनुसार सरकारी के अनुसार सरकारी क्षेत्र की 75 प्रतिशत से अधिक क्षमता का उपयोग करने वाली निर्माण इकाइयों की संख्या 1976-77 में 76 थी जो 1978-79 में घट कर 62 रह गई। 50 प्रतिशत से कम क्षमता का उपयोग करने वाली इकाइयों की संख्या 1978-79 में 17 से बढ़कर 27 हो गई। यह स्थिति पिछले वर्ष भी नहीं सुधरी प्रतीत होती है और उस बारे में निश्चित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पिछले साल कोयला, बिजली और परिवहन की अत्यधिक कमी ही घातक सिद्ध हुई। आधारभूत ढाँचों के कार्यकरण को शीघ्र सुधारने की जरूरत है। यह सन्तोष की बात है कि सरकार इस दिशा में अनेक पग उठा चुकी है। परियोजना नियोजन के कार्यान्वय में इतनी कमी है कि प्रायः परियोजना के पूर्ण होने में तीन या चार वर्ष का विलम्ब होता है, परिणाम स्वरूप लागत बहुत बढ़ जाती है और इकाइयां देश के कर दाताओं पर कर का बोझ बन जाती हैं।

महोदय, ये बड़े उद्योग छोटे उद्योगों के विकास की ओर होते हैं। छोटे उद्योगों में रोजगार की काफी सम्भावनायें होती हैं और उन्हें कम पूंजी की जरूरत होती है। इन्हें देश के किसी भाग में लगाया जा सकता है। अतः ये पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। पर यह क्षेत्र प्रायः रुग्ण रहता है और बहुधा कई इकाइयों को बन्द कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ—मेरे राज्य में यह बताया गया है कि कई लघु उद्योग इकाइयों को अपने उपयोग के लिए 50 प्रतिशत कोयला, या कोक या स्टीम कोक नहीं मिलता। कुछ लौह कारखानों को ढलाई के लिए उनकी आवश्यकता का 2/5 भाग लोह पिण्ड भी नहीं मिलते। इस माल के वितरण का काम केन्द्रीय ऐजेंसियों के हाथ में है। समन्वय करने वाली एक ऐसी एजेंसी स्थापित करना उचित होगा। जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि इकट्ठे बैठ सकते हैं ताकि·····विवरण अधिक व्यापक ढंग से हो सके तथा लोगों की आवश्यकतायें समय पर पूरी की जा सकें।

मेरे राज्य में एक और समस्या है। हमारी सरकार ने तीन कपड़ा मिलों को उद्योग (विकास और विनिमयन) अधिनियम के अन्तर्गत अपने अधिकार में ले लिया हैं। सरकार ने उनमें सामान्य स्थिति लाने के लिए भारी धन लगाया है और अब उन उद्योगों के राष्ट्रीयकरण करने का समय आ गया है। परन्तु भारत सरकार सुझाव दिया है कि कुछ और विकल्पों पर अर्थात उन्हें अन्य उद्योगों में मिलाया जाना, अन्य स्रोतों से सहायता देना इत्यादि विचार किया जाना चाहिए। श्रीमान राष्ट्रीयकरण ही उचित समाधान है। देश की वर्तमान सामाजिक और आर्थिक पहले से भी अधिक बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं। मैं मन्त्रालय की सफलता की कामना करता हूं।

**सभापति महोदय :** मूल व्यवस्था यह थी मन्त्री महोदय 3·30 बजे उत्तर देंगे। अब मेरे पास कांग्रेस (आई) दल के 44 सदस्यों की एक सूची है। विपक्ष 7 सदस्यों को भी बोलना है। इसलिए जब तक समय नहीं बढ़ाया जाता, तब तक यह संभव नहीं होगा। यदि हम समय बढ़ाते हैं तो वाद-विवाद 5-30 या 6 बजे तक चल सकता है। ऐसी स्थिति में सभा पेट्रोलियम मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा नहीं कर सकेगी। आप का क्या सुझाव है? क्या हम वाद-विवाद पर चर्चा जारी रख सकते हैं? सभा क्या चाहती है।

**श्री सत्यनारायण राव (करीमनगर)** पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय की मांगों पर एक घंटा चर्चा करने से अच्छा है कि हम उद्योग मंत्रालय पर चर्चा जारी रखें।

**प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) :** इन मांगों पर वक्ताओं की संख्या घटाई जाये। हमें कुछ समय पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के लिए कुछ समय बचाया जाये।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) :** जी नहीं, यह अच्छा है कि वाद-विवाद 6 बजे तक जारी रखा जाये।

**सभापति महोदय :** ठीक है। यदि सभा चाहती है तो हम इसे जारी रखेंगे—पेट्रोलियम मंत्रालय पर चर्चा नहीं की जायेगी।

**कुछ माननीय सदस्य :** जी हां।

**श्री दयाराम शाक्य (फरूखाबाद) :** सभापति महोदय, बहुत से ऐसे सदस्य हैं, जो अभी तक किसी विषय पर नहीं बोले हैं। उनको केवल पेट्रोलियम पर बोलना है।

**सभापति महोदय :** इस पर सभा सहमत हो चुकी है। हम सभी बातों पर चर्चा नहीं कर सकते। कृपया शांत रहें।

श्री गिरधारी लाल व्यास।

**श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) :** सभापति महोदय, इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री की डिमांड्ज के सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव मंत्री महोदय को देना चाहता हूं।

प्राईवेट सैक्टर द्वारा जो इंडस्ट्रीज खड़ी की जाती हैं, उनके लिए 90 प्रतिशत ऋण सरकारी एजेन्सियों से मिलता है और बाकी का 10 प्रतिशत भी वे लोग गोल-माल करके उसी में से निकाल लेते हैं। लेकिन उसके बाद सरकार का उनपर कोई नियन्त्रण नहीं होता है, जिसकी वजह से वे एक इंडस्ट्री का पैसा दूसरी इंडस्ट्री में डालकर पहली इंडस्ट्री कोसिक बना देते है। इस तरह सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता है। मजदूरों को तनख्वाह, बोनस, प्राविडैंट फंड और ई. एस. आई. आदि के पैसे और सुविधाओं से महरूम रखने के लिए प्राईवेट सैक्टर के लोग एक इंडस्ट्री को सिक बना कर दूसरी इंडस्ट्री खड़ी कर देते हैं। इसलिए इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को खास तौर से इस बात का ख्याल रखना चाहिए जिस इंडस्ट्री को सरकारी एजेन्सी से पैसा मिलता है, वह बराबर खड़ी रहे, सरकारी पैसे का दुरुपयोग न हो और मजदूरों का जो हिस्सा है, वह भी उन्हें मिलता रहे।

जनता पार्टी की सरकार ने मिल मालिकों को जिस प्रकार की छूट दी थी और उन्हें आम जनता को लूटने का अवसर दिया था, उस व्यवस्था को निश्चित रूप से बदलना चाहिए। कांग्रेस शासन में हमने कपड़े पर कंट्रोल इसी लिए लगाया था कि हमारे देश की 80 प्रतिशत

जनता गांवों में बसती है, जो मोटा कपडा और कंट्रोल का कपड़ा पहनती है, इस लिए वह कपड़ा उसे सस्ते भाव पर उपलब्ध हो सके। जनता पार्टी ने बड़े-बड़े मिलमालिकों से न जाने कि प्रकार का फायदा उठाया और सारे कंट्रोल समाप्त कर दिये, उन्हें अच्छा फाइन क्लाथ पैदा करने की पूरी छूट दे दी, जिससे जो कपड़ा कंट्रोल रेट पर गांवों के गरीब लोगों को मिलता था, वह भी महंगा हो गया और उन्हें भयंकर तकलीफ उठानी पड़ रही है।

तीसरी बात में सीमेंट सम्बंध में निवेदन करना चाहता हूं। सीमेंट की इंडस्ट्री खास तौर से जब कांग्रेस का शासन था तो बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, हर एक आदमी को सीमेंट ठीक प्रकार से उपलब्ध होता था। (व्यवधान) लेकिन जनता पार्टी के शासन ने सीमेंट के उद्योग को जिस तरह से बरबाद किया है उससे सीमेंट की इंडस्ट्री जितनी भी इस देश में स्थापित थी वह तमाम की तमाम कोलैप्स करने लग गई और आज आम लोगों को सीमेंट नहीं मिल पा रहा हैं। इसलिए सीमेंट से कारखाने ज्यादा स्थापित करने की व्यवस्था की जानी चाहए। राजस्थान में आप ने दो तीन लोगों को सीमेंट का कारखाना लगाने की आज्ञा दी है। लेकिन अभी तक वह कारखाने स्थापित नहीं हुए हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने का इतना स्कोप है जितना हिन्दुस्तान में और कहीं नहीं है। इतना रायैटीरियल राजस्थान में उपलब्ध है सीमेंट के लिए कि जितना और कहीं नहीं है और इसलिए राजस्थान में सीमेंट के इतने कारखाने स्थापित होने चाहिए जितने से कि देश की सीमेंट की तमाम मांग का पूरा किया जा सके।

इसी तरह से माइका के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। बिहार में सबसे ज्यादा माइका होता है, मगर उसके बाद दूसरे नम्बर पर राजस्थान आता है। राजस्थान के भीलवाड़े जिले में माइका बहुत काफी मात्रा में मिलता है। मगर उस माइका के खरीदने के सम्बन्ध में इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की तरफ से कोई उपाय नहीं किया गया है। मिडको आप ने स्थापित किया है लेकिन मिडको माइका खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं करता। यह बात निश्चित है कि भीलवाड़े जिले में जो माइका पैदा होता है वह उतना अच्छा और उस क्वालिटी का नहीं होता जो जो बिहार में होता है, उसकी किस्म कुछ घटिया है लेकिन उस हालत में भी यह इतनी मात्रा में वहां पैदा होता है कि विदेशों में उसको भेज कर उसका ज्यादा उपयोग किया जा सकता है। मिटको बहुत ही सीमित दायरे में काम करता है और आज जितना भी माइका वहाँ से निकलता है उसका कोई खरीदार नहीं है। इसका परिणाम यह है कि जहाँ 15 हजार लेबर उसमें काम करता था, आज वह तमाम की तमाम खानें बन्द पड़ी हुई हैं। मुश्किल से पांच सौ आदमी उस में अब काम करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मिडको द्वारा अधिक मात्रा में उसके खरीदने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसी तरह से जिंक का बहुत बड़ा भंडार भीलवाड़े में निकला है। आपने अखबारों में देखा होगा कि भीलवाड़े जिले के आगूंचा गांव में जिंक का हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा भंडार मिला है। मैं निवेदन करूंगा कि जिंक का इतना बढ़िया और इतना बड़ा भडार वहाँ निकला है कि जिसका उपयोग हम बहुत बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। इसलिए जिंक के सम्बन्ध में भी

कोई न कोई इंडस्ट्री जिंक स्मेलटर करने की व्यवस्था आप करें, हजारों लोगों को उससे काम मिलेगा और इस पिछड़े हुए क्षेत्र को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

इसी प्रकार से कापर, ऐस्वेस्टस, सोप स्टोन, लाइन स्टोन, लिग्नाइट और दूसरे कई प्रकार के खनिज पदार्थ भीलवाड़े जिले में निकलते हैं। उनके सम्बंध में अब तक किसी प्रकार का कोई कारखाना या कोई इंडस्ट्री वहां स्थापित नहीं की गई है। ऐस्वेस्टस भीलवाड़े जिले में इतना अच्छा और सुपर फाइन क्वालिटी का निकलता है कि हिन्दुस्तान में क्या, दुनिया में वैसा एस्वेटस कहीं नहीं निकलता। उस ऐस्वेटस के सम्बन्ध में भी कोई इंडस्ट्री वहां नहीं लगाई गई है। इसी प्रकार सोप स्टोन भीलवाड़े जिले में बहुत फाइन क्वालिटी का निकलता है और बहुत बड़े पैमाने पर निकलता है। मगर वह तमाम का तमाम एक्सपोर्ट किया जाता है। हमारे देश में इस प्रकार की कोई इंडस्ट्री स्थापित नहीं हुई जिसके जरिए से इन खनिज पदार्थों का उपयोग हमारे देश में हो सके और उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित तौर से की जानी चाहिए।

एक बात खादी और ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। खादी और ग्रामोद्योग के जरिए आप ने कहा है कि हम लाखों लोगों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मगर आप किस प्रकार का रोजगार दिला रहें हैं। खादी में कत्तिन काम करती है उसको बारह आने रोज मिलते हैं, जो बुनकर खादी में काम करता है उसको 2 या ढाई रुपये से ज्यादा नहीं मिलता। हमने बराबर कई बार मांग की कि मिनिमम वेज खादी के सम्बन्ध में भी लागू कीजिए ताकि उनका जो शोषण हो रहा है वह शोषण समाप्त हो। आप ऐग्रीकल्चर में और दूसरी इंडीस्ट्रीज में मिनिमम वेज कानून लागू करते हैं लेकिन खादी और ग्रामोद्योग में जो बड़े-बड़े अपने को सर्वोदयी नेता कहते है और जो बराबर वर्षों से, जब से देश आजाद हुआ तब से इन गरीब लोगों का शोषण कर रहें हैं उनके शोषण को समाप्त करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते, बल्कि कानून लागू करके आप ने यह व्यवस्था कर दी कि वहां पर मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू नहीं हो सकता जहां पूरी रोटी उनको नहीं मिलती। 12 आने एक कत्तिन को मिलते हैं। क्या 12 आने में एक टाइम का भोजन मिल सकता है ? इसी प्रकार से बुनकर को दो ढाई रुपये से ज्यादा नहीं मिलता। इस प्रकार का शोषण जो इस खादी और ग्रामोद्योग के अन्दर मठाधीश बन कर बैठे हैं जिन्होंने लाखों और करोड़ों की सम्पति बना ली है इस प्रकार के लोगों द्वारा जो हजारों लोगों का शोषण किया जा रहा है इसको निश्चित रूप से समाप्त करने के लिए मैं मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा। लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा अतः इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित तौर से की जानी चाहिए। आप चाहे मिनिमम वेजेज ऐक्ट को लागू न करें लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य करें कि जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए निश्चित तरीके से उदरपूर्ति की व्यवस्था हो जाए। अतः इसप्रकार की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए।

मेरा एक सुझाव और है। काटन कार्पोरेशन के द्वारा काटन खरीदने की व्यवस्था की जाती ज लेकिन काटेन कार्पोरेशन अपने तौर पर जिस स्थान से चाहता है काटन खरीददारी कर लेता है। हमारे भीलवाड़ा जिले में काफी काटन होती है लेकिन वहां पर काटन की खरीददारी

के लिए काटन कार्पोरेशन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है । वहां पर जो भी काश्तकार काटन पैदा करते हैं उनका शोषण होता है । उनको अपनी उपज का बहुत कम पैसा मिलता है । इस लिए मेरा सुझाव है कि काटन कार्पोरेशन के द्वारा काटन की खरीददारी की व्यवस्था की जानी चाहिये । भीलवाड़ा, आसीन, गुलाबपुरा, कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई टेक्सटाइल मिलें जहां पर स्थापित हैं वहां पर काटन कार्पोरेशन की ओत काटन की खरीददारी व्यवस्था होनी चाहिए तभी वहां पर गरीब काश्तकारों का शोषण समाप्त हो सकता है । वहाँ पर इसकी व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है ।

इसके अतिरिक्त भीलवाड़ा ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक बहुत बड़ा इण्डस्ट्रियल कांप्लेक्स स्थापित किया जा सकता है । आज भी वहां बहुत मांग है कि सूती कपड़े के उद्योग ज्यादा से ज्यादा स्थापित किये जायें । आपके पास एप्लाई भी किया हुआ है लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है । अगर यह व्यवस्था हो जाए तो उस क्षेत्र को बड़ा लाभ होगा । मुझे आशा है कि आप हमारे सुझावों पर अमल करेंगे ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं इन डिमाण्ड्स का समर्थन करता हूं ।

**श्री पियूष तिरकी (अलीपुरद्वार)** : उपाध्यक्ष महोदय, सारे देश में एक अशांति का वातावरण फैला हुआ है । उद्योग मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि सारे देश को सामने रखकर, सभी समस्याओं को देखते हुए अपनी रीति और अपनी योजनओं में परिवर्तन लाने की चेष्टा करें । हमने देखा है कि जबसे देश आजाद हुआ है, बहुत सारे उद्योग-धंधे खोले गये हैं लेकिन इन उद्योगों का लाभ किसको पहुंचा है ? दूसरी ओर इस दौरान कितने लोग उद्योगों में बेकार होते जा रहे हैं क्योंकि जो मामूली सी चीजें हैं, जो प्राइमरी चीजें हैं वह मोहैया नहीं हो रही हैं । जिस नीति से आज यह देश चल रहा है उसमें आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । हमने देखा कि अंग्रेजों ने इस हाउस को बनाया था. रेलें और दूसरे बहुत सारे कारखाने भी खोले थे। हमने समझा कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने फायदे के लिए इनको खोला लेकिन इस समय भी उद्योग-धंधों में कोई ज्यादा अन्तर नहीं है क्योंकि जितना भी रुपया पैसा उद्योग-धंधों का है वह पांच परसेंट लोगों को पास ही जमा होता जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने कुछ आँकड़े रखना चाहता हूं कि लगभग 15 से 25 बड़े व्यापारिक घरानों ने राष्ट्रीय राजकोष को निगल लिया है । उन्होंने अपनी सम्पत्ति को स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय समय से हजारी गुना बढ़ा लिया है । शहरी आबादी का 41 प्रतिशत तथा ग्रामीण आबादी का 51 प्रतिशत निर्धनता के स्तर से नीचे जीवन यापन कर रहा है और लगभग 20 करोड़ लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर बन गये हैं । पूर्वी क्षेत्र में काफी असन्तोष बढ़ गया है । नागरिक परस्पर झगड़ रहे हैं तथा स्वतन्त्र भारत में अपनी दुर्दशा के लिए एक दूसरे को कोस रहे हैं ।

अब मैं आपको कुछ आँकड़े स्टेटवाइज जो नौकरी की तलास में हैं, देना चाहता हूं ।

| | लाखों में |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 12·89 |
| आसाम | 3·27 |

| | |
|---|---|
| बिहार | 21·69 |
| गुजरात | 4·36 |
| हरियाणा | 3·29 |
| हिमाचल प्रदेश | 1·26 |
| जम्मू और काश्मीर | 0·54 |
| कर्नाटक | 5·60 |
| केरल | 12·75 |
| मध्य प्रदेश | 7·71 |
| महाराष्ट्र | 11·23 |
| मणिपुर | 0·88 |
| मेघालय | 0·10 |
| नागालैंड | 0·04 |
| उड़ीसा | 4·32 |
| पंजाब | 4·14 |
| राजस्थान | 3·32 |
| तमिलनाडु | 10·10 |
| त्रिपुरा | 0·68 |
| उत्तर प्रदेश | 13·76 |
| वैस्ट बंगाल | 21·99 |
| अण्डमान एंड निकोबार आईलैन्ड | 0·08 |
| चण्डीगढ़ | 0·56 |
| दिल्ली | 2·92 |
| गोवा | 0·27 |
| लक्ष्यद्वीप | 0·04 |
| मिजोराम | 0·17 |
| पोडीचेरी | 0·34 |
| कुल योग | 148·43 |

अब मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं जो ट्रेनिंग पा चुके हैं, जो बेकार हैं और काम के लिए घुम रहे हैं।

इम्पायमेंट एक्सचेंज में 31·12·1979 के मुताबिक ये आंकड़े हैं :

| | |
|---|---|
| सिविल इन्जीनियर | 5054 |
| मैकेनिकल इन्जीनियर | 7244 |

| | |
|---|---|
| इलैक्ट्रिकल इन्जीनियर | 7368 |
| कैमिकल इन्जीनियर | 10 9 |
| माइनिंग इन्जीनियर | 82 |

जो आदमी इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीचूंट से पास कर चुके हैं, वे भी एम्पलायमेंट एक्सचैंज में 31·12·1979 के मुताविक हैं;

| | |
|---|---|
| इन्जीनियरिंग ट्रेड | 3,31,382 |
| नान इन्जीनियरिंग ट्रेड | 19,920 |

ये लोग आंज भी काम के लिए इधर-उधर घूम रहे हैं। नान इन्जीनियरिंग ट्रेड में बुक बाइन्डर हैंड कम्पोजिशन एन्ड प्रूफरीडिंग, स्टैनोग्राफर आदि ये सब लोग आदि आते हैं। ये बच्चे पढ़ लिखकर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं मन्त्री महोदय से जब वे अपना जवाब देंगे, जानना चाहता हूं कि वे इनके लिए क्या कदम उठा रहे हैं।

कुछ दिन पहले मेरे निर्वाचन क्षत्र से दो आदमी आए थे। वे कह रहे थे, कि हिन्दुस्तान हमारा है। मैंने कहा ठीक है, हिन्दुस्तान हमारा है। जब वे दिल्ली घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ बड़ी-बड़ी कोठियों पर टाटा, बिरला, डालमिया आदि नाम लिखे हुए थे। फिर उन्होंने पूछा कि हिन्दुस्तान किसका है, जो मैंने कहा कि कुछ व्यक्तियों का है, हमारा नहीं है। उसके बाद वे बिरला मन्दिर देखने के लिए गए, तो उसकी औरत ने पूछा कि यह कौन से देवता का मन्दिर है। फिर उसने पूछा कि यह कौन से देवता हैं ? मैंने कहा कि मुझको रामायण और महाभारत देखना पड़ेगा कि कहां इनका नाम है मैंने कहा कि यह नए देवता हैं और इस तरह के 20-22 देवता और हैं, उनके मन्दिर भी बन रहे हैं और शायद बनेंगे। ये देवतागण हिन्दुस्तान की चाहे अर्थ-व्यवस्था हो, राजनीति हो, हर चीज को अपने हाथ में ले चुके हैं और यहाँ तक कि कि राजनीति में भी उनके नुमाइदे उनके पक्ष में हमेशा बोलते रहते हैं। इलैक्शन में भी रुपया-पैसा खर्च करके, उनके रुपए से ही सरकार बनती है। उनके रुपये इण्डस्ट्रीज बनती हैं, उनके रुपये से ही सारे देश की कानून और व्यवस्था चलती है। इन देवताओं की पूजा करना हमारी सरकार छोड़ दे। हमारे हिन्दुस्तान का हर आदमी क्या चाहता है—रोजी, रोटी, कपड़ा, मकान और उसके स्वास्थ्य की निगरानी···सिर्फ इतना ही चाहता है। इन चीजों की व्यवस्था करने के लिए हमारे उद्योग मन्त्री को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए।

आज बहुत से कल-कारखाने बन्द पड़े हैं। लेकिन उनको पूंजोपतियों को हमारी सरकार सख्त आज्ञा नहीं दे सकती, क्योंकि उनको डर है, यदि सख्ती आरम्भ हो गई तो दूसरे इलैक्शन में उनको पैसा नहीं मिलेगा। इस लिए उनको भाई, दादा कह कर, उनके पाँव का तलुवा खालिश करना हमारे मिनिस्टरों का काम बन चुका है।मैं कहता हूं कि आप थोड़ा सख्ती से बोलो, हमारी जनता मर रही है, इसको काम दो। "कुमारधोबी" कारखाने में हजारों आदमी बेकार बैठे हैं, रोटी के लिए रो रहे हैं। बिहार के लाखों आदमी और दूसरी जगहों पर गये, क्यों गये, इनको किसने भेजी ? एक्सप्लायटर्स उनको वहां ले जाते हैं। आज यहाँ पर शान्ति और व्यवस्था की बात कही जाती है, शान्ति-व्यवस्था को भंग करने वाला कौन है ? क्या हमारी सरकार को

इतना भी ज्ञान नहीं है ? वहाँ पर जितने विजनेश हैं, सब फारेनर्स के हाथ में हैं, इण्डीस्ट्रयलिस्ट्स उनसे फायदा उठा रहे हैं।

इस लिए मेरा सुझाव है कि जितने भी कारखाने बनें, उनको कैपिटलिस्ट्स के हाथ में नहीं देना चाहिए। सरकार को अपने हाथ में रख कर चलाना चाहिए, इन लुटेरों के हाथ में वे कारखाने नहीं पड़ने चाहिए। आप ने समय दिया, धन्यवाद। गरीब को समय कम मिलता है, यह हमको मालूम है। यदि हम भी पूंजीपति होते तो आधा घन्टा मिलता।

**श्री जेवियर अराकल (पूर्णाकुलम)** : मैं उद्योग मंत्रलय की मांग संख्या 59, 58 और 60 का पूरा समर्थन करता हूं। एक कहावत है 'जैसा बोओगे वैसा काटोगे'' आर्थिक सर्वेक्षण और सी०एस० ओ० में कहा गया है कि राष्ट्रीय विकास दर 3·5 प्रतिशत से कम है ; उसी उसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन 1·5 प्रतिशत से कम है जिससे पता चलता है कि इस सरकार के समक्ष बहुत महत्वपूर्ण कार्य है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सत्तारूढ़ दल के लगभग 30 सदस्यों को चर्चा में भाग लेना है। प्रत्येक को पाँच मिनट लेने चाहिएं। केवल मुख्य बातों का उल्लेख किया जाये। तब मंत्री महोदय उत्तर देंगे। यदि आप अधिक समय लेंगे। तो अन्य सदस्यों के लिए समय नहीं बचेगा।

**श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरी)** : मंत्री महोदय उत्तर कब देंगे ?

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय, पौने पांच बजे उत्तर देंगे।

**श्री जेवियर अराकल** : औद्योगीकरण का आयोजना, विनियमन, भागीदारी और आर्थिक प्रोत्साहन से निकट का संबंध है। बजट में स्पष्ट रूप से दिशा निर्देशन किया गया है और मैं मंत्री महोदय के विचारार्थ कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

(1) वर्तमान औद्योगिक और वित्तीय कानूनों एवं वर्तमान कानून प्रणाली का मूल्यांकन किया जाये।

(2) हमें समूची बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय प्रणालियों, विशेषत: आई० डी० बी० आई०, आई० एफ० सी०, एन० आई० डी० सी०, आई० सी० आई० सी० पर इस दृष्टि से गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि इन्होंने किस प्रकार राष्ट्र के औद्योगिक विकास में योगदान दिया है, तथा उनसे किन लोगों को लाभ पहुंचा है।

(3) राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मजूरी, मूल्य, आय नीति निर्धारित की जानी चाहिए। मैं इसके विस्तार में नहीं जाता हूं।

(4) हमें सब प्रकार के कच्चे माल का आयात बंद कर देना चाहिए। आज के समाचार पत्र में भी छपा है कि लाखों टन लौह-अयस्क का निर्यात किया जाने वाला है। लोग बेरोजगार क्यों हैं ? देश में गरीबी क्यों है ? मेरा निवेदन है कि कच्चे माल का निर्यात बन्द कर दिया जाये।

(5) हमें अपने देश की समूची वितरण प्रणाली पर ध्यान देना चाहिए। मेरा सुझाव है कि विवरण प्रणाली पर सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण हो।

(6) जैसा कि मैंने अपने पहले के भाषण में बताया है हमें मूलभूत उद्योगों में हड़तालों और तालाबन्दी पर रोक लगा दी जानी चाहिए।

(7) औद्योगिक तथा उत्पाद तरजीह का उल्लेख कर किया जाना चाहिए। 1948 का औद्योगिक नीति संकल्प श्री मुखर्जी ने रखा था। 1956 का संकल्प भी है। इसके अतिरिक्त 1977 की नीति भी है। हमें इन संकल्पों तथा नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए राष्ट्रीय नीति तैयार करनी चाहिए। ये मेरे सुझाव हैं। क्या मैं अपने कुछ निवेदनों की चर्चा करूं--

पहला केरल राज्य की अर्थ-व्यवस्था के बारे में है। इस राज्य की समस्या अन्य राज्यों के समान विकट है। केरल सरकार गाढ़ी कमाई को सामाजिक उद्देश्य पर व्यय कर रही है। वामपंथी सरकार किन उद्देश्यों के लिए सत्ता में है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि केरल राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे गैर-उत्पादक व्यय का राज्य के औद्योगिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मैं आपके विचारार्थ यह निवेदन कर रहा हूं—

(1) केरल राज्य में पेट्रो-रसायन उद्योगों की भारी गुंजाइश है। सरकार के विचाराधीन एक 'एरोमेटिक्स' परियोजना है। यदि इसे कोचीन शोधनशाला में स्थापित किया जाता है तो इस पर 55 करोड़ रुपए व्यय होंगे और यदि उसे मथुरा में स्थापित किया जाता है तो व्यय 200 करोड़ रुपए होगा। इसकी कहां पर अनुमति दी जानी चाहिए तथा उसकी किस स्थान के लिए स्वीकृति दी जानी चाहिए ?

(व्यवधान)

(2) दूसरी 'कैप्रोलैक्टम' परियोजना की स्थापना के बारे में है। यह अत्यन्त उपयोगी रहेगी।

दक्षिण में विकास सम्बन्धी योजना जल्दी विकसित हो जायेगी, यदि इसे स्वीकृति दी जाती है। यह बहुत से समय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उनका समय समाप्त हो गया है।

**श्री जेविवर अराकल** : मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं उद्योग मंडलम में 'फैक्ट' 35 वर्ष पुराना है। उसका आधुनिकीकरण नहीं किया गया और न ही उसमें विविध प्रकार को उत्पादन नहीं किया गया है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो लगभग 4000 कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे। ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए पुराने तथा अनुपयोगी उपकरण वहां पर हैं। जब से उसकी स्थापना हुई, वह उसी स्थिति में बना हुआ है तथा उसका कोई आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। इस पर विचार किया जाना चाहिए था।

हिन्दुस्तान एरोमैटिक्स लि० के बारे में केरल सरकार अपने दिनांक 22-10-79 और 18-2-80 के पत्रों में बताया है कि वह उसके लिए आवश्यक भूमि, बिजली, पानी, तथा अन्य साधन उपलब्ध करायेगी तथा उन्होंने केन्द्र से फैक्ट्री को चालू करने के लिए निवेदन किया है। आप जानते हैं कि उन्हें क्या उत्तर दिया गया है। एच० ए० लि० ने अपने पत्र संख्या

एम० डी० ए० / 360 / 16 / 319 दिनांक 22-2-80 में बताया कि 'मामला अ
सरकार के विचाराधीन है। क्या मैं विलम्ब के कारण जान सकता हूं ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया समाप्त करें।

**श्री जेवियर अराकल** : अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि; मुझे खेद है कि
पार्टी छोड़ने के बाद क्षी उन्नी कृष्णन ने हमारा चुनाव-घोषणा-पत्र पढ़ना बंद कर
श्री जार्ज फर्नान्डीस हमें बता रहें थे कि वह कैसे विदेश गये—

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं अगले सदस्य को बुला रहा हूं—श्री जगपाल सिंह कश्य

**श्री जयपालसिंह कश्यप** (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्रालय के
मेरा कहना है कि यह वह मंत्रालय है, जो पिछले 33 साल से हिन्दुस्तान में सरमा
निर्माण करता रहा है। इसके द्वारा देश की पूंजी कुछ लोगों के हाथों में इक्ट्ठी हुई
क्षेत्रों का ही विकास हुआ है, कुछ ही व्यक्तियों का विकास हुआ है यहां के जो
लोग हैं उनका इस मंत्रालय के द्वारा शोषण हुआ है। जिस तरह की योजनाएं मंत्र
बनानी चाहिए थीं उस तरह की योजनाएं यह मंत्रालय नहीं बना पाया है।

इस देश में इतनी अधिक आबादी है कि बेरोजगारी दूर करने का इस मंत्रा
पहले उद्योग होना चाहिए था लेकिन उद्योग इस देश में बनाये गये प्रोफिट मोटिव से
कुछ लोगों की तिजोरियाँ ज्यादा बड़ी हो गयीं, बैंक बेलेंस ज्यादा हो गये, बड़े-बड़े पूं
के हाथों में सारे स्रोत' सारा कैपिटल इक्ट्ठा हो गया। यही कारण है इस देश की गरी

इस देश के किसानों को उनकी उपज की सही कीमत नहीं मिली, मजदूरों को
मजदूरी की तंख्वाह नहीं मिली। इस देश में बेरोजगारों को इसलिए बेरोजगार रखा
कि वे सस्ते दर पर मिल सकें। इसलिए देश में मजदूरों के अधिकारों का भी हनन हो
उद्योग मंत्रालय को बेरोजगारी दूर करने की, स्थानीय मेटेरियल, कच्चे माल के स
से प्रयोग किये जाने की नीति बनानी चाहिए। जो किसान रामेटेरियल पैदा करता है
में उनको भी हिस्सा मिलना चाहिये। इस तरह की हमारी नीति होनी चाहिए।

जहां तक इस देश में बढ़ते हुए सरमायेदारों का सवाल है, उन्होंने इस देश की
तिक व्यवस्था पर प्रभाव डाला है उसके लिए उद्योग मंत्रालय विशेष रूप से जि
क्योंकि इन्हीं सरमायेदारों से इन्हें बराबर पैसा मिलता रहा है। अगर इस देश को स
तो मुख्य रूप से दस लाख रुपये से उपर के सारे उद्योग धंधों को हमें नेशनेलाइज कर
अगर आप इसको नहीं करेंगे तो देश से गरीबी और आर्थिक विषमता नहीं मिट पाएगी

करोड़ों लोग जो अपने हाथ से काम करते हैं, सही मानों में देश के वही का
कुम्हार जो अपने हाथ से चाक पर काम करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, लोहार
हाथ से तरह-तरह के औजार बनाता है, लकड़ी को जो तोड़ता है बढ़ई और इस देश
जो खड्डी पर कपड़ा बनाता है वही सही मानो में देश के कारखाने हैं, उद्योग हैं। ≡
हमारा उद्योग मंत्रालय ध्यान नहीं देता है। इनको आज तक उद्योग मंत्रालय ने उ
नहीं दिया जितना देना चाहिये था। जितना प्रोत्साहन इनको मिलना चाहिये था ≡

मिला । यही कारण है कि ये जो काम करने वाले लोग देहातों में रहते हैं, उनके उद्योग धंधे ठप्प होते जा रहे हैं और वे शहरों की ओर दौड़-दौड़ कर आ रहे हैं और शहरों कों आवादी वढ़ती चली जा रही है । उद्योगों का केन्द्रीकरण हो रहा है और कुछ एक हाथों में उद्योग धंधे तेजी से जा रहे । हमारे देश में वहुत से काम हो सकते हैं । आलू की फसल, आम की फसल का सही उपयोग नहीं होता है । मछलियों का सहीं उपयोग नहीं होता है । डिव्वा बन्दी इन वस्तुओं की तथा दूसरी वस्तुओं की हो सकती है । आलू के उत्पादन को वहुत वढ़ाया जा सकता है और इसको विदेशों को भेजा जा सकता है । इसी तरह से और भी चीजें हैं जिनका निर्यात हो सकता है और आहको विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है । मैं चाहता हूं कि हर गाँव में आप ग्राम स्तर के उद्योग धंधे खोलें और हर व्लाक स्तर पर, विकास खंड स्तर पर एक एक कारखाना खोले । तव जाकर जो वेरोजगारी है और आर्थिक विषमता है वह दूर होगी ।

वदायूं-वरेली क्षेत्र वहुत पिछड़ा हुआ है । वहाँ लाखों लोग वेरोजगार हैं । देहातों से लोग भाग भाग कर दूर स्थानों पर जा रहे हैं । वहाँ मूंगफली, तिलहन आदि हुत सी वस्तुओं का उत्पादन होता है । उन पर आधारित कारखाने आप उनके लिए खोल सकते हैं । मैं चाहता हूं कि इसकी भी आप जाँच करें ।

चारों ओर केन्द्रीकरण न हो कर कारखानों का, उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण दिया जाना चाहिये । तभी देश को फायदा हो सकता है और आर्थिक विषमता दूर हो सकती है ।

**श्री जीतेन्द्रप्रसाद (शाहजहाँपुर)** : उद्योग मंत्रालय की मांगों का मैं समर्थन करता हूं । किसी भी देश के उद्योग धंधे उस देश के विकास और उसकी प्रगति के सूचक होते हैं, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं । परन्तु जहाँ नए नए उद्योग स्थापित करना जरूरी है वहाँ उतना ही जरूरी यह भी है कि वर्तमान में जो उद्योग हमारे देश मैं स्थापित हैं वे पूरी क्षमता से काम करें । इस को देखना भी वहुत जरूरी है । मैं परिवहन उद्योग की मिसाल देना चाहता हूं । उसके कुछ आंकड़े भी मेरे पास हैं । उनसे यह साबित होता है कि हमारे देश में जो उद्योग लगे हुए हैं—वे पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं । कर्मशियल वीहिकल्ज का उत्पादन सिर्फ चालीस प्रतिशत हो रहा है । मोपेड का 35 प्रतिशत ही हो रहा है । एग्रिक्लचरल ट्रैक्टर्ज का उत्पादन 45 प्रतिशत हो रहा है । डीजल—इंजनों का 30 प्रतिशत हो हो रहा है । कहने का मतलब यह है कि अपनी उत्पादन क्षमता से बहुत कम ये उत्पादन कर रहें हैं । उद्योग मंत्री जी से मैं कहूंगा कि इस ओर उनका ध्यान जाना चाहिए और उनको एक जांच बिठानी चाहिये और पता लगाना चाहिये कि ये जो कारखाने हैं इसके उत्पादन में कमी क्यों आ रही है । एक पूर्व वक्ता ने कहा है कि आज ट्रको के ऊपर तीस चालीस हजार की ब्लैक चल रही है । मैं समझता हूं कि यह इसी वजह से है कि हमारा उत्पादन कम हो रहा है, क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहाहै ।

हमारे जो पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज हैं वे भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं, पचास प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग वे कर पा रहे हैं । वित्त मंत्री जी ने यह बताया था कि एक हाई लेवेल इंक्वायरी उन्होंने आर्डर की है । मुझे आशा है कि इस इनक्वायरी से जो तथ्य सामने आयेंगे उनको देखते हुए जो कमियां हैं उनको दूर करने में हम समर्थ हो सकेंगे ।

पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज में देखा गया है कि वे बड़े बड़े अफसरों को इनका संचालन करने के लिए भेज दिया जाता है। वे सरकारी आफिसर होते हैं। उनका एक पैर सरकार में होता है और दूसरा पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग में। नतीजा यह होता है कि वे अपने आपको उस अंडरटेकिंग के साथ आइडेंफाई नहीं कर पाते हैं, उसमें पूरी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। ऐसे अफसर आप भेजें जो दिल लगा कर काम करें और अपने आपको उस अंडरटेकिंग के साथ आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे आपने आइ० ए० एस० कायम किया है वैसे ही इण्डियन इंडस्ट्रियल सर्विस भी आप बना सकते और इन लोगों को इन अन्डरटेकिंग्ज का काम सम्भालने के लिए भेज सकते हैं। इण्डिजनस एक्सपर्टाइज जो हमारी हैं, उन्हें हमें रखना चाहिये और यह देखना चाहिये कि जो विदेशी कम्पनी हैं. वह अस्थायी प्रलोभन देकर इनको खत्म न कर सकें। हमने देखा है कि हमारे उद्योगपति एक गलत तरीका अपनाते हैं और वह यह होता है कि जैसे 1979-80 में 550 लैटर्स आफ इन्टैंट इश्यू किये गये. तो कुछ उद्योग वाले लैटर आफ इंटैंट हासिल कर के उसे कोल्ड स्टोरेज में रख लेते हैं। ऐसा वह इसलिये करते हैं कि दूसरा कोई और उद्योग स्थापित न कर सके और उनके कम्पीटीशन में न आ सके। इस प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए और इसके लिए समय निर्धारित किया जाना चाहिये कि इतने दिनों में उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए, वरना लैटर आफ इंटैंट कैंसिल किया जाना चाहिए।

हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सैंटर के बारे जनता पार्टी के जमाने में, लोकदल की सरकार के जमाने में बड़ा जोर दिया गया और हर जगह डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सैंटर खोले गये। हमारी डिमांन्डज फार ग्रान्ट्स में भी इसका जिक्र है और जैसा इसमें दिया गया है, उससे ऐसा मालूम होता है कि यदि कोई उद्योग लगाना चाहे तो वह सीधे डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज सैंटर में चला जाए, वहां पर उसको सारी चीजें मुहैय्या कर दी जायेंगी। यह गलत प्रचार है। मैं अपने यहां का, अपने जिले और अपने स्टेट का तो बता सकता हूं कि वहां पर हमें कोई सहूलियत नहीं मिलती है, न फाइनेन्स मिलता है, न टैक्निकल नो-हाऊ मिलता और न लाइसेन्स व मशीन हासिल करने में सहूलियत मिलती है और न बिजली वहां से मिलती है, सिर्फ जिस तरह से पहले इंडस्ट्रीज आफिस से हुआ करते थे, उसी तरह से ये अब भी फंक्शनें कर रहें हैं। अगर इनको कुछ चलाना है तो हमें इन्हें कुछ पावर्स डेलीगेट करनी होंगी वहां के जनरल मैनेजर्स को कि वह इंडस्ट्रीज के महत्व को देख कर उसको यह चीजें एलोकेट कर सकें।

बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में कहा जाता है कि 246 डिस्ट्रिक्ट्स गवर्नमेंट आफ इंडिया ने 1970-71 में बैकवर्ड डिक्लेटयर किये। मैं कहना चाहता हूं कि जो आज सहूलियत बेकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को दी गई हैं, जैसे कि रा-मैटीरियल, पावर लाइसैंस में प्रायरटी मिलेगी, फाइनेन्स में सहूलियत मिलेगी और उसमें सूद वगैरा की छूट मिलेगी, यह सहूलियतें कतई हम को नहीं दे रहे हैं, 11 परसेंट सूद जो इलाकों में वह चार्ज करते हैं, उसी तरह बैंकवर्ड एरियाज में भी चार्ज कर रहे हैं।

यह जो रिफाइनेंसिंग है, आई० डी० बी० आई० है उसमें भी बैंक इंट्रेस्ट नहीं लेते हैं। यह तो लोन हमको दिए हैं, उसमें रिफाइनेन्स इश्यू किया जाये।

इसी तरह से यू० पी० एफ० सी० में जो नार्मल मार्जिन मनी लगता है, उसी तरह से बेकवर्ड डिस्ट्रिक्टस में भी वही मार्जिव मनी लिया जाता है।

मैं निवेदन करूंगा कि जो आपने वायदे किए हुए हैं बैकवर्ड डिस्ट्रिक्टस के लिये, जो सहूलियतें दी हैं, कम-से-कम यह तो देखें कि यह हर जगह इम्प्लीमेंट तो हो रहे हैं।

इसके साथ साथ आपने कैपीटल सबसी डी० के लिये 101 डिस्ट्रक्टस और घोषित कर दिए हैं जिसमें 15 परसेंट, कैपीटल की इंवैस्टमेंट पर सब्सीडी दी जाएगी। मुझे नही मालूम कि यह कौन सा पैमाना आपने अख्तयार किया है जिससे 101 जिले छांटे गए हैं। मैं कह सकता हूं कि हमारा जिला शाहजहांपुर, सीतापुर ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको तो कैपीटल सब्सीडी स्कीम में नहीं लिया गया, जबकि हमारे आस-पास के जिले जो कि औद्योगिक दृष्टि से अच्छे हैं, उनको कैपिटल सब्सीडी स्कीम में ले लिया गया है, हम लोगों को उस स्कीम का हकदार नहीं माना गया है।

इस तरह से पूरे देश में बहुत इकनामिक इन्बलेन्स हो रहा है। कुछ प्रदेश उद्योग के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हुए हैं और कुछ बहुत पीछे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि उत्तरप्रदेश को पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है, हमारी आबादी और रकबे को देखते हुए हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मैं निवेदन करूंगा कि उद्योग बंटबारा जिस तरह से औरों को किया जाता है, उसी से हमारी प्रदेश में भी पूर्ति की जाए।

शाहजहांपुर में कारपेट इन्डस्ट्री है। हमारी मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट में दिया गया है कि 30 हजार आदमी हमने ट्रेन्ड किए। कारपेट इंडस्ट्री में आपने इतने आदमी अच्छे ट्रेन्ड तो कर दिए परन्तु इसका फायदा क्या हुआ ? वह लोग 5, 7 रुपए के मजदूर हैं और वह सिर्फ मजदूरी ही पाते हैं। हमारे शाहजहाँपुर के अन्दर 2 करोड़ रुपए का कारपेट एक्सपोर्ट होता है, जो गरीब लोग इसको बनाते हैं, उनको इसका कोई बैनिफिट नहीं जाता। मैं चाहता हूं कि वहां पर एक्सपोर्ट कार्पोरेशन का दफ्तर खोला जाये।

आखिर में मन्त्री महोदय से निवेदन है कि आजादी से ले कर अब तक कोई उद्योग वहां पर स्थापित नहीं किया गया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह खुद वहां चलें, अपने अधिकारियों को भी ले चलें और एक सैमिनार करें, ताकि सरकार और प्राईवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स वहां पर उद्योगों की स्थापना करें।

**श्री सी० चिन्ना स्वामी (गोबिचेट्टि पलयम) उपाध्यक्ष महोदय मैं अपनी पार्टी अन्ना-द्रमुक की ओर से उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर कुछ करना चाहता हूं।

मुझे खुशी हैकि यह महत्वपूर्ण मंत्रालय जो राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में प्रमुख भूमिका निभा रहा है, एक युवा मंत्री के हाथों में दिया गया है जोकि मुझे विश्वास है कि ऊर्जा सम्बन्धी ऐसी कठिनाईयों को दूर कर सकेंगे, जोकि देश के लिए चिन्ता का विषय बन गई है।

सरकार ने छठी योजना में 16·6 ०/० अतिरिक्त पूंजी 20 प्रतिशक वार्षिक मूल्य वृद्धि की स्थिति में निवेश के साथ 50 प्रतिशत वार्शिक विकास दर की कल्पना की है। मुझे सन्देह है कि इस विकास दर की वास्तविक रूप कैसे दिया जा सकता है। पश्चिमी देशों में औद्योगिक विकास

** तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुदान का हिन्दी रूपान्तर

दर काफी ऊंची है, परन्तु हमारा औद्योगिक पिछड़ा पन पिछले 14 वर्षों के दौरान 18 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन के योगदान पर ठहरे होने से सिद्ध है। क्या इस प्रकार के निराशाजनक कार्य द्वारा हम औद्योगिक विकास कर सकते हैं ?

इतना ही पर्याप्त नहीं है कि उद्योगों की स्थापना की जाये। ऐसे राष्ट्र के लिए जिसकी जन संख्या अबाध गति से बढ़ रही है, जबतक उद्योग नये रोजगार पैदा नहीं करते जब तक जन सेवा नहीं हो सकती। उपभोक्ता वस्तुओं के प्रति। करोड़ रुपये के शुद्ध उत्पादन पर रोजगार में लगे लोगों की संख्या 31-31 है तथा पूंजीगत वस्तुओं के प्रति एक करोड़ रु० के शुद्ध उत्पादन पर रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या 25 96 है। ये आंकड़े उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर रहे उद्योगों में निवेश करने की आवश्यकता पर बल देते हैं और इससे सरकार की रोजगार संबंधी नीति पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

केन्द्रीय सरकार कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कटिबद्ध है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। परन्तु यह अवश्य ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कुटीर क्षेत्र के उत्पादों का विपणन खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उचित ढंग से हो इसके लिए गोदामों में स्थान की कमी और वसूली के लिए धन की कमी का बहाना न बनाया जाए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग को समुचित रूप से सुदृढ किया जाए। यह बड़ी शर्म की बात है कि देश को चीनी सिमेन्ट,तेल, इस्पात अल्यूमिनियम आदि का आयात करोड़ों रुपए व्यय करके करना पड़ता है जबकि हमारे पास अत्यधिक अप्रयुक्त क्षमता तथा अत्यधिक क्षमता तथा कच्चा माल उपलब्ध है। यद्यपि कम उत्पादन का कारण विद्युत की कमी है। फिर भी इसका मुख्य कारण कुप्रबन्ध तथा गलत विवरण है। इन वस्तुओं के उत्पादन में लगी औद्योगिक इकाइयों की स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग करने की अनुमती दी जाए तथा इसके अतिरिक्त उन्हें इनके विस्तार के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए। इस समय केवल 45 ०/० क्षमता का उपयोग हो रहा है। राष्ट्र में अब कृत्रिम अभाव के कारण तबाही नहीं मचायी जा सकती। राष्ट्र की अमूल्य विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए इस समय प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

महोदय, तमिलनाडु में हाल ही में बनाया गया पेरियार जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। केन्द्र को इसे पिछड़ा हुआ जिला घोषित करना चाहिए ताकि इसे औद्योगिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक वित्तीय प्रोत्साहन तथा अन्य सुविधाएं मिल सकें। सत्यमंडलम् में कागज का कारखाना लगाने के लिए आवश्यक सभी प्रकार का कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मैं मांग करता हूं कि सत्यमंडलम् में कागज का एक कारखाना लगाया जाए। भारत सरकार को इस क्षेत्र के धरापुरम, कांगेयम, भवानी, भवानीसागर और अंठिपुर के औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने 31 मई 1980 तक उद्यमियों के 90 आवेदन-पत्र अग्रेषित किए थे। अभी तक भारत सरकार ने एक भी औद्योगिक इकाई स्थापित करने की स्वीकृति नहीं दी है। मैंने यहां कुछ सदस्यों को यह बार-बार कहते सुना है कि तमिलनाडु औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ गया है। मैं यहां बताना चाहता हूं कि ये आशंकाएं निर्मूल हैं, क्यों कि इसके समर्थन में कोई आंकड़े नहीं दिये जाते हैं। तमिलनाडु सरकार पुराची भलाईवर एम०जी० आर० के गतिशील नेतृत्व में उद्योगों को संगठित करने

जा रही है जिससे तमिल नाडु के 3 लाख नवयुवकों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। भारत सरकार ने देश भर में सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों में 15,682 करोड़ रुपये का निवेश किया है। जिसमें तमिलनाडु का भाग केवल 616 करोड़ रुपये है जोकि 4 ०/० भी नहीं बनाता है। क्या इससे देश में औद्योगिक असन्तुलन का पता नहीं चलता? तमिल लोगों के दिलों में यह भावना घर कर गई है कि केन्द्र का तमिलनाडु की औद्योगिक आवश्यकताओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण है। मैं माननीय उद्योग मंत्री से अनुरोध-करता हूं कि तमिलनाडु के औद्योगिक विकास हेतु अधिक राशि आबंटित करके इन अशिकाओं को दूर किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की माँगों पर वाद विवाद में भाग लेने के लिये अवसर प्रदान करने हेतु आपके प्रतिआभार व्यक्त करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। मेरे मित्र श्री उन्नी कृष्णन् मे यह अशंका व्यक्त की है कि हम 1956 के औद्योगिक नीति के मूल संकल्प से हट रहे है। श्री मधुकर ने भी यही आशंका व्यक्त की है। उन्हें इन शंकाओं में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम इसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। हम इसका पालन करेंगे तथा हमारे संकलप का पता इस तथ्य से चलता हैकि हमने पांच और बैंकों का राष्ट्रीय करण किया है।

**श्री रबीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर)**: छः बैंकों का।

**श्री रघुनन्दन लाल भटिया** : श्री उन्नी कृष्णन् ने यह भी कहा है कि हम अपने विद्युत संयन्त्रों को चलाने के लिए विदेशों से तकनीशियों को बुला रहे है। परन्तु यह बात नहीं है। श्री गनी खान चौधरी ने उस दिन सभा में यह कहा था कि विदेशों से आयातित विद्युत संयन्त्रों के के चलाने में कुछ कठिनाई है। हम विदेशी तकनीशियनों से यहाँ आकर संयन्त्रों को दुरुस्त करने के लिए कहेंगे। इन विद्युत संयन्त्रों को चलाने के लिए कोई विदेशी नागरिक नहीं आने वाला है।

श्री जयपालसिंह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे। यह उनके नेता श्री चरणसिंह का प्रिय विषय है। देश तेजी से प्रगति कर रहा है। हम देशको उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं। वास्तव में जनता और लोकदल सरकारों ने देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है। श्री चरण सिंह ने बहुत गलत काम किए हैं। अब हम पुराने मलबे की सफाई कर रहे हैं।

उद्योग मन्त्रालय नीति निर्माण के उत्तरदायित्व के अतिरिक्त देश में औद्योगिक विकास के लिए भी जिम्मेवार है। देश ने नीतियों के अभाव में या अन्य किसी कारणवश अतीत में भी नुकसान उठाया है। अतः मैं यह कहना चाहता हूंकि हमें अतीत में जनता सरकार तथा अन्यों द्वारा की गई गलतियों से सीखना चाहिए। सर्वप्रथम हमें समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए, गरीब लोगों की आवश्यकताओं की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे लाखों लोगों की आवश्यकताओं की जानकारी होनी चाहिए, जिनके बारे में हम सब इतने चिन्तित हैं और जिनके लिए हम इन नीतियों का निर्माण कररहे हैं तथा और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। समस्याओं की जानकारी होने के पश्चात हमें इस उद्योग की ओर देखना चाहिए तथा इस सम्बन्ध में लाखों लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

हमारा देश विशाल है तथा हमें अपने उत्पादन का समान वितरण की आवश्यकता है। यह भी हमारी नीति का एक अंग है। मैं आशा करता हूं कि नए मन्त्री, जिनकी सामान्य जानकारी बहुत अधिक है, जो अत्यधिक बुद्धिमान हैं, इन समस्याओं का समाधान करेंगे तथा ऐसी नीतियां लायेंगे जिससे हम शीघ्र ही अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकेंगे।

औद्योगिक नीति संकल्प में राजकीय उद्यम या सरकारी क्षेत्र की धारणा यह है कि इस देश के लोगों के हाथों में उत्पादन के साधन होंगे। यही हमारा उद्देश्य और नीति है। इसका उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था के उच्च स्तर पर नियन्त्रण करके सामाजिक परिवर्तन लाना है। कल बहुत से मित्र पूछ रहे थे कि सरकार की नीति क्या है? जी हां, हमारी नीति यही है। हमारा उद्देश्य केवल इस्पात का उत्पादन करना ही नहीं है, बल्कि इस्पात को परिवर्तन का एक साधन बनाना है। उद्देश्य प्राप्ति के हमारे प्रयास में हमें बहुत सी अन्य बातों को भी देखना है। सार्वजनिक क्षेत्र का नियन्त्रण अफसरशाही के हाथों में है। उनका सोचने का ढंग दूसरा है। वे अधिकारी डाक या रेलवे विभाग से आये हुए हैं और उन्हें व्यापार का कोई अनुभव नहीं है। आप ने इन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है। स्वाभाविक है कि वे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उनकी सीमायें हैं, उनके सोचने का ढंग अलग है, वे व्यापार की आवश्यकताओं के अनुरूप नम्र नहीं हो सकते, उनमें व्यापारिक कुशलता नहीं है और आपने उन्हें वहां रख दिया है। परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के हमारे उपक्रम बदनाम हो रहे हैं। अतः मैं सुझाव देता हूं कि इन सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध हेतु आप उद्योग और व्यापार के विशेषज्ञों को रखें। मेरे विचार में इन अफसरों को यह बात पसन्द नहीं आयेगी। कुछ समय पहले ऐसे प्रयोग किए गए थे। परन्तु उन्होंने उन्हें छोड़ जाने के लिए विवश कर दिया। उन्होने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जिसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति इन सरकारी उपक्रमों को चलाने के लिए न आसके। यहां भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों का एकाधिकार है। वे अपने ऊपर किसी को सहन नहीं करते अतः मेरे विचार में यह योजना चलेगी नहीं। परन्तु मैं आपको एक वैकल्पिक योजना दूंगा और वह योजना यह है—आप एक सलाहकार समिति या परिषद का गठन करें जिसमें उद्योग, रिजर्व बैंक के व्यक्ति, वित्त मन्त्रालय का एक व्यक्ति, आर्थिक कार्यों सम्बन्धी मन्त्रालय का एक व्यक्ति, एक या दो संसद सदस्य तथा सार्वजनिक व्यक्ति हों। यह पांच या छः व्यक्ति सार्वजनिक उपक्रम के सलाहकारों के रूप में कार्य करें। हो सकता है यह प्रयोग सफल रहे।

दूसरा मुद्दा मैं यह उठाना चाहता हूं। विरोधी दल के हमारे सभी मित्र, भारतीय कम्यु० पार्टी तथा भारतीय कम्यु०(मार्क्स०) जिनमें श्री ज्योतिर्मयवसु भी हैं, उस समय अत्यन्त खुश होते हैं जब हम किसी प्रतिष्ठान का राष्ट्रीयकरण करते हैं। राष्ट्रीयकरण का जहां तक सम्बन्ध है, हम उसी रास्ते पर हैं। इसमें कोई मतभेद नहीं है। परन्तु मतभेद कार्यान्वयन के समय उठता है। कारखानों में, संघों में आपसी प्रतिद्वन्दिता है। वे सार्वजनिक उपक्रमों को उसी दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से निजी उद्योग को। इन्हें यह भी देखना चाहिए कि यह सामाजिक परिवर्तन है। हमारे कतिपय उद्देश्य हैं, समान उद्देश्य हैं और हम उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। परन्तु निजी उद्योग के सम्बन्ध में वे जिस चीज को लागू करते हैं, इसमें भी वही कर रहे हैं। कुछ कारखानों में मैंने देखा है कि यूनियनों के दादा ठेकेदार भी हैं। इस प्रकार चोरियां भी होने लगी हैं। अतः यह केवल हमार दायित्व नहीं है, यह उनकी भी जिम्मेदारी है। यदि वे सार्वजनिक उपक्रम को

सफल होता देखना चाहते हैं तो इन्हें अपने तौर-तरीके सुधारने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि मजदूर प्रशासन से सहयोग करें और उनसे संघर्ष न करें। इस प्रकार हम उद्देश्य की प्राप्ति कर सकेंगे।

जहां तक लघु क्षेत्र का सम्बन्ध है, मैं केवल यही कहूंगा कि लघु क्षेत्र में निवेश किए गए एक लाख रूपए से सात व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। परन्तु यदि इसी एक लाख रुपए की राशि को बड़े उद्योगों में लगाया जाए तो इससे केवल एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है। अतः लघु क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित किया जाता है। अतः उन्हें प्रोत्साहन देना हमारी नीति का एक अंग होना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं एक प्रस्ताव रखता हूं—मिश्रित इकाइयों के लिए बड़े उद्योगों और एकाधिकारियों को परमिट न दिए जायें। आप उन्हें 'एसेम्बलिंग' के लिए लाइसेंस दे सकते हैं। जैसा कि फिलिप्स के मामले में है। इसको कार्य देने वाले लगभग 1 हजार अनुषंगी इकाइयां है। परन्तु बिड़ला और अन्यों के मामले में आपने मिश्रित इकाइयों की अनुमति दी है। वे ओटाई कर रहे हैं, कताई कर रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं, छपाई कर रहे हैं, विघटन में लगे हैं। इन कार्यों को एकाधिकार क्षेत्रों या बड़े क्षेत्रों को नहीं दिया जाना चाहिए। इससे हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि वे प्रत्येक तरफ से लाभ कमाना चाहते हैं। अतः मैं सुझाव देता हूं कि ये सभी बड़े उद्योग केवल 'एसेंब्लिंग' इकाइयां ही होनी चाहिए। उन्हें केवल एक कार्य दिया जाना चाहिए। शेष कार्य लघु क्षेत्र को दिए जाने चाहिए, ताकि वे अधिक उत्पादन कर सकें और विघटन की समस्या से दूर हो सके।

**श्री ए० के० राय (धनबाद)**: मैं जानता हूं कि वाद-विवाद का उत्तर देते समय माननीय मन्त्री अपने पूरे जोर के साथ इस बात का खंडन करेंगे कि वे 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प से हट रहे हैं। परन्तु क्या मैं यह बता सकता हूं कि निजी क्षेत्र को विद्युत उत्पादन देने, सिन्दरी उर्वरक कारखाने को समाप्त करने तथा कुमारधुबी इंजीनियरिंग वर्क्स को टाटा लौह तथा इस्पात कम्पनी को सौंपने सम्बन्धी घोषणाओं से लोगों द्वारा यह सन्देह करना उचित ही है कि यह सरकार राष्ट्रीयकरण के नाम पर व्यापक समाजवाद के नाम पर पीछे हट रही है तथा धीरे-धीरे निजी क्षेत्र की ओर अधिक झुकती जा रही है। परन्तु यह बात नहीं हैकि किन उद्योगों या किन प्रतिष्ठानों का उद्योग मन्त्रालय द्वारा राष्ट्रीयकरण किया जाना है। मुद्दा तो यह है कि स्वयं उद्योग मन्त्रालय का राष्ट्रीयकरण कैसे किया जाए। सभी एकाधिकारियों, सभी बहु राष्ट्रिकों के उद्योग मन्त्रालय में सम्पर्क हैं। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के निहित स्वार्थों में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके बाद सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सरकारी उद्यम कार्यालय अधिकारियों की भर्ती करता है और आप जानते हैं कि वहां अधिकारियों का चयन कौन करता है? सरकारी उद्यम कार्यालय का चयन मण्डल—इसके सदस्य कौन हैं? टाटा कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशक श्री रुसी मोदी इन सदस्यों में से एक हैं और वह सरकारी उद्यम कार्यालय के चयन-मण्डल में बैठते हैं और यही चयन मन्डल हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अधिकारियों का चयन करता है। अतः महोदय निजी क्षेत्र के लोग बैठकर हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अधिकारियों का चयन करते हैं। जिन

लोगों का सार्वजनिक क्षेत्र में कोई विश्वास नहीं है, वही लोग हमारे लिए अधिकारियों को जुटा रहे हैं, चयन कर रहे हैं। इस प्रकार उद्योग मन्त्रालय निजी क्षेत्र के लोगों के हाथों में है और इसकी सम्पूर्ण नीतियों का संचालन यही लोग कर रहे हैं और यही कारण है कि सार्वजनिक क्षेत्र कहीं-कहीं लाचारी अनुभव करता है।

मैं माननीय मन्त्री का ध्यान जिस दूसरी बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, वह है है मेरा धनबाद जिला। धनबाद जिला पूर्वी भारत की औद्योगिक राजधानी के समान है। सभी प्रमुख उद्योग कोयला, इस्पात, उर्वरक, अग्निसह ईंट और इंजीनियरिंग उद्योग वहीं है और यह सभी उद्योगों का ध्यान है। परन्तु आज यह उद्योग के कब्रिस्तान के समान है।

बंन्द पड़े उद्योगों में कुमारधुवी इन्जीनियरिंग वर्क्स है जिसके संबंध में कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं। मैं मन्त्रीजी से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में सभा में कोई स्पष्ट वक्तव्य दें। यही उद्योग पहले 'बर्ड एन्ड कम्पनी' के हाथ में था और कागजों में कुछ हेरा-फेरी करके यह 'हिलजर्स ग्रुप आफ कम्पनीज' के हाथ में आगया। यह केवल कागजों में की गई हेरा-फेरी है और इसके पश्चात यह उद्योग जुलाई 1979 से बंदपड़ा है तथा 4000 कर्मचारी भूखों मर रहे हैं। यह एक महत्व पूर्ण इन्जीनियरिंग उद्योग है और यह उद्योग इलाहाबाद बैंक का 8 करोड रुपये का तथा बिहार सरकार का 2 करोड रुपये का तथा कामगारों का 14 लाख रुपये का ऋणी है। इस प्रकार इसने सरकार और सभी को धोखा दिया है। इस समय कम्पनी कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश के अधीन इलाहाबाद बैंक के अधिकार में है। हमने बात भी की थी तथा बिहार सरकार, केन्द्रीय सरकार तथा इलाहाबाद बैंक के साथ विभिन्न स्तरों पर चर्चा की गई थी और हम सभी को यह आश्वासन दिया गया थाकि भारत सरकार सीधे या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से इन्जीनियरिंग कम्पनी को अपने हाथ में ले लेगी और चलायेगी। अब हमें एक अजीब समाचार मिला है कि एक षडयन्त्र चल रहा है कि वे इस फैक्ट्री को टाटा लौह तथा इस्पात कम्पनी को या किसी अन्य एकाधिकारी गृह को हौंपने जा रहे हैं। इसी कारण हम यह कहते हैं कि यह इस बात का शानदार उदाहरण होगा कि ये लोग अब तक बड़े जोर-शोर से घोषित औद्योगिक नीति संकल्प को समाप्त करने जा रहे हैं।

यही करण है कि मैंने मन्त्री महोदय से अनुरोध किया है कि वाद-विवाद का उत्तर देते समय उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि वे कुमार धुवी इंजीनियरिंग वर्क्स के सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं और वे सरकारी उद्यम कार्यालय को किस प्रकार इन एकाधिकार गृहों के प्रबन्ध निदेशकों आदि के संरक्षण से मुक्त कराने जा रहे हैं।

**श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर)** : सरकार 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के पुनरीक्षण के नाम पर सरकारी क्षेत्र का शोषण करने और उसके विस्तार को रोकने तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों का लूटने और बरबाद करने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा एकाधिकारी पूंजीपतियों को निमंत्रित कर रही है। मेरे मित्रों ने इस बात का उल्लेख किया है कि सरकार ताप बिजली घरों के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित कर रही है। परन्तु अब भी लगभग 100 कोयला खानें निजी क्षेत्र के नियंत्रण में कार्य कर रही हैं। मेरे माननीय साथी श्री ए० के० राय ने इस बात का उल्लेख किया कि सरकार ने 'कुमार धुवी इन्जीनियरिंग वर्क्स' का

राष्ट्रीयकरण करने का फैसला कर लिया है। अब, सरकार उस संस्थान को टाटा के हाथों सौंपने जा रही है। इससे यही जाहिर होता है कि सरकार किस रास्ते पर जा रही है; किस तरह वह जनता और राष्ट्र के हितों के विपरीत औद्योगिक नीति का पुनरीक्षण करना चाहती है।

महोदय आप जानते हैं कि नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन में घाटा तो रहा था। निसंदेह रूप से इस समय इसने लाभ अर्जित किया है। अब पश्चिम बंगाल में एन० टी० सी० एक एकक बंद पड़ा हुआ हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि यथा संभव शीघ्र इसको चालू किया जाए। एन० टी० सी० को निमंत्रित मूल्य का एवं मोटे कपड़े का उत्पादन करने का कार्य सौंपा गया है। दूसरी ओर निजी क्षेत्र की मिलें अच्छे और उच्चकोटि के कपड़े का निर्माण करती हैं। इसके साथ हीं, सरकार निजी क्षेत्र के लिए रूई का आयात कर रही है और निर्यात की जाने वाली विभिन्न किस्मों के लिए वित्तीय सहायता दे रही है। एकाधिकार वाली कपड़ा मिलें कम उत्पादन कर रही हैं और मूल्यवृद्धि के साथ बाजार में एकाधिकार करके अधिक धन अर्जित कर रही हैं। निजी एवं सरकारी, दोनों ही क्षेत्र की कपड़ा मिलें कुल उत्पाद के पचास प्रतिशत कपड़े का उत्पादन करती हैं जब कि बाकी का पचास प्रतिशत कपड़ा हथकरघा एवं कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित किया जाता है। परन्तु हम देखते हैं कि निजी क्षेत्र की कम्पनियों, निजी तथा सरकारी, दोनों क्षेत्रों की कपड़ा मिलों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाता है। केवल 100 करोड़ रुपए का ऋण हाथ करघा एवं कुटीर उद्योगों को दिया जाता है। यदि हथकरघा एवं कुटीर उद्योगों की और अधिक धन राशि आबंटित की जाए तो वे 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन कर सकते हैं जिससे और अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे हथकरघा एवं कुटीर उद्योगों के लिए और अधिक धन का नियतन करें। हथकरघा उद्योग को छूट के रूप में संरक्षण दिया गया है। परन्तु यह केवल नाम मात्र की है और इस छूट को व्यापारी प्राप्त करते हैं। इससे बुनकरों को वास्तव में कोई सहायता नहीं मिल पाती है। मैं सुझाव दूंगा कि उत्पादन शुल्क को समाप्त कर बुनकरों को वास्तव में सहायता दी जा सकेगी और धागे की सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा यह सहायता बुनकरों तक पहुंचायी जानी चाहिए।

पश्चिम बंगाल के लघु उद्योगों को केन्द्र से पराफिन, धागा और स्टील आदि जैसा कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। दुर्गापुर, रानीगंज, आसनसोल के आस-पास लघु उद्योगों को पर्याप्त आर्डर नहीं मिल रहे हैं और वे भूखों मर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस्पात मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं रसासन मंत्रालज, कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के साथ तालमेल करें ताकि उनको डी० एस० पी० तथा ए० एस० पी तथा ईस्टर्न कोल फील्ड से उन लघु उद्योगों को आर्डर मिल सकें जो कि संकट का सामना कर रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं आपको दो मिनट का समय और देता हूं। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। यह आपको अधिक समय दिया गया है।

**श्री कृष्णचन्द्र हल्दर** : मैं यह जानता हूं। लेकिन आप घंटी न बजाइए। मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं।

इसलिए, बांकुरा और पुरलिया के पिछड़े जिलों में लघु उद्योगों का विकास करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। मैं इस बात का सुझाव दूंगा कि सरकारी क्षेत्र को पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की जिम्मेदारी अपनेऊपर लेनी चाहिए।

महोदय, आप यह बात जानते हैं कि इन्सट्रमेंटेशज लिमिटिड की सभी ईकाइयों में पिछले चार महीने से मजदूर हड़ताल पर हैं, ये मजदूर अधिकांशतः नैमित्तिक मजदूर हैं, यद्यपि वे यहाँ पिछले तीन वर्ष से बारह वर्ष से कार्य कर रहे हैं, उनको उचित रूप से मजदूरी नहीं मिल रही है और उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया है; उन्हें श्रम कानूनों का लाभ नहीं दिया जाता है और मंत्री लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करे और समस्याओं को हल करें।

भारत आफथलमिक ग्लास लिमिटड, दुर्गापुर खराब स्थिति में है। आफथलमिक ग्लास के निर्माण के लिए निरन्तर प्रक्रिया की तकनीक शुरू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनायी गयी थी। मैं अनुरोध करूंगा इसके विस्तार के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इस प्रतिष्ठान को बचाया जा सके। टीटागढ़ की पेपर पल्प कम्पनी, जिसमें 1,800 से 1,900 तक कर्मचारी कार्य करते हैं, प्रतिदिन 45 टन अच्छी किस्म के कागज का उत्पादन कर सकती है। यह बंद होने की स्थिति में है। गत दो वो वर्षों से इसकी आर्थिक स्थिति खराब हालत में है। हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के चेयरमैन सरकार द्वारा बोर्ड में नियुक्त किया गया था ताकि इस प्रतिष्ठान का पुनरुद्धार किया जा सके परन्तु धारणा यही थी कि इस प्रतिष्ठान का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने कच्चे माल की सप्लाई का आश्वासन दिए जाने के लिए प्रधान मंत्री को पत्र लिखा हैं और इसके मजदूर संघ इस कम्पनी के पुनरुद्धार में सहयोग करने को तैयार हैं।

महोदय, मोटर मशीनरी मैन्यूफैक्चर्स कम्पनी लिमिटेड, दमदम के प्रबन्धक इस कम्पनी को 26 जुलाई से बंद कर देने की धमकी दे रहे हैं। 9 अक्तूबर 1974 को औद्योगिक विकास एवं विनियमन, अधिनियम के अन्तर्गत इस कम्पनी का आधिग्रहण किया गया था। कम्पनी ने बहुत से मजदूरों की छटनी कर दी और मजदूर संघ यह मांग कर रहा है कि छटनी किए हुए कर्मचारियों तेरह दिन के स्थान पर पन्द्रह दिन का उपदान दिया जाना चाहिए और भविष्य में जब भी नई भर्ती की जाए तो उसमें छटनी किए गए कर्मचारियों को पहले रोजगार दिया जाना चाहिए। वे मांग कर रहे हैं कि अधिग्रहण से पूर्व की उनकी बकाया धन राशि की तत्काल अदायगी की जानी जानी चाहिए।

महोदय, अब मैं लोगुर मशीनरी लिमिटेड के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहूंगा। यह एकमात्र ऐसा प्रतिष्ठान है जो जूट मिलों की मशीनों का उत्पादन करता है। यह एक आत्मनिर्भर प्रतिष्ठान था, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया परन्तु यह मैसर्स जेम्स मेकले एण्ड होल्डिग बेलफास्ट लिमिटेड, ब्रिटेन की एक सहायक कम्पनी थी। इसके प्रबन्धक इसके उत्पादन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका मान्यता प्राप्त मजदूर संघ 'कर्मचारी समिति' सहयोग करने को तैयार है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी विस्तार से इसकी जाँच करें और इसको स्थायित्व के लिए समुचित कदम उठाएं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री कृष्णचन्द्र हाल्दार** : महोदय, सिर्फ एक मिनट और। हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास लिमिटेड ने तालाबंदी घोषित कर दी है। हमने माननीय मंत्री महोदय के साथ बातचीत की थी और उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि थापर बन्धुओं ने किस तरह प्रबन्धक बोर्ड और कम्पनी में घुसपैठ की है। उन्होंने एकाधिकार तथा निबन्धकारी व्यापार व्यवहार (एम० आर० टी० पी०) अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा, विनिमयन, अधिनियम का उल्लंघन किया है। इसलिए, मैं इसबात का अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध में तत्काल जांच करायी जानी चाहिए और इस प्रतिष्ठान को तत्काल खोलते के लिए उपाय किए जाने चाहिए। सेन रैले उद्योग समूहों में लगभग 5000 कर्मचारी कार्य करते हैं। 1975 में सभी उत्पादन इकाइयों का अधिग्रहण कर लिया गया था। 1978 तक तो इसमें सुधार हुआ था परन्तु उसके बाद से इसके उत्पादन में भारी गिरावट आ रही है। इसलिए एक समान्वित प्रशासन के अन्तर्गत इस उद्योग समूह का राष्ट्रीयकरण तत्काल किया जाना आवश्यक है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब आपको अपनी बात समाप्त करनी है।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार** : मैं कानपुर के बारे में दो शब्द कहना चाहता था। कानपुर में तीन प्रतिष्ठान बंद पड़े हैं। इन प्रतिष्ठनों के नाम हैं— जे०के० रेयन, कानपुर, कानपुर कैमीकल्स और जे० के० मैन्यूफैक्चर्स लिमिटेड कानपुर। इन सभी प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में इनको फिर से खोलने लिए समुचित कदम उठाए जाने चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस विषय पर बोलने के लिए आपके पास आगामी साढ़े चार वर्षों का पर्याप्त अवसर है। आपको प्रत्येक अवसर दिया जाएगा।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : मैं विदेशी पूंजी के राष्ट्रीवकरण की मांग करता हूं। मैं भारतीय एकाधिकार पूंजी के सभी प्रतिष्ठानों के राष्ट्रीयकरण की मांग करता हूं। उन सभी का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

**श्री आरिफ मोहम्मद खान (कानपुर)** : मैं एक बड़े औद्योगिकनगर का प्रतिनिधित्व करता हूं। सामान्य बजट पर चर्चा करने वालों की सूची से मेरा नाम निकाल दिया गया क्योंकि मैं उद्योग से सम्बन्धित मांगों पर विशेष रूप से बोलना चाहता था। यदि आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं देते हैं तो यह मेरे साथ अन्याय होगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया मेरी बात सुनिए। इस चर्चा के लिए नियत किया गया समय पहले ही समाप्त हो गया है। क्या किया जाए? मैं पहले ही कह चुका हूं कि अब मंत्री जी को बहस का उत्तर देना है।

**श्री आरिफ मोहम्मद खां** : महोदय, मंत्री जी इसके लिए सहमत हो गए हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह कैसे सहमत हो सकते हैं; यह मेरा निर्णय है।

**श्री आरिफ मोहम्मद खां** : वह सहमत हो गए हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : ठीक है आप बोलिए। केवल पाँच मिनट।

**श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग विभाग

की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल इसी सदन में माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीस ने बड़ी शिकायत की थी कि इस सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में अभी कोई घोषणा नहीं की है। श्रीमान् मैं मानता हूं कि यह सरकार किसी दुर्घटनावश जन्म में नहीं आई है। इस सरकार का जिस ढंग से जन्म हुआ है उसका 96 साल पुराना इतिहास है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित परम्पराएं हैं। इसलिए श्रीमन् हमारा प्रेरणा स्रोत भारत का संविधान है, हमारा प्रेरणा स्रोत 1946 में जो प्रस्ताव पास किया गया था, 1956 में जिस औद्योगिक नीति से सम्बन्धित प्रस्ताव पास किया गया था, वह है।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय राज्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि हमें उस नीति पर सख्ती से कायम रहना चाहिए। श्रीमन् हमारी नीति जो उस समय से चली आ रही है उसी पर हम कटिबद्ध रह कर समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे। श्रीमन्, उसी वक्त से हमारी नीति है कि ऐसे बड़े-बड़े उद्योग धंधे, बुनियादी उद्योग धंधे जिनमें कि पूंजी की जरूरत हो, ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र में कायम किए जाने चाहिये। श्रीमन् यह उस वक्त से हमारी नीति है और माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस नीति पर ज्यादा तेजी से चला जाए।

श्रीमन् मैं कानपुर आता हूं और वहां का प्रतिनिधित्व करता हूं। कानपुर ऐसा शहर है जिसे मेनचेस्टर आफ ईस्ट कहा जाता था। लेकिन आज वह बीमार उद्योग धंधों का केन्द्र बन गया है। श्रीमन मैंने पहले भी प्रश्न उठाया था कि वहां एक नहीं चार-चार, पांच-पांच उद्योग धंधे कानपुर में बन्द पड़े हुए हैं।

जब हम बन्द उद्योग धंधों को देखते हैं तो दो साल पहले स्वदेशी काटन मिल की तरफ हमारा ध्यान जाता है जहां दो सौ मजदूर मार डाले गये थे। कानपुर का मजदूर आज कहता है कि ठीक है दो सौ मजदूर मारे गये लेकिन पांच हजार मजदूरों को नौकरी तो मिल गई। अगर दूसरी बन्द मिलों को भी खुलवाने के लिए कुछ मजदूर जान दे दें तो कोई बुराई नहीं है। ऐसी नौबत न आने पाए इसकी ओर उद्योग मन्त्री जी को ध्यान देना चाहिए।

कानपुर में टैफ की एक आर्गनाइजेशन है। आप ताज्जुब करेंगे कि उसमें आज के दौर में भी पिछले तीन साल से जार्ज फर्नांडिस साहब की मेहरबानी कुछ ज्यादा रही है, उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जो ज्यादा एक्सपर्ट हैं, किसी खास काम को करने के, उन लोगों को वहां भेज दिया और वहां के मजदूर को आज भी बाहर आने रोज पर मजदूरी करनी पड़ती है उसे बारह रुपये डी ए तो मिलता है लेकिन उसे मजदूरी बारह आने ही मिलती है। मेरा अनुरोध है कि इस दौर में हम को खास तौर से इन मजदूरों की किस्मत को संवारने की कोशिश करनी चाहिए।

पिछले तीन साल में कोशिश की गई छोटे और कुटीर उद्योग धन्धों के नाम पर देश के प्रगति और विकास के पहिए को मोड़ने की। किस लिए? वे लोग इन्डस्ट्रियल रिलेशन्ज बिल लेकर आए मजदूरों के अधिकारी को खत्म करने के लिए गांवों की ओर चलने का नारा लगाया गया। यह सब इसलिए किया गया ताकि वह मजदूर जो शहर में आकर बड़े उद्योग में लगकर अपने अधिकारों से परिचित होता है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, वह लौटकर गांव वापिस चला जाए और उस दल के जो समर्थक हैं, जो भूमिपति हैं, उनके बंधुआ मजदूर बनकर वे काम करें। मेरा

निवेदन है कि उस सरकार की जो नीतियां हैं बड़े उद्योग धंधों को बढ़ावा देने वाली, मजदूरों के अधिकारों का हनन करने वाली और जिनको पिछले तीन सालों में ज्यादा से ज्यादा लागू करने की कोशिश की गई थी, उनको खत्म किया जाए। उद्योगों का विस्तार किया जाए। बिना उद्योगों के विस्तार के प्रगति और विकास सम्भव नहीं है। लेकिन उसके साथ-साथ मजदूरों के अधिकार भी सुरक्षित रखे जाने चाहिए।

एक सर्जशन देकर मैं समाप्त कर दूंगा। बीमार मिलों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन कर हमारे सामने खड़ी हो गई है। मैं चाहता हूं कि बीमार मिलों का अधिग्रहण करने से पहले जो ग्रुप इनको बीमार करते हैं उनको नए लाइसेंस देने से वंचित किया जाए। ऐसा आप चाहें तो कानून में संशोधन करके कर सकते हैं। उनको नया ला लाइसेंस बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। जो मैनेजमेंट किसी मिल को बीमार करता है वह अपनी अक्षमता को सिद्ध कर देता है। मैं यह भी चाहता हूं कि बीमार मिलों अधिग्रहण करने साथ-साथ उस ग्रुप की जो अच्छी मिलें भी हैं उनका भी अधिग्रहण किया जाना चाहिए ताकि घाटे में ऐसी मिलें न चलकर फायदे में चलें।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया और मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय मेरे सुझावों पर कार्रवाई करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दल के तथा विपक्ष के सदस्यों ने देश में विद्यमान उद्योग स्थिति का जो विश्लेशण किया है और उसकी रचनात्मक आलोचना की है। उसके लिए मैं उनका आभारी हूं।

ऐसे कुछ अपवादों को छोड़कर जहां लोगों ने छल्दारमार और धमकी की बातों को आधार बनाने की कोशिश की है। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों के प्रति समुचित सम्मान व्यक्त करते हुए यह बताना चाहूंगा कि वे अब इस बात को महसूस करने लगे हैं कि राजनीतिक संस्थाओं को एक साथ विभिन्न सिद्धान्तों को मानना होगा। जहां तक हमारे देश के उद्योग और आर्थिक विकास का सम्बन्ध है, हमारा देश आज जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उनमें अब हमारे पास और ज्यादा समय नहीं है कि हम अपने आप को केवल राजनीतिक झगड़ों में न लगे रहें। किसी तरह का राजनीतिक भय हमें नहीं रखना चाहिए। मैं श्री फर्नांडीज के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अभी उनका पत्र मिला है कि वह स्वस्थ नहीं है। मुझे इस बात का अफसोस है कि स्वस्थ नहीं हैं और यहां नहीं आ सकते। जिस तरह की निंदनीय भाषा का उन्होंने उपयोग किया। मैंने उनको बताया कि जब वह मन्त्री थे और मैं विपक्ष का सदस्य था। कि जिस व्यक्ति की वैसी आदत हो, वह एक बात भूल जाता है कि विपक्ष में भी खण्डन करने की क्षमता होती है। परन्तु हमारी सीमा यह है कि हमारे दल के सदस्य अनुशासन के तहत कार्य करते हैं और वास्तव में वही सीमा हमारे व्यवहार और चरित्र को भी नियन्त्रित करती है। विपक्ष के सदस्य भी इससे बाहर नहीं है। श्री हल्दर, श्री ज्योतिर्मय बसु और अन्य दूसरे हमारे ऐसे मित्र हैं जो अनावश्यक रूप से उत्तेजित नहीं होते (व्यवधान) हम उस आलोचना का स्वागत करते हैं कभी-कभी मैं श्री बसु जैसे मित्रों को आलोचना करने के लिए उत्तेजित करता हूं। आलोचना बिल्कुल बुरी बात नहीं है। वास्तव में, लोकतन्त्र में आलोचना बहुत ही स्वस्थ मापदण्ड होती है।

जबकि जार्ज फर्नांडीज को उन नकारात्मक मुद्दों का दिया जाना चाहिए जो उन्होंने उठाए हैं और जिनका मैं निश्चित रूप से उल्लेख करूंगा जो उन्होंने उठाए हैं और जिनसे विपक्ष के सदस्यों के विभाग में सन्देह पैदा होगा मैं केवल यही पाता हूं कि उन्होंने मतभेद बढ़ाने की कोशिश की और उन्होंने मतभेद की कल्पना की और कहा कि इसका आधार तो गलियारों की कानाफूसी है अथवा वह अखबारों की उन कतरनों को पेश करने की कोशिश कर रहे थे जिनका इन बातों से कोई सम्बन्ध नहीं और वह उनको उद्धृत कर रहे थे। मैं उनका बिल्कुल उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ दूसरी बातों का उल्लेख कर रहा हूं जिनका उन्होंने उल्लेख किया। मेरे द्वारा दिए गए विवरण से माननीय सदस्य महोदय सहमत होंगे कि जिस आर्थिक आंकड़ों के अभाव के बारे में उन्होंने (श्री फर्नांडीस) कहा उसके लिए यह अधिक जिम्मेदार थे अथवा यह भी हो सकता है कि विवरण के एक भाग को उद्धृत करना ही उनके लिए सुविधा जनक था। उन्होंने बजट अथवा रिपोर्टों अथवा निष्पादन बजट नहीं पढ़ा जो माननीय सदस्यों को दिए गए हैं।

पहली बात जो उन्होंने कही और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जिसका अनुसरण किया। यह थी कि हमारा झुकाव कुछ एकाधिकार वाली कम्पनियों और विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के अधीन चल रही कम्पनियों की ओर होता जा रहा है। यह जानना रोचक होगा कि जनता सरकार और उसमें से ही बनने वाले लोकदल जिसने लगभग उसी का प्रतिनिधित्व किया, के तैंतीस महीनों में उन्होंने कुल 209 आशयपत्र जारी किये जिनमें से 50 प्रमुख विदेशी कम्पनियों को जारी किये गये थे जोकि अपने आप में एक रिकार्ड था। इससे केवल यही जाहिर होता है कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार व्यवहार और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की इस भ्रामक भाषा से हमें छुटकारा पाना चाहिए। एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार व्यवहार तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम हमारी सरकार ने शुरू किये थे। जहां तक उनके लागू किये जाने और उनके क्रियान्वय का संबंध है। उस सम्बन्ध में केवल यह बात कहनी है कि हमने उसके विषय में केवल नारेबाजी की कोशिश नहीं की अपितु ठोस कार्य किया और अब भी ठोस कार्य करने की प्रयत्न कर रहे हैं। यहां जो आंकड़े दिये गए हैं वे हमारे नहीं अपितु उस सरकार के तैंतीस महीने के आंकड़े हैं जो कि खिचड़ी सरकार थी और मुझे अफसोस है कि उस सरकार के साथ विपक्ष में बैठे हुए मेरे कुछ मित्र भी थे जो उसकी आलोचना कर रहे थे।

सरकारी क्षेत्र के इन्हीं महाशय ने जिनकी इसमें प्रमुख भूमिका थी कुल इन 33 महीनों में हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य के विषय में भी कहा। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इन 33 महीनों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य के बारे में जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं, वे अच्छे नहीं हैं मैं केवल उन दिनों उनके द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य के बारे में प्रकाशित आंकड़ों को ही उद्धृत करूंगा। माननीय सदस्यों को याद होगा कि जनता पार्टी के शासनकाल में मैंने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के खराब कार्य निष्पादन के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था और उस समय तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री मोरार जी देसाई ने उसका उत्तर देने से इन्कार कर दिया था क्योंकि वे सम्भवत: अत्यन्त निराशाजनक आंकड़े थे। मैं केवल यही उल्लेख करूंगा कि जनता सरकार ने लाभ अर्जित करने वाली इकाइयों को हानि अर्जित करने वाली इकाइयों में बदल कर रख दिया। मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहूंगा कि यह सरकारी

क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य के अच्छे आधार नहीं हैं कि जब इसे घाटा हो रहा है यह लोगों की सेवा कर रहा है। यह इस लिए है क्योंकि हमें यह बात अवश्य समझनी चाहिए कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हमारे हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सर्वेक्षण बताता है कि सरकारी क्षेत्र का कुल लाभ जो 1976-77 में 183·89 करोड़ रुपये था। 1978-79 में गिर गया और 31·96 करोड़ रुपए की कुल हानि हुई। क्या इस आँकड़े से आप उस व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र का अभिनेता बनाना चाहेंगे। जो सरकारी क्षेत्र की बात करता है और कहता है कि हम सरकारी क्षेत्र को बर्बाद कर रहे हैं ?

मैं दूसरे आंकड़ों के विस्तार में नहीं जा रहा हूं वैसे मेरे पास आंकड़े भी हैं। तत्पश्चात मैं आदरणीय सदन और विशेषकर अपने विरोधी दल के मित्रों को याद दिलाना चाहूंगा कि एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम केवल हमारी पार्टी द्वारा संविधि पुस्तिका में सम्मिलित किया गया था और हम उसका पालन कर रहे हैं। उसके बाद माननीय सदस्य ने सीमेंट उद्योग और कागज उद्योग के कुछ आंकड़ों के बारे में बात की है। ये आंशिक आंकड़े हैं। वह विशेष उद्योग के निवेश की बात करते हैं। मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये विशेष आंकड़े हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन के बारे में है। श्री फर्नान्डीस ने जो निवेश की बात कही है वह वास्तव में 38.38 करोड रुपये का ऋण था। उन्होने तैयार बजट के केवल पेज 24 पढ़ा है। निसंदेह अभी वे अनुपस्थित हैं परन्तु उन्होंने यह विश्वास दिलाया है कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा उसे वे पढ़ेंगे। मैं आपकी ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पेज 21 दूसरी बात का उल्लेख करता है क्यों कि निवेश का मतलब अपनी जेब से निवेश करना नहीं है, निवेश में ऋण भी सम्मिलित होता है। इसलिए हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन का निवेश जो था पेज 21 में 38.13 करोड़ रूपये का बजट दिखाया गया और पेज 24 में 38.38 करोड़ रूपये का निवेश दिखाया गया। अब मैं उन्हें इस आँकड़े को अपनी सुविधा हेतु उद्धृत करने के लिये दोषी नहीं ठहराऊंगा। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि यह बजट सम्बन्धी प्रक्रिया अपने आप में संभवतः एक विषय है और माननीय सदस्य को इसकी जानकारी होनी चाहिये और जब अगली बार इस सम्बन्ध में बात करें तब उन्हें हावधानी बरतनी चाहिए। उसी तरह से भारतीय सीमेंट निगम के बारे में भी पुनः उन्होंने केवल आधे आंकड़े ही दिये हैं और आधे के बारे में वे भूल गये हैं। अब भारतीय सीमेंट निगम के आंकडें जिनके बारे में वे बोल रहे थे वे केवल पृष्ठ 21 में है और वह दूसरे पृष्ठ को पढ़ना भूल गये और राशि जिसका उन्होंने उल्लेख किया था वह केवल 17.69 करोड थी। उसी दस्तावेज के पृष्ठ 21 में बडे अक्षरों में लागत पूंजी के अन्तर्गत पुनः 11.56 करोड़ रूपये का प्रावधान है। यह इक्विटी निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। ऋण और इक्विटी राशि दोनों मिलकर करीब 30 करोड रुपये होते हैं। भारतीय सीमेंट निगम के दूसरे आँकडे भी हैं। मैं केवल इतना अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य पूरी चीजों को पढ़ें और यदि आवश्यक हुआ तो वह आकर सारी चीजों के बारे में मुझसे चर्चा कर सकते हैं, तब हम जहाँ तक इन आंकडों का सम्बन्ध है उन्हें जानकारी दे सकते हैं।

कल उन्होंने जो भाषण दिया उस पर मैं अधिक समय नही देना चाहता हूं। मैं केवल कुछ ही चीजों को स्पष्ट कर सकूंगा। मैं विदेश जाने का ज्यादा शौकीन नहीं हूं क्यों कि मैं बहुत बार विभिन्न देशों को देख चुका हूं और मंत्री होने के बाद अगर मैं एक मंत्री के रूप में

जाता हूं तो कोई मनोरंजन यात्रा पर नहीं जाता हूं। मेरी और कोई धारणा बिल्कुल नहीं है मेरी केवल एक ही भावना है और वह है राष्ट्रीय भावना। हमारी टीम, मंत्रालय के साथ इन्डोनेशिया सरकार के सरकारी निमत्रण मिलने पर विदेश गई थी और उसका जो परिणाम मिला वह यह था। हमारा जो समझौता था वह बहुत सार्थक था। प्रेस सम्मेलन में मैंने इसकी चर्चा पहले से ही की है। माननीय सदस्य ने केवल उसे बदलकर सुविधाजनक आंकडों का ही उल्लेख किया है।

कुछ सदस्यों ने कुछ अन्य विषयों के बारे चर्चा की है। सर्वप्रथम उद्योग में अनेक विषय आते हैं। अत: मैं चीनी उद्योग अथवा वनस्पति तेल उद्योग के बारे में कुछ नहीं कहूंगा जिसका जिक्र कुछ माननीय सदस्यों ने किया है। उद्योग मंत्रालय में एक ऐसा मंच है, जो समन्वय मंच है अर्थात तकनिकी विकास महानिदेशालय। प्रशासनिक मंत्रालय अलग हैं। अत: मैं राष्ट्रीय कपड़ा निगम सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर नही दूंगा जिसका कुछ अन्य सदस्यों ने जिक्र किया है। मैं एक-एक मामले का जिक्र नहीं कर रहा जिसका उत्तर मैं साथ में दे चुका हूं। माननीय सदस्यों द्वारा अलग-अलग मामलों सम्बन्धी सुझावों को मैंने नोट कर लिया है और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि सभा के दोनों पक्षों से अपने रचनात्मक सुझावों का मैं अधिकतम लाभ उठाऊँ। मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं जो कि किसी दोष की भावना से नहीं बल्कि उन सदस्यों की जानकारी के उद्देश्य से है जो कुछ इस प्रकार का दावा करते हैं जैसे कि वे ही कर्मचारियों के मात्र वक्ता हैं।

**श्री ज्योतिमय बसु** : आप औद्योगिक नीति प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद ही समाजवाद के विकास के बारे में चर्चा करें।

**श्री चरणजीत चानना** : औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य पढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अनेक सदस्यों ने ऐसी समस्यायें तथा प्रश्न उठाये है जो मुझ द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्य में आ गये हैं। यह सम्भव है कि इस बारे में हमारी विचारधारा एक ही है और दिये जाने वाले वक्तव्य में शायद सारे प्रश्न आ गये हैं। माननीय सदस्यों ने एक काल्पनिक बात उठाने का प्रयास किया है जिसका मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं और पुष्टि भी कर रहा हूं। 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव हमारे दल ने बनाया था और उस समय विपक्ष में बैठे अनेक सदस्यों को वह रुचिकर नहीं लगा था। 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव पिछले लगभग बीस, पच्चीस वर्षों से कांग्रेस सरकार की नीति निर्धारण की आधार शिला सिद्ध हुआ है। 1956 की औद्योगिक नीति घोषणा में वास्तव में देश की मूल्य व्यवस्था को प्रदर्शित किया गया है और उसमें निर्णायक रूप से रचनात्मक गतिशीलता को भी दर्शाया गया है। उस प्रस्ताव के अन्तर्गत देश के आर्थिक बुनियादी ढ़ांचे का आधार स्तम्भ खड़ा करने का काम अधिक विश्वसनीयता, अत्याधिक पूंजीनिवेश और आर्थिक विकास के लिये घातक परियोजनाओं के चालू होने की लम्बी अवधि के कारण सरकारी क्षेत्र को सौंपा गया है। अत: 1956 का प्रस्ताव मेरे इस वक्तव्य का आधार है।

विकासशील अर्थव्यवस्था में उद्योगीकरण के दो पहलू हैं अर्थात अधिष्ठापित क्षमता का अधिकतम उपयोग और उद्योगों का विस्तार पिछले तीन दशकों में भारत की औद्योगिक प्रगति

का श्रेय कॉंग्रेस सरकार द्वारा अपनायी गयी नीतियों को जाता है ।सातवें दशक के मध्य में जबकि देश में उद्योगों का प्रारम्भिक काल आया तो अधिष्ठापित क्षमता के अधिकतम उपयोग और उद्योगों के विस्तार को जनता पार्टी सरकार तथा उतराधिकारी 33 महीने के शासनकाल में एक बड़ा धक्का लगा । अर्थ व्यवस्था के आधार को पिछली दो सरकारों ने बड़ी भारी क्षति पहुंचायी और विकास की सारी प्रक्रिया उल्टी कर दी (**व्यवधान**) मुझे खुशी है कि माननीय सदस्यों ने एक प्रश्न उठाया है । अगले प्रश्न पर आने से पहले मैं इसका जिक्र करूंगा । कल माननीय सदस्यों ने नीति घोषित करने में हुए विलम्ब की निंदा की है । मुझे किसी अन्य सहयोगी से यह जानकर खुशी हुई है कि जनता सरकार ने औद्योगिक नीति की घोषणा के लिये 9 महीने लिये । मेरे एक डाक्टर मित्र ने कहा कि श्री फर्नान्डीज इस सारी स्थिति को स्त्रीरोग विज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं । हम इन छः महीनों में यह देखने का प्रयत्न कर रहे थे कि पिछली सरकारों ने कितनी हानि पहुचाई है और हम इस क्षति को पूरा कर रहे हैं । वास्तव में हमारे सामने यह बड़ा भारी काम धा और हम उस पर काम कर रहे हैं·····(व्यवधान) । अतः हमें अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है, जिसमें इस समय आधारभूत ढांचे तथा निष्पादन की अपर्याप्तता सम्बन्धी कमियाँ आ गई हैं । इससे अर्थव्यवस्था में ऊर्जा, परिवहन और कोयला जैसी उद्योगों में काम आने वाली प्रमुख सामग्री की कमी जैसे दोष आ गए । स्थिति को सामान्य बनाने के लिए तथा इन दोषों को दूर करने के लिए और अर्थव्यवस्था को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है ।

**औद्योगिकीकरण तथा आर्थिक प्रगति :**

औद्योगिकीकरण आर्थिक प्रगति के लिए एक अनिवार्यता है । हमारी सरकार इस दृष्टि से देश के तेज और सन्तुलित औद्योगिकीकरण के लिए वचतबद्ध है जिससे आम आदमी को उचित मूल्यों पर अधिकाधिक वस्तुयें तथा अधिक रोजगार मिले और प्रति व्यक्ति आय बढ़े । रहन-सहन के उच्च स्तर का अर्थ यह है कि लोग अधिकाधिक औद्योगिक वस्तुओं का उपयोग करें । औद्योगिकीकरण कृषि के लिए अधिक आवश्यक आधार बनाने के लिये तथा ऊर्जा और परिवहन जैसी आधारभूत ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के लिये भी आवश्यक है । औद्योगिकीकरण का अन्ततः आर्थिक प्रभाव देश के अधिकांश लोगों पर पड़ना चाहिए ।

**औद्योगिकीकरण के लाभ का वितरण :**

औद्योगिकरण के लाभ के वितरण का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि जिसका प्रभाव देश की ग्रामीण और शहरी आवादी के अधिकांश भाग पर पड़े तथा कुछ थोड़े से हाथों में आर्थिक संकेन्द्रण न हो । जैसा कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में दिया गया है कि गतिशील औद्योगिक अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिये नये जोरदार कदम उठाये जाने की आवश्यकता है । चूंकि अब कांग्रेस पार्टी को सरकार का दायित्व सौंपा गया है । सर्वोपरि आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी प्रभावी नीतियां बनाई जायें जिनसे औद्योगिक उत्पादन में आ रही वाधाओं को दूर किया जा सके और साथ ही जो आने वाले दशकों में निम्नलिखित सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के अन्तर्गत अधिक तेजी से विकास के लिये उत्प्रेरक का काम करे :

स्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग ।

अधिकतम उत्पादन और अधिक उत्पादकता की उपलब्धि
और अधिक रोजगार पैदा करना।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का प्राथमिकता के आधार पर विकास कर क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करना।

कृषि पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देकर कृषि आधार को सुदृढ़ बनाना और अधिकतम अन्तर-क्षेत्रीय सम्बन्ध बनाना।

निर्यात-प्रधान तथा आयात प्रतिस्थापक उद्योगों को अधिक बढ़ावा देना।

सामान निवेश कर ता ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक फैले हुए छोटे किन्तु विकास शील एककों में लाभांश का समान वितरण कर आर्थिक संघ व्यवस्था को बढ़ावा देना।

ऊँची कीमतों तथा वस्तुओं की घटिया किस्मों से उपभोक्ताओं की रक्षा करना।

**सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका :** देश में हाल ही में जो राजनीतिक निष्क्रियता आई थी, उसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति लोगों का विश्वास उठ गया। इसके परिणाम स्वरूप हाल के वर्षों में निष्पादन अच्छा नहीं रहा। सार्वजनिक क्षेत्र, जिसके बारे में यह धारणा थी कि यह देश के आर्थिक बुनियादी ढांचे का आधार स्तम्भ होगा, इसे थोथला बनाया गया। अत. हमारे सामने सबसे बड़ा काम यह है कि हम फिर से सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति विश्वास बनायें। हमें न केवल जनता का सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति लोगों में विश्वास फिर से स्थापित करना है, अपितु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रभावी संचालन पद्धति का निर्माण भी करना है। सार्वजनिक क्षेत्र को जनता के क्षेत्र के रूप में मान्यता देती है, न कि इसे "किसी का भी क्षेत्र नहीं" की संज्ञा दी जाती है जो कि पिछली सरकार ने दी है।

सरकारी क्षेत्र का देश की औद्योगिक गतिविधि में एक महत्वपूर्ण स्थान है और देश की अर्थव्यवस्था को और विकसित करने के लिए अत्यधिक उत्पादन करने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने के सम्बन्ध में इसके कार्य में सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

**सुधारात्मक कदमों के लिए एकक-वार जांच**

सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पुनः कुशलता लाने के लिए एक अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों की एकक-वार आधार पर सूक्ष्म जांच की जाएगी और जहां भी आवश्यक होगा समय बद्ध कार्यक्रम के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही की जायेगी। कुछेक एककों को बड़ी समस्याओं में उलझने दिया गया और अत्यधिक उत्पादन करने के बजाय वे राजकोष पर बोझ बने रहे। प्रणाली का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन करके और गतिशील तथा सक्षम प्रबन्धकों की व्यवस्थार करके घाटे में चल रहे एककों को अर्थक्षम बनाने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी।

**प्रबन्धक संवर्ग :** रचनात्मक दृष्टि से सरकारी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। सरकारी क्षेत्र के कुछ एककों का कार्य संतोषजनक न रहने का एक कारण यह रहा है कि इसमें समुचित प्रबन्धक संवर्ग की कमी रही है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिए कारगर कदम उठाने का विचार है और कार्य, वित्त, विपणन तथा सूचना प्रणाली जैसे कार्यात्मक क्षेत्रों में प्रबन्धक संवर्ग बनाने पर जोर दिया जाएगा।

**गैर सरकारी क्षेत्र की भूमिका** : सरकार एक गतिशील, स्वावलम्बी और आधुनिक अर्थ-व्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यवाही करेगी जिसमें समाज के सभी क्षेत्रों और अंगों को ठोस भूमिका निभानी होगी। 195 के औद्योगिक नीति संकल्प में गैर सरकारी क्षत्र के औद्योगिक उपक्रमों की भूमिका राज्य की सामाजिक आर्थिक नीति के अनुसार कतिपय विनियमों के अपराधीन निश्चित की गई थी। सरकार यह स्वीकर करती है कि सामान्यरूप से यह वांछनीय होगा कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को राष्ट्रीय योजनाओं और नीतियों के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के अनुरूप विकसित होने दिया जाये परन्तु वह एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों के बढ़ने या कुछ के हाथों में आर्थिक शक्ति और धन केन्द्रित नहीं होने देगी।

**श्री ए० के० राय (धनबाद)** : महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यदि मामला नीति की घोषणा के बारे में हो तो मन्त्री महोदय पढ़कर बोल सकते हैं। परन्तु वाद विवाद का उत्तर देते समय भी क्या ऐसा कर सकते हैं?

**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नियम का उलंघन हुआ है।

**श्री ए०के० राय** : वाद-विवाद का उत्तर देते समय मंत्री महोदय पढ़कर नहीं बोल सकते हैं। कई बातें उठायी गयीं हैं। और उन्हें उन बातों का उत्तर देना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं बनता है।

**श्री चरणजीत चानना** : सरकार का प्रयास यह होगा कि इस गलत धारणा से किये हित मूलरूप से परस्पर विरोधी है, लघु और बड़े पैमाने के उद्योगों के बीच कृत्रिम विभाजन के बारे में गत तीन वर्षों की प्रवृतियों को समाप्त किया जाये। समेकित औद्योगिक विकास के लिए सभी प्रयत्न करते समय यथासंभव अधिक से अधिक सहायक उद्योगों और लघु तथा कुटीर एककों की स्थापना करने के उद्देश्य से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े प्रत्येक जिले में कुछके केन्द्रीय संयंमों की स्थापना करने के साथ साथ आर्थिक संघवाद के सिद्धांत को प्रोत्साहन दिये जाने का विचार है।

**केन्द्रीय संयंत्र** : केन्द्रीय संयंत्र का मुख्य कार्य इसके क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सहायक एककों के उत्पादों को इकट्ठा करना, अनेक लघु एककों द्वारा मांगी जाने वाली सहायक सामग्री का उत्पादन करना और पर्याप्त विपणन प्रवन्ध करना होगा। यह निवेश तथा रोजगार की एक व्यापक प्रणाली भी सुनिश्चित करेगा और औद्योगिकरण के लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचायेगा। केन्द्रीय संयंम लघु एककों की प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने का भी कार्य करेंगे। लघु एकक तभी अच्छा है जवकि इसका विकास होता रहे। चूंकि आयातित पुर्जों और सामग्री पर निर्भरता कम करने के लिए चरणवद्ध निर्माण कार्यक्रम ने हमारे औद्योगिक ढांचे को विविधीकरण वनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए कतिपय उद्योगों में बड़े पैमाने पर सहायक उद्योग स्थापित करने के लिये भलीभांति वनाये गए समय वद्ध कार्यक्रम से जगह-जगह उद्योग स्थापित होंगे और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

**सहायक उद्योगों की स्थापना का प्रभाव** : औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में प्रस्तावित केन्द्रीय संयंम लघु पैमाने के एककों का एक जाल विछा देंगे अथवा एक क्षेत्र में लघु पैमाने के एककों के जाल विछ जाने से उस क्षेत्र में केन्द्रीय संयंम स्थापित हो जाने से तेजी से विकास होगा।

इस प्रकार के दोहरे उपाय रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने में सहायक होंगे तथा साथ ही इस प्रकार के औद्योगिकरण से होने वाले लाभ को क्षेत्र की अधिक से अधिक जनता में प्रति व्यक्ति अधिक आय के रूप में समान रूप से वितरित करने में सहायक होंगे।

केन्द्रक बड़े सयन्त्रों और सहायक उद्योगों के बीच सरकार स्वीकृत औद्योगिक विकास के लिये एक सम्बद्ध पद्धति का विकास करेगी। सरकार सहायक उद्योगों के माध्यम से औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के क्रमिक विकास के लिये योजना बनायेगी।

**लघु एककों की पुन: परिभाषा** : लघु उद्योगों के तीव्र विकास के लिये सरकार ने निर्णय किया है।

(एक) छोटे एककों में निवेश की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया जाए।

(दो) लघु एककों की निवेश सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ा कर 20 लाख रुपये कर दिया जाए तथा

(तीन) सहायक एककों की निवेश सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ा कर 25 लाख रुपये कर दिया जाए।

इस प्रकार के उपायों से यन्त्रों और उपकरणों के कम मूल्यांकन कर गलत लेखे रख कर अथवा बेनामी एकक बना कर वर्तमान सीमा का उल्लंघन किये जाने प्रवृत्ति कोसमाप्त की जा सकेगी। संयत्रो और मशीनरी में निवेश की सीमा में वृद्धि वास्तविक और लघु एकक, विशेषकर वह एकक जिन्हें युवा और तकनीकी अहर्ता-प्राप्त उद्यमियों द्वारा लगाया जा रहा है, स्थापित करने में सहायक होगी। इस उपाय से अनेक वर्तमान लघु एककों का चिर-प्रवीक्षित आधुनिकीरण करने में भी सुविधा होगी।

विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के विकास में प्रमुख बाधाओं में से एक बाधा वित्त सम्बन्धी कठिनाइयां है जिनका सामान विशेष रूप से लघु कुटीर और ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक उद्यमियों को करना पड़ता है। यद्यपि संस्थागत वित्त उपलब्ध करने की पर्याप्त सुविधा है, फिर भी अल्प कालिक तथा दीर्घ कालिक पूंजी की व्यवस्था के समन्वय की आवश्यकता है। सरकार इस प्रकार की समन्वय व्यवस्था विकास कर यह सुनिश्चित करेगी कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में विकास पाने वाले एककों को ऋण सुविधा सही समय और सही शर्तों पर उपलब्ध की जाए। सरकार वर्तमा प्रबन्धों को और सशक्त बनाना चाहती है तथा इस प्रकार के परिवर्तन करना चाहती है जिस लघु क्षेत्र में विकसित हो रहे एककों को ऋण सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

लघु उद्योगों के विकास को सुगम बनाने के लिए प्रात: दुर्लभ आवश्यक माल का बफा बढ़ा भंडार बनाने के लिए एक योजना लागू करने का प्रस्ताव है। इसके लिए राज्य में लघु उद्योग विकास निगम तथा केन्द्र में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को वर्तमान व्यवस्था से भी लाभ उठाया जायेगा। राज्यों की आयश्यकताओं जिनके लिए वह प्रमुख रूप से कुछ आवश्यक कच्चे माल पर निर्भर रहती है, को भी प्राथमिकता दी जायेगी।

विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों को विपण्ण समर्थन देने और लघु उद्योगों के लिए मदों की आरक्षण सम्बन्धी नीतियां लघु उद्योगों के विकास के हित में लागू रखी जाएगी।

सरकार देश में इस प्रकार के औद्योगीकरण के संवर्द्धन के लिये कृत संकल्प है जिससे व्यवहार्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बन सके। ग्रामीण क्षेत्रों के लिये उपयुक्त उद्योगों के संवर्द्धन की गति तेज की जायेगी ताकि रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सकें तथा पर्यावरण संतुलन में विघ्न डाले बिना ही ग्रामीण जनता के लिए और अधिक प्रति व्यक्ति आय की व्यवस्था की जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की दर को तेज करने के लिए हसकरघा, हस्त-शिल्प, खादी और अन्य ग्राम्य उद्योगों की ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा।

क्षेत्रीय असन्तुलन को सुधारने तथा औद्योगिक विकास को संचारित करने के लिये औद्योकीकरण की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और देश की अर्थव्यवस्था एके बार फिर गतिशील हो जायेगी।

**प्रो०एन० जी रंगा :** विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में ऐसा होना चाहिये।

**श्री चरणजीत चानना।** जी हां, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकार ने उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करने तथा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में एकक लगाने का निर्णय किया है। इससे विशेष राहतें तथा सुविधाएँ उपलब्ध की जायेंगी और यह प्रोत्साहन विकास और कार्य-निष्पादन पर आधारित होंगे।

**प्रोत्साहनों का मूल्यांकन :** विगत में समय-समय पर उद्योगों को अनेक प्रोत्साहन दिये गये हैं। यह सरकार सुविचारत मत है कि उद्योगों को दिए जाने वाले सभी प्रोत्साहन कार्य-निष्पादन पर आधारित हों। अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि यह देखने के लिए कि जिस उद्देश्य के लिये वह प्रोत्साहन दिये गये थे, उसकी उपलब्धि किस सीमा तक हो पाई है, उसका नियमित रूप से मूल्यांकन किया जायेगा। जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, सरकार प्रोत्साहन पद्धति का मूल्यांकन करेगी।

**रोजगार और अधिक उत्पादन प्राप्त करना :** औद्योगिक विकास को अधिक उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ाने के संदर्भ में देखना होगा। गरीबी और पिछड़ेपन की समस्याओं को समाप्त करने के लिये अनेक प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता है। इसमें एक प्रमुख कार्य औद्योगिक विकास के नये केन्द्रीय स्थल पैदा करना होगा जिससे जीवन स्तर अधिक से अधिक प्रभावित हो। इसे प्रमुख रूप से स्थानीय माल और स्थानीय उपलब्ध जन-शक्ति पर आधारित करना होगा। विगत में पिछड़े क्षेत्रों में अत्यधिक निवेशों का कई मामलों में नगण्य प्रभाव ही हुआ है क्योंकि इन निदेशों का स्थानीय संसाधनों से प्रभावकारी रूप से सम्बन्ध स्थापित नहीं किया गया था।

इसलिये सरकार का सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन देने का विचार है जो इन मानदंडों को अपनायेंगे तथा इससे सहायक उद्योगों का जाल विछाने में भी सहायता मिलेगी।

**वर्तमान उत्पादन क्षमता दिखाने के लिये लाइसेंसों का पृष्ठांकन।**

1975 में सरकार ने उपस्कर में परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण, कुछ चुनिंदा उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश प्रक्रिया की उदारता और सरलीकृत प्रक्रिया के आधार पर लाइसेंस शुद्ध क्षमता से अधिक उत्पादन के पृष्ठांकन के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त क्षमताओं को स्वीकार

कर लेने कि विषय में कुछ निर्णय लिये थे। सरकार यह महसूस करती है कि कतिपय उद्योग जो जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण है था जन उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन में व्यस्त है मूल लाइसेंसों पर पृष्ठांकित उत्पादक क्षमता या 1975 की अधिसूचनाओं की शर्तों में यथा संशोधित लाइसेंस एकक की पूर्ण उत्पादक क्षमता नहीं दिखा सकते हैं। बढ़ी हुई श्रम उत्पादिकता या तकनीकी सुधरों के परिणाम स्वरूप शायद उत्पादक क्षमताओं में वृद्धि हुई है।

सरकार का अयन के आधार पर ऐसी क्षमताओं को मान्यता प्रदान करने का विचार है। लाइसेंस प्रक्रियाओं कठोर स्थानीय नीति को अधिकतम उत्पादन हासिल करने के मार्ग में बाधा बनाने देना लोक हित में नहीं होगा। उद्योगों की सूची तथा ऐसे पृष्ठांकनों के लिए स्वीकृति प्रक्रियाओं को दर्शाने वाली आवश्यक अधिसूचनायें अलग की जायेगी।

**स्वतः विकास के लिए प्रावधान**

हमारे देश जैसे विकासशील देश में संसाधनों पर दबाव के विचार से तथा पूंजीगत माल विशेषकर जिसे आयात करने की आवश्यकता पड़ती है, के मूल्यों में भारी वृद्धियों को ध्यान में रखते हुये यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वर्तमान औद्योगिक क्षमताओं के पूर्ण उपयोग पर कोई परिहार्य प्रतिबंध न लगाये जाए। यह विशेकर इन प्रमुख उद्योगों के बारे में सही है और जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध महत्वपूर्ण क्षेत्र से है। उन उद्योगों के बारे में सही है जिनकी दीर्घ कालिक निर्यात क्षमता है। ये सब उद्योग आर्थिक विकास के लिए मौलिक याजुक तथा नीति संबंधी महत्व के हैं। फरवरी 1973 में सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित उद्योगों के वर्गीकरण का अनुसरण करते हुए ऐसे उद्योगों की एक सूची घोषित थी। बाद में 1975 में सरकार ने 15 उद्योगों के बारे में स्वतः विस्तार के लिए सुविधा दी थी। इन उद्योगों के बारे में अनु मत वृद्धि क्षमता की मात्रा 15 प्रतिशत वार्षिक या पचवर्षीय योजना काल में 25 प्रतिशत तक सीमित की गई थी और इस एक या अधिक चरणों में अमल में लाया जा सकता था। यह वृद्धि अनुमोदित क्षमता के 25 प्रतिशत तक उत्पादन में सामान्य अनुमेय बृद्धि के अतिरिक्त थी। सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि यह सुविधा परिशिष्ट- I में सम्मिलित अन्य उद्योगों को भी ही जाएगी। इस संबंध में आवश्यक अधिसूचनायें अलग से जारी की जाएगी।

**निर्यातोन्मुख इकाइयां** : उद्योग को सदा बढ़ते हुए विदेशी बाजारों की आवश्यकता की पूर्ति करके व्यापार का अधिक अनुकूल संतुलन बनाते में अवश्य सहयोग करना चाहिए। सरकार 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख इकाइयों की स्थापना के लिए किए गये आवेदनों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी और निर्मात के उद्देश्यों के लिए वर्तमान इकाईयों के विस्तार तथा उत्पन्न निर्यात अवसरों का पूर्णतः उपयोग करने के लिये अधिक उत्पादन की अनुमति देने के लिये भी निवेदनों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। आर्थिक स्तर के लिये उन्नत तकनीकी अनेक मामलों में भारतीय उद्योग विदेश के बाजारों में स्पर्धा करने में समर्थ नहीं रहे हैं क्योंकि उत्पादन स्तर जो देशीय माँग के स्तर से संबंधित है, आधुनिक तकनोलाजी अर्थव्यवस्था के स्तर के लाभ उन्हें देने के लिये बहुत कम है जिन भारतीय उद्योगों के व्यापक उत्पादन आधार से विदेशों में प्रतिस्पर्धा बढ सकती है तकनोलाजी इस्तेमाल करने के लिए उसके आवेदनों पर सरकार उन्नति

अनुकूल रूप से विचार करेगी वर्शत निर्यात की पर्याप्त संभावना हो की ऐसी नीति को लागू करने का अभिप्राय केवल निर्यात को प्रोत्साहन देना नहीं है बल्कि उस कम लागत पर बढ़िया किस्म की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए उद्योग को समर्थ भी बनाना है जो अन्ततः गुल्य तथा किस्म के रूप में उपभोक्ता को लाभ पहुंचायेगी ।

मैं अभी संक्षेप में कुछ बातों का उल्लेख करूंगा । वास्तव में अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहन दिया जायेगा । "आधुनिकीकरण पैकेजेज" प्रत्येक उद्योग की आवश्यकताओं के अनुकूल विकसित किये जायेंगे और उसमें इन सभी पहलुओं शामिल किया जाएगा उपयुक्त स्थान तथा ऊर्जा का अधिकतम प्रयोग तथा लागत कम करने के लिए सही किस्म के उत्पादन स्तर एवं तकनालॉजी अपना कर उस दुर्लभ माल के उपयोग में दक्षता लाना जिसकी पूर्ति ऐसे स्रोतों से होती है जो स्थाई नहीं है ।

अनुरूप ऊर्जा उद्योग तैयार किये जायेंगे । ऊर्जा बचत करने तथा ऊर्जा बनाये रखने वाली इकाईयों के प्रति प्रोत्साहनात्मक दृष्टि कोण अपनाया जाएगा । प्रदूषण नियंत्रण को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा । जब भी उद्योग के लिए स्थान की बात आयेगी हम यह देखेंगे कि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे और उद्योग वायु तथा जल में प्रदूषण तो पैदा न करें लाइसेंस देने की प्रक्रीयाओं को सरल बनाना लाइसेंस देने की प्रक्रीयाओं में पहले से ही पर्याप्त साधारणीकरण तथा सारलीकण रहा है । तो भी उसमें और सुधार की गुंजाइस है और हम उस पर कार्य कर रहे हैं ।

देख भाल पद्धति तथा आँकड़े बैंक : यह भी विचार किया गया है कि भविष्य में आशय पत्रों । औद्योगिक् लाइसेंसों के जारी करने से संबंधित एजेंसियां अपने आपको केवल आशय पत्रों औद्योगिक लाइसेंसों से संबंधित नहीं रखगी बल्कि योजनाओं के कर्यान्वयन के देख भाल करने की विस्तृत पद्धति का भी विकास करेंगी । इस प्रयोजन के लिये विभिन्न लाइसेंस शुद्धा । पंजीकृत निवेश योजनाओं की प्रगति संबंधी आँकड़ा बैंक बनाने का बिचार हैं ।

**(श्री चरणजीत चनना जारी)**

इस योजना का लक्ष्य सभी बड़े निवेशों के प्रस्तावों के बारे में हैं ताकि कोई निवेश क्षेत्र में आधिपत्य न जमा सके ।

**औद्योगिक रुग्णता** : शीघ्र चेतावनी देने की व्यवस्था है । बहुत उद्योगों में बढ़ती हुई रुग्णता की समस्या से सरकार चिंतित है । बहुत से मित्रों ने औद्योगिक रुग्णता के बारे में चिंताव्यक्त की है । हम लोगों को विरासत में जो मिला कह औद्योगिक रुग्णता के बजाय औद्योगिक रुग्णता को ठीक करेंगे और उसे दूर करने के लिए सभी संभव कदम उठायेंगे ।

विलय और एकीकरण इसके बारे में मैं पहले ही कहा चुका हूं ।

उद्योग-अर्जन अपवाद स्वरूपों रुग्गण एककों के जीर्णोद्धार हेतु राज्य सरकारों वित्तीय संस्थाओं और श्रमिकों का प्रभावशाली सहयोग सुनिश्चित करना भी सरकार की नीति वह है । उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत प्रबंध को केवल अपवाद जनक स्थितियों में जनहित के आधार पर तब अधिकार में लिया जायेगा जब रुग्गण उपक्रमों को फिर चालू

करने का कोई दूसरा साधन सम्भव नहीं है। जहां उनका अर्जन आवश्यक होगा वहां राज्य सरकार को भी उससे सम्बद्ध किया जाएगा।

औद्योगिक सम्बन्ध पिछले तीन वर्षों में बिगड़ते हुए औद्योगिक सम्बन्धों के कारण अर्थव्यवस्था के बहुत से महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। जिससे औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई हैं। सरकार श्रम के हित और कल्याण को बहुत महत्व देती है, परन्तु वह यह भी मानती है कि अर्थव्यवस्था के सम्यक विकास हेतु औद्योगिक सम्बन्ध को रचनात्मक और मधुर बनाए रखकर उसमें श्रम और प्रबन्ध दोनों में उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से सहयोग होना आवश्यक है। सरकार ने त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन को पुनर्जीवित करने पर विचार किया है और आशा है कि आपसी समझौते और रचनात्मक सहयोग के दृष्टिकोण अपनाने से ही उच्चत्तर उत्पादन स्तर एवं औद्योगिक सामंजस्य स्थापित करना संभव होगा।

**औद्योगिक मूल्य नीति** : यह सरकार की नीति है कि उद्योग को सभी उचित सुविधायें एवं प्रोत्साहन दिए जायेंगे पर उसे एक कुशल आधार पर उत्पादन बढ़ाने, जमाखोरी और सट्टेबाजी न करने और मूल्य रेखा को बनाए रखने के अपने सामाजिक दायित्व को स्वीकार करना होगा। एक निर्धारित समय के अन्दर मूल्यों का उपभोक्ताओं के पक्ष में युक्तीकरण हेतु उद्योगों के साथ बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव है।

जिन जिला उद्योग केन्द्र योजनाओं से खर्च के अनुपात में लाभ नहीं हुआ है, सरकार ने उनका पुनरीक्षण किया है। इसलिए सरकार और अधिक प्रभावशाली विकल्प आरम्भ करने पर विचार कर रही है।

**औद्योगिक निवेश एक अन्त अर्नुशासन सम्बन्धी विचार** : औद्योगि क विकास एक आन्तः-अनुसासन सम्बन्धी विचार है। यह केवल उत्पादन कार्य से ही सम्बन्धित नहीं है परन्तु आवश्यक रचनात्मक विकास के सभी पहलुओं जैसे लाईसेंस और सहकारी नीतियों, वित्तीय आर्थिक व्यापारिक और मूल्य नीतियों, औद्योगिक सम्बन्ध एवं प्रबन्ध, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास और विस्तृत सामाजिक आर्थिक नीतियों से सम्बन्धित है।

औद्योगिक नीति का क्रियान्वयन करने के लिए केन्द्र के विभिन्न स्तरों पर और साथ ही केन्द्र एवं राज्यों के बीच ठोस एवं प्रभावशाली समन्वयन एवं प्रबन्धन की आवश्यकता है। इसकी अन्तिम सफलता उद्योग द्वारा समाज के दूसरे क्षेत्रों से सहयोग प्राप्त करने की मात्रा पर भी निर्भर होगी।

भारत सरकार का यह विश्वास है कि इस यन्त्र में जिन उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है उन्हें प्राप्त करने के लिए जिन उपायों का जिक्र किया गया है उनसे देश को अधिकांश लक्ष्यों अर्थात तीव्र आर्थिक विकास, नागरिकों की समृद्धि और समतावादी समाज की स्थापना करने में सभी वर्ग के लोगों का समर्थन प्राप्त होगा।

आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री ए०के० राय (धनबाद)** : महोदय, हम लोगों ने अपने भाषण के दौरान कुछ मुद्दे उठाए थे। हम चाहते हैं कि उनके उत्तर दिए जायें। उन्होंने उत्तर नहीं दिया है और हम इस तरह से उपेक्षा के पात्र नहीं हैं। सारे सदन की उपेक्षा की गई है।

**श्री के०पी० उन्नीकृष्णन (वडागरा)** : यह एक आश्चर्यजनक उपलब्धि है। इससे पूर्व कभी ऐसा नहीं हुआ है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्डहार्बर)** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मन्त्री महोदय जी ने कुछ किया है, उसकी चर्चा करने मैं नहीं जा रहा हूं। इसके बारे में सभा ही बैठकर निर्णय देगी कि जो बातें पूछी गई थी, उनका उत्तर देना मन्त्री महोदय का कर्त्तव्य था या नहीं। महोदय आप इस सदन के संरक्षक हैं, अपना उपयुक्त निर्णय दें।

मैं मन्त्री महोदय से जो जानना चाहता हूं वह यह है परसों जब हमने ब्रुक बांड और जिलेट ब्लैंड कम्पनी के बीच सहयोग की अनुमति दिए जाने का मामला उठाया था तो प्रधान मन्त्री जी ने बुद्धिमत्ता के साथ इस सदन में निश्चित आश्वासन दिया था कि वे मामले की जाँच कर सदन को बतायेंगी क्योंकि यह निम्न प्राथमिकता और उच्च लाभ क्षेत्र हैं। अब हम यह जानना चाहते हैं कि क्या आप इस बहु-राष्ट्रिक को यहां लाकर हमारे सभी लघु उद्योगों को जो ब्लेड्स का उत्पादन एवं रोजगार उपलब्ध कर रहे हैं और जो निम्न प्राथमिकता और उच्च लाभ का क्षेत्र है उसे खत्म करना चाहते हैं।

**श्री चरणजीत चानना** : अध्यक्ष महोदय, अभी नीति के बारे में बात करते समय में किसी विशेष मामले जैसे जिलेट ब्लैड्सा या कोका कोला के मामला में नहीं जाऊँगा। मैं पहले से ही एकाधिकार तथा निबन्धानकारी व्यापार व्यवहार अधिनियम के बारे में बोल चुका हूं और मैंने सदन को यह आश्वासन दिया है कि इन अधिनियमों के सभी उपबन्धों को, जो हमने पेश किये थे और जो कानून बन चुके हैं क्रियान्वित किया जाएगा।

**व्यवधान**

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : प्रधानमंत्री जी ने प्रश्नकाल के समय स्पष्ट आश्वासन दिया था कि वह जिलेट ब्लेड के मामले के बारे में नहीं जानती है और वह मामले की जाँचकर सदन को बतायेगी। मैं केवल मन्त्री महोदय से उत्तर देने के लिए कहूंगा।

**श्री निरेन घोष (दम दम)** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार औद्योगिक नीति संकल्प को परिवर्तन करने का विचार कर रही है। कुछ क्षेत्र जिन्हें प्रमुख क्षेत्र के लिग सुरक्षित रखा गया था, उन्हें सरकारी क्षेत्र के लिए खुला छोड़ा जा रहा है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : जी नहीं, निजी क्षेत्र के लिए।

**श्री निरेन घोष** : जी हाँ, प्राइवेट सैक्टर के लिए।

**श्री चरणजीत चानना** : मैं, सर्वप्रथम माननीय सदस्य से यह अनुरोध करूंगा कि उन्हें इसकी सही जानकारी होनी चाहिए कि वे किस क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखे जाने की बात कर रहे हैं। माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर मैं पहले दे चुका हूं।

माननीय सदस्य ने सदन में जिलेट का प्रश्न उठाया था और इसका उत्तर दे दिया गया है। नीति के मामले में माननीय सदस्य द्वारा लुगदी एकक के बारे में या राष्ट्रीय वस्त्र निगम इत्यादि के संबंध में उठाये गये प्रश्न का उत्तर हम देने नहीं जा रहें हैं। हमने नीति सम्बन्धी मामले की बात कही है और नीति के अन्तर्गत (**व्यवधान**) मुझे जवाब देने दीजिए।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : प्रधानमन्त्री जी ने निश्चित आश्वासन दिया था।

व्यवधान

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : उनको उसका उत्तर देना चाहिएहै।

**श्री चरणजीत चानना** : महोदय, मैं उत्तर दूंगा ।

**श्री रवीन्द्र वर्मा** (बम्बई उत्तर) : मैं यह कहना पड़ रहा है कि माननीय मंत्री ने पूर्णतया निराशाजनक उत्तर दिया है। महोदय, इसकी कल्पना की जा सकती है कि सभी प्रश्नों का उत्तर वाद-विवाद के दौरान हीं नहीं दिया जा सकता है । परन्तु यह असाधारण अवसरों में एक है जब मंत्री महोदय ने विपक्ष द्वारा पूछे गये प्रश्नों की उपेक्षाकर, उद्योगों की खामियां एवं उनको दूर करने के उपायों के सम्बंध में लम्बी चौड़ी व्यर्थ की बातें की और वाद-विवाद के स्तर को गिराने की कोशिश की । हम लोग इस बात से पूर्णतया निराश हो गये हैं कि वह हमारी बातों का जवाब देने की परवाह नहीं करते हैं ।

व्यवधान

**अध्यक्षमहोदय** : कृपया शांत रहिये ।

**श्री ए० के० राय** : मैं यह जानना चाहता हूं कि कुमारदुवी इंजीनियरिंग वर्क्स की सरकार अपने अधीन लेगी, जिसके बारे में मंत्री महोदय ने पहले ही सदन को आश्वासन दिया है ।

व्यवधान

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइये । आप क्या कर रहे हैं ? आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं ?

व्यवधान

**श्री ए० के० राय** : दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकारी उद्यम ब्यूरो के चुनाव बोर्ड से निजी क्षेत्र एवं एकाधिकार गृहों सदनों के प्रतिनिधियों को निकाला दिया जायेगा या नहीं ।

व्यवधान

**श्री चरणजीत चानना** : इस बोर्ड का गठन मंत्रालय द्वारा बिलकुल नहीं किया जाता है। माननीय सदस्य को यह अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि इस बोर्ड का गठन मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है । यह मेरे मन्त्रालय के अन्तर्गत नहीं आता हैं ।

व्यवधान

**श्री निरेन घोष** . महोदय, इस तरह का उत्तर पहले कभी नहीं दिया गया था ।

व्यवधान

**श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी क्षेत्र पिछड़े इलाकों के औद्योगिक विकास के काम को लेगा । मैं इस साधारण प्रश्न का उत्तर आप से चाहता हूं ।

व्यवधान

**श्री रवीन्द्र वर्मा** : माननीय मन्त्री, प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते हैं । मन्त्री महोदय का उत्तर असन्तोषप्रद एवं अनुत्तरदायित्व पूर्व होने के कारण हम सदन से उठकर बाहर जाते हैं । (व्यवधान)

तत्पश्चात् **श्री रवीन्द्र वर्मा और कुछ अन्य माननीय सदस्यगण** सदन के बाहर चले गये ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं उद्योग मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांग सम्बन्धी कटौती

प्रस्तावों को मतदान के लिए एक साथ रखूंगा । कोई माननीय सदस्य यह तो नहीं चाहता है कि उनके कटौती प्रस्तावों को अलग से रखे जायें ।

**कई माननीय सदस्य** : जी, नही महोदय ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए एक साथ रखूंगा ।

**कटौती प्रस्तावमतदान के रखे गये तथा अस्वीकृत हुए**

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं उद्योग मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों को मतदान के लिए रखूंगा ।

प्रश्न यह है कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई ।

उद्योग मंत्रालय संबंधी मांग पंख्या 58से60 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के कार्य सूचि के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजीलेखा राशियों से अनधिक राशियां भारत को सचिव निधी में से राष्ट्रपति को दी जाये ।

**प्रस्ताव स्वीकृत किया गया**

| **उद्योग मन्त्रालय** | **राजस्व** | **पूंजी** |
|---|---|---|
| | रू० | रू० |
| 58. उद्योग मन्त्रालय | 2,00,92,000 | |
| 59. उद्योग | 14,94,12,000 | 190,77,29,000 |
| 60. ग्राम और लघु उद्योग | 19,17,05,000 | 1,42,67,000 |

**श्री के० लकप्पा (तुमकुर)** : महोदय, आपकी अनुमति से मैं कर्नाटक राज्य की ओर से जानना चाहता हूं कि क्या विजयनगर इस्पात संयंत्र परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं ?

**अध्यक्ष महोदय** : अब कोई प्रश्न न करें ।

**श्री के० लकप्पा** : यह संयंत्र स्थापित नही किया जा रहा है, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं ।

**श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी)** : अभी एक मिनट का समय है । हम कुछ मांगों पर चर्चा करेंगे ।

**अध्यक्ष महोदय** : एक मिनट नहीं 35 सेकिंड बाकि है । मुझे अब आगे बढ़ना पडेगा क्यों कि छः बजने वाले हैं ।

मुझे खेद है कि एक मिनट नहीं बल्कि दस सेकिंड़ शेष हैं मैं श्री बनातवाला का भाषण सुनना चाहता था लेकिन मैं क्या कर सकता हूं कि ? हमारे पास अब दस मिनट शेष हैं । कृपया मुझे सहयोग दें ।

अब मैं शेष मांगों को मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मंत्रालयों सम्बन्धी मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजीलेखा राशियों से अनधिक राशियां भारत सचिव निधी में से राष्ट्रपति को दी जायें ।

(1) मांग संख्या 10 जिसके लिए सिंचाई मन्त्रालय उत्तरदायी है।
(2) मांग संख्या 14 जिसके लिए नागरिक पूर्ति मन्त्रालय उत्तरदायी है।
(3) मांग संख्या 15 से 19 जिनके लिए संचार मन्त्रालय उत्तरदायी है;
(4) मांग संख्या 26 से 29 जिनके लिए शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय उत्तरदायी है;
(5) मांग संख्या 32 से 43 जिनके लिए वित्त मंत्रालय उत्तरदायी है;
(6) मांग संख्या 44 से 46 जिनके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उत्तरदायी है;
(7) मांग संख्या 61 से 63 जिनके लिए सूचना और प्रसारण मन्त्रालय उत्तरदायी हैं;
(8) मांग संख्या 64 से 65 जिनके लिए श्रम मन्त्रालय उत्तरदायी है;
(9) मांग संख्या 66 से 67 जिनके लिए विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मन्त्रालय उत्तरदायी हैं;
(10) मांग संख्या 68 से 70 जिनके लिए पैट्रोलियम, रसायन, और उर्वरक मन्त्रालय उत्तरदायी है;
(11) मांग संख्या 71 से 73 जिसके लिए योजना मन्त्रालय उत्तरदायी है;
(12) मांग संख्या 75 से 78 जिनके लिए नौवहन और परिवहन मन्त्रालय उत्तरदायी है;
(13) मांग संख्या 79 जिसके लिए समाज कल्याण मन्त्रालय उत्तरदायी है;
(14) मांग संख्या 80 जिनके लिए इस्पात विभाग उत्तरदायी है और मांग संख्या 81 जिसके लिए खान विभाग (इस्पात, खान और कोयला मन्त्रालय) उत्तरदायी है;
(15) मांग संख्या 83 से 85 जिनके लिए पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय उत्तरदायी है;
(16) मांग संख्या 86 से 89 जिनके लिए पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय उत्तर-
(17) मांग संख्या 90 से 94 जिनके लिए निर्माण और आवास मन्त्रालय उत्तरदायी है;
(18) मांग संख्या 95 से 97 जिनके लिए परमाणु ऊर्जा विभाग उत्तरदायी है;
(19) मांग संख्या 98 जिसके लिए इलेक्ट्रानिक्स विभाग उत्तरदायी है;
(20) मांग संख्या 99 से 101 जिनके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उत्तरदायी है;
(21) मांग संख्या 102 जिसके लिए अन्तरिक्ष विभाग उत्तरदायी है;
(22) मांग संख्या 103 जिसके लिए लोक सभा उत्तरदायी है;
(23) मांग संख्या 104 जिसके लिए राज्य सभा उत्तरदायी है;
(24) मांग संख्या 105 जिसके लिए संसदीय कार्य विभाग उत्तरदायी है; और
(25) मांग संख्या 106 जिसके लिए उपराष्ट्रपति का सचिवालय उत्तरदायी है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## (दो) सिंचाई, नागरिक पूर्ति, संचार आदि मन्त्रालय विनियोग (संख्या ३) विधेयक

**वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1980-81 की सेवाओं के लिए भारत की संचित विधि से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को अधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 की सेवाओं के लिए भारत की सिंचित विधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को अधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्तावित स्वीकृति हुआ**

**श्री आर० वेंकटरामन** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

## आधे घंटे की चर्चा

### बिजली की प्रतिव्यक्ति, अधिष्ठापित क्षमता, उपलब्धता और खपत के बारे में

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री योगेन्द्र झा की आधे घंटे की चर्चा पर विचार करेगी।

**श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी)** : आज की आधे घंटे की चर्चा, जो मैंने उठायी है बिहार सहित देश भर में बिजली की उपलब्धता, उत्पादन और खपत से सम्बन्धित है।

सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि उत्तर में सभी मुद्दों का जवाब नहीं था और वह टालने वाला था। प्रश्नकर्त्ता उत्तरी बिहार तथा शेष बिहार में बिजली के प्रति व्यक्ति उत्पादन, उपलब्धता तथा खपत के बारे जानना चाहता था। इन बातों के उत्तर क्यों टाला गया है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे अपने उत्तर में इन आंकड़ो को दें। बिजली की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या बन गयी है। बिजली का संकट एक राष्ट्रीय संकट बन गया है।

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

ऐसी दशा में, हम ऊर्जा के विभिन्न साधनों का पता लगा रहे हैं। एक परम्परागत साधन तापीय है। उसके स्थान में मुश्किल यह हैं कि देश में कब तक कितनी स्थानों में और कितनी मात्रा में कोयला उपलब्ध होता है रहेगा। दूसरे परिवहन और कोयला आपूर्ति की समस्या भी इससे जूड़ी हुई है। अनेक बार हमें पता चला है कि कोयला न मिलने के कारण कई गाड़ियां रद्द करनी पड़ी। अपनी प्रगति के लिए देश काफी समय तक तापीय बिजली पर निर्भर नहीं कर सकता। परमाणु शक्ति से बिजली बनाने में हम प्रयत्नशील हैं। और ऊर्जा के उत्पादन कीभी हम प्रतीक्षा में हैं। अतः एकमात्र साधन पनबिजली ही है जो ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है यह ऊर्जा का सबसे अधिक विश्वासनीय स्रोत है मैं सभा से अनुरोध करूंगा। कि इस ओर अपना ध्यान दे। हमने अब तक ऊर्जा के सबसे अधिक लाभदायक तथा सस्ते स्रोत की उपेक्षा की है। एक परियोजना द्वारा जिसकी हमने उपेक्षा की देश को काफी मात्रा में बिजली मिल सकती थी जिसका चार वर्षों तक सर्वेक्षण होता रहा। सर्वेक्षण के बाद परियोजना प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया गया। उस सरकारी दस्तावेज में, जिसे मैं पढ़ रह हूं कहा गया है।

"लगभग चार वर्षों तक विस्तृत सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल के बाद केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने 1950 में एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया।

यदि प्रतिवेदन 1950 में तैयार किया गया। उसमें यह भी कहा गया :—

"इस परियोजना में यह भी शामिल है —

(क) जलाशय में 8·9 एम० ए० एफ० रोकने के लिए बुनियादी चट्टान से 783 फुट

ऊंचे बांध का बनाया जाना जिसमें से 3·1 एम० ए०एफ० को बाद के लिए आरक्षित रखा जायेगा और शेष बिजली उत्पादन के लिए रखा जायेगा।"

क्योंकि नदी पर इतने ऊँचे बाँध से 38 लाख एकड़ भूमि की निश्चित रूप से सिंचाई होगी। इससे उत्तरी बिहार के अधिकांश भाग में बाढ़ का प्रकोप समाप्त हो जाएगा।

महोदय, हमने फिर इस समस्या का सामना करना शुरू कर दिया है। इससे नदी का मार्ग बदलना रुक जाएगा। जिससे कि तटबन्धों को खतरा होता रहा है। इससे 18 लाख किलो वाट बिजली पैदा हो सकेगी। परन्तु उस परियोजना को शुरू नहीं किया गया था। यहां मैं पुनः भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव से प्राप्त पत्र से कुछ अंश उद्धृत कर रहा हूं वह अब सचिव हैं। अपने उस पत्र में उन्होंने यह बताया है। वह 11-12-75 का है।

> "बाद में पूरा करने के लिए उच्च बाँध का निर्माण स्थापित कर दिया गया था क्योंकि इस समय बिजली के बड़े भंडार के लिए कोई बाजार नहीं था और सिंचाई के लिए संग्रहीत पानी की आवश्यकता नहीं थी।"

उन्होंने यही कहा—हमारे देश में बिजली के इस तरह के बड़े भंडार के लिए कोई बाजार नहीं था। यह हमारे देश के प्रशासनिक, तकनीकी और राजनीतिक नेताओं का संयुक्त निर्णय था। हम सचमुच उस निर्णय के लिए महंगी कीमत अदा कर रहे हैं। उस निर्णय के आधार पर उस परियोजना को छोड़ दिया गया था। इसको परियोजना शुरू किया गया होता तो इस समय देश की भिन्न स्थिति होती। परन्तु, महोदय, इस सदन में इस मामले को उठाये जाने के कई वर्षों बाद बनम में बिहार सरकार ने प्रतिष्ठित इंजीनियर श्री कंवर सैन की अध्यक्षता में कोसी सलाहकार बोर्ड गठित किया और उस बोर्डने 30 सितम्बर 1974 को एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यह सर्वोत्तम समय हैं कि इस जगह क्षेत्र उच्च बांध परियोजना को शुरू किया जाए। बोर्डने महसूस किया कि उच्च बांध की स्वीकृत परियोजना को शुरू किए जाने का यह उचित समय है। बिहार में राजनीतिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक दृष्टिकोण की परवाह किए बिना इस बात के लिए एक जनआन्दोलन होता रहा है कि सभी दलों की राज्य स्तर की उच्च बांध सम्बन्धी समिति बनायी जाए। तदनुसार एक उच्च बांध सम्बन्धी समिति बनाई गई थी और इस समिति के द्वारा सम्मेलन आयोजित किया गया और 27 अगस्त 1979 को उस समिति की ओर से बिहार सरकार के विद्युत एवं जल मन्त्री ने उसमें मुझे आमन्त्रित किया। उस सम्मेलन में मुख्यअभियंता, बिहार बिजली बोर्ड के चेयरमैन उपस्थित थे और तब यह निर्णय किया गया कि फिर से एक औपचारिक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। तब उस रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि 7,000 मेगा-वाट पनबिजली कोसी नदी पर बनने वाले बांध से प्राप्त की जा सकती है। इसलिए 7,000 मेगावाट पनबिजली, एक परियोजना से, कोसी परियोजना से प्राप्त की जा सकती है। यह भाखड़ा नांगल बांध की तरह नहीं है और बिजली पैदा होती है। यहां एक प्राकृतिक झरना है जो कि एशिया में सबसे बड़ा है और वहां पानी सीधे हिमानी से कोसी नदी में गिरता है। वहां कभी पानी की कोई कमी नहीं होती है।

महोदय, इस सदन में मुझे जो उत्तर दिया गया है और जिससे यह चर्चा उठी है, वह यह

है कि उन्हें अभी प्रारम्भिक रिपोर्ट तैयार करनी है और चार वर्षीय स्थल सर्वेक्षण शुरू किया गया है जैसा कि 1950 में किया गया था। परन्तु अब फिर वे इस मामले को ताक पर उठाकर रखने का प्रयास कर रहे हैं। यह मेरी धारणा है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह एक ऐसी परियोजना नहीं हैं जो बिहार के बड़े भाव में केवल बाढ़ को रोकने के लिए नहीं है; निश्चित रूप से, उत्तर बिहार में न केवल लगभग 38 लाख हेक्टेयर भूमि के क्षेत्रफल की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा अपितु विद्युत उत्पादन के लिए भी, जो कि एक राष्ट्रीय महत्व का मामला है, पानी उपलब्ध होगा। एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि हमारे कलकत्ता बंदरगाह को खतरा है। केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री श्री केदार पाण्डे बांगला देश हो आए हैं और वार्ता चल रही है क्योंकि—कलकत्ता बन्दरगाह पर पानी की कमी रहेगी। मैं फरक्का समझौते की चर्चा करने नहीं जा रहा। मैं उस समझौते के बारे में नहीं कह रहा यद्यपि मुझे भी यह बात मालूम है कि पिछली सरकार ने वह समझौता करने के लिए राष्ट्रीय हित के एक अंश का बलिदान कर दिया। परन्तु कोसी नदी पर प्रस्तावित वराह क्षेत्र बांध से पानी का अधिकतम प्राकृतिक प्रवाह 1·5 लाख क्युजेक से गिरकर 2 लाख क्यूजेक हो जाएगा। इसका मतलब है कि यह पानी के अधिकतम प्रवाह के पांचवे भाग तक गिर जाएगा। कमी के महीनों के के दौरान कलकत्ता बन्दरगाह को 40,000 क्यूजेक पानी की आवश्यकता होती है। यदि हम इस बांध का निर्माण कर लेते हैं तो हम एक लाख क्यूजेक पानी दे सकते हैं। इससे अप्रैल-मई के दौरान होने वाली कलकत्ता बन्दरगाह की पानी की समस्या हल हो जायेगी। इसलिए, एक बार फिर यह राष्ट्रीय महत्व का मामला हो जाता है।

इस उत्तर में यह भी कहा गया है कि बिहार में इतनी बिजली का उत्पादन और उसकी उपलब्ध औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण यह उलटी बात कहना है। औद्योगिक पिछड़ापन मुख्य रूप से बिजली की अनुपलब्धता के कारण है। परन्तु यहां यह बताया गया है कि औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण, बिजली की उपलब्धता के सम्बन्ध में यह स्थिति है।

यहां मैं कहना चाहूंगा कि 7,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन न केवल बिहार के लिए न केवल नेपाल के एक बहुत बड़ भाग के लिए, न केवल पश्चिम बंगाल के लिए अपितु सारे देश के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त होगा। इस तरह यह समूचे राज्य के लिए एक बरमैंन सिद्ध होगा। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में सरकार इस परियोजना को आरम्भ करने की इच्छुक है जिससे कि हमारे पास सस्ते स्रोत से ऊर्जा उपलब्ध हो जायेगी।

यहां धनराशि का प्रश्न उठाया गया हैं। वर्तमान लागत-अनुपात जो कुछ भी हो, यदि इसमें और ज्यादा देरी की जाती है तो लगातार मुद्रास्फिति के रूख के कारण इसका लागत अनुमान और बढ़ जाएगा।

जिस पूंजीवादी रास्ते पर हम चल रहे हैं उससे यह कभी नहीं रूकेगी। लेकिन यदि हम इस परियोजना द्वारा उत्पादित होने वाली बिजली पर विचार करें तो यह सबसे कम लागत की परियोजना होगी। यदि हम परियोजना से होने वाले बाढ़-नियन्त्रण और सिंचाई के लाभों को भूल जाएं और केवल उत्पादित की जाने वाली बिजली की चर्चा करें तभी यह सबसे कम लागत वाली परियोजना होगी, ऐसी सबसे कम लागत वाली परियोजना शायद हमने कभी शुरू की हो। लागत आड़े नहीं आनी चाहिए और इस परियोजना के क्रियाचयन में आधा नहीं बनना चाहिए।

इस तरह की बड़ी परियोजनाओं के लिए हमारे पास ऋण के अनेक स्रोत हैं। गत वर्ष सोवियत नेता, किरगिस्तान गणतंत्र के प्रधानमन्त्री यहां आएगे और दिल्ली में उन्होंने कहा था कि पन बिजली परियोजनाओं के क्षेत्र में भी हमारे दोनों देश सहयोग कर सकते हैं। वे सहायता जैसे शब्द का प्रयोग सामान्यत: नहीं करन चाहते। यदि—आवश्यकता हो तो हम सोवियत संघ से सहयोग ले सकते हैं और इसके लिए उन्हें भी प्रसन्नता होगी। कभी-कभी हमें विश्व बैंक तथा दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों से सहायता मिली है। इस परियोजना केक्रियान्वयन में धनराशि बाधा नहीं बननी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय कृषि, औद्योगिक उत्पादन और देश के समग्र विकास के हित में सरकार को यथा शीघ्र गंभीरता के साथ इस परियोजना को शुरू करना चाहिए।

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन):**

कोसी उच्च बांध को बनाए जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं। उनसे मैं भी सहमत हूं; उन्होंने अपना वह दृष्टि कोण सामने रखा है कि जितना शीघ्र संभव हो सके इसका अविलम्ब निर्माण किया जाना चाहिए। हम नेपाल सरकार के साथ एवं समझौता करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि इसका जल्दी निर्माण किया जा सके। फिर भी माननीय सदस्य को यह बात समझनी चाहिए कि सम्पूर्ण परियोजना स्थल नेपाल के सीमा क्षेत्र में है जोकि एक प्रभुता सम्पन्न राज्य है और हम उस बांध का निर्माण केवल तभी कर सकते हैं जब नेपाल सरकार का हमारे साथ एक समझौता हो जाता है।

माननीय सदस्य महोदय ने कुछ सर्वेक्षण सामने रखे हैं, उदाहरण के लिए 1950 में एक सर्वेक्षण किया गया था और एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया था। मुझे मालूम है कि 1950 में एक सर्वेक्षण किया गया था और उसके अनुसार 1800 मेगावाट बिजली पैदा होने का अनुमान था और नेपाल में 6.5 लाख एकड़ तथा बिहार में 13.45 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होने का अनुमान था। उस समय उसकी अनुमानित लागत 177 करोड़ रुपये की थी परन्तु उसको पूरा करने में अनेक समस्यायें थीं। उदाहरण के लिए पानी फैंकने में कारण नेपाल का कुछ भाग जलमान करना पड़ता और इसके लिये नेपाल सरकार राजी करती नहीं थी।

इसके अलावा मिट्टी ढोने का सवाल था और हम इस परियोजना कों शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। परन्तु भरसक कोशिशों के बावजूद हम अपने उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सके। 1979 में सिंचाई विभाग के एक सचिव नेपाल गये और वहां नेपाल सरकार से बातचीत की क्योंकि इस बांध के निर्माण में हमारी रुचि है ; इसे इससे बाढ़ नियंत्रित होगी, बिजली पैदा होगी और इससे बिहार राज्य को सहायता मिलेगी। नेपली सरकार उस स्थान से कुछ मील ऊपर, जहां हम बांध बनाना चाहते हैं, एक दूसरा बांध बनाना चाहती थी। भाई वह बांध बनाया जाता है तो कोसी उच्च बांध का प्रश्न ही नहीं उठता इसलिए एक उच्च स्तरीय दल वहां गया और कोसी उच्च बांध के महत्व पर बल दिया। नेपाल सरकार नेपाल स्थिति मूलाघाट में एक दूसरा बांध बनाना चाहती थी हमने कहा कि यदि उस बांध का निर्माण किया गया तो कोसी उच्च बांध का प्रश्न ही उठता। हमने कहा कि इससे नेपाल और भारत दोनों के हितों को नुकसान होगा और हमें कोसी उच्च बांध के निर्माण के लिए अवश्य सहमत होना चाहिए। इस लिए दोनों सरकारों के उच्चाधिकारी आपस में मिले और इस समस्या पर विचार विमर्श किया।

सम्बर 1979 में काफी समझाने- बुझाने के बाद नेपाल सरकार कोसी बांध परियोज नापर पुनः विचार करने के लिए राजी हो गई । तदनुसार केन्द्रीय जल आयोग कहा गया कि गत अनेक दर्षों के दौरान जल और मिट्टी सम्बन्धी जो आंकड़े इक्ट्ठे किए गए हैं। उन्हें देखते हुए वह परियोजना का प्रारूप फिर से तैयार करे । परियोजना की यह प्रारूप रिपोर्ट सितम्बर 1980 तक मिल जाने की आशा है ।

1950 के बाद में अब तक हमने जो अध्ययन किए हैं उनसे हमने यह देखा है कि मिट्टी विका भार उसकी तुलना में काफी अधिक होगा जिसका 1950 में पूर्वानुमान किया गया था । इस लिए बांध की ऊंचाई को ऊपर उठाना आवश्यक है और इससे बांध की लागत स्वतः बढ़ जायेगी हाल ही में किए गये सर्वेक्षण के से पता चला है कि इस बांध की ऊंचाई 110 फुट होगी और उसकी निर्माण लागत 3000 करोड़ रुपये से 3500 करोड़ रुपये के बीच होगी । इस बांध से 2800 मेगावाट बिजली पैदा होने को आशा है और जल संग्रहण की क्षमता 120 लाख एकड़ तक बढ़ाई जाएगी जबकि मूल अनुमान 6.9 लाख एकड़ का था । इस प्रकार सारे अनुमान दुगने बढ़ गये हैं । दूसरे मूल सर्वेक्षण में 1800 मेगावाट बिजली उत्पादन का अनुमान लगाया गया है । वर्तमान अध्ययन बताता है कि बिजली के उप्पादन को 2800 मेगावाट तक बढ़ाया जा सकता है । (व्यवधान) जो प्रयास हम कर रहे हैं वे यही हैं । उसके अलावा केन्द्रीय जल आयोग के चेयर मैन ने जनवरी 1980 में हुई एक बैठक में इस परियोजना की समीक्षा की है । वे कहते हैं कि इस परियोजना के अतिरिक्त सर्वेक्षण के लिए लगभग 2-4 करोड़ रुपये की आवम्लकता होगी । लेकिन हम, इस बांध के निर्माण सम्बन्ध में नेपाल सरकार के सहमत होने के बाद ही इन जाँच कार्यो में लगेंगे । यह देखा जायेगा कि कोसी उच्च बांध के सम्बन्ध में कुछ प्रगति करने के लिए भारत हर संभव प्रयास कर रहा है और हमें आशा है कि नेपाल सरकार हमारे साथ सहयोग करेगी ।

अतः हमारी ओर से न उपेक्षा बरती गई है और न ही सुस्ती दिखाई गयी । पर हम हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं । नेपाल एक प्रभुसत्त-सम्पन्न देश है । इसलिए हम सहयोग और अनुनय से ही सारी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं । हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं और अन्तः सफल भी होंगे ।

अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में बिहार सरकार से हमें केवल प्रतिवेदन ही प्राप्त हुए हैं। पर इस दावे के समर्थन में ब्योरा नहीं दिया है कि समग्र कोसी व्यवस्थ से सम्भवतः 7000 मे० वा० बिजली पैदा हो सकेगी पर हम सारे मामले की जाँच करेंगे ताकि इस नदी से अधिकतम बिजली पैदा की जा सके । मैं सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम उनकी भावनाओं का आदर करते हैं और हम उनके तथा नेपाल सरकार के सहयोग से इस उद्देश्य को पूरा करने में सफल होंगे ।

**श्री योगेन्द्र झा:** बिजली की खपत की क्या स्थिति है ? बराह क्षेत्र काम के डुबने का प्रश्न नही है । और नेपाल सरकार ने इसका कभी विरोध नहीं किया । आपकी अनुमति से मैं इस में एक पुस्तिका सभा-पटल पर रखता हूं ।**

** अध्यक्ष महोदय द्वारा बाद में अनु मति न दिए जाने के कारण दस्तावेज सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अवश्य ।

**श्री विक्रम महाजन** : बिहार के सम्बन्ध में मैं आपको प्रतिव्यक्ति खपत आंकड़े दूंगा । प्रश्न के उत्तर में पर ब्यौरा दिया गया है । फि र भी सदस्यों सुविधा के लिए मैं फिर ये आंकड़े देता हूं । बिहार में 1978-79 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 38.63 बिजली के उत्पादन में बिहार काफी पीछे रहा । यदि बिहार के बिजलीघर अखिल भारतीय का स्तर का उत्पादन करते तो कोई कठिनाई नहीं होती । बिजली की मांग की पूर्ति करने में समर्थ होता । बिहार में बिजली उत्पादन की स्थिति इस प्रकार है । पट्रातू की 620 मेगावाट की क्षमता है पर वहां केवल 115 मे० वा० बिजली पैदा हो रही है जो देश में सबसे कम है·····(व्यवधान) हमने अपने मित्र देश सोवियत रूस से मशीनें खरीदी हैं । हमारे यहां रूसी विशेषज्ञों की एक टीम है । हमने उनसे समग्र स्थिति पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया है और उन्होंने ऐसा करने और मदद देने का वचन दिया है । दूसरा संयंत्र बरौनी है जिसकी क्षमता 145 मे० वा० है, पर वहां 40 से 50 मे० वा० बिजली पैदा हो रही है । अखिल भारतीय आंकड़ों के हिसाब से यह बहुत ही कम है। यदि हम 1976-77 की भांति 66 प्रतिशत बिजली पैदा कर सकें तो बिहार में बिजली की कोई समस्या नहीं रहेगी । इन कार्यों के अलावा हमने नई परियोजनाएं भी स्वीकृति की हैं जिनसे 725 मे० वा० अतिरिक्त बिहैली उपलब्ध होगी और 1985 तक वर्तमान क्षमता दुगुनी हो जाएगी । इन प्रयासों से हम आशाधते हैं कि बिहार का बिजल की मूल आवश्यकता पूरी हो जावेगी । पर इसके लिये भी हमें अन्य दलों के सहयोग की जरूरत है क्योंकि उत्पादन कम है, मजदूर यूनियनों में असंतोष है; रखरखाव में गड़बड़ है जिसके लिए यूनियनों का आपसी झगड़ा जिम्मेदार है । अगर सदस्यगण हमारी मदद करें तो मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि बिहार की समस्या को हम सुलझा देंगे ।

**श्री के० मालन्ना (चित्रदुर्ग)** : अभी मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया मैने उसे सुना और और मूल और मूल उत्तर को भी देखा है । इसमें कोई विवाद नहीं है कि हमारे देश में बिजली का उत्पादन और उत्पादन क्षमता समान नहीं है । हमारी सारी अर्थव्यवस्था, कृषि और उद्योग बिजली पर निर्भर है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया प्रश्न न पूछें । भाषण न दें ।

**श्री के० मालन्ना** : पिछले दो वर्षों में बिजली का उत्पादन देश की बढ़ती हुये मांग के अनुरूप नहीं रहा है । जल, कोयला और तेल पर आधारित परियोजना के अलावा और ऊर्जा तथा ज्वार-भाटे पर आधारित परियोजनाएं भी हैं । इनकी देख-रेख केवल राज्य नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अनुसंधान और विकास कार्यों को जरूरत होती है और काफी धन लगाना पड़ता है । केन्द्र अपनी जिम्मेदारी राज्यों पर कोप रहा है और राज्य यह कह कर केन्द्र को उत्तरदायी बना रहे हैं कि केन्द्र ने कुछ परियोजनाओं के लिए मंजूरी नहीं दी है । वरिष्ठ मंत्री ने वक्तवय में कहा है कि इन्हें केन्द्र अपने नियंत्रण में लेगा । इन परिस्थितियों में मैं माननीय मंत्री से पूछता हूं कि क्या केन्द्र सरकार बिजली परियोजनाओं को अपने हाथ में ले रही है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री योगेन्द्र झा ने कुछ दस्तावेज सभा पटल पर रखे हैं । हम उनका अध्ययन करेंगे ।

**श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे क्षेत्र का मामला है, इसलिये मैं थोड़ा अधिक समय आपसे लूंगा।

विद्युत की खपत के बारे में मैं कुछ देशों के आंकड़े देख रहा था कि वहां पर प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत कितनी हैं। कनाड़ा में 11,000 किलोवाट, स्वीडन में 9,000 किलोवाट, रूस में 4,000 किलोवाट, स्पेन में 2,000 किलोवाट, भारत में 132 किलोवाट और बिहार में 66·50 किलोवाट। हम लोगों के देश की उत्पादन क्षमता 30 हजार मेगावाट है और देश को जरूरत है 27,000 मेगावाट की। जितनी उत्पादन क्षमता हमारे देश की है, यदि उतना उत्पादन होना शुरू हो जाये तो कोई प्रावलम नहीं है, लेकिन देश में क्षमता का कुल 45 परसैंट ही उत्पादन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा 15 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन है। इस तरह से 12 हजार से ज्यादा मेगावाट की शार्टेज है।

6 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न के उत्तर में राज्य मंत्री महोदय ने जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रति व्यक्ति खपत विजली की इस प्रकार है—मणिपुर में 11 किलोवाट. त्रिपुरा में 17 किलोवाट, मिजोरम में 9, आसाम में 42, नागालैंड में 42, अरुणाचल प्रदेश में 46, मेघालय में 58, विहार में 69, हिमाचल प्रदेश में 81, मध्य प्रदेश में 106, उत्तर प्रदेश में 108, आन्ध्र प्रदेश में 112, उड़ीसा में 117, राजस्थान में 119, केरल में 122, जम्मू तथा कश्मीर में 125, पश्चिमी बंगाल में 147, कर्नाटक में 189, तमिलनाडु में 219, गोआ-दमन-दीव में 133, गुजरात में 264, हरियाणा में 265, महाराष्ट्र में 268, पांडिचेरी में 268, पंजाव में 373, दिल्ली में 426 और चंडीगढ़ में 717 किलोवाट है।

एक तरफ 9 किलोवाट से शुरू होता है, बिहार में जाकर 69 तक पहुंचता है और दूसरी तरफ 717 किलोवाट है। यह रीजनल इम्बैलेन्स, जिसको कहते हैं क्षेत्रीय असंतुलन।

जो जल विद्युत उत्पादन हेतु प्रतिष्ठापित क्षमता है, वह इस प्रकार है :—हरियाणा में 659·51 मेगावाट, हिमाचल प्रदेश में 110.32, जम्मू-काश्मीर में 176.92, पंजाव में 1082.26, राजस्थान में 648·73, उत्तर प्रदेश में 1147.54, गुजरात में 300.00, मध्यप्रदेश में 193,00, महाराष्ट्र में 1197.30, आन्ध्रप्रदेश में 877.93, कर्नाटक 1334,80, केरल में 1011.50, तमिलनाडु में 1369.00, बिहार में 85,00, उड़ीसा में 664.42, दश्चिम बंगाल में 38.51, दामोदर घाटी निगम में 104.00, सिक्किम में 14.55 मेगावाट।

मैं इसलिये भी यह कह रहा हूं कि जो अभी नार्थ ईस्ट जोन में समस्या खड़ी है, उसका एक कारण नहीं है। विहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल की जो समस्या है या दूसरे राज्य हैं, उनका एक ही कारण आन्दोलन का नहीं होता है। उनके साथ कितना अन्याय किया जा रहा है, यह भी वतलाना चाहता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी कह चुके हैं कि वह श्री योगेन्द्र झा से सहमत हैं। आप उन्हें पुनः विश्वास दिला रहे हैं ?

**श्री रामविलास पासवान** : इस तरह से अरुणाचल में 7.12 मेगावाट, मणिपुर में 0.60, मेघालय में 126.71, मिजोरम में कुछ नहीं, नागालैंड में 1.50, त्रिपुरा में 10.00 और अंडमान निकोवार में कुछ नहीं

इसी प्रकार अगर आप क्षेत्रवार देखेंगे तो इनकी कंजम्पशन है—उत्तरी क्षेत्र में 3945.28 मेगावाट: पश्चिमी क्षेत्र में 1790.30 मेगावाट, दक्षिणी भाग में 4593.23 मेगावाट, पूर्वी भाग में 906,48 मेगायाट और उत्तरी-पूर्वी भाग में यह है 145.9६ मेघावाट।

जब यह स्थिति है तो आन्दोलन क्यों नहीं होगा। एक तरफ तो आपके पास इन्स्टाल्ड कैपेसिटी नहीं है और जब कैपेसिटी है, तो उसके मुताबिक उत्पादन नहीं होता। पिछले 6 वर्षों के आंकड़े हैं जिस अनुपात में आपकी उत्पादन क्षमता होनी चाहिए थी, उसमें कमी आई है लेकिन आप दोष देते हैं राज्य विद्युत बोर्ड को। राज्य विद्युत बोर्ड केन्द्र को दोष देता है। इस बारे में प्राइम मिनिस्टर ने ठीक बोला कि अगर यह नहीं होगा तो राज्य विद्युत बोर्ड को अपने हाथ ले लेंगे। आप देखें कि जो केन्द्रीय सरकार के बिजली घर हैं, वहां क्या हो रहा है?

आपके बगल में बदरपुर पावर हाऊस है, उसकी क्या हालत है? प्रधान मंत्री ने एक नई बात कही है कि बिजलीघरों को ट्रांसमिशन लाइनों से जोड़ कर एक राष्ट्रीय ग्रिड बना जायेगा। सरकार सब कुछ करे, लेकिन एक दूसरे पर दोषारोपण करने से काम नहीं चल सकता है। हमारे यहां जल-स्रोत हैं, जो कि बिजली के लिए सब से अच्छे स्रोत हैं। उनसे छोटे-छोटे बिजलीघर बनाये जा सकते हैं।

हमारे बगल में नेपाल हिमालयन रेंज है। वहां से बहुत बड़ी मात्रा में जल-विद्युत तैयार की जा सकती है। क्या सरकार वहां कोई जल-विद्युत योजनाएं बनाने का विचार कर रही है? मंत्री महोदय ने कहा है कि कोई हाई डैम पर बहुत रुपया लगेगा, लेकिन उन्होंने यह भी बताया है कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। मैं यह नहीं जानना चाहता हूं क्या कोसी हाई डेम को छठी पंचवर्षीय योजना इनबलूड किया जायेगा। इस समय उत्पादन-क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं हो रहा है, उसके लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

**श्री हरिकेश बहादुर** (गोरखपुर): महोदय, बहुत सी बातें पहले ही कही जा चुकी हैं और मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मेरे मित्र श्री पासवान प्रादेशिक असंतुलन की बात कह चुके हैं। जब तक हम बिजली उत्पादन नहीं बढ़ाते तब तक यह असन्तुलन दूर नहीं होगा। यह प्रश्न बिजली की प्रति व्यक्ति स्थापित क्षमता, उपलब्धता और खपत से संबद्ध है। मैं जानना चाहता हूं कि इस संकट को दूर करने के लिए क्या सरकार देश में परमाणु बिजलीघर बनाने की सोच रही है। फिर उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु बिजली घर की स्थापना में कितना समय और लगेगा। काम कई सालों से चल रहा है, पर पूरा नहीं हुआ है। क्या, जैसा कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है, सरकार पाइप लाइनों से कोयला भेजेगी क्यों कि उनकी राय में इस व्यवस्था से कोयला शीघ्र औरकम लागत पर पहुंचाया जा सकेगा। साथ ही रेलवे वेगन जो कोयला ही ढ़ोते रहते हैं, खाली हो जायेंगे। क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी।

**श्री विक्रम महाजन**: श्री मालन्ना ने पूछा था कि क्या हम ऐसे राज्य बिजली बोर्डों को अपने नियन्त्रण में लेंगे जो ठीक प्रकार काम नहीं कर रहे। शायद उन्हे पता है कि बिजली उत्पादन समवर्ती सूची में है। इस विषय में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पर इस समय हम विशेष जानकारी का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं जिसका उपयोग राज्य बिजली बोर्डों द्वारा चलाये जा रहे बिजली घरों में किया जायेगा। हम उनकी कठिनाइयों का अध्ययन कर

रहे हैं और उपचारात्मक उपाय सुझा रहे हैं। हम उनकी वित्तीय सहायता भी कर रहे हैं। आयातित संयंत्रों के लिये फालतु पुर्जों का आयात भी कर रहे हैं यह वर्तमान विचार-धारा है।

श्री पासवान ने कुछ तथ्य पेश किये हैं। उनका यह भ्रम है कि भारत में बिजली की मांग 27000 मे0 वा0 है। देश की वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 31,000 मे0 वा0 है। देश की व्यस्त समय की मांग 16,000 से 17,000 मे0 वा0 की है और सप्लाई लगभग 14,000 से 15,000 मे0 वा0 है। अतः मांग और पूर्ति में अन्तर केवल 25,00 मे0 वा0 का है। यदि हम 1976-77 के उत्पादन स्तर पर भी पहुंच जायें—आज यह 45 प्रतिशत है जब कि 1976-77 में 56 प्रतिशत था—तो भी स्थिति संतोषजनक हो सकती है। देश में बिजली की कमी नहीं रहेगी। अतः इस सीमा तक कुछ भ्रम है।

कोसी हाई बांध के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम सदस्यों की भावना से सहमत हैं और इसका जल्दी ही निर्माण करना चाहते हैं। पर कुछ कठिनाइयां हैं। नेपाल प्रभुसत्ता-सम्पन्न देश है। ज्यों ही इसके निर्माण के लिये तैयार हो जायेगा, हम इस योजना में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

प्रश्न के उत्तर में मैं कह चुका हूं कि दिसम्बर 1979 की बैठक में काफी अनुभव के बाद नेपाल सरकार कोसी बांध परियोजना पर पुनः विचार करने के लिये सहमत हुई। तदनुसार, जल और गाद सम्बन्धी अतिरिक्त जानकारी के संदर्भ में केन्द्रीय जल आयोग को इस परियोजना को अद्यतन बनाने के लिये कहा गया है। अद्यतन प्रतिवेदन के सितम्बर, 1980 में मिलने की सम्भावना है। कि हम नेपाल सरकार से बातचीत करेंगे और उन्हें इस परियोजना के निर्माण के लिये सहमत होने का अनुरोध करेंगे।

जहां तक उत्तर बिहार में प्रति व्यक्ति आंकड़ों का संबंध है, हमारे पास पूरे बिहार के आंकड़े हैं। हमने उत्तर और दक्षिण बिहार के आंकड़े अलग नहीं किये हैं। ये आंकड़े मिलते ही मैं सदस्य के पास भेज दूंगा।

जहां तक क्षेत्रीय असंतुलन का सम्बन्ध है माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि इसे दूर किया जाना चाहिये और उत्पादन क्षमता मांग से 10 प्रतिशत अधिक होनी चाहिये। हम 10 से 15 साल की एक योजना बना रहे हैं क्योंकि आमतौर पर एक पनबिजली घर बनाने में लगभग 70 वर्ष लगते हैं और ताप बिजलीघर के बनने में 4 से 5 वर्ष तक लगते हैं। अतः हम एक दीर्घ-कालीन योजना बना रहे हैं और प्रादेशिक असंतुलन दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने श्री झा के प्रश्न के उत्तर में विशिष्टतः कहा है कि यदि हम बिहार की वर्तमान क्षमता को दुगुना कर दें तो उसकी जरूरत पूरी हो जायेगी। साथ ही मैंने यह भी कहा है बिहार में कुछ नये बिजली घर बनाये जा रहे हैं जिनसे अगले पांच वर्षों में क्षमता दुगुनी हो जायेगी। दीर्घावधि योजना के फलस्वरूप भी बिहार में प्रति व्यक्ति खपत बढ़ जायेगी

**श्री रामविलास पासवान** : कैसे ?

**श्री विक्रम महाजन** : अधिक बिजलीघर बनाने से श्री हरिकेश बहादुर के परमाणु बिजलीघर के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि हम नरोरा बिजलीघर को शीघ्र पूरा

करने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान नीति के अनुसार जहां कोयला खाने हैं वहां सुपर थर्मल बिजली घर बनाये जायेंगे जहां पानी है वहां पन बिजलीघर बनाये जायेंगे और जहां ये दोनों उपलब्ध हों वहां परमाणु बिजलीघर बनाये जाने चाहिये। यह एक स्वीकृत व्यवस्था है। आप यह नहीं कह सकते कि हम केवल ऐक ही प्रकार के बिजलीघर स्थापित करेंगे। कोयला, जल, परमाणु और सारे ऊर्जा एवं ज्वार-भाटा जैसे गैर परम्परागत स्रोतों समेत सभी प्रकार के स्रोतों का उपयोग बिजली पैदा करने के लिये किया जायेगा ताकि हम देश की मांग पूरी करने हेतु काफी मात्रा में बिजली पैदा कर सकें।

———

6·46 बजे म० प०

तत्पश्चात लोक सभा गुरूवार, 24 जुलाई, 1980/2 श्रावण, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———